[redacted]

राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

श्रंक 5] पंचम् विधान सभा के पंचम् सत्र का 29वां दिवस [संख्या 23

शनिवार,

30 मार्च, 1974

विधान सभा की बैठक मध्याह्न पूर्व 11 बजे से विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई ।

(श्री रामकिशोर व्यास, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

[सिंचाई, शिक्षा, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, उद्योग, अकाल सहायता, विद्युत आयुर्वेद, विधि एवं गृह विभाग]

श्री अध्यक्ष : प्रश्न । श्री लूणाराम !

श्री लूणाराम : प्रश्न संख्या 591.

शिक्षा मंत्री (श्री खेतसिंह) : 591 नहीं प्रश्न संख्या 594 ।

श्री लूणाराम (डूंगरगढ़) : प्रश्न संख्या 594 ।

समाज शिक्षा पर ग्रामीण क्षेत्रों में व्यय

594. श्री लूणाराम (डूंगरपुर) : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि राज्य सरकार समाज शिक्षा पर ग्रामीण क्षेत्रों में प्रति वर्ष काफी रकम खर्च करती है ? यदि हां, तो वित्तीय वर्ष, 1971-72 से 1973-74 तक वर्ष वार व जिलेवार किस किस कार्य पर क्या क्या खर्चा किया गया ? सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें । ।

(2) क्या यह सही है कि ग्रामों में रूढ़िग्रस्त लोगों को समाज शिक्षा द्वारा जागृत कर नये समाज की ओर आकर्षित करना आवश्यक है ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा पंचम पंचवर्षीय योजना में क्या क्या उपाय सोचे गये हैं ?

शिक्षा मन्त्री (श्रीखेतसिंह) : समाज शिक्षा कार्यक्रम के लिये प्रति वर्ष पंचायत समितियों को शिक्षा विभाग की अभिमन्शा पर विकास विभाग द्वारा राशि आवंटित की जाती है । 1971-72 तथा 1972-73 में आवंटित राशि तथा 73-74 में प्रस्तावित आवंटित राशि का विवरण सदन की मेज रख दिया गया है ।

(2) जी हां । पंचम पंचवर्षीय योजना में रूढ़िग्रस्त लोगों को जागृत नये समाज की ओर आकर्षित करने हेतु जो उपाय किये गये हैं उनकी प्रति सदन की मेज पर रख दी गयी है ।

(कृपया परिशिष्ट 1 देखिये)

श्री लूणाराम : अध्यक्ष महोदय, मन्त्री महोदय ने जो सूची मुझे दी है उसमें पंच-

(श्री लूणाराम)

वर्षीय योजना के कार्यकाल में रूढ़िग्रस्त लोगों को जागृत करने के लिये जो साधन दर्शाये गये हैं उनमें किस किस प्रकार के कार्य करवाये जायेंगे, वह नहीं बताया। इसके अलावा मैं मन्त्री महोदय से यह जानकारी चाहता हूं कि ग्रामीण क्षेत्रों में साक्षरता अभियान के लिये क्या-क्या कार्यवाही की जा रही है। दूसरे क्या ग्रामीण क्षेत्रों में जागृति लाने के लिये पहले जिस प्रकार समाज शिक्षा प्रसार अधिकारी थे वह वापिस रखे जावेंगे और वो पहले चल चित्र वगैरहा दिखाये जाते थे उसी प्रकार की कोई कार्यवाही की जायेगी ?

श्री खेतसिंह (शिक्षा मन्त्री) : अध्यक्ष महोदय, रूढ़िग्रस्त क्षेत्रों में ग्रामीण लोगों में जागृति लाने के लिये उनमें प्रौढ़ शिक्षा को प्रोत्साहन दिया जायेगा, वहां जो शिक्षण संस्थायें हैं उन्हें वित्तीय सहायता दी जायेगी। वहां पर योजनाबद्ध तरीके पचायत समितियों के माध्यम से सामाजिक कार्यक्रम किये जायेंगे। पंचायत समितियों के माध्यम से उन्हें प्रोत्साहन दिया जायेगा। ज्यादा से ज्यादा लोगों को शिक्षित किया जावे। इसके लिये हमने सघन जिले कार्यक्रम किये हैं। वहां पर ज्यादा से ज्यादा अध्यापक रखे जायेंगे। इस प्रकार की लोगों को सहूलियतें दी जावेंगी। शिक्षा विभाग अपने विचार से ऐसे प्रयत्न करेगा कि लोगों को ज्यादा से ज्यादा ग्रामीण क्षेत्रों में साक्षरता फैल सके।

श्री दीपकर (लाडनूं) : अध्यक्ष महोदय, मेरा मन्त्री महोदय से एक प्रश्न है कि पहले जो समाज शिक्षा प्रसार अधिकारी पंचायत समितियों में थे उन पदों का वापिस सृजन किया जावेगा।

श्री खेतसिंह (शिक्षा मन्त्री) : अध्यक्ष महोदय, वह पद तो अब समाप्त हो गये हैं अब उन का बजट में वापिस उन पदों का प्रावधान करना मुश्किल है। लेकिन अलग तरह लोगों में साक्षरता व उनमें जागरूकता प्रदान करने के लिये कुछ कार्यक्रम रखेंगे। यह कार्यक्रम पंचायत समितियों के माध्यम से पूरे किये जावेंगे। जैसे पोस्टर लगाने हैं, चलचित्र दिखाने हैं और सांस्कृतिक कार्यक्रम भी उसमें रखेंगे ताकि ग्रामीण क्षेत्र की जनता ज्यादा से ज्यादा साक्षरता प्राप्त कर सके तथा रूढ़िवाद उनमें समाप्त किया जा सके। इसके लिये हम पंचायत समितियों को अतिरिक्त धनराशि प्रदान करेंगे। उससे ऐसा होगा उन लोगों में जो अन्धकार फैला हुआ है वह समाप्त हो सके और वह लोग समाज में आगे बढ़ें।

श्री निरंजननाथ आचार्य (मावली) : यह आप राठोड़ी का जो प्रयत्न कर रहे हैं उस दिशा का हमें ज्ञान तो दीजिये।

श्री दीपंकर : क्या पहले वाले समाज शिक्षा प्रसार अधिकारियों ने कोई उपलब्धि नहीं दी क्या ? मैं समझता हूँ कि साक्षरता का ज्ञान उनके माध्यम से अधिक अच्छा हो सकता था।

श्री खेतसिंह (शिक्षा मन्त्री) : अध्यक्ष महोदय, समाज शिक्षा प्रसार अधिकारी के पद की क्या क्या उपलब्धियां रहीं यह तो अलग से प्रश्न है अगर माननीय सदस्य उनकी उपलब्धियां जानना चाहते हैं तो अलग से प्रश्न दें मैं उन्हें बता दूंगा। अब रहा सवाल राठोड़ी का ? तो राठोड़ी का तो कोई इसमें प्रश्न ही नहीं है। राज्य सरकार का लक्ष्य यह है कि ग्रामीण क्षेत्रों में ज्यादा से ज्यादा जाग्रति

(श्री खेतसिंह)
हो, वह लोग आगे बढ़ें और लोगों में चेतना जागृत हो।

(कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर अश्रव्य शोरगुल)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य स्थान ग्रहण करें।

श्री गुमानमल लोढ़ा (जोधपुर) : अध्यक्ष महोदय, ऑन ए पॉइन्ट ऑफ ऑर्डर।

श्री अध्यक्ष : नो पॉइन्ट ऑफ ऑर्डर इन क्वेश्चन ऑवर, क्वेश्चन ऑवर में कोई पॉईन्ट ऑफ ऑर्डर नहीं होता है।

श्री गुमानमल लोढ़ा : तो प्रश्न पूछ लेता हूं। माननीय सदस्य ने जो राठोडी शब्द को काम में लिया है और हमारे उधर एक राठोड़ जाति है। इससे राठोड़ जाति का अपमान हुआ है, क्या राठोड़ जाति को राठोड़ी कह कर उसका अपमान करना उचित था ?

(कई सदस्य एक साथ बोलने खड़े होने पर अश्रव्य)

श्री लूणाराम (डूंगरगढ) : मेरा निवेदन मन्त्री महोदय को यह है कि पहले जो आपने समाज शिक्षा प्रसार अधिकारी नियुक्त किये थे और उससे आपने गांवों में कुछ सुविधायें ग्रामीण जनता को समाज प्रसार अधिकारियों के मार्फत दी थी क्या उन्हें वापिस शिक्षा देने के लिये आप उन पदों का सृजन करेंगे इसके अलावा क्या राज्य सरकार गांवों में चलचित्र पंचायत समितियों के मार्फत से दिखायेगी, क्या वहां पर जैसे भक्त मण्डली या नृत्य मण्डली वगैरहा के जरिये वहां की जनता रूढिवाद को समाप्त करेंगे। क्या आप वहां पर समाज शिक्षा प्रसार अधिकारियों के पदों की स्थापना करने का विचार रखते हैं ?

श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचोर) : यह अलग से प्रश्न है।

श्री दीपंकर (लाडनूं) : अध्यक्ष महोदय मैं एक सप्लमैन्ट्री पूछना चाहता हूं। क्या मृत्युभोज वगैरहा के खिलाफ भी कुछ करेंगे ?

श्री अध्यक्ष : Order please

श्री रामकिशन (भरतपुर) : यह सघन जिले कौन कौन से आपने रखे हैं साक्षरता के लिये ?

श्री खेतसिंह (शिक्षा मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, पहले मैं डूंगरपुर से आने वाले माननीय सदस्य के प्रश्न का उत्तर देना चाहता हूं वह यह है कि यह सभी कार्यक्रम पचायत समितियों के माध्यम से चलाये जावेंगे। उसके लिये राज्य सरकार से उन्हें विशेष धन दिया जायेगा अध्यक्ष महोदय अभी चूंकि पंचायत समितियों के पास कोई काम भी नहीं है। कम से कम वह समाज शिक्षा का काम तो करेंगे। साक्षरता का अभियान पंचायत समितियों के मार्फत किया जावेगा। पंचायत समितियों के मार्फत प्रौढ़ शिक्षा का कार्यक्रम चलाया जावेगा। इसमें चलचित्र भी दिखाये जावेंगे तथा और भी कार्यक्रम रखे जायेंगे। जहां तक सवाल सघन शिक्षा के लिये कौनसे जिले चुने गये हैं उसके लिए मैं माननीय सदस्य को निवेदन करना चाहता हूं कि इसमें बीकानेर, भीलवाड़ा, बांसवाड़ा वगैरहा है। यह सघन शिक्षा के बारे में

(श्री खेतसिंह)
उदयपुर में भी जो राजस्थान विद्यापीठ है तथा उदयपुर में विद्या मंदिर है वहां पर भी कार्यक्रम चल रहे हैं। इसके अतिरिक्त भीलवाड़ा, बांसवाड़ा जिलों को भी सघन साक्षरता के जिले रखे हैं।

श्री अध्यक्ष : श्री हरिश्चन्द्र पालीवाल ! नेक्स्ट क्वेश्चन।

श्री हरिश्चन्द्र पालीवाल : प्रश्न संख्या 595

पी. एच. सी., गंगापुर सिटी,

595. श्री हरिश्चन्द्र पालीवाल (गंगापुर) : क्या चिकित्सा व स्वास्थ्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सत्य है कि पी. एच. सी. गंगापुर सिटी जिला सवाई माधोपुर को रेफरेल अस्पताल में परिवर्तित करने की योजना विचाराधीन है ? अगर हां, तो कब तक रेफरेल अस्पताल में परिवर्तित कर दिया जायेगा।

(2) पी. एच. सी., गंगापुर सिटी का वार्षिक अनुदान का बजट कितना है ? क्या सरकार मरीजों की संख्या को देखते हुए अनुदान बढ़ाने का विचार रखती है ?

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य राज्य मंत्री (श्रीमती कमला बेनीवाल) : (1) जी हां 25 प्रतिशत प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों का उन्नतीकरण कर 30 रोगी शैयाओं वाले रेफरेल अस्पताल की योजना सरकार के विचारधीन है। उक्त योजना में गंगापुर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र का नाम भी प्रस्तावित है।

(2) वर्ष 1973-74 में (आयोजना भिन्न) व्यय के मद में कुल 1,02,500 रुपये का प्रावधान है। वर्ष 1974-75 में दवाइयों के लिये प्रावधान मरीजों की संख्या को ध्यान में रखते हुए बढ़ा दिया जावेगा।

श्री हरिश्चन्द्र पालीवाल : अध्यक्ष महोदय, यह प्रस्तावित तो है लेकिन वह पहले 1970 में भी था। सन् 1970 में डी. एम. एच. ओ. ने डी. एम. ओ., करौली को पत्र भी लिखा था इसको गंगापुर को अस्पताल में परिवर्तित कर दिया था। इसी प्रकार हिन्डौन को भी अस्पताल में परिवर्तित करने की बात तय थी लेकिन अभी तक एग्जीक्यूटिव इन्जिनियर ने उसका एस्टीमेट अभी तक नहीं बनाया है। उसके बाद दुबारा सन् 1971 में एग्जीक्यूटिव इन्जीनियर को लिखा लेकिन अभी तक पी. डब्ल्यू. डी. के एग्जीक्यूटिव इन्जीनियर साहब ने उसका कन्स्ट्रक्शन एस्टीमेट नहीं बनाया है। इस तरह से यह प्रस्ताव तो तीन-चार साल से हो रहा है अगर उसी तरह प्रस्तावित हो तो क्या फायदा ?

श्रीमती कमला बेनीवाल (चिकित्सा स्वास्थ्य राज्य मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, पंचम पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत भारत सरकार ने यह निर्णय लिया कि 25 प्रतिशत प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों को रेफरेल अस्पतालों में कनवर्ट किया जायेगा। इसके लिये राज्य सरकार ने जिलावाइज कमेटियाँ भी बनादी हैं। उनकी रिपोर्ट आने पर उन पर निर्णय लिया जायगा कि उस जिले में कौनसे प्राथमिक केन्द्र को रेफरेल अस्पताल बनाया जाय। इसमें आपकी गंगापुर सिटी में रेफरेल हॉस्पिटल खोलने का प्रावधान है।

श्री हरिश्चन्द्र पालीवाल : क्या वहां पर अस्पताल खुल जायेगा गंगापुर में।

श्रीमती कमला बेनीवाल : जी हां।

श्री दीपंकर : क्या नागौर जिले में भी आप ऐसी योजना लागू कर रहे हैं?

श्रीमती कमला बेनीवाल : यह अलग से प्रश्न है।

श्री मीठालाल : अध्यक्ष महोदय, मेरा मन्त्री महोदय से यह प्रश्न है कि अगर कहीं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पर अधिक मरीज आते हैं तो उनकी संख्या को देखते हुए उसे उन्नत किया जायेगा ?

वहीं पर मरीजों की संख्या देखते हुए क्या दवाइयों के लिये पैसा बढ़ा दिया जायेगा ?

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट क्वेश्चन। श्री अमृतलाल गहलोत !

श्री अमृतलाल गहलोत : प्रश्न संख्या 596

उद्योगों के लिए प्राप्त आशय पत्र

596. श्री अमृतलाल गहलोत (सरदारपुरा, जोधपुर) : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राजस्थान स्टेट इण्डस्ट्रियल एण्ड मिनरल डवलपमेंट कार्पोरेशन ने अब तक किन किन उद्योगों के आशय-पत्र प्राप्त किये हैं ?

(2) उपरोक्त आशय पत्रों में से कौन कौन से उद्योग कहां कहां पर लगाये गये हैं अथवा लगाये जायेंगे और यह पूर्ण सार्वजनिक क्षेत्र में होंगे या जोइन्ट सैक्टर में होंगे ? इनकी पूर्ण सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) उपरोक्त उद्योगों में से जोधपुर नगर में कौन से उद्योग लगाये जायेंगे ? यदि कोई भी नहीं लगाया जायगा तो उसके क्या कारण हैं ?

श्री खेतसिंह (उद्योग मंत्री की ओर से) : (1) निगम ने अब तक 11 उद्योगों के लिये आशय-पत्र प्राप्त किये हैं जो इस प्रकार हैं।

स्कूटर, थ्री व्हीलर स्कूटर, ग्लास बॉटल्स व कन्टेनर्स, कैलशियम कारबाइड, ग्लास, शेल्स मिनी स्टील, टी. वी. रिसिविंग सेट्स, सोडा एश, कास्टिक सोडा, स्पंज आइरन और सिन्थेटिक क्रायोलाइट व अल्यूमिनियम फ्लोराइड।

(2) सूची सदन की मेज पर रख दी गयी है।

(3) जिन परियोजनाओं के लिये आशय-पत्र प्राप्त हुए हैं उनमें से कोई भी जोधपुर में स्थापित नहीं किया जा रहा है। परियोजना के लिये स्थान का चयन परियोजना की टेक्निकल फिजिबिलिटी एण्ड इकोनोमिक वायेबिलिटी के आधार पर विशेषज्ञों की सलाह पर किया जाता है।

(कृपया परिशिष्ट 2 देखिये)

श्री सज्जनसिंह (सुमेरपुर) : क्या विशेषज्ञों ने जोधपुर को बिलकुल ही अयोग्य माना है ?

श्री दीपंकर : पिछड़े हुए इलाकों में औद्योगीकरण न होने के क्या कारण हैं ?

श्री वृद्धिचन्द्र जैन (बाड़मेर) : पहले राज्य सरकार ने यह घोषणा की थी कि जोधपुर में स्कूटर फैक्टरी स्थापित की जावेगी। वह अलवर में लग गई। अब आप इकोनोमिक वायेबिलिटी की बात कह रहे हैं, इसके लिये पावर लैंड कम्युनिकेशन जितने भी इन्फ्रास्ट्रक्चर होने चाहियें वे जोधपुर में हैं तब भी जोधपुर को इग्नोर कर रहे हैं जबकि तीन तीन मन्त्री मन्त्रिमण्डल में जोधपुर जिले के हैं। इसका क्या कारण है ? क्या यह सही है कि जोधपुर के सदस्य होकर जोधपुर का डेवलपमैन्ट न हो और मंत्रिमंडल में सदस्य रहें ? क्या यह कम्प्रोमाइज किया गया है ?

श्री प्रद्युम्नसिंह (राजाखेड़ा) : क्या यही आधार रहेगा कि जोधपुर के तीन मंत्री हैं इसलिये वहां पर इन्डस्ट्री लगाई जानी चाहिये ?

श्री खेतसिंह : सुमेरपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि जोधपुर इसलिये पीछे है कि जोधपुर में इण्डस्ट्री नहीं लगायी जा रही है। आमतौर पर विशेषज्ञों की जो राय है, उनके चयन करने की जो टेक्नीक है वह यह है कि मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन्स, रोड्स से कान्ट्रेक्ट, नजदीक में रॉ मेटीरियल मिलता हो, पानी की खूब सुविधा और बहुतायत हो, बिजली बहुत हो और अच्छी खपत हो और बाकी तो माइनर बातें हैं लैंड वगैरा। इन सब दृष्टिकोण से देखेंगे तो जोधपुर में पानी की उतनी व्यवस्था नहीं है। आप यह भी मानेंगे कि जोधपुर में रॉ मेटिरियल के साधन भी ऐसे नहीं हैं और आप इस बात को भी मानेंगे कि बिजली की दृष्टि से भी छोर पर आया हुआ है। मतलब कोने पर आया हुआ है।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (सूरतगढ़) : यह भाषण तो जोधपुर में होना चाहिये था। सदन में तो इसका तत्काल हल होता नहीं है। यह सार्वजनिक अभिनन्दन का भाषण है।

श्री गुमानमल लोढ़ा : मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे क्या यह सही है कि जोधपुर में स्कूटर फैक्टरी लगाने का निर्णय हो चुका था और ऑफिस भी सैट-अप किया गया और ऑफिस के लिये लोग भी रखे गये। क्या विशेषज्ञों की राय से पहले ऐसा करने से अनभिज्ञ थे ? आपने कारण बताये हैं। इसी प्रकार ट्रैक्टर फैक्टरी भी लगाने की घोषणा की गयी थी। बार बार घोषणा करने से पहले सारे फैक्टर्स को काउन्ट कर लिया गया था और कहा गया था कि फैक्टरी ट्रैक्टर की लगायेंगे ?

श्री खेतसिंह : जहां तक स्कूटर फैक्टरी का सम्बन्ध है जोधपुर का इसके लिये चयन कभी हुआ नहीं। ट्रैक्टर फैक्ट्री के लिये जरूर हुआ था। लेकिन जिस फर्म के कोलेबोरेशन से यह होना था उसने कतई रिफ्यूज कर दिया इसलिये बात वहीं समाप्त हो गयी।

श्री रघुनाथ विश्नोई : अलवर का आधार क्या था चयन करने का ?

श्री गुमानमल लोढ़ा : क्या माननीय मन्त्री महोदय और राज्य सरकार किसी दूसरे कन्टरी के कोलेबोरेशन से ट्रैक्टर फैक्ट्री लगायेगी ?

श्री खेतसिंह : यह अलग से प्रश्न है। जहां तक माननीय रघुनाथ जी के प्रश्न का सम्बन्ध है कि अलवर का चयन क्यों किया गया, इसके सम्बन्ध में मेरा निवेदन है कि

(श्री खेतसिंह)
तकनीकी परामर्शदाता किरलोस्कर पूना ने यह राय दी थी कि अलवर दिल्ली के नजदीक है और कई पार्ट्स ऐसे हैं कि जो फरीदाबाद से मिल सकते हैं और उन्होंने यह राय दी थी कि अलवर हर दृष्टि से स्कूटर कारखाने के लिये उपयुक्त है।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

श्री मोहम्मद गफ्फारअली (जौहरी बाजार) : क्या आपने कोई आल्टरनेटिव इण्डस्ट्री जोधपुर में कायम करने का कोई विचार किया है ? आपके कहने का क्या यह मतलब है कि जोधपुर में कभी कोई डेवलपमेन्ट न हो ?

श्री खेतसिंह : यह अलग से प्रश्न है। इसका जवाब अभी नहीं दिया जा सकता।

(कई माननीय सदस्य एक साथ बोलने पर व्यवधान)

श्री सज्जनसिंह : अध्यक्ष महोदय, मेरे सप्लीमेन्टरी ......

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट क्वेश्चन।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा।

गंगानगर जिले में दवाई की दुकानों पर छापे

597. श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (सूरतगढ़): क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि इसी वर्ष जनवरी माह में ड्रग इन्सपेक्टर्स एक ग्रुप के गंगानगर जिले के कुछ औषधि विक्रेताओं की दुकानों पर छापे मारे ? यदि हां, तो किस किस मेडिकल स्टोर्स पर छापे मारे गये एवं क्या क्या अनियमिततायें, कितनी नकली दवाइयां, घटिया दवाइयां एवं फिजिशियन्स सैम्पल पकड़े गये ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) उपरोक्त छापों के बाद दुकानदारों के विरुद्ध क्या क्या कानूनी कार्यवाही की गयी तथा कितनों के लाइसेन्स कैन्सिल किये गये ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(3) क्या यह भी पता किया गया था कि फिजिशियन्स सेम्पल कौन कौन डॉक्टर बेचते हैं ? यदि हां, तो उन डॉक्टरों के नाम क्या हैं ? तथा ऐसे डॉक्टरों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

(4) क्या यह सही है कि उपरोक्त छापों में बालिया मेडीकोज, गंगानगर पर छापा नहीं मारा गया ? यदि हां तो क्यों ?

राज्य मंत्री चिकित्सा (श्रीमती कमला बेनीवाल) : (1) जी हां। सूची सदन की मेज पर रख दी गयी है।

(2) उपरोक्त सूची में अंकित कर दिया गया है।

(3) जी नहीं। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।

(4) जी हां। तनावपूर्ण वातावरण में बालिया मेडीकोज, गंगानगर का निरीक्षण करना संभव नहीं था।

(कृपया परिशिष्ट 3 देखिये)

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : क्या यह सही है कि जो सूची आपने मुझे दी है कोई स्पुरियस ड्रग जो अन्डरस्टेन्डरडाइजेशन मेडीसिन है वही पकड़ी गयी है ? जो छापे मारे हैं उनमें या तो बैच नम्बर अंकित नहीं किया है, लाइसेन्स नहीं टांगा है इस प्रकार की ही बातें थीं ?

श्रीमती नगेन्द्रबाला : मन्त्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे ड्रग्स इन्सपेक्टर्स की नियुक्ति की है, नियमानुसार किसी ड्रग इन्सपेक्टर की नियुक्ति की ?

श्रीमती कमला बेनीवाल : जिन मैडीकल हॉल्स का इन्स्पेक्शन किया गया और जिनके खिलाफ आरोप पाये गये उनमें से चार ऐसे स्टोर्स हैं:—

1. मैसर्स सेवक मैडिकल हाल, श्री गंगानगर। 6 आरोप पाये गये जिनमें फिजिशियन्स सैम्पल पाए गये।

2. अग्रवाल स्टोर, श्री गंगानगर। इसके खिलाफ 4 आरोप पाये गए। इनमें से एक चिकित्सक नमूने पाये जाना भी शामिल है।

3. मैसर्स दीपक मैडीकल स्टोर, श्री गंगानगर। चार आरोप पाये गये।

4. बसंत मैडिकल स्टोर श्री गंगानगर। चिकित्सक के नमूने पाये गए।

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : जो फिजिशियन सैम्पल्स आपने पकड़े हैं उनके बारे में कान्क्रीट प्रूफ कहां से आए, किस सोर्स से आये और किस डॉक्टर से आये कि जिन्होंने फिजिशियन्स सैम्पल्स बेच करके, रूल्स का वायोलेशन किया, उनके खिलाफ आपने कोई कार्यवाही की है ?

श्रीमती कमला बेनीवाल : जो सूची में दर्ज स्टोर्स पर छापा मारने के बाद जो उनमें कमियां पायी गयी हैं वे दी गयी हैं। उनको शोकॉज नोटिस दिये गये हैं। बहुतसों का जवाब आ चुका है और तमाम जवाब आने पर आरोप सही पाए गए तो उन केसेज का कोर्ट में चालान किया जावेगा और उस वक्त ही यह नतीजा निकल सकेगा कि किस डॉक्टर ने फिजिशियन्स सैम्पल दिए।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : छापा पड़ते ही एक स्थिति पैदा हो गयी वहां पर और दूसरी तरफ सब स्टेन्डर्ड की दवाइयां बेचने वाले फैक्टरी और दुकानों वाले जो मैडिकल बिल्स एडजस्ट करते हैं उनसे सम्बन्धित मेरा कॉन्क्रीट प्रश्न है आपने जो शोकॉज नोटिस दिया और इस छापे से डॉक्टर्स और मैन्युफेक्चरर्स के सम्बन्ध में जो स्थिति पैदा हुई है एक भी मिसाल बता दीजिए कि सारे राजस्थान में, गंगानगर के लिए ही नहीं, मैन्युफेक्चर और डॉक्टर्स के खिलाफ कोई कदम उठाया है ?

श्री गुमानमल लोढ़ा : एक प्रश्न और पूछ लूं। ये दवाइयां अस्पताल के स्टाफ, कम्पाउण्डर्स, स्टोरकीपर और डॉक्टर तक उन एजेन्सियों को दे देते हैं इस कारण अस्पताल में मरीजों को दवाइयां नसीब नहीं हो पातीं। अब इसमें कितने लोग इन्वाल्व्ड हैं यह आप जांच करें। जांच करने पर पता लगेगा कि पन्द्रह पन्द्रह और बीस बीस साल से स्टोरकीपर में वे ही लोग बैठे हुए हैं, डॉक्टर वे ही वहां बैठे हैं, कम्पाउण्डर्स भी लगभग वे ही हैं। रात दिन दवाइयां इधर उधर से वे बेचते रहते हैं। गरीब बीमार तड़पते रहते हैं। उनके नाम इश्यू बता दी

Page No 9

(9)

(श्री गुमानमल लोढ़ा)
जाती हैं। तो आप इस मसले को केवल कैमिस्टों तक ही सीमित न रहने दें। पूरी सब स्तर पर इस मसले की जांच करवाएं। अस्पतालों में बैठकर ये नाजायज लाभ उठा रहे हैं। उन सबके खिलाफ़ आप जांच करावें।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : मेरा कम्पाउण्डरों से और स्टाफ से कोई लेना देना नहीं है। यह उनकी भावना होगी। मेरी नहीं। मैं तो यह मानकर चलता हूं कि न कम्पाउण्डर ऐसा कर सकते हैं, न स्टाफ कर सकता है जब तक ऊपर वाले पी. एम. एच. ओ. या डी. एम. एच. ओ. या डॉक्टर्स बैक में नहीं होते हों। मैं पिन पोइन्ट यह कहना चाहता हूं कि मेरे प्रश्न की मंशा यह है कि फिजिशियन्स के सैम्पल पाये जाते हैं यह बहुत गम्भीर मामला है अब चार्ट कीमतों का टंगा है या नहीं, वाउचर नम्बर लिखे हैं या नहीं, यह मामूली बात है। फिजिशियन्स सैम्पल पाया जाना गम्भीर बात है। फिजिशियन्स सैम्पल मिलने के बाद आपका काम शुरू हो जाना चाहिये था कि इस तरह से जो डॉक्टर बेचते हैं वे कौन कौन हैं या वे एजेन्सियां कौन कौनसी हैं। आप उनकी खोज शुरू कर देते। आपने क्या यह खोज शुरू की ? मैं यह जानना चाहता हूं। मैं इसके सम्बन्ध में उत्तर चाहता हूं।

श्री मोहनलाल छंगाणी : (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मन्त्री) : हांडा जी भावना में बह गये। फिजिशियन सैम्पल बेचने की मुमानियत है। इसके लिए हम कार्यवाही करते हैं। यह हमारी नीति है। कानून भी है। अब यह फिजिशियन सैम्पल कहां से कैसे मिले किस डॉक्टर ने या एजेन्ट ने दिये, इसकी हम हमारे लेवल पर जांच करते हैं। अब अगर माननीय सदस्य को स्वयं को यह जानकरी हो तो वे हमें वह जानकारी दें, हम निश्चित तौर से उनको विश्वास दिलाते हैं कि हम उस पर तुरन्त कार्यवाही करेंगे। हम भी प्रयास कर रहे हैं सी. आई. डी. से मदद की आवश्यकता होगी तो वह भी लेंगे। जिन लोगों ने, जिन डॉक्टरों ने झूठे सर्टीफिकेट दिये और उन पर जो झूठे बिल जो बने तो जहां साबित हुआ हमने उन डॉक्टरों के वे पावर्स विथड्रा कर लिये हैं। अब आप हमें इन मामलों में सहयोग दें क्योंकि मैं जानता हूं आपकी मैडिकल स्टोर वालों से जान पहचान भी है। आप बता दें कि फलां डॉक्टर ने ऐसे सैम्पल बेचे हैं तो मैं निश्चय ही कार्यवाही करूंगा।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : अध्यक्ष महोदय, यह तो जानकारी मैं दे भी चुका हूं, और भी दे दूंगा। मैं सिर्फ आपसे इस समय इतना ही जानना चाहता हूं कि वालिया मैडिकोज, गंगानगर पर छापा क्यों नहीं डाला गया जबकि उसके दोनों तरफ आस पास वाले स्टोरों पर छापा मारा गया था ? सात एजेन्सियों पर छापा मारा पर इस पर जो सबके बीच में है, नहीं मारा जो सबके बीचोंबीच है। इसके कारण लॉ एण्ड ऑर्डर की स्थिति पैदा हो गई। मैं और माननीय केदारनाथ जी इस मामले को अच्छी तरह जानते हैं, गुरदयालसिंह जी जानते हैं। आपके इंसपेक्टर वालिया मैडिकोज वाले के घर पर रात भर रहे, खाना खाया उसके यहां पर और रात भर वहीं सोते रहे। तो यह मेरे प्रश्न से सीधे जुड़ा हुआ है। जब छापा मारा गया तब चेलेन्ज देता हुआ यह वालिया मैडिकोज

(श्री योगेन्द्रनाथ हांडा)

खुला रहा । स्पूरियम सब स्टेण्डर्ड सभी प्रकार की दवाइयां आपको वहां मिल सकती थीं, भारी मात्रा में मिलतीं, फिजिशियन सैम्पल की दवाइयां वहां मिलती। उस पर छापा मारने के लिए हमने कहा । मंत्री महोदय को कहा। उन्होंने अपने प्राईवेट सेक्रेटरी को लिखवाया भी। अब एलफास, टैकला, टेलीफैक्ट इन सबकी सब स्टेण्डर्ड दवाइयां यहां खुले आम बिकती हैं। प्रिन्सिपल मैडिकल और हैल्थ ऑफिसर इसके एजेन्ट के रूप में प्रोटेक्शन करता है। और यह कैमला के साथ पांच ड्रग इन्सपेक्टर वहां गये। इनमें गुप्ता का क्लीयरकट इससे सम्बन्ध है। इसके साथ दूसरे इन्सपेक्टरों का सम्बन्ध है और यही कारण है कि वालिया मैडिकोज के यहां छापा नहीं मारा गया।

श्री मोहनलाल छंगाणी : आज तक की रिपोर्ट के हिसाब से काफी छापे मारे गए थे और जिस समय छापे मारे गये सभी कैमिस्ट वालिया मैडिकोज के यहां इकट्ठे हो गये थे और काफी नारे लगा रहे थे। ऐसी स्थिति में वहां इन्सपेक्टरों का घुसना मुमकिन नहीं था। इसके बावजूद भी हांडा जी ने इत्तला दी तो उस इन्सपेक्टर श्री रमेशचन्द बसल के खिलाफ मैंने इन्क्वायरी इन्स्टीट्यूट कर दी है। उसका ट्रान्सफर भी कर दिया है और अब भी हांडा साहब चाहें तो मैं दूसरे ड्रगइन्सपेक्टरों को साथ भेज सकता हूं और इसकी जांच की जा सकती है। जहां वे कहें वहां हम अब भी छापा मारने को तैयार हैं।

श्री मोहनराज (बाली) : आपने कहा कि वहां सारे कैमिस्ट इकट्ठे हो गये और नारे लगा रहे थे इसलिए इन्सपेक्टर का वहां घुसना सम्भव नहीं था। पर इन्सपेक्टर अगर जाना चाहता और दुकानदार रोक देता यह सम्भव नहीं लगता। उसके साथ पुलिस थी। पुलिस जा सकती थी। आवश्यकता होने पर अधिक पुलिस की मदद ली जा सकती थी। अगर पुलिस की मदद नहीं ली तो क्यों नहीं ली ? पुलिस की मदद से छापा क्यों नहीं मारा ?

श्री केदारनाथ : यह सही है कि वे इन्सपेक्टर रात भर उसके यहां ठहरे रहे। उसके यहां खाना खाया। उससे उनका सम्बन्ध था। इसलिये उसको छोड़ दिया।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : अध्यक्ष महोदय, मन्त्री महोदय को केवल एक अन्तिम प्रश्न और पूछ लेता हूं। आप इन्क्वायरी करें। मैं चैलेन्ज के साथ कहता हूं कि कई इन्सपेक्टर आपके वालिया मैडिकोज के एजेन्ट हैं। आपने कैमिस्ट्स के वहां इकट्ठे होकर नारे लगाने की बात कही। यह बिलकुल झूठ है। कोई कैमिस्ट वहां इकट्ठा नहीं हुआ, किसी ने कोई नारा नहीं लगाया। बल्कि आपके ये इन्सपेक्टर स्वयं उससे मिले हुये थे। रात भर उनके यहां सोये रहे। दो बजे रात खाना खाया और वहां बैठ कर सारा प्लाट बनाया।

दूसरी बात, आपके ड्रग इन्सपेक्टरों को डी. एम. एच. ओ. और कलेक्टर के यहां जाने के आदेश थे। पर बजाय कलेक्टर के पास जाने के वे वालिया के यहां गये। उसके घर गये और इसके मार्फत छापे मरवाये गये। लॉ और ऑर्डर की स्थिति कैसे हो सकती है जबकि पुलिस और कलेक्टर की मदद उन्होंने लेना ठीक नहीं समझा ? वे पुलिस ले जा सकते थे।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न संख्या 598 ।

श्री भीमसेन : (अनुपस्थित कृपया आगे देखिये) ।

इतिहासकार को प्रोत्साहन की योजना

599. श्री गिर्राजप्रसाद तिवाड़ी : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या यह सही है कि इस वर्ष इण्डियन हिस्टोरीकल रिकार्ड कमीशन ने राजस्थान के किसी इतिहासकार का एग्रेरियन मूवमेंट्स इन राजस्थान विषयक शोधपत्र स्वीकार किया है ? अगर हां, तो किसका और सरकार इतिहासकार के प्रोत्साहन हेतु क्या कर रही है ?

शिक्षा मंत्री (श्री खेतसिंह) : इण्डियन हिस्टोरीकल रिकार्ड्स कमीशन एक केन्द्रीय सरकार द्वारा गठित आयोग है। इस सम्बन्ध में इस आयोग ने किन किन व्यक्तियों को शोध हेतु एग्रेरियन मूवमेन्ट इन राजस्थान पर अनुमति प्रदान की है इसकी जानकारी राजस्थान शिक्षा विभाग को नहीं है।

श्री गिर्राजप्रसाद तिवाड़ी : क्या यह स्वयं सरकार का अपना कर्तव्य नहीं था कि इसकी जानकारी रखती ?

श्री खेतसिंह : यह भारत सरकार से सम्बन्ध रखता है इसलिये आवश्यक नहीं कि इसकी जानकारी राज्य शिक्षा विभाग को हो ही। फिर भी मैं इस बारे में आपने जानकारी दी है तो मालूम करूंगा।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : क्या यह सही है कि इस सम्बन्ध में इस शोधकर्ता ने पहले राजस्थान सरकार से सहायता के लिए प्रार्थना की थी ?

श्री खेतसिंह : शोध के लिये भारत सरकार ही पैसा देती है इसलिये राजस्थान सरकार द्वारा देने का प्रश्न नहीं उठता।

श्री गिर्राजप्रसाद : मैं एक निवेदन और करूंगा। राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन ने हिस्टोरियन के लिये मांग की। इण्डियन हिस्टोरीकल रिकार्ड कमीशन ने इसके लिये उसको लिखा। उसने यह रिमार्क दिया कि :

As a first class historian Agrarian movement in Rajasthan. It is he who has written this.

This has put you in the first line of the Historians.

यह राजस्थान के लिये गौरव की बात होनी चाहिये थी। इस व्यक्ति का नाम भी मैं बता देता हूं श्रीराम पांडे इनका नाम है। हिस्ट्री के लेक्चरारशिप में सिलेक्शन के लिए वे पी. एस. सी. में गये। पर वहां यह कहा गया कि We don't want any scholar.

पी. एस. सी. हिस्ट्री विषय में ऐसे फर्स्ट क्लास हिस्टोरियन को नहीं चाहती ? यद्यपि यह आपसे सम्बन्धित नहीं है, फिर भी आपकी मार्फत मैं जानना चाहूंगा कि आखिर फिर वे क्या चाहते हैं ?

श्री केदारनाथ : आपने राजस्थान के एग्रेरियन मूवमेन्ट के बारे में थीसिस लिखी है। उनको एग्जामिन करके कमीशन ने कहा

Page No 12

(12)

(श्री केदारनाथ)
भी है कि चार में इनका नम्बर पहला है। अब ऐसे राजस्थानी के बारे में राजस्थान के कर्णधारों को मालूम न हो यह विचारने की बात है। फिर उसका यह हाल हो। यह भी आश्चर्य की बात है। क्या आप ऐसे आदमी की सेवाओं को लेने को तैयार हैं क्या ?

श्री खेतसिंह : यह तो बिलकुल अलग से प्रश्न है। उनको भारत सरकार ने एग्रेरियन मूवमेंट के बारे में जो थीसिस लिखी है उनका पब्लिक सर्विस कमीशन ने सलेक्शन नहीं किया। पब्लिक सर्विस कमीशन के सलेक्शन के बारे में मैं यहां कुछ भी कहने को तैयार नहीं हूं और न कह सकता हूं। जहां तक सवाल है बहुत ही अच्छे आदमी है, रिसर्च कार्य किया है। यह माननीय सदस्यों ने बताया है तो इसकी जानकारी हासिल कर लूंगा।

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : एग्रेरियन मूवमेंट के राजस्थान की इस किताब को नेशनल आर्काइव्ज ऑफ इण्डिया ने रेकग्नाइज किया है और सारे भारतवर्ष में एक अच्छी थीसिस के रूप में स्वीकार की है और इसके लिखने वाले ने भी राजस्थान सरकार को सूचित किया है और राजस्थान सरकार की सहायता से सारा कार्य किया है और बिना सहायता के यह कार्य सम्भव भी नहीं था। समय समय पर विभिन्न दफ्तरों से इस किताब के लिये सहायता प्राप्त की जाती रही है और राजस्थान सरकार ने सहायता दी है। इस सहायता के बाद और इतनी बढ़िया थीसिस लिखने के बाद इस आदमी का राजस्थान में रिजेक्शन हो, क्या यह अशोभनीय नहीं है ?

श्री खेतराम : अध्यक्ष महोदय मैं माननीय मन्त्री महोदय से निवेदन करूंगा स्व. हरिभाऊ उपाध्याय और स्व. श्री माणिक्यलाल जी वर्मा उनके द्वारा किये गये इस मूवमेंट के बारे में इस तरह की कोई शिकायत की कि वे अंग्रेजों के ऐजेन्ट थे। अगर यह जानकारी है तो क्या यह सही है ?

श्री निरञ्जननाथ आचार्य : शिक्षा मंत्री जो राजस्थान का यह टैलेंट इस तरह खराब होता जा रहा है और यह मान्यता सारे राष्ट्र की है कि यहां के टेलेन्ट को मान्यता न दी जाने से टेलेन्ट फ्रस्ट्रेट होता रहा है। आपके पास फेक्ट्स आ गये हैं और फेक्ट्स आने के बाद क्या आप इस योग्य आदमी की सेवाओं को किसी तरह उपलब्ध करना चाहते हैं ? जब माननीय सदस्यों ने उद्विग्नता बताई और इतने विचार आपके सामने रखे, उस संदर्भ में क्या माननीय शिक्षा मंत्री जी इस व्यक्ति से, इस विद्वान से मिलना पसन्द करके उसके विचारों के साथ आदान प्रदान करके इनके वर्चस्व को कायम रखेंगे ?

श्री खेतसिंह : आपके इस विचार का मैं गम्भीरता से मनन करूंगा।

(दो माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने से व्यवधान)

श्री गुमानमल लोढ़ा : अध्यक्ष महोदय, माननीय मन्त्री जी ने कहा पब्लिक सर्विस कमीशन के बारे में कुछ कहना नहीं चाहता हूं····

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट प्रश्न संख्या 600
श्री ओंकारलाल !
(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये)
श्री अजीतसिंह ! (प्रश्न संख्या 601)
(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये)

(श्री अध्यक्ष)

प्रश्न संख्या 602, श्री केसरीमल !

पंचायत समिति क्षेत्र जवाजा में शीत लहर से क्षति

602. श्री केसरीमल (ब्यावर) : क्या अकाल सहायता मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि जवाजा पंतायत समिति क्षेत्र के गांवों में शीत लहर की वजह से खेती नष्ट हुई है ? यदि हां, तो कितने प्रतिशत ?

(2) इस इलाके की जनता को जो शीत लहर से प्रभावित हुई है और जिसकी खेती नष्ट हुई है जो वर्षों से अकाल से और इस वर्ष अतिवृष्टि से पीड़ित है उसे सरकार राहत कार्य खोलकर मदद करेगी ? यदि हां, तो क्या अकाल राहत कार्य खोले जा रहे हैं ?

(3) क्या सरकार इस समय उन राहत कार्यों को जो गत वर्ष अकाल के समय अधूरे रह गये पूरा करायेगी ?

अकाल राहत मन्त्री (श्री खेतसिंह) : (1) जवाजा पंचायत समिति क्षेत्र के ग्रामों में शीत लहर से फसल को नुकसान हुआ है। नुकसान कितने प्रतिशत हुआ इसकी जानकारी गिरदावरी समाप्त होने के पश्चात फसल के बाबत जो अन्तिम प्रतिवेदन जिलाधीश भेजेंगे उससे ही मिल पायेगी। यह प्रतिवेदन फेमिन कोड के पैरा 7 के तहत 30 अप्रेल, 1974 तक प्राप्त होनी चाहिये।

(2) इस सम्बन्ध में निर्णय फसल के बाबत अन्तिम प्रतिवेदन प्राप्त होने के पश्चात् ही लिया जा सकेगा।

(3) इस सम्बन्ध में भी अन्तिम प्रतिवेदन प्राप्त होने के पश्चात् ही विचार किया जा सकेगा।

श्री केसरीमल : माननीय अध्यक्षजी वे बहुत दुखी हैं उनको सहायता मिलना अति आवश्यक है। लगातार अकाल पड़ने से और इस साल शीत लहर से भारी क्षति होने से पीड़ित हैं। वहां आकाल राहत कार्य कब शुरू करवा देंगे ?

श्री खेतसिंह। अध्यक्ष महोदय, यह कानून का राज्य है और नियम ऐसे हैं जिसके अनुसार रिपोर्ट आना बहुत आवश्यक है और जब तक जिलाधीश की रिपोर्ट न आये तब तक उनके प्रति जो फीलिंग है आपकी काश्तकारों के उतना ही मुझे भी दुख है लेकिन होगा कार्य तभी जब रिपोर्ट आ जायगी।

श्री सज्जनसिंह : यह फेमीन कोड ....

श्री प्रद्युम्नसिंह : कानून जनता की तकलीफों को दूर करने के लिये होता है। क्या सरकार इस प्रकार का कोई कदम नहीं उठा सकती है कि उनको तत्काल राहत दी जाय ?

श्री सज्जनसिंह : क्या फेमिन कोड़ एक लॉ है और अगर लॉ है तो यह कब पेश किया गया था ?

श्री मूलचन्द सामरिया : माननीय मन्त्री महोदय ने फरमाया मैं भी दुखी हूं और दुखी होने के नाते उनकी सहायता करना चाहता हूं लेकिन रूल ऑफ लॉ ऐसा है जिसमें माननीय मन्त्री महोदय कुछ नहीं कर सकते। माननीय मन्त्री दुखी हैं, जनता

(श्री मूलचन्द सामरिया)
दुखी है और फिर भी कोई हैल्प नहीं कर सकते हैं तो क्या यह रिजेक्टेबिल रूल नहीं है ? According to time and according to facilities विचार करके रिजेक्ट करेंगे ?

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : मन्त्री महोदय, यह बतायें क्या यह सही है कि इस देश में कानून का राज जो जनता की आशाओं को पूरा नहीं करता है, टूटना शुरू हो गया है। अब क्या जनता की आकांक्षाओं को पूरा करके इन प्रतिक्रियावादी ताकतों को टूटने से बचायेंगे ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : शिक्षा अकाल मन्त्रीजी जब यह रिपोर्ट का प्रश्न बराबर चलता रहा है, सदन के प्रागण में तो क्या आप कोई सक्रिय कदम नहीं ले सकते हैं ताकि रिपोर्ट शीघ्रातिशीघ्र यहां प्राप्त हो ? माननीय मुख्य मन्त्रीजी सक्षम हैं, ऐसी रिपोर्ट जल्दी प्राप्त की जा सके, कोई प्रयत्न करेंगे ?

श्री हरदेव जोशी (मुख्य मन्त्री): अध्यक्ष महोदय, रिपोर्ट मार्च के आखिर में आनी चाहिए वह आयेगी। अभी रिलीफ का कोई काम हाथ में नहीं लिया गया है...

प्रश्न सं. 603

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट। सूरेशचन्द्र !

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये)

श्री मोहम्मद गफ्फार अली : आप कहते हैं मार्च के आखिर तक आनी चाहिये और अकाल राहत मन्त्री जी कहते हैं अप्रेल के आखिर तक आनी चाहिये : ये दो बातें कैसे हैं ?

श्री अध्यक्ष : श्री सुरेशचन्द्र !

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये)

प्रश्न संख्या 604

श्री राजेन्द्रसिंह !

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये)

प्रश्न संख्या 605

श्री चुन्नीलाल !

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये)

प्रश्न सं. 606

श्री जेठमल !

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये)

प्रश्न सं. 607

श्री रामकिशन !

बन्ध बैसोरा की मरम्मत का कार्य

607. **श्री रामकिशन (भरतपुर)**: क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या बन्ध बैसोरा तहसील बयाना, जिला भरतपुर की मरम्मत के नाम पर सन् 70-71 में बन्ध की मरम्मत के लिये सिंचाई विभाग की तरफ से पेमेन्ट किया गया था ? अगर हां, तो कितना-कितना और किस-किस पोरशन में ?

(2) क्या यह सही है कि पेमेन्ट करते समय बन्ध के टूटे हुये भाग (नाके) के मरम्मत में रियासत के समय चूने की पुरानी चुनाई का भी भुगतान नई चुनाई सीमेन्ट के साथ कर दिया गया था ? अगर हां, तो शिकायत आने पर इस मामले की जांच क्यों नहीं कराई गई ? क्या सरकार इस मामले की जांच करवायेगी ?

(श्री रामकिशन)

(3) क्या इस नाके की मरम्मत का कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व क्या सिंचाई विभाग के किसी अधिकारी ने क्रोस सैक्शन लिया था ? अगर हां, तो किसने ?

(4) क्या उक्त नाके की मरम्मत का भुगतान उन्हीं क्रोस सैक्शन के आधार पर किया गया है ?

सिंचाई मन्त्री (श्री हीरालाल देवपुरा): (1) जी हां। वर्ष 1970-71 में बैसोरा रेस्टोरेशन के कार्य चैन. से 24.27 तक का भुगतान 5,113 रु. किया गया था तथा 140 फुट का नाका बन्द करने का भुगतान 30,811 रु. किया गया था।

(2) नाके की मरम्मत में टूटी हुई "कोरवाल" की चिनाई करके "कोरवाल" के ऊपर मिट्टी डालने के लगभग 9 महिने बाद शिकायत आई थी। "कोरवाल" की चिनाई मिट्टी में दबी होने के कारण इसको जांच करना सम्भव नहीं था और अब भी इसी कारण से इसकी जांच करवाना सम्भव प्रतीत नहीं होता।

(3) जी हां। कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व इसके क्रोस सैक्शन सम्बन्धित सहायक अभियन्ता द्वारा लिये गये थे।

(4) जी हां।

श्री रामकिशन : अब जो ठेकेदार के लिये पेमेन्ट किया गया है, उसका कितना पेमेन्ट बकाया है ?

श्री हीरालाल देवपुरा : पेमेन्ट कितना बकाया पड़ा है केवल 10 पर्सेन्ट सिक्योरिटी है, उसके अलावा कोई बकाया नहीं है।

श्री रामकिशन : अध्यक्ष महोदय, इतना गम्भीर सवाल है स्टेट के टाइम जो चूने की चुनाई की गई है, उसका पेमेन्ट भी कर दिया गया है। इसके खिलाफ जिला परिषद में प्रस्ताव भी पास किया है और दूसरे माननीय सदस्यों ने भी शिकायत की है और उसके बाद पेमेन्ट कर दिया गया है मैं केवल एक टेम्ट चैक बनाता हूं पुराने चूने की चुनाई का सीमेन्ट के साथ पेमेन्ट कर दिया गया है।

श्री हीरालाल देवपुरा: अध्यक्ष महोदय मैंने प्रश्न के उत्तर में स्पष्ट बताया यह शिकायत पेमेन्ट करने के 9 महीने बाद मिली, उक्त स्थिति यह थी की जो कोरवाल बनाई उसमें पुराना चूना सम्मिलित कर दिया वह सारी चुनाई मिट्टी में दब चुकी है। उसके बाद खोदकर जांच करवाना सम्भव नहीं था। इसलिए नहीं किया गया। समय पर शिकायत हो जाती तो इसकी जरूर जांच की जाती। यह बात सही निकलती तो सम्बन्धित अधिकारियों को भी सजा दी जाती और ठेकेदार से भी रुपया वसूल किया जा सकता था और आगे के लिए बता रहा हूं और माननीय सदस्य को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि इस प्रकार की कोई स्पेसिफिक शिकायत मेरे पास आयेगी तो निश्चित रूप से जांच करवाऊंगा और जैसा कह रहे हैं कि पुरानी चिनाई का पैसा दे दिया जाता है वह नहीं दिया जायेगा। इस केस में मैं अभी कुछ नहीं कह सकता कि पुरानी चिनाई का कोई पैसा दिया गया है।

श्री रामकिशन : केवल एक प्रश्न है यह तो। इसमें पेमेन्ट कर दिया गया है और आपका जो कहना है वहां मिट्टी आ गयी

(श्री रामकिशन)
थी तो अब दिखवा लीजिए। न तो मिट्टी आई है और वह 24 फुट ऊंची दीवार है ...

श्री हीरालाल देवपुरा : कोरवाल के दोनों तरफ पाल बाँधने के लिए दोनों तरफ मिट्टी डालनी पड़ती है और कोरवाल के ऊपर भी मिट्टी डालनी पड़ती है आज देखने का मतलब उसको तोड़ने की बात हो जायेगी।

प्रश्न सं. 608

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट। श्री ज्ञानसिंह चौधरी !

नोहर की अदालतों में विचाराधीन मामले

608. श्री ज्ञानसिंह चौधरी : क्या विधि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) सब डिवीजनल मजिस्ट्रेट तथा तहसीलदार मजिस्ट्रेट नोहर की अदालतों में कितने फौजदारी मुकदमात पैंडिंग हैं ?

(2) क्या यह सही है कि गत सितम्बर से नोहर में कोई सब डिविजनल मजिस्ट्रेट तैनात नहीं किया गया है ?

(3) क्या यह सही है कि उक्त कुल पैन्डिग फौजदारी मुकदमात तथा इन 6 माह में दायर न दिये जा सकने वाले फौजदारी मुकदमें 1 अप्रेल से ज्युडिशियल मजिस्ट्रेट की अदालत में भेजे जायेंगे ?

(4) क्या सरकार नोहर में ज्युडिशियल मजिस्ट्रेट अथवा मुन्सिफ की कोर्ट स्थापित करने वाली है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों।

(5) क्या यह सही है कि नोहर तहसील के पल्लू क्षेत्र के इलाके के लोगों को भादरा मुन्सिफ कोर्ट में पेशी भुगतने में तीन-चार रोज लग जाते हैं ?

(6) क्या यह सही है कि नोहर तहसील की जनता ने राजस्थान सरकार से यहां ज्युडिशियल कोर्ट कायम करने की मांग की है ?

विधि मन्त्री (श्री खेतसिंह) : (1) सब-डिविजनल मजिस्ट्रेट नोहर की अदालत में 265 मुकदमे तथा तहसीलदार मजिस्ट्रेट नोहर की अदालत में 131 मुकदमे फौजदारी के पैन्डिग हैं।

(2) जी हां, यह सत्य है।

(3) हां यह सत्य है। जाब्ता फौजदारी के अधिनियम 107, 133 एवं 145 के मुकदमों को छोड़ कर बाकी सारे मुकदमे मुन्सिफ मजिस्ट्रेट को ट्रान्सफर कर दिये जायेंगे।

(4) जी हां सरकार के विचाराधीन है।

(5) तहसील नोहर के पल्लू क्षेत्र के इलाके के कुछ गांव के लोगों को जो सड़क से दूर हैं उन्हें केस भुगताने के लिए एक दो रोज़ लग सकते हैं।

(6) जी हां।

श्री ज्ञानसिंह चौधरी : अध्यक्ष महोदय, क्या मन्त्री महोदय स्पष्ट बताने की कृपा करेंगे कि नोहर मुन्सिफ मजिस्ट्रेट की अदालत कब तक शुरू कर दी जायेगी ?

श्री खेतसिंह : माननीय सदस्य से यह निवेदन करूंगा कि यह सारे मामलात चीफ जस्टिस हाईकोर्ट के विचाराधीन हैं और उनके यहाँ से सिफारिश आने के बाद ही मुकम्मिल तौर पर यह कहा जा सकता है कि नोहर के अन्दर मुन्सिफ मजिस्ट्रेट की अदालत इसी सत्र से शुरू कर दी जायेगी।

श्री लूणाराम : यह कब तक निर्णय ले लिया जायेगा ?

श्री खेतसिंह : इसी सप्ताह में।

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट, श्री वृद्धिचन्द्र जैन!

कम्पलसरी रिटायरमेंट के संबंध में नियम

609. श्री वृद्धिचन्द्र जैन (बाड़मेर) : क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या राज्य सरकार ने राज्य के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को कम्पलसरी रिटायरमेंट करने के लिए कोई नियम बनाये हैं ? यदि हां, तो उनकी प्रतियां सदन के पटल पर रखने की कृपा करें।

(2) उन्हें कम्पलसरी रिटायरमेंट करने के लिए राज्य सरकार किन मूलभूत सिद्धान्तों और मापदण्ड का पालन करती है ? उनके बारे में सदन को विस्तृत जानकारी देने की कृपा करें।

(3) क्या राज्य सरकार द्वारा गठित समिति उक्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों के मामलों पर गौर करती है ? यदि हां, तो उक्त समिति के कौन-कौन सदस्य हैं ?

(4) राज्य सरकार ने गत तीन सालों में किन-किन अधिकारियों और कर्मचारियों को रिटायर किया है ? सूची मय पते के सदन के पटल पर रखने की कृपा करें।

विधि मंत्री (श्री खेतसिंह) (मुख्य मंत्री के स्थान पर) : अध्यक्ष महोदय, इस प्रश्न को स्थगित करने के लिए निवेदन है।

श्री वृद्धिचन्द्र जैन : इसमें ऐसी कोई डिफिकल्टी नहीं है। मैं यह चाहता हूं कि यह जो सेशन चल रहा है उसमें यह इनफॉर्मेशन आ जानी चाहिए।

श्री अध्यक्ष : स्थगित किया गया।

प्रश्न सं. 610

नैक्स्ट, श्री केदारनाथ !

पंजाब द्वारा खोदी गई नहर

610. श्री केदारनाथ (श्री गंगानगर) : क्या सिचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि पंजाब सरकार ने बीकानेर कैनाल के 79 आर. डी. पर 27 क्यूसेक्स की नहर खोद ली है ? यदि हां, तो क्या यह एण्डरशन समझौते का सीधा उल्लंघन नहीं है ?

(2) राज्य सरकार ने इसके विरोध में क्या कार्यवाही की।

सिचाई मंत्री (श्री हीरालाल देवपुरा): (1) पंजाब सरकार ने बीकानेर कैनाल के आर. डी. 86,500 पर करीब 25 क्यूसेक्स की कानियांवाली नहर बनाली है। एण्डरशन समझौते में इस विषय में कोई उल्लेख नहीं है।

(श्री हीरालाल देवपुरा)

(2) इस बारे में राज्य स्तर पर पंजाब सरकार तथा केन्द्र सरकार के साथ माइनर न निकालने के लिए पत्र-व्यवहार चल रहा है।

श्री केदारनाथ : आपने यह कहा कि एण्डरशन अवार्ड में इसका हवाला नहीं है तो 25 क्यूसेक्स पानी जो वह लेंगें वह हमारे शेयर का लेंगे ?

श्री हीरालाल देवपुरा : अध्यक्ष महोदय, मैंने कहा कि एण्डरशन अवार्ड में इस कैनाल के बारे में कोई एग्रीमेंट नहीं है। शेयर का प्रश्न सामने है वह ठीक है और इसी वजह से हमने इसका विरोध किया है और इस सम्बन्ध में सदन में कई बार चर्चा हो चुकी है और मैंने फिर भी निवेदन किया था और आज स्थिति यह है कि हमारे माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने पंजाब के मुख्य मंत्री से बात की है और उन्होंने बताया है कि उन्होंने उसका काम बन्द कर दिया है।

श्री केदारनाथ : इसके बारे में लेटर ऑफ प्रोटेस्ट लिखा है आपने या चीफ मिनिस्टर साहब ने वह पढ़ कर क्यों नहीं सुना देते हैं। यह इन्टरस्टेट मसला है और यह हमारी प्रोपर्टी है और पंजाब ने बिना पूछे ही बना दी। अब हैड रैगुलेटर नहीं बना रहें हैं और उसका इस्तेमाल मर्जी आये तब कर सकते हैं क्योंकि वहा पर उनका कन्ट्रोल है और उनका मैनेजमेन्ट है।

श्री हीरालाल देवपुरा : अध्यक्ष महोदय, इसके बारे में बातचीत चल रही है। हैड बन रहा था उसको बन्द कर दिया है। इससे साफ है कि हमने माना है कि इस पर उनका अधिकार नहीं है नहर में से पानी लेने का तो जब बन्द किया है तो इसके लिए बातचीत करने के लिए तैयार हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने पहले भी विश्वास दिलाया था और आज भी विश्वास दिलाना चाहता हूं कि राज्य सरकार द्वारा ऐसा काम नहीं किया जायेगा जिससे राजस्थान की जनता को नुकसान हो और जो एग्रीमेन्ट किया गया है उसकी पालना पूरी तरह से होगी।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : अध्यक्ष महोदय, हैड तो बन्द कर दिया। इससे परमानेन्ट पंजाब सरकार पानी नहीं ले पायेगी लेकिन क्या यह चैक-अप किया है कि टेम्परेरीली पानी गंगनहर का पंजाब की सरकार ले रही है और लेती रहेगी उस समय तक लेती रहेगी जब तक कि 20 मील नहर के गिर जाने का जो बॉटलनेक क्रियेट हो गया है आप रात दिन लेबर लगाकर और पर्सनली खड़े रहकर उस बॉटलनेक को दूर नही करते। मैंने स्थगन प्रस्ताव में भी अर्ज किया था कि अब स्थिति यह है कि करीब 80 पर्सेन्ट गांवों में पीने का पानी नहीं रहा और 90 पर्सेन्ट गांवों में फसल तबाह हो गयी है और करीब-करीब गंगानगर के सभी शहरों में पीने के पानी की हड़ताल हो गयी है। आपकी दो-तीन मण्डियों में कल हड़ताल हो गयी है पीने के पानी की।

श्री हरिदेव जोशी (मुख्य मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने इस प्रश्न को यहां रखा था उसको लेकर मैंने प्रधान मंत्री जी को पत्र लिखा था। उन्होंने इन्टरवीन किया है और उनकी ओर से मुख्य मंत्री पंजाब को कहा गया है कि काम तत्काल रोक दिया जाये। मुख्य मंत्री

(श्री हरिदेव जोशी)

पंजाब ने टेलीफोन पर कहा है कि काम को इमीडियेटली रोक दिया है और 4 तारीख को एक मीटिंग इस संबंध में रखी गई है। मैंने माननीय सिंचाई मंत्री जी से निवेदन किया है और मैं भी वहां रहूंगा, वह भी वहां रहेंगे और उन्होंने पंजाब के चीफ मिनिस्टर को बुलाया है। मैं भी वहां रहूंगा और मेन्टीनेन्स के बारे में और सारी चीजों के बारे में हम अन्तिम निर्णय पर पहुंचेंगे।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : यह तो धन्यवाद की बात है लेकिन बकाया 10 पर्सेन्ट फसल है वह भी तबाह हो जायेगी तब यह बाटलनेक हटेगा। यह तो बाटलनेक आपको हटाना है। आपका मामला है। बॉटलनेक को हटाने के लिए क्या कर रहे हैं? हम एक महीने से सदन में चिल्ला रहे हैं कि इस बॉटलनेक को हटाइये। पंजाब सरकार के वेस्टेड इन्टरेस्ट्स हैं वह नहीं हटायेगी। आपने कौनसी लेबर लगाकर 20 मील की बॉटलनेक हटाई है। बाकी तो नेगोसियेशन्स चलती रहेंगी लेकिन यह बॉटलनेक क्रियेट किया जाये आपकी आर. ए. सी लगे, पुलिस लगे, लेबर नहीं मिले तब भी दूर किया जाये। यह हमारी चिन्ता थी जिसको एक महीना हो गया।

श्री हीरालाल देवपुरा : अध्यक्ष महोदय, इस संबंध में फिरोजपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा हालांकि यह इस प्रश्न से संबंधित नहीं है लेकिन जो रिपेयर्स के बारे में और पानी आने में कमी हो रही है और पानी की रुकावट की बात की जा रही है वह मैंने पहले भी निवेदन किया था और आज भी निवेदन करना चाहता हूं कि पानी इस नहर में हमारे एग्रीमेन्ट के हिसाब से आज की तारीख में जितना पानी आना चाहिये उतना पानी उसमें आ रहा है। करीब 100 या 150 क्यूसेक्स पानी नहर पुरानी होने की वजह से जो उसमें कमी होती है इतनी लम्बी दूरी से आने में वह जरूर कम हो रहा है। इस समय हमारे एग्रीमेन्ट के हिसाब से जो पानी बंटा हुआ है वह पानी आ रहा है। मैंनहैड में रिवर में इस वर्ष कुछ पानी कम होगा तो वह उस हिसाब से कम हो रहा है लेकिन यह कहना कि पानी नहीं आ रहा है और पंजाब सरकार रोड़ा डाल रही है, यह सही नहीं है। यह सही है कि रिपेयर्स उसकी पूरी नहीं होगी तब तक स्वाभाविक है माननीय सदस्यों को चिन्ता होना और राज्य सरकार को भी चिन्ता होना स्वाभाविक है। आपने कहा उसके सम्बन्ध में 4 तारीख को मीटिंग है और पंजाब के के क्षेत्र का मामला है। इन्टरस्टेड मामले में जिस स्टेट में नहर या तालाब का हिस्सा है आज की हमारी अण्डरस्टेंडिंग है कि उसी स्टेट के लोग उसमें काम करते हैं। उसमें इस प्रकार का व्यवहार अभी से शुरू कर दें कि आर. ए. सी. जाये या पुलिस जाये और फोर्सफुल्ली काम करें यह उचित नहीं है और 4 तारीख को फैसला कर रहे हैं निश्चित रूप से इसका रास्ता निकलना जरूरी है। मैं नहीं समझता कि आज ऐसी आवश्यकता है। राज्य सरकार बराबर बातचीत करती रहेगी कि वहां के लोगों को पानी की दिक्कत नहीं हो।

श्री गुरदयालसिंह संधु : यह बात गलत है कि वहां पानी पूरा आ रहा है। जितना पानी हमारे हिस्से का उस नहर से आ रहा है उसमें से पंजाब हमारे हिस्से का पानी ले रहा है और उससे ज्यादा पानी उस नहर से नहीं आ रहा है।

श्री अध्यक्ष : स्थगित प्रश्न ।

श्री जयकिशनलाल : प्रश्न सं. 611

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : मैं कहता हूं कि आप कैलकूलेट कर सकते हैं। रीवर डिस्चार्ज जो 1500 आना चाहिए उसकी जगह केवल सात सौ आ रहा है और सात सौ आने से नब्बे पर्सेंट फसल समाप्त हो रही है। लास्ट वाटर है जो बड़ा इम्पोर्टेंट है।

श्री जयकिशनलाल : अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न सं. 611 लिया जाय।

श्री अध्यक्ष : अध्यक्ष महोदय को यह बात मालूम है कि आपका प्रश्न है।

स्थगित प्रश्न, श्री अजीतसिंह !

स्थगित प्रश्न

(दिनांक 13-3-74 व 21-3-74)

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिए)

श्री लूणाराम !

स्थगित प्रश्न

(दिनांक 21-3-74)

श्री डूंगरगढ़-कालू सड़क

354. श्री लूणाराम (डूंगरगढ़) : क्या अकाल सहायता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या यह सही है कि अकाल राहत कार्यों के अन्तर्गत बन रही सड़क श्री डूंगरगढ़ से कालू पर 1973 में कराये जा रहे कार्य में घाधले पत्थर के स्थान पर मिट्टी डालने, पेटियां कम वजन की डालने, सड़क कुटाई के लिए बिना पानी डाले भुगतान करने की शिकायत ग्रामीणों द्वारा जिलाधीश व उप-जिलाधीश, रतनगढ़ को को 22-8-73 को की गई थी ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई ? अगर नहीं, तो क्यों ?

अकाल सहायता मंत्री (श्री खेतसिंह) : दिनांक 22-8-73 को जिलाधीश, चूरू के कार्यालय में ऐसी कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई। इस आशय का एक प्रार्थना-पत्र उप-जिलाधीश, रतनगढ़ को प्राप्त हुआ था परन्तु उस प्रार्थना-पत्र को उप जिलाधीश ने मूल ही दिनांक 10-9-73 को तहसीलदार, श्री डूंगरगढ़ के पास जांच हेतु भिजवा दिया। यह प्रार्थना-पत्र किस तारीख का था, इसकी सही जानकारी अब उपलब्ध नहीं है। प्रार्थना-पत्र जो वास्ते जांच तहसीलदार को भेजा गया था, उपलब्ध नहीं हो रहा है। जिलाधीश इस बात की जांच करा रहे हैं कि इस गफलत के लिए कौन जिम्मेदार है ?

श्री लूणाराम : अध्यक्ष महोदय मैंने जो प्रश्न किया है वह प्रार्थना-पत्र जिलाधीश महोदय को और उप-जिलाधीश, रतनगढ़ को दिया गया जिसके अन्दर गम्भीर शिकायतें बनने वाली सड़क के बारे में की गई, उनकी कोई जांच आज तक नहीं की गई और अब तो मूल पत्र ही गायब हो गया। अब इस सम्बन्ध में क्या किया जा सकता है !

श्री अध्यक्ष : श्री जयकिशनलाल ?

अनुसूचित जाति एवं जन जाति के व्यक्तियों की पदोन्नति में आरक्षण

611. श्री जयकिशनलाल तोसावड़ा (फागी) : क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान सरकार के कार्मिक विभाग (एक ग्रुप-II) के आदेश दिनांक 3 अक्टूबर, 1973 द्वारा अनुसूचित जाति/अनुसूचि जन जाति के कर्मचारियों के लिए पदोन्नतियों में क्रमशः 10 व 5 प्रतिशत आरक्षण प्रदान किया गया है ? यदि हां, तो क्या यह केन्द्रीय सरकार (मन्त्री मण्डल सचिवालय) कार्मिक विभाग के कार्यालय मेमोरेण्डम संख्या 27-2-71 ई. एस. टी. (एस. सी. टी.), दिनांक 27 नवम्बर, 1972 को ध्यान में रखते हुए जारी किए गये हैं ? यदि नहीं, तो क्यों नहीं तथा ये आदेश कब से प्रभावशील किये गये हैं ?

(2) क्या इन आदेशों में यह शर्त लगाई गई हैं कि यदि एक वर्ष में पदोन्नति से भरे जाने वालेपद 10 व 20 की संख्या से कम संख्या में भरे जावेंगे तो क्रमशः अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति के कर्मचारियों के लिए कोई आरक्षण नहीं होगा ? यदि हां, तो राजस्थान सरकार के किस-किस विभाग से ऐसा निर्णय लेने के बाद में पदोन्नति से भरे जाने वाले पद 10 व 20 की संख्या से रिक्त हुए हैं यदि रिक्त नहीं हुए हैं तो इस वर्ग के कर्मचारियों को किस प्रकार पदोन्नतियों में लाभ मिल सकता है ?

(3) क्या दिनांक 10 अक्टूबर, 1973 को सदन में राज्य मन्त्री नियुक्ति विभाग ने, यह घोषणा की थी कि पदोन्नतियों में रोस्टर पॉइन्ट निश्चित करने की जरूरत पड़ी तो कन्सीडर किया जावेगा ? यदि हां, तो जब जारी किए गए आदेशों से इस वर्ग के कर्मचारियों को पदोन्नतियों में लाभ मिलने वाला नहीं है तो क्या सरकार रोस्टर पॉइन्ट निश्चित करना आवश्यक नहीं समझती है ? यदि आवश्यक समझती है तो आदेश कब तक जारी कर दिए जायेंगे और यदि केन्द्रीय सरकार के नियमों का अनुकरण नहीं करना चाहती तो क्या यह मान लिया जाय कि राज्य सरकार इस वर्ग के कर्मचारियों का कोई हित नहीं देखना चाहती है ?

मुख्य मंत्री की ओर से (श्री खेतसिंह) : (1) जी हां। पदोन्नतियों के नियम भारत सरकार के नियमों पर आधारित नहीं हैं अतः प्रश्न ही नहीं उठता है राज्य सरकार के आदेश दिनांक 3-10-73 से ही प्रभावशील हैं।

(2) जी हां। किस विभाग में कितने पद रिक्त हैं उसकी सूचना एकत्रित की जा रही है। सूचना प्राप्त होने पर ही जिस प्रकार लाभ मिलेगा बाद में मालूम हो सकेगा।

(3) जी हां। चूंकि पदोन्नति में आरक्षण के आदेश दिनांक 3 अक्टूबर, 1973 को ही जारी किये गए हैं, अतः जब तक इस बात का पूर्णतौर से पता नहीं लग जाय कि आरक्षण का लाभ किस सीमा तक सम्बन्धित कर्मचारियों को मिलता है, रोस्टर प्रणाली लागू करने के प्रश्न पर विचार करने का सवाल नहीं उठता।

श्री दिनेशराय डांगी (देसूरी) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं एक प्रश्न पूछना चाहूंगा इस बारे में····

श्री अध्यक्ष : जरूर पूछिए।

श्री दिनेशराय डांगी : माननीय मुख्य मन्त्री जी ने अपने समान्य प्रशासन की डिमाण्ड के समय इस बात का आश्वासन दिया था कि हम केन्द्र सरकार जिस प्रकार की प्रमोशन पॉलिसी बनायेगी, राजस्थान सरकार को भी उस पॉलिसी को लागू करने में ऐतराज नहीं है जबकि शिक्षा मन्त्रीजी यहां पर ग्रॉफ हैंड जवाब दे रहे हैं। इस सम्बन्ध में शायद उनको जानकारी नहीं है इस बात की। दूसरी बात यह है कि अनुसूचित जाति के लिए आरक्षण दस में से एक पद का है और अनुसूचित जन जाति के लिए बीस में से एक का है तो शिड्यूल्ड कास्ट के लोगों को तो भले ही एक आध स्थान मिल जाय लेकिन बैकवर्ड क्लास वालों को तो जिन्दगी भर कभी भी फायदा नहीं हो सकता है क्योंकि बीस स्थान कभी भी एक साथ रिक्त नहीं हो सकते हैं। इसलिए जो मुख्य मन्त्री जी ने आश्वासन दिया था कि केन्द्र सरकार के नियमों को लागू करने में कोई आपत्ति नहीं है तो शिक्षा मन्त्री जी ने जो इस वर्ग के बारे में बात कही है वह कहां तक ठीक है ?

श्री खेतसिंह : मुझे यह मालूम है कि माननीय मुख्य मन्त्री महोदय ने सामान्य प्रशासन की डिमाण्ड पर बहस के दर्मियान क्या बात फरमाई थी। यह मेरे जवाब में है कि इसको कार्यान्वित किया जाएगा और उसके बाद का जवाब है कि इस तरह के आदेश जारी कर दिये जायेंगे। उन्होंने जो आश्वासन दिया है उस पर विचार हो रहा है, नियम बनेंगे, उसके बाद जब आप प्रश्न पूछेंगे तब मैं कहूंगा कि यह प्रणाली लागू कर दी गई है।

(कई मा. सदस्य एक साथ बोलने लगे- अश्रव्य)

श्री जयकिशनलाल तोसावड़ा : मेरा एक प्रश्न है माननीय अध्यक्ष महोदय, जो आश्वासन दिए जाते हैं और जो इस बारे में आश्वासन दिए गए हैं, 72 गया, 73 गया और 74 आगया है। इसलिए मेरा निवेदन है कि इस प्रकार से आश्वासन कब तक चलते रहेंगे, यह तो स्पष्ट मालूम होना चाहिए। यह तो स्पष्ट मानलें कि इस प्रकार की रोस्टर पॉइन्ट अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जाति के लिए लागू नहीं किया जा रहा है और यदि इसको वास्तव में लागू करके जो गरीब जाति के कर्मचारी हैं उनका भला करना चाहते हैं तो इसको स्पष्ट क्यों नहीं कर दिया जाता ?

श्री हरिदेव जोशी (मुख्य मन्त्री) : यह प्रणाली न तो माननीय सदस्य के कहने से शुरू की है और न माननीय सदस्य के कहने से बन्द ही की जा सकती है। राज्य सरकार अपनी नीति के अनुसार जो संशोधन उचित समझती है उसको करती है। जो संशोधन विचाराधीन है उसके ऊपर जब तक अंतिम निर्णय नहीं हो जाता है तब तक पहले वाले निर्णय की ही क्रियान्विति होगी।

श्री अध्यक्ष : श्री रघुनाथ विश्नोई !

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र सांचोर

612. श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचोर) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सत्य है कि प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र सांचोर को तीस शय्या ग्रामीण

Page No 23

(23)

(श्री रघुनाथ विश्नोई)

अस्पताल बनाने के लिए राज्य सरकार ने भारत सरकार को सिफारिश भेज दी है ? अगर हां, तो कब ? अगर नहीं, तो क्यों नहीं ? तथा इसे अब कब तक तीस शैया वाला ग्रामीण अस्पताल बना दिया जावेगा ?

(2) क्या यह सत्य है कि इस बजट सत्र में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र सांचोर के लिए राज्य सरकार द्वारा दस हजार रुपया की विशेष धनराशि दवाईयों वगैरह के लिए मंजूर की गई थी ? अगर हां, तो इस धनराशि का उपयोग किस-किस प्रकार किया गया है ? क्या सारी धनराशि अब तक खर्च कर दी गई है ? अगर हां, तो कब तक ? अगर नहीं तो बाकी की धनराशि किस प्रकार कब तक खर्च कर दी जावेगी ?

राज्य मन्त्री, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (श्रीमती कमला बेनीवाल) : (1) जी नहीं। लेकिन भारत सरकार ने पंचम पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत राज्य में 58 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों को 30 शय्या वाले अस्पतालों में उच्चीकरण करने की योजना को स्वीकृति दे दी है, जिसमें सांचोर को भी सम्मिलित करने का मामला विचाराधीन है।

(2) जी नहीं।

श्री रघुनाथ विश्नोई : अध्यक्ष महोदय, पहले तो माननीय स्वास्थ्य मन्त्री जी ने बजट के समय आश्वासन दिया था और अब जी नहीं क्यों कह रहे हैं। आप अपने उत्तर को फिर से देख लीजिए।

श्रीमती कमला बेनीवाल : आपने पूछा कि क्या यह सत्य है कि इस बजट सत्र में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र सांचोर के लिए राज्य सरकार द्वारा दस हजार रुपया की विशेष धनराशि दवाईयों वगैरह के लिए मंजूर की गई थी······

श्री रघुनाथ विश्नोई : ठीक है यह पूछा है लेकिन पिछले साल ही स्वीकृति दी गई और रुपया भी वहां पहुंच गया है, फिर आप कह रही हैं कि जी नहीं। यह बात नहीं है। आपके पास जानकारी आई है वह ठीक नहीं है। रुपया मिल गया है। स्पेशल बजट से दस हजार रुपया मिल गया है परन्तु मेरा पूछना यह है कि क्या यह यूटिलाइज हो गया है इसकी आप जानकारी कर लें।

श्रीमती कमला बेनीवाल : मेरे पास में जो सूचना है वह यह है कि सारी धनराशि जो इलाज के लिए दी गई वह पन्द्रह हजार रुपये जालोर जिले को दिए सहायता कार्यों के लिए और जो फण्ड रखा है वह पन्द्रह हजार सारे जिले के लिए है, उसमें सांचोर के अन्दर भी उसका उपयोग किया गया और दस हजार रुपये······

श्री रघुनाथ विश्नोई : माननीय स्वास्थ्य मन्त्री जी ने जो आश्वासन दिया था उस आश्वासन की पूर्ति में रकम भेज दी गई और उसकी कापी मेरे पास मौजूद है। मेरा यह पूछना है कि जो दस हजार रुपये भेजे गये वे यूटिलाइज हुए या नहीं, चूंकि आपकी जानकारी जो है वह ठीक नहीं है, आप इसको दुबारा जांच करा लें, दुबारा जांच कराने में क्या आपत्ति है ?

श्रीमती कमला बेनीवाल : आपने सूचना दी है उसकी जांच करके उसके उपरान्त आपको बता देंगे।

श्री अध्यक्ष : श्री भोमाराम !

डीड़वाना क्षेत्र के गांवों का विद्युतिकरण

613. श्री भोमाराम (डीडवाना) : क्या विद्युत् मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या डीडवाना क्षेत्र के ठीकवा; बेगसर, ठीगाल, डसाणा कलां व डसाणा खुर्द, खेजास, ठिंगारिया, जतनपुरा, सरदारपुरा खुर्द आदि गांवों का विद्युतिकरण किया जावेगा ? यदि हां, तो कब तक ?

(2) क्या उपरोक्त गांवों के लिए उत्पादन कमेटी जिला परिषद, पंचायत समिति से भी विद्युतिकरण के लिए सिफारिशें की गई हैं ? यदि हां, तो कब-कब की गई है ?

विद्युत् मन्त्री (श्री हीरालाल देवपुरा) : (1) सरकार राज्य के अधिक से अधिक ग्रामों के विद्युतिकरण करने का विचार रखती है। समय के बारे में निश्चित रूप से अभी कुछ नहीं कहा जा सकता।

(2) जी हां। ठोकवा, बेगसर, ठोगाल, जतनपुरा तथा खेजास के लिए वर्ष 1970-71 में जिला कृषि उत्पादन समिति द्वारा विद्युतिकरण हेतु सिफारिश की गई थी। वर्ष 1973-74 में उक्त ग्रामों के साथ साथ डसणा कलां, डसणा खुर्द एवं सरदारपुरा खुर्द के विद्युतिकरण के लिए जिला परिषद द्वारा सिफारिश की गई थी।

श्री दीपंकर (लाडनूं): अध्यक्ष महोदय, इस बारे में मैं भी एक सप्लीमेंट्री पूछना चाह रहा हूं। जो डीडवाना सब-डिविजन के गांवों में लाइनें गई हैं और काश्तकारों ने रुपया खर्च करके बेरे बना लिए हैं, उनकी अप्लीकेशन वर्षों से पड़ी हैं। क्या इस तरह के बेरों को इलेक्ट्रिफाई करने के लिए उनको प्राथमिकता देने के बारे में क्या सरकार विचार करेगी ?

श्री हीरालाल देवपुरा : अध्यक्ष महोदय, जिन गांवों का विद्युतिकरण हो चुका है वहां पर जिन कुओं पर बिजली लगाने की मांग आती है उन गांवों में प्राथमिकता के आधार पर बिजली देते हैं। यह प्रश्न डीडवाना क्षेत्र का ही नहीं है, डीडवाना क्षेत्र हो या और कोई क्षेत्र हो ऐसी जगह जहां पर विद्युतिकरण हो चुका है और कुओं के लिए इस प्रकार की दरख्वास्तें आती हैं उनके लिए प्रावधान किया हुआ है कि उनको प्राथमिकता के आधार पर विद्युत दी जाय और विद्युत् कनेक्शन दिए जाते हैं और प्रायोरिटी भी दी जाती है।

श्री भोमाराम : गांव के बीच में, दो गांवों के बीच में से कोई लाइन गई है और वहां से पाव एक फर्लांग है और उस गांव में तीस चालीस बेरे हैं उनके लिए बिजली की व्यवस्था हो जाय तो काश्तकारों को ज्यादा फायदा हो सकता हैं और ज्यादा अन्न पैदा हो सकता है।

श्री हीरालाल देवपुरा : अध्यक्ष महोदय, कोशिश इस बात की की जाती है कि ज्यादा से ज्यादा गांवों में बिजली पहुंचाई जाय। सवाल यह है कि इस वक्त जो पावर लाइन है वह जितना पावर लोड ले सकती है उसकी वह क्षमता पूरी

Page No 25

(25)

(श्री हीरालाल देवपुरा)
हो चुकी है और उसके बाद जब तक उसकी क्षमता नहीं बढ़ती और अधिक बिजली देना सम्भव नहीं होगा। वैसे डीडवाना क्षेत्र में माननीय सदस्य को जानकर प्रसन्नता होगी कि जहां राजस्थान में 1797 गांवों का विद्युतिकरण हुआ है वहां डीडवाना क्षेत्र में 45 प्रतिशत से ऊपर और नागौर जिले में 24 प्रतिशत विद्युतिकरण कर दिया गया है। आज राजस्थान में विद्युतीकरण की जहां तक बात है उसमें नागौर जिला और डीडवाना क्षेत्र में कीसी तरह से पीछे नहीं है।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न काल समाप्त हुआ।

श्री श्रीराम गोटेवाला : अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न सख्या 615 है। किनारे पर आकर डूब रहा हूं।

श्री निरंजननाथ आचार्य : अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न संख्या 614 है।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न काल समाप्त हुआ।

(अन्य तारांकित प्रश्नों के लिए कृपया परिशिष्ट 4 देखिये)

अनुपस्थित सदस्यों के तारांकित प्रश्नोत्तर

लिग्नाइट डिपोजिट का उपयोग

598. श्री भीमसेन (लूणकरणसर) : क्या मुख्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या यह सही है कि राज्य में उपलब्ध लिग्नाइट डिपोजिट का कोई उपयोग नहीं किया जा रहा है? अगर हां, तो क्यों?

उत्तर

जी हां। पलाना लिग्नाइट खान में आग लग जाने के फलस्वरूप इसको दिनांक 17-1-1969 से खान सुरक्षा विभाग, धनबाद की सलाह से बन्द कर दिया गया है। खान को पुनः खोलने एवं लिग्नाइट के उपयोग के हेतु योजना सरकार के विचाराधीन है।

झालावाड़ में चिकित्सा की व्यवस्था

600. श्री ओंकारलाल चौहान : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या राज्य सरकार की दृष्टि में झालावाड़ में जिला अस्पताल की व्यवस्था सन्तोषजनक है? यदि नहीं, तो सरकार इनके सुधार हेतु क्या कार्यवाही कर रही है?

(2) क्या इस अस्पताल के लिए भवन व अन्य सुविधायें पर्याप्त हैं? यदि नहीं, तो क्या इसमें सुधार किए जाने की कोई योजना है?

उत्तर

(1) उपलब्ध साधनों के अन्तर्गत आवश्यक व्यवस्था की हुई है। राज्य सरकार अपने सीमित आर्थिक साधनों में सभी संस्थाओं में सुधार के लिए निरन्तर प्रयत्नशील है।

(2) जी नहीं। उक्त चिकित्सालय के भवन में और निर्माण कार्य कराये जाने की योजना विचाराधीन है।

सहोदरा नदी पर बनने वाला बांध

601. श्री अजीतसिंह (टोंक) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

टोंक जिले में ग्राम हमीरपुर के पास सहोदरा नदी पर बनने वाला बांध कब तक पूरा हो जायेगा ? इस बांध पर कुल कितनी धन राशि खर्च होगी और इस बांध से कितने क्षेत्र में सिंचाई होगी ?

उत्तर

टोंक जिले में हमीरपुर गांव के निकट सहोदरा नदी पर बांध की सिंचाई योजना के कार्य को पांचवी पंचवर्षीय योजना काल में पूर्ण किए जाने की आशा है।

इस योजना पर लगभग 18 लाख रुपया व्यय होंगे और 1,860 एकड़ में सिंचाई होगी।

शिक्षकों एवं लिपिकों के स्थानान्तरण

603 श्री सुरेशचन्द्र (कोटपूतली) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे-

(1) क्या यह सही है कि राज्य सरकार ने विभाग में दस वर्ष या इससे अधिक समय से लगातार एक जगह काम कर रहे शिक्षक व लिपिकों का स्थानान्तरण करने का निर्णय लिया है ?

(2) क्या उपरोक्त निर्णय का संयुक्त निदेशक व निरीक्षक के कार्यालयों में पूर्णत: पालन किया गया है ? यदि नहीं, तो कहां-कहां अवहेलना की गई है ?

उत्तर

(1) जी, हां।

(2) केवल कन्या विद्यालय निरीक्षिका, कोटा के संबंध में ऐसी शिकायत मिली है, उन्हें लिखा जा रहा है।

आर. ई. सी. की स्कीम

604. श्री राजेन्द्रसिंह (उनियारा) : क्या विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राजस्थान में आर. ई. सी. की कितनी स्कीम चालू है और कितनी प्रोसेस में हैं ? सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(2) टोंक जिले में बनेठा आर. ई. सी. स्कीम के अन्तर्गत कितने कुओं के कनेक्शन दे दिये गये हैं ?

(3) क्या यह सही है कि ट्रांसफार्मर व सामान की कमी के कारण कनेक्शन देने का कार्य रुका पड़ा है ? यदि हां, तो उचित व्यवस्था कब तक कर दी जायेगी ?

उत्तर

(1) राजस्थान में आर. ई. सी. की 45 स्कीम स्वीकृत हैं तथा 15 स्कीम ग्रामीण विद्युतिकरण निगम के विचाराधीन हैं जिनकी सूची 'ए' और 'बी' सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) बनेठा की कोई ग्रामीण विद्युतिकरण योजना अलग से नहीं है। यद्यपि टोंक-देवली-उनियारा की ग्रामीण विद्युतिकरण योजना के अन्तर्गत 103 कुओं को कनेक्शन दिये जा चुके हैं।

(3) 33/11 के. वी का ट्रांसफार्मर लग चुका है परन्तु एल्यूमिनियम कण्डक्टर

(विद्युत मन्त्री)

की कमी के कारण कनेक्शन देने की कार्य की गति धीमी हो गई है । कण्डक्टर की व्यवस्था की जा रही है ।

(कृपया परिशिष्ट 5 देखिये)

आयुर्वेद निरीक्षकों की नियुक्ति

605. श्री चुन्नीलाल इन्दलिया (नोखा) : क्या आयुर्वेद मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि एक ही जिले में एक आयुर्वेद निरीक्षक का पद होता है ? यदि हां, तो बीकानेर जिले में दो निरीक्षकों की नियुक्ति क्यों की गई है ? इनकी यहां नियुक्ति कब से की गई और इस पद पर कौन-कौन व्यक्ति कितनी-कितनी तनख्वाह प्रति माह उठा रहे हैं ? निरीक्षकों के नाम आदि विवरण दर्शाते हुए सूची सदन की मज पर रखने की कृपा करें ।

(2) क्या यह सही हैं कि बीकानेर की तरह अन्य जिला मुख्यालयों पर दो-दो निरीक्षक लगा रखे हैं ? यदि हां, तो जिलेवार सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ।

(3) क्या यह सही है कि जिला मुख्यालय पर दो-दो निरीक्षक लगाना नियम विरुद्ध है ? यदि हां, तो क्या सरकार जिला मुख्यालय पर एक ही निरीक्षक लगाने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) जी हां । सामान्यतया एक जिले में जिला आयुर्वेद अधिकारी का एक ही पद होता है किन्तु जयपुर जिले मे दो पद स्वीकृत हैं तथा जालोर व जैसलमेर जिलों में कोई पद स्वीकृत नहीं है । जिला जैसलमेर का कार्य जिला आयुर्वेद अधिकारी, बाड़मेर करते हैं तथा जिला जालोर का कार्य जिला आयुर्वेद अधिकारी, सिरोही करते हैं ।

(2) बीकानेर जिले मे दो जिला आयुर्वेद अधिकारियों की नियुक्तियां नहीं की गई है । किन्तु स्थानान्तरण का आदेश स्थगित रहने के कारण कुछ समय दूसरे जिला आयुर्वेद अधिकारी नियोजन के आदेश की प्रतीक्षा मे रहे ।

सूची 'क' सदन की मेज पर रख दी गई है ।

(3) जी नहीं । जिलेवार सूची 'ख' सदन की मेज पर रखदी गई है ।

(4) जिला आयुर्वेद अधिकारी की नियुक्ति स्वीकृत पद संख्या के अनुसार की जाती है । बीकानेर जिले में भी एक ही जिला आयुर्वेद अधिकारी नियोजित है ।

(कृपया परिशिष्ट 6 देखिये)

विद्यालयों में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन-जाति के व्यक्तियों की नियुक्ति

606. श्री जेठमल आर्य (रेवदर) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि अधिकतर विद्यालयों में अनुसूचित जाति व अनुसूचित जन जाति के लोगों को चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के पद पर नियुक्ति नहीं दी जाती है ? यदि हां, तो क्यों ?

Page No 28

(28)

(श्री जेठमल आर्य)

(2) क्या राज्य सरकार यह निर्देश निकालेगी की स्कूलों में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के पद पर हरिजनों को ही नियुक्त करें ?

उत्तर

(1) यह सही नहीं है।

(2) यह संभव नहीं है कि स्कूलों में सभी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के पदों पर हरिजनों को ही नियुक्त किया जावे। आरक्षित स्थानों पर ही नियुक्त किया जा रहा है।

स्थगित प्रश्न

(दिनांक 13-3-74 व 21-3-74)

प्रशिक्षित बेरोजगार अध्यापक

173. श्री अजीतसिंह (टोंक) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राजस्थान में तृतीय वेतन श्रृंखला में कितने प्रशिक्षित बेरोजगार अध्यापक हैं ?

(2) उक्त प्रशिक्षित अध्यापकों में से कितने अध्यापकों की नियुक्ति सत्र 1973-74 में की जा चुकी है ?

(3) क्या जयपुर जिले में भी नियुक्तियां हुई हैं ? यदि हां, तो कितनी और नहीं, तो क्या कारण है ?

(4) क्या राजस्थान के अन्य जिलों में (जयपुर के अतिरिक्त) भी उक्त प्रशिक्षित अध्यापकों की नियुक्तियां हुई हैं ? यदि हां, तो कब और कितनी ?

(5) राज्य में सत्र 1973-74 में कितनी प्राथमिक शालाओं को उच्च प्राथमिक और कितनी उच्च प्राथमिक शालाओं को माध्यमिक स्तर क्रमोन्नत किया गया है ?

(6) इन क्रमोन्नत की गई शालाओं में कितने स्थान रिक्त हैं और कितने रिक्त स्थानों पर नियुक्तियां की गई ?

(7) शेष रिक्त स्थानों पर नियुक्तियां क्यों नही की जा रही हैं जबकि सत्र आधा समाप्त होने जा रहा है ?

उत्तर

(1) राजस्थान में तृतीय वेतन श्रृंखला के प्रशिक्षित बेरोजगार व्यक्तियों की जिलेवार सूची सदन की मेज पर रख दी गयी है।

(2) सत्र 1973-74 में नियुक्त अध्यापकों की संख्या सूची में अंकित है।

(3) जी हां, जयपुर जिले में 265 तृतीय वेतन श्रृंखला के अध्यापक/अध्यापिकाओं की नियुक्तियां की गई हैं।

(4) जी हां, राजस्थान के अन्य जिलों में प्रशिक्षित अध्यापकों की नियुक्तियां हुई हैं वे सूची में अंकित हैं।

(5) राज्य में सत्र 73-74 में 1499 शालाओं को प्राथमिक से उच्च प्राथमिक एवं 6 शालाओं को उच्च प्राथमिक से माध्यमिक शाला में क्रमोन्नत किया गया।

(6) क्रमोन्नत शालाओं में मुख्यतः नियुक्तियां कर दी गई हैं। जहां रिक्त पद हैं वे सूची में अंकित हैं।

(शिक्षा मन्त्री)

(7) अधिकांशतः सभी रिक्त स्थानों पर नियुक्तियां की जा चुकी है। जहां-जहां से भी रिक्त स्थानों की सूचना प्राप्त होती है वहां तुरन्त भरने की कार्यवाही की जाती रही है।

(कृपया परिशिष्ट 7 देखिये)

अतारांकित प्रश्नोत्तर

विभागीय मामलों पर पुलिस अधिकारियों के विरुद्ध की गई कार्यवाही

405. श्री भानुकुमार शास्त्री (उदयपुर) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

महानिरीक्षक पुलिस राजस्थान ने दिनांक 7-11-69 से दिनांक 16-2-74 तक विभागीय मामलों पर किन किन पुलिस अधिकारियों के विरुद्ध क्या निर्णय किये ? उनमें कितने पुलिस अधिकारी निलम्बित किए गये व कितने अधिकारियों को दोषमुक्त किया गया ? कृपया सभी निर्णयों की सूची सदन के पटल पर रखने का कष्ट करें।

उत्तर

दिनांक 7-11-69 से 16-2-74 तक कुल 38 पुलिस अधिकारियों के विरुद्ध विभागीय जांचों में, महानिरीक्षक आरक्षी राजस्थान द्वारा निर्णय दिये गये हैं। जिनके परिणामस्वरूप 2 पुलिस अधिकारियों को निलम्बित किया गया, 14 को दोषमुक्त किया गया। अधिकारियों के नाम तथा उनके खिलाफ लिये गये निर्णय की सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

बाड़मेर जिले में बाढ़ एवं अतिवृष्टि से क्षति

406. श्री वृद्धिचन्द्र जैन (बाड़मेर) : क्या बाढ़ एवं सहायता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) बाड़मेर जिले में बाढ़ एवं अतिवृष्टि से कहां-कहां क्या-क्या क्षति हुई ? सदन को विस्तृत विवरण प्रस्तुत करने की कृपा करें।

(2) राज्य सरकार ने उक्त क्षति की पूर्ति के लिए क्या-क्या सहायता विभिन्न मदों में की ?

(3) उक्त सहायता से किस-किस विभाग में क्या-क्या कार्य चल रहे हैं ? उनकी सूची प्रस्तुत करें एवं उनकी प्रगति से सदन को अवगत कराने की कृपा करें।

(4) क्या यह सही है कि अतिवृष्टि एवं बाढ़ के कारण क्षति हुए कुछ गांवों को मकानों की मरम्मत के लिए राशि दी गई और बाकी गांवों में मकानों की क्षति के उपरान्त भी कोई राशि सहायता के तौर पर नहीं दी गई ? इसके क्या कारण रहे हैं ?

(5) बाढ़ एवं अतिवृष्टि से जिले में कितने कृषि कुए किन-किन गांवों में बिलकुल नष्ट हो गये ? उनकी सूची काश्तकारों के नाम बताते हुए सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(6) क्या यह सही है कि राज्य सरकार ने उक्त विषय में कोई राहत एवं

Page No 30

(30)

(श्री वृद्धिचन्द्र जैन)
सहायता प्रदान नहीं की और उन्हें कन्ट्रोल रेट से सीमेंट भी नहीं दिलाया ?

उत्तर

(1) बाड़मेर जिले में जो क्षति हुई है उसका विवरण संलग्न है।

(2) बाढ़ से हुई क्षति के लिए राज्य सरकार ने निम्न प्रकार धनराशि जिलाधीश बाड़मेर को आवंटित की है :—

1. मकान, बचाव कार्य एवं भोजन व्यवस्था 65,000)
2. बचाव हेलीकोप्टर चार्जेज 35,000)
3. क्षतिग्रस्त मकानों के लिये पीड़ित परिवारों को 6,53,500)
4. पेयजल के कुओं की तल सफाई 40,000)
5. प्रधान मंत्री सहायता कोष से 20,000)
6. मुख्य मंत्री सहायता कोष से 10,000)
7. राज्यपाल सहायता कोष से 17,000)

योग .... 8,40,500)

क्षतिग्रस्त सड़कों आदि की मरम्मत हेतु

1. सड़कों की मरम्मत हेतु 15,00,000)
2. सिंचाई कार्यों की मरम्मत हेतु 13,45,448)
3. भू संरक्षण कार्यों की मरम्मत हेतु 25,000)
4. नल योजनाओं की मरम्मत हेतु 1,05,000)
5. वन कार्यों की मरम्मत हेतु 68,250)
6. भवनों की मरम्मत हेतु 76,500)

योग 31,20,198

(3) क्षतिग्रस्त मकानों के लिए जो धनराशि आवंटित की गई थी उसमें से कुछ राशि का वितरण कर दिया गया है, शेष का किया जाना है। जिन सड़कों, बांधों आदि की क्षति हुई थी उनकी मरम्मत का कार्य भी चालू है।

(4) बाढ़ के कारण जिन मकानों की क्षति हुई है उनके लिए समस्त गांवों में सहायता दी जा रही है। परन्तु जिन ग्रामों में अतिवृष्टि से नुकसान हुआ है उनमें सहायता उपलब्ध नहीं की गई है क्योंकि केवल बाढ़ ग्रस्त मकानों के लिए सहायता दी जाती है।

(5) बाढ़ के कारण सिंचाई के कुए निम्न प्रकार क्षतिग्रस्त हुए हैं ;—

क्रम सं. 1	नाम ग्राम 2	कुओं की संख्या 3
1.	दाखां	1
2.	गांधव कलां	4
3.	गांधव खुर्द	13
4.	डांगरिया	6
5.	गालिया	4
6.	पादरड़ी	7
7.	सिंगासवा हरिनियान	8
8.	गुढ़ा	1
9.	मूका	5
10.	राखी	3
11.	मजल	15
12.	मेली	10
13.	समदड़ी	15
14.	सिवाना	7
15.	इन्दराना	8
16.	बालियाना	6
17.	थापन	4
18.	खाखरलाई	10

(बाढ़ एवं सहायता मन्त्री)

1	2	3
19.	मूठली	7
20.	कुन्डल	5
21.	तेलवाड़ा	1
22.	मांगवा	1
23.	करमावास	10
24.	मांगला	8
25.	कोटड़ी	8
26.	खरंटिया	6
27.	मठ खरनटिया	1
28.	सामूजा	3
29.	बामसीण	5
30.	ढीढस	8
31.	जानियाना	2
32.	टापरा	40
33.	असाडा	27
34.	सराणा	8
35.	बालोतरा	22
36.	बिठूजा	5
37.	जागसा	12
38.	आसोतरा	1
39.	बूडीवाडा	14
	योग	321

(6) जिन कुओं की बाढ़ से क्षति हुई है उनके लिए उनके मालिकों को कोई सहायता नहीं दी गई है।

(कृपया परिशिष्ट 8 देखिये)

भूतपूर्व राजस्व मंत्री के दौरे पर हुआ खर्च

407. श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (सूरतगढ़): क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) भूतपूर्व राजस्व मंत्री ने मंत्री बनने के बाद से मंत्री पद से हटने तक कब-कब कहां कहां दौरे किये और राज्य सरकार से कितना टी. ए. एवं डी. ए. लिया तथा कितना लेना बाकी है? हर दौरे का अलग से विवरण दें?

(2) इन दौरों पर राजकीय वाहनों के उपयोग पर कितना खर्च हुआ एवं अन्य मदों पर कितना खर्च हुआ मद वार बतायें?

उत्तर

(1) भूतपूर्व राजस्व मंत्री (श्री रामचन्द्र चौधरी) ने मंत्री बनने के बाद से मंत्री पद से हटने तक कब-कब और कहां-कहां दौरे किये तथा राज्य सरकार से कितना टी. ए. एवं डी. ए. लिया उसकी जानकारी संलग्न तालिका (परिशिष्ट "क") में है। श्री रामचन्द्र चौधरी द्वारा कितना टी. ए. एवं डी. ए. लेना बाकी है, उसकी पूर्ण जानकारी प्राप्त की जा रही है।

(2) इन दौरों पर राजकीय वाहनों के उपयोग पर जो खर्च हुआ उसकी जानकारी अलग से प्रस्तुत तालिका (परिशिष्ट "ख") में उल्लेखित है। अन्य मदों पर हुए खर्च की जानकारी प्राप्त की जा रही है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

श्रम न्यायालयों में विचाराधीन मुकदमें

408. श्री मूलचन्द सामरिया (दौसा): क्या श्रम मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राजस्थान में श्रम न्यायालयों में कितने मुकदमें विचाराधीन हैं?

(श्री मूलचन्द सामरिया)

(2) इनमें सबसे पुराने मुकदमें कब के हैं ?

(3) श्रम न्यायालयों के अतिरिक्त श्रमिकों सम्बन्धी कितने मुकदमे आर्बीट्रेटर के पास व कितने अन्य न्यायालयों में विचाराधीन पड़े हैं ? इनकी क्या संख्या है व सबसे पुराने मुकदमे कब के हैं ?

(4) क्या इस प्रगति से सरकार सन्तुष्ट है ? यदि नहीं, तो राज्य सरकार इस सम्बन्ध में क्या विचार रखती है ?

उत्तर

(1) राजस्थान में श्रम न्यायालयों में दिसम्बर, 1973 तक 1170 मुकदमें विचाराधीन थे तथा इण्डस्ट्रियल ट्रिब्यूनल में 661 मुकदमें विचाराधीन थे।

(2) लेबर कोर्ट में सबसे अधिक पुराना मुकदमा सन् 1959 का है जबकि इण्डस्ट्रियल ट्रिब्यूनल में सबसे पुराना मुकदमा सन् 1957 का है।

(3) आरबीट्रेटर्स के पास कुल 4 मुकदमें विचाराधीन हैं। न्यूनतम वेतन अधिनियम के अन्तर्गत नियुक्त प्राधिकारियों के पास 194 तथा वेतन अदायगी अधिनियम के अन्तर्गत नियुक्त प्राधिकारियों के पास 2,105 मुकदमें विचाराधीन हैं। इनमें 5 साल से अधिक पुराना मुकदमा कोई नहीं है।

(4) सरकार इस प्रगति से सन्तुष्ट नहीं है। एक अतिरिक्त श्रम न्यायालय की नियुक्ति कर दी गयी है। एक अतिरक्त इण्डस्ट्रियल ट्रिब्यूनल की नियुक्ति करने पर भी विचार किया जा रहा है। इसका प्रावधान वित्तीय बजट 1974-75 में प्रस्तावित किया जा चुका है ?

वृद्धावस्था पेन्शन योजना

409. श्री मूलचन्द सामरिया (दौसा): क्या समाज कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) वृद्धावस्था पेंशन योजना के अन्तर्गत आज तक कितने लोगों को पेंशन स्वीकार की जा चुकी है ? सालवार, जिलेवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) वृद्धावस्था पेंशन सम्बन्धी फरवरी, 1974 तक कितनी दरख्वास्तें विभिन्न कार्यालयों में विचाराधीन व पूर्ति हेतु पड़ी हुई हैं ? जिलेवार सूची सदन की मेज पर रखें। विलम्ब को रोकने का सरकार क्या विचार कर रही है ?

उत्तर

(1) वृद्धावस्था पेन्शन योजना के अन्तर्गत अब तक 15,478 व्यक्तियों को वृद्धावस्था पेन्शन स्वीकृत की गई जिसकी जिलेवार सूची संलग्न है।

(2) वृद्धावस्था पेन्शन के 1,421 आवेदन-पत्र विभिन्न जिलों में विचाराधीन व पूर्ति हेतु हैं इनकी सूची संलग्न है। इनका निपटारा प्रार्थियों द्वारा ऐतराज की पूर्ति किये जाने, जांच पूरी होने आदि के बाद शीघ्र ही किया जा सकेगा।

(कृपया परिशिष्ट 9 देखिये)

अकलेरा तहसील के गांवों का विद्युतिकरण

410. श्री भैरूलाल (अकलेरा) : क्या विद्युत् मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) अकलेरा तहसील के अकलेरा से मनोहरथाना व अकलेरा से घाटोड़ी विद्युत लाइन पर कौन-कौन से गांवों को विद्युतिकरण में लिया गया है और इन लाइनों पर कितने गांव ऐसे हैं जो विद्युत् लाइन के इच्छुक हैं और अब तक इनको विद्युत् लाइनों से न जोड़ने का क्या कारण है ?

(2) क्या तहसील अकलेरा के जिन-जिन गांवों का विद्युतिकरण हो गया है उन सब ग्रामों में अनुसूचित जातियों के मोहल्लों में बिजली की रोशनी का प्रबन्ध है ? यदि नहीं, तो क्यों ? तथा अब कब तक यह व्यवस्था करदी जावेगी ?

(3) क्या तहसील अकलेरा में सराड़ा-भालता-चुरेला-चन्दीपुर और कोलूखेड़ी कलां ऐसे बड़े गांव है जहां हाट लगते हैं और इन गांवों में कृषक आबादी अधिक है पर इन गांवों में सिंचाई तथा उद्योग हेतु विद्युत् की मांग होते हुए भी अब तक उन्हें विद्युत लाइन से नहीं जोड़ा गया है ? यदि हां तो इन गांवों का कब तक विद्युतिकरण हो जावेगा ? यदि नहीं, तो इन गांवों को विद्युतिकरण में नहीं जोड़ने का क्या कारण है ?

उत्तर

(1) अकलेरा से मनोहरथाना व अकलेरा से घाटोडी लाइनों पर विद्युतिकृत गांवों की सूची 'ए' सदन की मेज पर रख दी गई है। इन लाइनों पर अन्य गांवों को जिला कृषि उत्पादन समिति द्वारा सिफारिश नहीं किये जाने के कारण इनका सर्वे नहीं कराया गया है।

(2) जी नहीं। विद्युतिकृत गांवों के अनुसूचित जातियों के मोहल्लों में बिजली नहीं दी जा सकी है क्योंकि इसके लिए सम्बन्धित ग्राम पंचायतों से बिजली का माहवारी खर्चा वहन करने की अण्डरटेकिंग प्राप्त नहीं हुई है।

(3) प्रश्न में वर्णित ग्रामों का सर्वेक्षण जिला कृषि उत्पादन समिति द्वारा प्रस्तावित नहीं होने के कारण नहीं किया जा सका। अतः उनके विद्युतिकरण के सम्बन्ध में निश्चत रूप से अभी कुछ नहीं कहा जा सकता।

(कृपया परिशिष्ट 10 देखिये)

जिलों की निर्माणाधीन सड़कें

411. श्री वृद्धिचन्द्र जैन (बाड़मेर) : क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राजस्थान के निर्माण के समय कुल कितनी मील डामर एवं ग्रेवल सड़कें थीं ? जिलेवार सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) इस समय तक कितनी मील डामर एवं ग्रेवल सड़कें विभिन्न जिलों में निर्माण की जा चुकी हैं ? जिलेवार सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उत्तर

(1 व 2) राजस्थान निर्माण से पूर्व 31-3-49 की जिलेवार डामर एवं ग्रेवल

Page No 34

(34)

(सार्वजनिक निर्माण मन्त्री)
रोड की लम्बाई तथा 31-3-73 तक डामर तथा ग्रेवल सडकों की सूची (अ) में अंकित कर प्रस्तुत है।

(कृपया परिशिष्ट 11 देखिये)

पाली जिले के टूटे फूटे तालाबों व बांधों की मरम्मत

412. श्री सज्जनसिंह (सुमेरपुर) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) पाली जिले में इस वर्ष कुल कितने व कौन-कौन से बांध व तालाब बाढ़ व अतिवृष्टि से फूट गये ?

(2) फूटे हुए तालाबों व बांधों की मरम्मत, सर्वे और एस्टीमेट तैयार होकर स्वीकृति हुई या नहीं? यदि हां, तो कितनी राशि स्वीकृत हुई।

उत्तर

(1) पाली जिले में कुल 75 बांध इस वर्ष बाढ़ अथवा अतिवृष्टि से क्षतिग्रस्त हुए थे। नामवार सूचित 'अ' संलग्न है।

(2) 62 क्षतिग्रस्त बांधों एवं तालाबों की मरम्मत हेतु 33,33,500 रु. की राशि स्वीकृत हुई है। शेष की स्वीकृति अर्थाभाव के कारण नहीं हो सकी।

(कृपया परिशिष्ट 12 देखिये)

छबड़ा एवं छीपाबडोद तहसीलों के ग्रामों का विद्युतिकरण

413. श्री जगमोहनसिंह (छबड़ा) : क्या विद्युत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सत्य है कि सिंचाई हेतु बिजली लगाये जाने की दृष्टि से कोटा जिले की छबड़ा एवं छीपाबड़ोद तहसील राजस्थान में सबसे पीछे है ? जहां छबड़ा तहसील के करीब 130 गांवों में से सिर्फ 2 गांवों को व छीपाबड़ोद तहसील के 150 गांवों में से सिर्फ 8 गांवों को अब तक बिजली उपलब्ध कराई गई है।

(2) यदि हां, तो पांचवीं पंचवर्षीय योजना के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुये इन तहसीलों के गांवों को बिजली दिये जाने हेतु राज्य सरकार ने क्या कार्यक्रम बनाया है ?

उत्तर

(1) छबड़ा तहसील के 193 ग्रामों में से 3 तथा छीपाबड़ोद तहसील के 180 ग्रामों में से 18 ग्रामों का विद्युतिकरण हो चुका है।

(2) छबड़ा तहसील के लिए एक ग्रामीण विद्युतकरण निगम योजना बनाने हेतु आवश्यक निर्देश राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल को दे दिये गये हैं जिसके सर्वेक्षण के लिये भी अब आदेश दिए जा चुके हैं।

प्रधानाध्यापक, राजकीय हायर सैकेन्डरी स्कूल, श्री माधोपुर के विरुद्ध शिकायतें

414. श्री गोरधनसिंह (सीकर) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सत्य है कि श्री रामलाल तिवाड़ी, प्रधानाध्यापक, राजकीय हायर सैकेण्डरी स्कूल, श्री माधोपुर जिला सीकर 4 वर्ष से अपने ही ग्राम श्रीमाधोपुर में नियुक्त हैं ? श्री तिवाड़ी के विरुद्ध जनता की शिकायतो के बावजूद भी उसको स्थानान्तरित कर इस सत्र 1973-74 में उक्त पाठशाला में पुनः नियुक्त किया है ?

Page No 35

(35)

(श्री गोरधनसिंह)

(2) क्या यह सत्य है कि सन् 1971-72 व 1972-73 में क्रमशः छात्रों व ग्रामवासियों ने प्रधानाध्यापक के विरुद्ध शाला भवन निर्माण गबन-काण्ड की मांग व छात्रों ने हड़ताल की थी ?

(3) क्या यह सत्य है कि शाला के प्रांगण के उत्तर में श्री तिवाड़ी का प्राचीन मकान है उन्होंने शाला की भूमि पर अतिक्रमण किया है, इसकी जांच हुई अथवा नहीं ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो जांच क्यों नहीं हुई ?

(4) क्या यह सत्य है कि तिवाड़ी शिक्षा विकास समिति, श्रीमाधोपुर के किसी पद पर थे ? यदि थे तो उन्हें विभाग से अनुमति प्राप्त करना आवश्यक था अथवा नहीं ? विद्यालय निरीक्षक, सीकर ने अपने पत्र संख्या 766, दिनांक 3-11-72 में उन्हें कोई पदाधिकारी होना नहीं बताया है, जबकि अध्यक्ष, विकास समिति श्री श्यामदास महन्त ने अपने बयान में जांच अधिकारी को बताया कि श्री तिवाड़ी उक्त समिति में मंत्री के पद पर थे ?

(5) क्या यह सही है कि प्रधानाध्यापक शिक्षा विकास समिति के मन्त्री थे उन्हीं की शाला के अध्यापक श्री शंकरलाल शर्मा को बिल भुगतान व शाला निर्माण कार्य देखने व कार्य अपनी निगरानी में कराने को प्रधानाध्यापक ने नियुक्त किया था ?

(6) क्या यह सत्य है कि जांच कर्ता श्री सूर्यनारायण शर्मा, प्राचार्य राजकीय हायर सैकेण्डरी स्कूल, सीकर ने उक्त शिकायत की जांच की है व जांच में यह विषय जानबूझ कर मौन रखा है कि उक्त निर्माण कार्य में सामान की खरीद किसने की है ? यदि यह सत्य है तो जांच अधिकारी के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

(7) क्या यह सत्य है कि शाला में छात्रों से शाला विकास शुल्क के नाम से धन राशि एकत्रित की गई ? यदि हां, तो क्या छात्रों द्वारा प्राप्त धनराशि को विकास समिति के कोषाध्यक्ष श्री हरदेव पुत्र बद्रीनारायण पटेल को जमा कराई गई ? यदि हां, तो क्या सरकारी अधिकारियों द्वारा वसूल की गई धनराशि सार्वजनिक फण्ड में जमा कराई जा सकती है ?

(8) क्या यह सत्य है कि नगरपालिका श्री माधोपुर की ओर से शाला विकास टैक्स जनता पर लगाया गया है ? यदि हां, तो उसमें अब तक कितना पैसा इकट्ठा हुआ है, व कितना खर्च किया जा चुका है, व यह राशि कहां जमा है ?

(9) क्या यह सही है कि सन् 1971-72 में छात्रों व ग्रामवासियों की ओर से कथित भ्रष्टाचार, अनियमितताओं के साथ हड़ताल होने पर छात्रों व जनता की शिकायतों पर जिलाधीश, सीकर की ओर से विकास अधिकारी, पंचायत समिति, श्री माधोपुर को श्री तिवाड़ी के प्रति प्राप्त शिकायतों की जांच के लिये नियुक्त किया गया था ? यदि हां, तो क्या जांच हुई अथवा नहीं ? यदि नहीं, तो विकास अधिकारी के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

(10) क्या यह सत्य है कि दिनांक 30-8-72 को छात्रों की ओर से पुलिस अधीक्षक, सीकर को श्री तिवाड़ी के प्रति

Page No 36

(36)

(श्री गोरधनसिंह)
शिकायतों की रिपोर्ट की गई थी ? यदि हां, तो क्या कार्यवाही की गई ?

उत्तर

(1) जी हां। यह सही है।

(2) जी हां। छात्रों द्वारा हड़ताल की गई थी।

(3) यह सही नहीं है। उनका कोई भवन शाला भवन के साथ लगता हुआ नहीं है। जांच का प्रश्न ही नहीं उठता।

(4) जी नहीं। प्रश्न ही नहीं उठता।

(5) यह सही नहीं है।

(6) जिन बिन्दुओं पर शिकायतकर्ता ने आरोप लगाये थे जांचकर्ता ने अपने प्रतिवेदन में उन सभी बिन्दुओं का उल्लेख किया है। अतः जांचकर्ता के विरुद्ध कार्यवाही करने का प्रश्न ही नहीं उठता।

(7) जी हां। यह सही है। विकास शुल्क का सीधा विकास समिति के माध्यम से खर्च करना अनियमित है।

(8) जी हां। नगरपालिका, श्री माधोपुर ने शिक्षा टैक्स के 20649.30 रुपये वसूल किये जो शिक्षा विकास समिति में जमा कराये गये।

(9) इसकी सूचना विभाग में उपलब्ध नहीं है।

(10) यह पुलिस विभाग से सम्बन्धित है।

स्थगित प्रश्न
(दिनांक 13-3-74)

उद्योगपतियों को ऋण

125. श्री वृद्धिचन्द्र जैन (बाड़मेर): क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राजस्थान सरकार द्वारा कितना कितना ऋण किस-किस उद्योगपति को दिया गया और उनमें कितना-कितना रुपया बाकी है व कितना वसूल हो चुका है ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) जिन उद्योगों ने वक्त पर रुपया अदा नहीं किया है उनके विरुद्ध सरकार ने क्या-क्या कदम उठाये हैं ?

(स्थगित किया गया)

स्थगित प्रश्न
(दिनांक 14-3-74)

लघु उद्योग समिति, सवाईमाधोपुर द्वारा कोयला व चद्दरों का आवंटन

166. श्री मीठालाल (लालसोट): क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) जनवरी, 1973 से अब तक सवाई माधोपुर जिला लघु उद्योग समिति द्वारा जिले के उद्योगों हेतु कितना-कितना कोयला व चद्दरें आदि भेजने की मांग की गई ?

(2) क्या राज्य सरकार ने उक्त मांग के आधार पर कोयला चद्दर भेज दिये हैं यदि नहीं तो क्यों ?

(श्री मीठालाल)

(3) क्या यह सही है कि राजस्थान लघु उद्योग निगम द्वारा आवंटित कोयला व चद्दर भी जिला उद्योगों को प्राप्त नहीं हुए हैं ? यदि हाँ, तो क्यों ?

(स्थगित किया गया)

स्थगित प्रश्न

(दिनांक 20-3-74)

विदेशों में उच्च शिक्षा प्राप्त विद्यार्थी

262. श्री मूलचन्द सामरिया (दौसा): क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

गत दस वर्षों में राज्य सरकार द्वारा कितने-कितने अनुसूचित जाति व अनुसूचित जन जाति के विद्यार्थियों को विदेशों में उच्च शिक्षा प्राप्त करने भेजा गया । सूची सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

इस विभाग के अन्तर्गत विभागों से प्राप्त सूचना के आधार पर किसी भी अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन जाति के विद्यार्थी को विदेशों में उच्च शिक्षा प्राप्त करने हेतु नहीं भेजा गया ।

स्थगित प्रश्न

(दिनांक 20-3-74)

अकाल राहत कार्यों के लिए स्वीकृत राशि

265. श्री जयकिशनलाल तोसावड़ा (फागी) : क्या अकाल सहायता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) अकाल राहत कार्यों के अन्तर्गत फागी तथा चाकसू तहसीलों में कुल कितने कुए स्वीकृत हुए ? आसामी व गांव वाइज सूची सदन की मेज पर रखें ।

(2) उक्त कुओं के लिये राज्य सरकार द्वारा कितना अनुदान दिया गया तथा बैंक द्वारा कितना ऋण दिया गया तथा कितने कुओं का कार्य पूर्ण हो चुका है तथा कितने कुओ का कार्य अपूर्ण है ? यदि कुए अपूर्ण हैं तो इसके क्या कारण हैं ? ये अब कब तक पूर्ण करा दिये जावेंगे ?

उत्तर

(1) अकाल राहत कार्यों के अन्तर्गत गत वर्ष फागी तथा चाकसू तहसीलों में क्रमशः 168 एवं 166 कुओं का कार्य स्वीकृत किया गया था । काश्तकारों की सूची सदन की मेज पर रख दी गई है ।

(2) इन कुओं के लिए प्रति कूप राज्य सरकार द्वारा 2,500) रु. तक का अनुदान स्वीकृत किया गया । फागी तथा चाकसू तहसीलों के स्वीकृत कुओं के लिए काश्तकारों को क्रमशः 4,15,337) रु. 69 पैसे एवं 4,11,500) रु. अनुदान स्वरूप दिए जा चुके हैं । इन कुओं के लिए कृषकों को बैंक द्वारा क्रमशः 1,25,695) रु. एवं 2,98,700 रु. बतौर ऋण दिए जा चुके हैं । फागी तथा चाकसू तहसीलों में अब तक क्रमशः 74 एवं 144 कुओं का कार्य पूर्ण हो चुका है तथा क्रमशः 94 एवं 22 कुओं का कार्य अभी अपूर्ण है । फागी तहसील में कुओं का काम अपूर्ण रह जाने का कारण पंजाब नेशनल बैंक द्वारा ऋण भुगतान करने में थोड़ी शिथिलता एवं सर्दी में कुओं का काम धीमी गति से होना है । चाकसू तहसील में कुओं के अपूर्ण रहने का कारण सर्दी के मौसम में कुओं का कार्य

(अकाल सहायता मन्त्री)
धीमी गति से होना है। अपूर्ण कुओं का कार्य दो मास में पूरा हो जाने की आशा है।

स्थगित प्रश्न
(दिनांक 20-3-74)

अस्थाई कर्मचारियों की संख्या

266. श्री मीठालाल (लालसोट) : क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

राज्य सरकार ने अस्थाई कर्मचारियों को स्थाई करने के सम्बन्ध में क्या कोई आश्वासन दिया था ? यदि हां, तो इस आश्वासन के समय कितने कर्मचारी अस्थाई थे और आज अस्थाई कर्मचारियों की संख्या कितनी है ? अस्थाई कर्मचारियों को स्थाई करने के संबन्ध में सरकार क्या कदम उठा रही है ?

उत्तर

राज्य सरकार ने अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ को दिनांक 7 मई, 1970 के पत्र द्वारा सूचित किया था कि "राज्य सरकार इच्छुक है कि जितने अस्थाई कर्मचारी स्थाई पदों पर स्थाई किए जा सकें वे स्थाई कर दिए जावें।"

चाही गई सूचना के आंकड़ों में अन्तर होता जाता है, क्योंकि आश्वासन के दिनांक के उपरान्त अन्य कर्मचारी भी नियुक्त किए गए हैं। दिनों दिन अस्थाई कर्मचारियों का स्थायीकरण भी किया जाता है। अतः अस्थाई कर्मचारियों की संख्या दृढ नहीं हो सकती।

सक्षम नियुक्ति अधिकारी द्वारा रिक्त स्थाई पदों के तहत अस्थाई कर्मचारियों का नियमानुसार स्थाईकरण किया जाता है। स्थाई पदों के अभाव में कुछ कर्मचारी स्थाईकरण लाभ से वंचित रहते हैं। अतः राज्य सरकार ने "राजस्थान सिविल सेवा (अस्थाई कर्मचारियों का स्थाईकरण व वरिष्ठता निर्धारण) नियम, 1972" जारी किये हैं। उक्त नियम के अन्तर्गत 1-4-68 से पूर्व नियुक्त वर्णित अस्थाई कर्मचारी स्वतः ही स्थाई हो जाएगें। इन नियमों के अन्तर्गत अभी तक एकत्रित की गई सूचनानुसार लगभग 4,400 कर्मचारी स्थाई हो चुके हैं। विलंबित स्थाईकरण के मामलों को शीघ्रता से निपटाने हेतु कार्मिक विभाग में स्क्वेड स्थापित किये गये हैं। वे स्वयं कार्यालयों में जाकर अस्थाई कर्मचारियों का स्थाईकरण करने सम्बन्धी आदेश जारी करवाते हैं। अभी तक 24,000 (19,600 +4,400) कर्मचारियों का स्थाईकरण करवाया जा चुका है।

स्थगित प्रश्न
(दिनांक 20-3-74)

आबू रोड में बाढ़ से क्षति

269. श्री भूराराम (आबू) : क्या सहायता मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि आबूरोड में बाढ़ से नगरपालिका क्षेत्र में 1380 मकान नष्ट हुए ? तथा पंचायत समिति क्षेत्र में 1400 मकान नष्ट हुए ? यदि हां, तो क्या राज्य सरकार बाढ़ सहायता के रूप में मकान बनाने के लिए कुछ निर्धारित धन राशि बाढ़ पीड़ितों को वितरित कर रही है ?

(2) बाढ़ से आबूरोड तहसील में कुल कितने मकान नष्ट हुए ? कितने परिवारों को कितनी-कितनी धनराशि वितरित

(श्री भूराराम)

की गई ? कितने परिवार अभी तक इस लाभ से वंचित रहे ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखें ।

(3) क्या यह सही है कि पिंडवाड़ा तहसील के धनारी, भावरी, खाखरवाड़ा, काछोली, उडवारिया, इसावा अजारी आदि ग्रामों में भयंकर बाढ़ आई थी ? यदि हां, तो विभिन्न ग्रामों में कुल कितने मकान नष्ट हुए ? कितने परिवारों को कितनी धनराशि वितरित की गई, कितने परिवार इस सहायता से वंचित रहे ?

(4) उक्त ग्रामों के कितने बेघरबारों को मकान हेतु भूमि उपलब्ध कराई है ? कितने अभी तक वंचित रहे हैं ? क्या इन बाढ़ पीड़ितों को भूमि प्राप्त हो सकेगी ? अगर हां, तो कब तक ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखें ।

(5) क्या यह सही है कि पिंडवाड़ा तहसील के धनारी, भावरी, ग्राम पंचायतों की आम जनता कृषि योग्य भूमि के नष्ट हो जाने से बेसहारा हो गई है ? यदि हां, तो क्या राज्य सरकार ने अभी तक बेसहारा जनता को कृषि योग्य भूमि आवंटित की है ? अगर नहीं, तो क्यों ? तथा अब कब तक दे दी जायेगी ?

उत्तर

(1) यह सही नहीं है कि आबूरोड में बाढ़ से नगरपालिका क्षेत्र में 1380 एवं पंचायत समिति क्षेत्र में 1400 मकान नष्ट हुए । वास्तव में इनकी संख्या क्रमशः 637 एवं 355 है । जिन परिवारों के मकान बाढ़ से नष्ट हुए अथवा क्षतिग्रस्त हुए उनके लिए राज्य सरकार ने निम्न आधार पर सहायता देना तय किया है:—

1. जिन परिवारों के मकान पूर्णतया नष्ट हो गए उन्हें 150) रुपया प्रति परिवार ।

2. जिनके मकान आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हुए उन परिवारों को 10 से 100) रु. प्रति परिवार ।

(2) इस प्रयोजन हेतु जिला सिरोही को 8,25,00) रु. आवंटित किया गया है । बाढ़ से आबूरोड तहसील में कुल 992 मकान क्षतिग्रस्त हुए । इनमें से 527 परिवारों को 150) रु. प्रति परिवार की दर से धनराशि उपलब्ध की जा चुकी है । 465 परिवारों को अभी सहायता दी जानी शेष है ।

(3) तहसील पिंडवाड़ा के ग्राम काछोली, खाखरवाड़ा व उडवारिया में इस वर्ष बाढ़ नहीं आई । ग्राम इसावा (एसाऊ) में पिछली बाढ़ से कोई मकान क्षतिग्रस्त नहीं हुआ । ग्राम धनारी, भांवरी व अजारी में बाढ़ आई थी जिससे नष्ट हुए मकानों की संख्या क्रमशः 115 एवं 60 है । इन पीड़ित परिवारों को सहायता दी जा चुकी है और सहायता से कोई परिवार वंचित नहीं रहा ।

(4) ग्राम भांवरी में राजस्व भूमि 78½/1 राजस्व-भू-खण्ड आबादी विस्तार हेतु स्वीकृत होकर बाढ़ग्रस्त परिवारों में वितरण करने हेतु ग्राम पंचायतों को उपलब्ध किया जा चुका है एवं पंचायत के माध्यम से बेघरबार व्यक्तियों को भूमि दी जा रही है । इसी ग्राम में खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 605, 606 एवं 608 में से

(सहायता मन्त्री)
4/2 भूमि आबादी भूमि में परिवर्तित कर 36 व्यक्तियों को दी गई है।

ग्राम धनारी में राजस्व भूमि 44 आबादी विस्तार हेतु स्वीकार की जाकर बाढ़ से बेघरबार हुए परिवारों को देने हेतु सम्बन्धित ग्राम पंचायत को दी जा चुकी है। अब पंचायत के माध्यम से पीड़ित परिवारों को भूमि दी जा रही है।

ग्राम अजारी की जनता द्वारा प्रेषित की गई मांग के अनुसार 15 बीघा भूमि आबादी विस्तार हेतु जनता को आवंटित की गई है जिसमें से 11 परिवारों को 5 बीघा भूमि का पंचायत द्वारा आवंटन कर दिया गया है शेष आवंटन किया जा रहा है।

तीनों ग्राम पंचायतों को भूमि उपलब्ध की जा चुकी है। ऐसी दशा में कोई भी बाढ़ग्रस्त बेघर परिवार आबादी की भूमि से वंचित नहीं रह सकेगा।

(5) तहसील पिंडवाड़ा, ग्राम पंचायत धनारी व भांवरी में बाढ़ से कृषि योग्य भूमि को भी नुकसान हुआ है। परन्तु इसके कारण जमीन सर्वथा नष्ट नहीं हुई वरन् कम उपजाऊ हो गई है। भूमि अभी भी कृषि योग्य है जिससे पीड़ित लोगों को अन्यत्र कृषि योग्य भूमि आवंटित करने का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

श्री अध्यक्ष : मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई है:—

1. सर्वश्री गुमानमल लोढ़ा, भानुकुमार शास्त्री व गिरधारीलाल भार्गव, सदस्य, विधान सभा की ओर से धोलपुर के राजोरिया हत्या काण्ड के अभियुक्त लक्खूसिंह की गत सप्ताह की गई हत्या के विषय में,

2. श्री योगेन्द्रनाथ हांडा, सदस्य, विधान सभा की ओर से गत 28 मार्च से राजस्थान के समस्त प्रोसिक्यूटिंग इन्सपेक्टर्स और प्रोसिक्यूटिंग सब इन्सपेक्टर्स के सरप्लस किये जाने के विषय में,

3. श्री झाबरमल सूंडा, सदस्य विधान सभा की ओर से राजकीय आयुर्वेद महाविद्यालय के प्रोफेसर एवं लेक्चरार्स को पिछले चार माह से वेतन का भुगतान न होने के सम्बन्ध में,

4. श्री गिरधारीलाल भार्गव, सदस्य, विधान सभा की ओर से राजस्थान में दूकानदारों के लाइसेन्स का नवीनीकरण न होने के विषय में,

इन स्थगन प्रस्तावों पर राज्य सरकार से जानकारी प्राप्त की जा रही है और जानकारी प्राप्त होने पर निर्णय लिया जावेगा।

5. श्री योगेन्द्रनाथ हांडा, सदस्य विधान सभा की ओर से—

(1) तहसील सांचोर, जिला जालोर के एक गांव की कुछ जमीन, जो सीलिंग कानून के अन्तर्गत अतिरिक्त घोषित कर दी गई थी उस पर भूतपूर्व जागीरदार का कब्जा बना हुआ है, इस विषय में,

(2) तहसील आसपुर के एक गांव के ठाकुर पृथ्वीसिंह द्वारा आदिवासियों की जमीन पर जबरदस्ती कब्जा कर लेने के विषय में,

(श्री अध्यक्ष)

6. श्री गुरदयालसिंह सन्धु, सदस्य, विधान सभा की ओर से दिनांक 21 मार्च को सूरतगढ़ के एक किसान श्री रामचन्द्र के घर से पुलिस द्वारा पांच बोरी गेहूं पकड़ कर उक्त किसान को गिरफ्तार करने के विषय में,

ये विषय अविलम्बनीय लोकमहत्व के नहीं हैं।

7. सर्वश्री गुमानमल लोढ़ा, भानुकुमार शास्त्री और गिरधारीलाल भार्गव, सदस्य, विधान सभा की ओर से राजस्थान के आर. ए. एस. ऑफिसर्स द्वारा गत सप्ताह मंहगाई भत्ता व तनख्वाह की मांगों को लेकर किये जाने वाले आन्दोलन की चेतावनी के विषय में। यह प्रश्न भावी घटना की आशंका पर आधारित है। अतः मैं इन स्थगन प्रस्तावों को स्वीकृति देने में असमर्थ हूं।

श्री गुमानमल लोढ़ा : अध्यक्ष महोदय, मैंने एक स्थगन प्रस्ताव राजोरिया हत्याकाण्ड के बारे में आपके सम्मुख प्रस्तुत किया है। अध्यक्ष महोदय, सन् 1972 के अन्दर चुनावों के समय ओमप्रकाश राजोरिया, जनसंघ के कार्यकर्त्ता को गोली मार कर हत्या की गई। जिसका मामला इस सदन के अन्दर प्रथम सत्र में भी उठाया गया था और उस समय यहां पर स्वर्गीय मुख्य मंत्री श्री बरकतुल्ला साहब ने सदन के अन्दर, सदन की भावना को ध्यान में रख कर सी. बी. आई. द्वारा इसकी जांच करवाने की मांग को स्वीकार किया था और उसके पश्चात् सी. बी. आई. ने सारे मामले की जाँच करके रिपोर्ट प्रस्तुत की और स्वर्गीय लक्खूसिंह का चालान राजोरिया हत्या कांड से संबंधित किया। अध्यक्ष महोदय, स्वर्गीय श्री राजोरिया के हत्याकांड के पश्चात् और लक्खूसिंह की हत्या के पहले-पहले और राजोरिया की हत्या के बाद में पांच हत्याएं और इसी संदर्भ में हो चुकी हैं और इनमें से कई मामलों को सदन में बार-बार उठाया गया है। अध्यक्ष महोदय, राजोरिया हत्याकांड के अन्दर क्या राज था, क्या रहस्य था और कौनसी वे शक्तियां थीं, कौनसे वे व्यक्ति थे, जिन्होंने इस षड़यन्त्र को रचा और हत्याएं की गईं। इस सारे मामले का उल्लेख केन्द्रीय जांच ब्यूरो की रिपोर्ट में है और उसमें से केवल राजस्थान सरकार ने एक व्यक्ति लक्खूसिंह का चालान करने की स्वीकृति दी। सदन के माननीय सदस्यों को यह जान कर आश्चर्य होगा कि इस हत्याकांड के बाद में, लकखूसिंह का चालान करने के बाद में, इसी सारे मामले के दौरान शहादत को समाप्त करने के लिए जिससे कि राज न खुले, वह कौन व्यक्ति था जिसने यह हत्या करवाई। इसको दबाने के लिए झावरसिंह हैड कॉन्स्टेबिल की हत्या की गई। झाबरसिंह, हैड कान्स्टेबिल की हत्या, राजोरिया हत्या काण्ड के साथ में लगी हुई हत्या को, उसके गवाहों को छिपाने और उसके असली रहस्य को छिपाने के लिए की गई हत्या है। इसी प्रकार से अतरसिंह की हत्या की गई है। अतरसिंह की हत्या के बाद में, अध्यक्ष महोदय, एक व्यक्ति नबी जो की बाड़ी का रहने वाला था, उसकी हत्या की गई है। अध्यक्ष महोदय, हमने कैनेडी हत्याकांड के किस्से को सुना है। यह भी सुना है कि उसके हत्यारे को उसी समय गोली से मार दिया गया इसलिए कि असली

(42)

(श्री गुमानमल लोढ़ा)

हत्याकांड का रहस्य न खुले। राजस्थान के अन्दर इसी प्रकार की घटना एक के बाद एक चेन के रूप में होती रही। इतना ही नहीं, अध्यक्ष महोदय, अतरसिंह की हत्या करने के बाद में, अतरसिंह की हत्या से संबधित यह रहस्य राजवीरसिंह नाम के एक व्यक्ति को था। जो उसका रिश्तेदार है। इसको छिपाने के लिए, सारे रहस्य को दबाने के लिए, राजवीरसिंह को सब-इन्स्पेक्टर बना दिया गया। यद्यपि वह न तो पी.टी.सी. है, और न ही कोई ट्रेनिंग पास किया हुआ है, और न ही वह एलीजिबल था, उसको थानेदार बनाया गया है। अतरसिंह से संबंधित एक वेश्या है रामकली या रामफली, इस रहस्य का उद्घाटन न हो, माननीय सदस्य यह जानकर आश्चर्य करेंगे कि इस वेश्या की पेन्शन कर दी गई है। इसलिए कर दी गई कि इस सारे मामले के अन्दर, जहां जहां जो क्लूज हैं, जिनको जानकारी है, जो असली जानकार हैं जिसमें लक्खूसिंह भी था, उसने यह विचार कर लिया था कि मैं सारे रहस्य को खोल कर न्यायालय के सामने रख दूंगा, किस व्यक्ति ने हत्या करवायी है, वे कौन व्यक्ति थे? तो उसकी हत्या, माननीय अध्यक्ष, अन्तिम कड़ी के रूप में है। माननीय मुख्य मंत्री इसमें सावधानी से काम लें। यह अन्तिम कड़ी है अन्यथा कई व्यक्ति हैं जिनका कत्ल इस बारे में किया जा सकता है।

अध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं कि लक्खूसिंह की हत्या एक साधारण हत्या नहीं है। यह एक साधारण मर्डर नहीं है। यह हत्या राजोरिया कांड को छिपाने का रहस्य है। इन व्यक्तियों को जनता के सामने न लावें या जिन्होंने हत्या करवायी उनका रहस्य न खुले। एक व्यक्ति मर्डर करता है यह कहता है कि मैं और लक्खूसिंह दिन में साइकिल पर जा रहे थे और जाते हुए शराब पिए हुए थे और शराब पिए हुए गिर गये और बन्दूक भरी हुई थी, बन्दूक चल गई जिसके कारण गोली लक्खूसिंह के लग गई और मर गया। यह कृत्रिम घटना है, यह गलत घटना है, कहानी है। अध्यक्ष महोदय, मैं इस घटना की पूरी जांच किये जाने की मांग करूंगा। अध्यक्ष महोदय, इस कांड के गवाहों का जीवन खतरे में है। जिन व्यक्तियों की हत्याएं हुई हैं उनके लिए बराबर कहते आये हैं, बराबर यहां पर मांग की है। ये व्यक्तियां कौन है जो इस सारे कांड को करवा रहे हैं? अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि अतरसिंह की हत्या के बाद, राजवीरसिंह को प्रमोशन देना, जिसके लिए कानून में प्रावधान नहीं था, रूल्स में प्रावधान नहीं था, यह प्रमोशन इस हत्या को छिपाने के लिए है। अध्यक्ष महोदय, हमारे चीफ सैक्रेटरी साहब, होम कमिश्नर और अन्य व्यक्तियों ने स्पेशल परमीशन दी और इसको एस. एच. ओ. बनाया गया। होम कमिश्नर तीन दिन तक वहां पर रहे और इस सारे समय के अन्दर यह प्रमोशन की कार्यवाही हुई। इस प्रमोशन को देकर इस मामले को दबाने का षड़यन्त्र रचा गया। अध्यक्ष महोदय, यह नहीं है कि होम कमिश्नर मर्डर के लिए जिम्मेवार हैं, परन्तु इतना अवश्य कहूंगा कि इसके अन्दर बहुत बड़े अधिकारी जिम्मेवार हैं। इस सारे कांड में अब तक 5 मर्डर हो चुके हैं, 5 कत्ल हो चुके हैं और एक वेश्या रामकली या रामफली को पेन्शन दी गयी है किसी दिन ताज्जुब के साथ सुनेंगे कि इसका भी मर्डर कर दिया गया है।

(श्री गुमानमल लोढा)

जब वह बताने के लिए तैयार हो जाय, और इस प्रकार से राजवीरसिंह को थानेदार बनाया गया। इसके पीछे एक मास्टर माइण्ड है, अध्यक्ष महोदय, वह मास्टर माइण्ड 100, 200 और 500 मील दूर जाकर यह सारे का सारा काण्ड करवा रहा है। उस मास्टर माइण्ड का सी. बी. आई. की रिपोर्टों के अन्दर संकेत किया गया है। मैं चाहूंगा कि उस सी.बी.आई. की रिपोर्ट को सदन के पटल पर रख दें। यह पांच मर्डर हुए हैं एक के बाद एक और लक्खूसिंह का मर्डर जो इन मर्डर्स के अन्दर अन्तिम कड़ी है, इसकी जांच हाईएस्ट लेवल पर, सी. बी. आई. के द्वारा, केन्द्रीय जांच ब्यूरो के द्वारा कराई जाय ताकि सारे रहस्य का पता लग सके, और आज जो राजस्थान में भयावह वातावरण बना हुआ है, अध्यक्ष महोदय, वह समाप्त हो ...

श्री अध्यक्ष : समाप्त करें।

श्री गुमानमल लोढा : मैं समाप्त कर रहा हूं। मैं सारे तथ्य माननीय मुख्य मंत्री जी के समक्ष रखना चाहता हूं। यह साधारण कत्ल का मुकद्दमा नहीं है। लक्खूसिंह की हत्या एक लिंक है, एक कड़ी है जो 5 कत्ल हुए हैं उनकी जिन्हें एनकाउन्टर बताया गया है, साइकल पर शराब पीकर गये और बन्दूक अपने आप चल गई। यह बड़े-बड़े राजस्थान के व्यक्तियों के जीवन के साथ खिलवाड़ है। यह चन्द्रकान्ता सन्तति की तरह उपन्यास है ...

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : भूतनाथ का कोई प्रसंग है क्या ?

श्री गुमानमल लोढा : मैं निवेदन करूंगा कि इस बात की गम्भीरता को कम न किया जाय। और इसके कारण जितनी हत्याएं हो गई हैं मुझे लगता है, अध्यक्ष महोदय, कि यदि उसमें बहुत सतर्कता से काम नहीं लिया गया तो ऐसे सारे व्यक्तियों के मर्डर होंगे जो उस राज को खुलवाना चाहते हैं। यह एनकाउन्टर बनाकर मारने की नीति को छोड़ दिया जाय। डकैती के साथ एनकाउण्टर हुआ, राजोरिया एनकाउन्टर में मारा गया, अतरसिंह, भवारसिंह एनकाउन्टर में मारे गये, नवी एनकाउन्टर में मारा गया ये सारे के सारे एनकाउन्टर में मारे गये। सी. बी. आई. के पास इनकी फाइलें गई हैं। उसकी जांच वह ऑलरेडी कर रही है पहले के एनकाउन्टर्स की। उनको पता है कि डकैतों के साथ में एनकाउन्टर बता कर हत्याएं की जा रही हैं और पदक लिये जा रहे हैं उसके नाम के ऊपर। पदक यहां से नहीं राष्ट्रपति तक से लिये जा रहे हैं उनकी रिपोर्ट के पहुंचने के ऊपर अध्यक्ष महोदय, मैं चाहूंगा कि सारे के सारे मामले की जांच करवाई जाय और खास कर लक्खूसिंह के मर्डर की जांच करवाई जाय कि उसके पीछे क्या रहस्य, क्या राज है, उसकी हत्या क्यों की गई है ? राजोरिया हत्याकाण्ड में आने वाले तथ्यों को छिपाने के लिए सारे मामले का पर्दाफाश न हो, उसका कमिटमेंट हो चुका था और सारा मामला खुलने वाला था। इसलिए सी. बी. आई. से इसकी जांच करवाई जाय फौरन। और समय इसमें किसी प्रकार से चला गया, अध्यक्ष महोदय, तो सी. बी. आई. की जांच बेकार हो जायगी, क्योंकि जो लिंक होते हैं क्लूज हैं, एवीडेन्सेज होती हैं उनको एक के बाद एक खत्म किया जा रहा है। इसलिए मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से निवेदन करूंगा इस सम्बन्ध में कि कानून की रक्षा

(श्री गुमानमल लोढ़ा)

के लिए, राजस्थान की जनता की सुरक्षा के लिए, राजस्थान की जनता में सुरक्षा के लिए भय न हो, अधिकारियों को सुरक्षा का भय न हो, इसलिए सी. बी. आई. से जांच फौरन करवाई जाय। और सी. बी. आई. की रिपोर्ट जो पहले प्राप्त हुई थी राजोरिया हत्या काण्ड क सम्बन्ध में उसको सदन की टेबल पर रखा जाय, और इसकी जो रिपोर्ट आये उसको भी ·······

श्री निरंजननाथ आचार्य : ऑन ए पॉइंट ऑफ पार्लियामेंट्री प्रेक्टिस, सर।

अध्यक्ष महोदय, मैंने 'दकाल' के सम्पादक के सम्बन्ध में एक स्थगन प्रस्ताव प्रस्तुत किया था तो आपने फर्माया था कि उसको जानकारी के लिए दे दिया है। वह जानकारी इस सम्पादक की जान पर पड़ गई। मैंने यह भी संकेत किया था कि जानकारी आने वाली नहीं है ·······

श्री अध्यक्ष : यह पार्लियामेंट्री प्रेक्टिस है ? यह बीच में बोलने की बात है तो फर्मा दें। इसमें प्रेक्टिस की बात तो नहीं है।

श्री निरंजननाथ आचार्य : प्रेक्टिस तो यह है कि आपने जानकारी के लिए यह प्रश्न दिया, और पार्लियामेंट्री प्रेक्टिस यह है, अध्यक्ष महोदय, कि दूसरे रोज जानकारी आ जानी चाहिए और जानकारी नहीं आने पर मैं तथ्य देना चाहता हूं, अध्यक्ष महोदय, इस सम्पादक को गिरफ्तार किया गया, और मैंने जैसी सम्भावना व्यक्त की थी कि वह सम्पादक गिरफ्तार होने वाला है। वह गिरफ्तार किया गया और अदालत में पेश किया गया, और पुलिस ने अदालत में नहीं जाने दिया वह स्वयं को सरेन्डर करके जमानत प्राप्त करना चाहता था वह अन्दर दाखिल होने लगा तो उसको अदालत में नहीं जाने दिया गया। उसको खींचा गया, धकेला गया संपादक को चोट पहुंची। अदालत में कन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट का केस पुलिस के खिलाफ चलाया जा रहा है। मैं यह इसलिए निवेदन कर रहा हूं, अध्यक्ष महोदय, कि जानकारी नहीं प्राप्त हुई, लेकिन जानकारी के बीच नन्दसिंह नाम के एस. एच. ओ. ने उसकी जान लेनी चाही है। मैं आपके सामने माननीय मुख्य मन्त्री जी से निवेदन करूंगा कि कोई प्रिवेन्टिव मेजर्स नहीं लिये गये सम्पादक की जान की रक्षा के लिए तो दूसरा केस फेब्रीकेट होगा। एक केस फेब्रीकेट हो चुका है और दूसरा केस फेब्रीकेट हो सकता है। पत्रकार दकाल की जान को जबरदस्त खतरा है। मैं इस संदर्भ में यह भी निवेदन करूंगा कि पत्रकारों पर राजस्थान में आघात पर आघात होता चला जा रहा है। मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि प्रजातन्त्र के इन प्रहरियों को बचाइये जो आपको सहयोग देते हैं भ्रष्टाचार को बाहर निकालने में, प्रकाश में लाने में। उन पत्रकारों के बारे में सहृदय भावना होनी चाहिए। नन्दसिंह जी के आतंक पर न छोड़ा जाय, और इस पत्रकार को बचाया जाय। मेरा निश्चित मानना है, अध्यक्ष महोदय, कि यदि इस पत्रकार की जान की रक्षा नहीं की गई तो कल इसके ऊपर और भी आघात होने वाला है।

श्री भानुकुमार शास्त्री : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इसी प्रसंग के अन्दर जो मुद्दे रह गये हैं उनके बारे में निवेदन करना चाहता हूं····

श्री अध्यक्ष : सारे मुद्दे आ गये हैं। काफी टच ऑन किया है।

श्री भानुकुमार शास्त्री : वह इसमें नहीं आये हैं।

श्री अध्यक्ष : यह डिबेट तो है नहीं।

श्री भानुकुमार शास्त्री : डिबेट तो नहीं है, महत्त्वपूर्ण प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष : महत्त्वपूर्ण प्रश्न समझकर ही इतना समय दिया गया है।

श्री भानुकुमार शास्त्री : मैं यह कहना चाहता हूं, अध्यक्ष महोदय, कि लक्खूसिंह की हत्या हो गई है। इस हत्या के बारे में सी. बी. आई. से जांच कराने की मांग इसलिए कर रहे हैं कि यह हत्याएँ, अध्यक्ष महोदय, वहां पर जो इन्ट्रेस्टेड लोग हैं, जिनके इन्ट्रेस्ट वहां पर वेस्टेड हैं, वे करवा रहे हैं। फूला डकैत को मारने के लिए जो स्टेट के अन्दर *झाबरमल और अतरसिंह* गवाह थे वे मारे गये यह बताकर कि वे फूला डकैत की ताक के अन्दर यह दो पुलिस कॉन्स्टेबल वहां नदी के किनारे बैठे थे, और वह जब डकैत आया तब गोली चली और मार दिये गये। जब डकैत को मारा गया और डकैत जिस जीप में बैठा था तो वह जीप कहां चली गई ? इसलिए मैं यह महत्त्वपूर्ण मुद्दा उठाना चाहता हूं कि यह परम्परा हत्याओं की हो रही है वह सन्देह निर्माण करती है। जीपकार का पता नहीं और इसके बाद उस केस की जांच में इतना महत्त्वपूर्ण केस था और जब उस डकैत को उस तरह से मारा गया था तो पुलिस के अन्दर एफ. आई. आर दर्ज की है 20 दिन के बाद। डकैत को मारा है और डकैत को मारा है अधीक्षक ने तो उसी वक्त हो जाना चाहिए। डकैत को मारा गया तो गोली कहां लगी ? पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट कहां है ? गोली लगी है किसी पास में बैठे हुए व्यक्ति ने मारा हो इस तरह से। उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट का पता नहीं। मैं, अध्यक्ष महोदय, यह कहूं कि हत्याओं की परम्परा इसलिए चल पड़ी है कि जिनके इन्ट्रेस्ट वहां पर वेस्टेड हैं वे लोग हत्याएं करवा रहे हैं और नाम यह ले रहे हैं एनकाउन्टर हो गया था, और एनकाउन्टर में मारा गया. यह लक्खूसिंह....

श्री अध्यक्ष : समाप्त करें कृपया।

श्री भानुकुमार शास्त्री : मैं निवेदन करना चाहूंगा कि अगर जांच नहीं करवाई तो यह हत्याएं और बढ़ सकती हैं, और हत्याएं हो जायंगी। इसलिए यह निवेदन करना चाहूंगा कि सी. बी. आई. से इसकी जांच करवाई जाय।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट श्री हाण्डा।

श्री रामकिशन : अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करूंगा कि जिस प्रकार से यह मामला लिया गया है और जिस प्रकार से घटनाएँ घटित हो रही हैं तो यह मामला गम्भीर बन चुका है इसकी जांच निश्चित तौर से सी. बी. आई. से कराना चाहिए। लोकल पुलिस जो है और धौलपुर के जिस तरह के हालात हैं उनमें सही तरीके से जांच करने में सक्षम भी नहीं है, और यह वास्तव में उचित भी है नहीं। वहां पर हत्याओं पर हत्याएं होती चली जा रही हैं, और यह मामला कहीं और गम्भीर रूप धारण करें, इसलिए मैं भी चाहूंगा कि यह धौलपुर के हित में भी है कि और दूसरी

(श्री रामकिशन)
तरह की घटनाएं घटित न हों इसलिए इसकी जांच माननीय मुख्य मन्त्री महोदय निश्चित तौर से सी. बी. आई से कराना चाहिए और उसी स्थिति में उसका निराकरण हो सकता है।

श्री अध्यक्ष : श्री हाण्डा।

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : अध्यक्ष महोदय, मैंने दो स्थगन प्रस्ताव दिये हैं। एक आपने जानकारी के लिए भेजा है और दूसरे को रिजेक्ट कर दिया है। अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रस्ताव जो आपने जानकारी के लिए भेजा है वह जानकारी आने तक तो मैं समझता हूं कि उस स्थगन प्रस्ताव को रखने की मन्शा ही समाप्त हो जायगी, और काफी गम्भीर परिणाम उसके पहले ही निकल जायेंगे।

आई. जी. पी. के दफ्तर से 24-3-74 को राजस्थान के पी. आई. और पी. एस. आईज. के बारे में एक आदेश जारी हुआ है कि सी. आर. पी. सी. के अन्दर जो नये एमेंडमेंट्स हुए हैं उनको 1-4-74 से राजस्थान में लागू करने के लिए राजस्थान के सारे पी. आईज. और पी.एस. आई.सरप्लस घोषित कर दिये गये हैं और पुलिस एक्ट की धारा 1 के तहत उनके जो राइट्स हैं और उनकी जो सर्विसेज हैं जिनके जरिये वे राइट्स हैं और पुलिस की सर्विस में जो सुविधायें मिलती हैं उन सारों को एक अप्रेल से यहां पर सरेण्डर कर दें, और वह स्वयं जो जयपुर के पी. आईज. और पी.एस.आई. हैं वह जी. ए. डी. के अन्दर डिप्टी सक्रेटरी को और डिस्ट्रिक्ट्स के अन्दर पी. आई. और पी. एस. आईज हैं वे कलेक्टर के यहां अपनी हाजरी दें। अध्यक्ष महोदय, उनको सबको सरप्लस घोषित कर दिया गया है ? उनका क्या भविष्य होगा ? उनको कहां एब्जार्ब किया जायगा ? किस स्थिति में रहेंगे ? सेलरी बिल का क्या होगा ? यह कोई चीज राज्य सरकार ने जाहिर नहीं की है। उनके सेलरी बिल कब तक लटके रहेंगे।

श्री अध्यक्ष : संक्षेप में कहें।

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : वैसे अध्यक्ष महोदय 25 जनवरी को सी. आर. पी. सी के सम्बन्ध में राष्ट्रपति महोदय से सेंक्शन मिल चुकी है। उनको 28 को उपस्थित होने को है। राज्य सरकार ने अभी तक इस सम्बन्ध से कोई रूल्स नहीं बनाये हैं। केवल एक घोषणा की है। यह कोई घोषणा नहीं है। वह नायब तहसीलदारी में लग जायेंगे या नहीं। उनको किस प्रकार से एब्जार्ब किया जायेगा। क्या ये लोग सरप्लस में पड़े रहेंगे ? वैसे 1966 के वक्त ......

श्री अध्यक्ष : दूसरा विषय ले लीजिये।

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : मुझे कई चीजें निवेदन करनी हैं। सब पुलिस रूल्स 1966 के तहत पी. आई. और पी. एस. आई. सिविल पुलिस के पार्ट हैं। वह सिविल पुलिस के अधिकारी रहते हैं। कई एस. एच. ओ. रहते हैं। कई पी. आई. और एस. पी. भी बन चुके हैं।

श्री अध्यक्ष : समय नहीं है।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : उनको सिविल पुलिस में लिया जा रहा था। 30-40 थानेदार लिये जा सकते थे। यह सिविल

(श्री योगेन्द्रनाथ हांडा)

पुलिस के पार्ट एण्ड पार्सल थे। यह किशनगढ़ में ट्रेनिंग लेते हैं। पी. एस. आई. 9 महीने ट्रेनिंग लेते हैं। एस. आई. 12 महीने की ट्रेनिंग लेते हैं। इन कानूनों का भी बैकग्राउण्ड होता है। यह सारी चीजें हैं।

श्री अध्यक्ष : अब समाप्त करें।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : यह बेरोजगार वकील हैं, यह कहां जायेंगे ? इससे पी. एस. आई. और पी. आई. का भविष्य अन्धकार में हो गया है। राज्य सरकार इस बारे में स्टेटमेंट दें।

मेरा दूसरा जो आपने रिजेक्ट कर दिया है.......

श्री रामानन्द अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय, मेरे दल के माननीय सदस्य ने जो प्रश्न उठाये हैं। एक्चुअली स्थिति क्या है सेपरेशन ऑफ ज्युडिशियरी से क्या स्थिति पैदा हुई है। जैसा कि कहते हैं, पी. एस. आई. और पी. आई. हैं, उनको सरप्लस में डिक्लेयर करा दिया है और जी. ए. डी. के डिस्पोजल पर रख दिया है इन कण्डीशन्स को देखते हुये मेरी जानकारी में ऑप्शन भी नहीं दिया है। न सिनियरिटी जूनियरिटी कंकरेण्ट है। एस. आई. और पी. एस. आई. का एक ही स्केल है। तो निश्चित हो दूसरी सर्विसेज होगी तो उनको प्रमोशन के चांसेज दूसरे होंगे। तो आपको विकल्प लेना चाहिए। कोई देना चाहते हैं या नहीं। अगर विकल्प नहीं लेते हैं तो मेरे ख्याल में यह लीगल भी नहीं होगा। और जस्टिस भी नहीं होगा। चांसेज क्या होंगे। भविष्य के बारे में बिल्कुल निश्चित हो। इसलिए मैं निवेदन करना चाहूंगा इसलिए कि लीगल टर्म्स को देखना आवश्यक है। जस्टिस के पॉइंट ऑफ व्यू से यह देखना आवश्यक है। मुख्य मन्त्री महोदय मौजूद हैं, वह इस पर व्यवहारिक दृष्टिकोण अपना कर स्पष्ट करें।

श्री अध्यक्ष : श्री हांडा।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : अध्यक्ष महोदय, यह मैंने स्थगन प्रस्ताव रखा है।

श्री अध्यक्ष : अब दूसरा ले लें।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : दूसरा ले लेता हूं अध्यक्ष महोदय, तहसील सांचोर जिला जालौर में गांव गलीफा के जागीरदार भगत सिंह ने 10 रुपये की सरकारी फसल जबरदस्ती कटवा ली है। अभी भी जब आप सदन में बैठे हैं, वह फसल कट रही है। वह सारी की सारी सरकारी है। वह जागीरदार उसको काट रहा है। वह सारी की सारी सरकार में वेस्ट हो चुकी है। तहसीलदार और एस. डी. ओ. भीनमाल के द्वारा यह सीलिंग ला के अन्दर घोषित कर दी गई है। वह जमीन राज्य सरकार में वेस्ट हो गई। एक साल की फसल। 1 अक्टूबर, 73 को नोटिस निकाला गया। जागीरदार साहब को सूचना हो गई सूचना पर हस्ताक्षर हो गये। और अब जागीरदार साहब ने उस पर जबरदस्ती कब्जा कर लिया है। 10 लाख रुपये की गेहूं की फसल जबरदस्ती काट कर ले ली गई है जबकि वह राज्य सरकार की फसल है। इससे गम्भीर बात कोई नहीं हो सकती है। इससे ज्यादा प्रोत्साहन राज्य सरकार सामन्तवादी तत्वों को और क्या दे सकती है।

(श्री योगेन्द्रनाथ हांडा)

अध्यक्ष महोदय, दूसरा मैं स्थगन प्रस्ताव तहसील आसपुर के मेवासा गांव के ठाकुर पृथ्वीसिंह द्वारा आदिवासियों की जमीन पर जबरदस्ती कब्जा कर लेने के सम्बन्ध में है। काबरा नाम के भील को कूट-कूट कर मार दिया। ठाकुर साहब ने जमीन पर कब्जा कर लिया। आज ठाकुर साहब का कब्जा है। ठाकुर साहब तो जाबरा के कत्ल से बच गये, अपने लड़के को फंसा दिया है। वह ठाकुर वह फसल उठाकर अपने घर ले जा रहा है। भील को कोई रास्ता नहीं मिल रहा है। आदिवासी क्षेत्र में इससे आंतक व्याप्त हो गया है। यह वहां का पहला मामला नहीं है। इस प्रकार के पांच छः मामले वहां के और भी हैं। कल हमारे माननीय सदस्य ने अलवर की बात कही है। आज आसपुर और जालौर के ठाकुर की बात रखी है। हमने सामन्तों को खुली छूट दे दी है। वह बन्दूक की नोक से कुछ भी करें। वह अपनी सम्पत्ति को छुर्द बुर्द कर दें। देवस्थान की जमीन पर कब्जा कर लें। यह सारी चीजें स्पष्ट हैं, चाहे ठाकुर साहब हों, चाहे जागीरदार, जागीरदार भगसिंह और जागीरदार पृथ्वीसिंह एक तो जालोर के अन्दर गलफा गांव के अन्दर है, दूसरे मेवात गांव के अन्दर जो तहसील आसपुर के अन्दर है। यह दो ठाकुर राज्य सरकार की फसल और गरीबों की फसल उठा रहे हैं···

श्री अध्यक्ष : समाप्त करें कृपया।

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : यह गम्भीर काण्ड है। अध्यक्ष महोदय, ऐसे अनेकानेक काण्ड इस सदन में आते हैं, मैं चाहूंगा, राज्य सरकार आखिर बतावे, उसकी नीति क्या है ? आखिर राज्य सरकार इस प्रकार राजाओं को और सामन्तों को प्रश्रय क्यों दे रही है ? आखिर इस राज्य के अन्दर सामन्त प्रचण्ड क्यों हो रहे हैं, चाहे वह कांग्रेस के कार्यकर्त्ता हों, चाहे भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के कार्यकर्त्ता हों····

श्री अध्यक्ष : कृपया समाप्त करें।

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : आज गरीब लोगों के ऊपर जूती की चोरी का इल्जाम लगाया जाय और उनकी फसल को उठाया जाय, उनके घरों के अन्दर घुस जायं और उन पर अत्याचार हो और एट्रोसिटी हो। अन्त में मैं कहूंगा, मैं अध्यक्ष महोदय, आपसे विवेदन करूंगा, इस सम्बन्ध के अन्दर मन्त्री महोदय से कहें कि यह क्रम चल चुका है इस किस्म का और स्पष्ट है कि दक्षिण पंथी ताकतें चाहे बिहार में हों, चाहे गुजरात में हों एक तरफ आनन्द मार्गी हैं और दूसरी तरफ जनसंघी हैं, इन्होंने एक प्रकार से सरकार को और प्रजातन्त्र को पैरेलाइज कर दिया है और दूसरी जगह करने का प्रयत्न कर रहे हैं। यदि सरकार की इस सम्बन्ध में नीतियां इसी प्रकार जारी रही तो दक्षिणपन्थी ताकतें प्रजातन्त्र को समाप्त कर देंगी। इसलिए आवश्यकता इस बात की है कि सामन्ती अवशेषों के खिलाफ, प्रतिक्रियावादी ताकतों के खिलाफ यदि आप प्रजातन्त्र की रक्षा करना चाहते हैं, तो मजबूती के साथ में राज्य सरकार को कदम उठाने पड़ेंगे।

Page No 49

(५९)

श्री गुरदयालसिंह संधु : अध्यक्ष महोदय, मेरा स्थगन इस सम्बन्ध में था, किसानों को यह छूट दी गई है, वह 25 क्विन्टल अपना गेहूं कहीं भी ले जाकर बेच सकता है। तो ऐसी कार्यवाहियां हो रही हैं कि जगह जगह जब किसान अपना गेहूँ बेचने के लिए जाता है तो उनके घर के गेहूँ को पकड़ा जाता है। 21 तारीख को सूरतगढ़ में रामचन्द्र नाम के किसान के घर से पांच गेहूँ बोरी जबरदस्ती उठा कर थाने में ले जाया गया। उसके सिलसिले में जमानत दी गई और उसके खिलाफ मुकदमा चलाया गया। वह वहां का किसान है, भूमि का मालिक है, भूमि उसके पास है। इसी तरह का एक वाकया, सूरतगढ़ में 21 तारीख को हुआ और करणपुर सांगरिया से बिकने के लिए गेहूँ आया और सारा गेहूँ कब्जे में करके उन लोगों का चालान तैयार किए जा रहे हैं। मैं निवेदन करूंगा, जब सरकार ने किसानों को 25 क्विन्टल तक की छूट दे रखी है तो क्या कारण है कि उन लोगों के खिलाफ मुकदमे बनाये जा रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : यस। नो बडी एल्स।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : अध्यक्ष महोदय, मेरा एक स्थगन प्रस्ताव, राजस्थान के हजारों दुकानदार जो इस समय परेशान हैं, उनके सम्बन्ध में है। राजस्थान में 91 स्थान हैं जहां पर दुकान एवं वाणिज्य अधिनियम लागू हैं। दुकानदारों के लाईसेन्स का नवीनीकरण नियमानुसार 31 जनवरी, 1974 तक हो जाना चाहिये था। खेद है, 31 जनवरी तक आधे से कम का भी जो दुकानदार हैं, नवीनीकरण नहीं हो सकता है। इसका क्या कारण है? वजह जानकारी के आधार पर, जो मुझे मिली है, यह है यह कि विभाग में स्टाफ की कमी है। स्टाफ की कमी होने के कारण नवीनीकरण नहीं होने के कारण लोगों को नवीनीकरण शुल्क के साथ साथ ऑफिस के अन्दर जुर्माने की रकम भी जमा करानी पड़ रही है। दूसरी ओर जिनके पास नवीनीकरण हुआ लाइसेन्स नहीं है ..

श्री अध्यक्ष : संक्षेप में।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : मैं संक्षेप में ही निवेदन कर रहा हूं। मैं तो बडा····

श्री अध्यक्ष : थैंक यू।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : सब जानते हैं भली प्रकार से। कहने की आवश्यकता नहीं है।

श्री अध्यक्ष : प्रोसीड आन।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : मैं प्रार्थना कर रहा हूँ कि दुकानदार परेशान हैं। स्टाफ की कमी की वजह से लाइसेन्स का रिन्यूअल नहीं हो रहा है ऑफिस की गलती के कारण। दूसरी, और अध्यक्ष महोदय, इन्सपेक्टर जाता है, जब किसी के पास नया लाइसेन्स नहीं होता है तो उसके कारण से उसका चालान कर देता है। गरीब दुकानदारों पर चालान होने के कारण भयंकर रूप से जुर्माने किए जाते है। मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूँ कि पिछले माह उद्योग विभाग ने यह सारा का सारा कार्य श्रम विभाग को सौंप दिया है। विभाग

(श्री गिरधारीलाल भार्गव)

का कार्य सौंप दिया लेकिन जो विभाग के पास स्टाफ था, जो वर्षों से कार्य करता आ रहा था, उसको वहां ट्रान्सफर नहीं किया है। इसलिए श्रम विभाग में स्टाफ कम होने के कारण गरीब राजस्थान के दूकानदारों को चालन का सामना करना पड़ रहा है उन पर भयंकर रूप से जुर्माने हो रहे हैं, लाइसेन्स का रिन्यूअल नहीं हो रहा है। मैं समझता हूं कि राज्य सरकार गरीब दुकानदारों को राहत देने के लिए शीघ्र इस प्रकार की व्यवस्था श्रम विभाग द्वारा करायेगी।

श्री केदारनाथ : ऑन ए पॉइन्ट ऑफ इन्फार्मेशन।

श्री गुमानमल लोढ़ा : मेरा स्थगन प्रस्ताव है।

श्री अध्यक्ष : आपका रह गया है।

श्री गुमानमल लोढ़ा : जी हां।

श्री केदारनाथ : 25 तारीख को दकाल के सम्पादक के सम्बन्ध में स्थगन प्रस्ताव आया था····

श्री अध्यक्ष : काहे के बारे में ?

श्री केदारनाथ : दकाल के बारे में। आपने फर्माया था कि जानकारी के लिए भेज दिया है। माननीय अध्यक्ष जी, मेरा निवेदन है, उन जानकारी के न आने के कारण

श्री अध्यक्ष : मैं प्रयत्न कर रहा हूं कि जानकारी जल्दी आ जाय।

श्री केदारनाथ : मेरा निवेदन है कि पिछले छः दिनों के अन्दर-अन्दर उस पर फर्जी मुकदमे बनाये गये हैं। 28 तारीख को जमानत के लिए पेश करना था, तब जाकर अदालत में घुसने से पहले पुलिस ने पकड़ा, छीना-झपटी की और मारपीट की। यही नहीं, थानेदार सिविल वर्दी में जाकर हमला करता है। इससे ज्यादा क्या होगा ? उस दिन कहा था कि उसकी सुरक्षा की जाय, उस पर झूठे मुकदमे बनाये जायेंगे। जो नन्दसिंह थानेदार है, उसको उसने सौ रुपये रिश्वत लेते हुए पकड़वाया, एस. पी. के मार्फत पकड़वाया। वह अखबार निकालता है, निर्भीक है, उसका नतीजा उसे भुगतना पड़े —यह शर्म की बात है। राज्य सरकार जल्दी से जल्दी इस सम्बन्ध में कार्यवाही करे।

श्री गुमानमल लोढ़ा : अध्यक्ष महोदय, मेरे स्थगन प्रस्ताव को यह कहकर अस्वीकार करने की व्यवस्था आपने दी है कि यह प्रश्न भावी घटना की आशंका पर आधारित है, वर्तमान की समस्या नहीं है···

श्री अध्यक्ष : इंसिडेण्ट नहीं है।

श्री गुमानमल लोढ़ा : अध्यक्ष महोदय, यह स्पष्ट है, उनका निर्णय हो चुका है, उन्होंने कान्फ्रेन्स करके कान्फ्रेन्स में प्रस्ताव पारित कर दिया है। यह भविष्य की बात नहीं है। अध्यक्ष महोदय, आर. ए. एस. ऑफिसर्स के द्वारा यह प्रस्ताव पारित किया जाय, अब तक ट्रेड यूनियन, कर्मचारी यूनियन, टीचर्स, स्टुडेन्ट, राजनैतिक पार्टियां — यह सारे के सारे आन्दोलन पर चल रहे थे, लेकिन यह नया आन्दोलन हमारे सामने आने वाला है। राज्य के मन्त्रिमण्डल को, मैं समझता हूं, इसके बारे में चिन्तित होना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, आर.ए.एस. ऑफिसर्स इस महंगाई

(श्री गुमानमल लोढ़ा)

के अन्दर, जब कि प्राइस इंडेक्स बढ़ गया है, 26 प्रतिशत, अपने पे रिवीजनके बारे में मांग करें, मंहगाई के बारे में मांग करें, अन्य फैसेलिटीज के बारे में मांग करें तो मानवीय दृष्टिकोण से मन्त्री महोदय को विचार करना चाहिए। गवर्नमेंट यह कह कर नहीं टाल सकती है कि यह ऑफिसर्स आर. ए. एस. ऑफिसर्स हैं, इनकी संयुक्त डिमाण्ड होगी, जॉइन्ट डिमाण्ड होगी, उस पर विचार करने की आवश्यकता नहीं है। मेरा निवेदन है कि हमारा सारा प्रशासन, राज्य का पूरा का पूरा प्रशासन आर. ए. एस. ऑफिसर्स के ऊपर आधारित मोटे तौर से है। उनमें असन्तोष होता है, उनमें आक्रोश होता है, जिसके कारण से पब्लिकली जनता के सामने प्रस्ताव पारित करके भेजना पड़ता है, समाचार पत्रों में प्रचार होता है तो मैं समझता हूं कि प्रशासन के अनुशासन पर, प्रशासन की एफिशियन्सी के ऊपर उसका रिफ्लेक्शन पड़ता है। मेरा निवेदन है कि राज्य के माननीय मुख्य मन्त्री और सारा मन्त्रिमण्डल आर. ए. एस. ऑफिसर्स के बारे में बहुत जल्दी निर्णय ले, और ऐसी स्थिति पैदा नहीं हो कि आर. ए. एस. ऑफिसर्स हड़ताल करें। सदन चल रहा है, विधान सभा चल रही है, उस समय आवश्यक है कि माननीय मुख्य मन्त्री, इसके पहले कि सदन समाप्त हो, सदन के माननीय सदस्यों को इस बारे में कान्फीडेन्स में लें, कौन-कौनसी डिमाण्ड सही हैं, जो चार्टर ऑफ डिमाण्ड हैं, उनमें कौन-कौन सी डिमाण्ड सही हैं, कौनसी जस्टीफाइड हैं और कौनसी जस्टीफाइड नहीं है और उसके आधार पर उनको राहत देने का प्रयत्न करें। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आर. ए. एस. ऑफिसर्स की हड़ताल के साथ-साथ यह सूचना कई स्थानों पर से आयी है कि पुलिस कर्मचारियों ने रेल बन्द होने से बस में कैदियों को लाने से मना कर दिया...

श्री अध्यक्ष : आपका विषय नहीं है।

श्री गुमानमल लोढ़ा : यह विषय प्रशासन का है।

इससे राज्य प्रशासन को खतरा हो सकता है। जेल के कैदियों को पुलिस कर्मचारियों ने बस में ले जाने से मना कर दिया क्योंकि रेल का पास तो उन्हें मिलता है, बस का ऐसा नहीं मिलता है। पुलिस अधिकारी काम करने से मना कर देते हैं तो ऐसी स्थिति पैदा हो सकती है। इसलिए राज्य सरकार को सतर्क रहना चाहिए मैं यह कहना चाहता हूं कि पी. एस. आईज. के बारे में स्थगन प्रस्ताव आया है। उनको सरप्लस रूल्स के नीचे राज्य सरकार को जी. ए. डी. कहीं पर भेजे और वहां फिक्सेशन सम स्केल या लोवर स्केल पर हो तो यह उचित नहीं है, उनके बारे में अलग से विचार करना चाहिए। जुडीशियरी का जो सेपरेशन हैं वह पी. एस. आइज. के लिए घातक सिद्ध न हो। जुडीशियरी का सेपरेशन इसलिए हो रहा है कि न्याय व्यवस्था सही रूप से हो सके। आज देश में ऐसी स्थिति है और ताकतें भी हैं जैसे कम्यूनिस्ट पार्टी के लोगों ने पटना में सर्चलाइट के कार्यालय को जला दिया और जगह जगह पर देश में खून खराबा कराना चाहते हैं, इसलिए यह आवश्यक हो गया है। उन्होंने गुजरात के अन्दर ऐसी स्थिति पैदा कर दी जिसके कारण फूड रायट्स हुए, ग्रेन रायट्स हुए।

(श्री गुमानमल लोढा)
खुशी की बात है कि केंद्रीय सरकार ने एक साल के बाद में अपनी नीति को पुनः निर्धारित किया है और उनके चंगुल से निकली है लेकिन फिर भी इस देश में वे सक्रिय हैं तो इन सारी समस्याओं पर मुख्य मंत्री व मंत्रीमंडल आब्जेक्टिवली डिसीजन लें....

श्री मोहम्मद गफ्फारअली : मेरी पार्टी पर ऐतराज किया गया ....

(दोनों माननीय सदस्य साथ साथ बोलने लगे)

श्री गुमानमल लोढ़ा : फुड रायट्स हुए, ब्रेड रायट्स हुए....

श्री मोहम्मद गफ्फारअली : सर्चलाइट को जलाने की बात कही।

(दोनों माननीय सदस्य साथ साथ बोलने लगे)

इनको कोई हक नहीं है, यह झूठ है। हमने खुद ने कहा है कि जनसंघ वालों के ये काम हैं। इनको छूट दी जाती है कि बार बार बोलें और ये दूसरी पार्टीज को मलाइन करते हैं....

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज।

श्री मोहम्मद गफ्फारअली : अध्यक्ष महोदय, आपको पूरी तरह से दोनों पक्षों को, कोई भी हो, उनको एक तरह से मौका देना चाहिए, ये बार बार झूठी बातें कहते हैं, बकवास करते हैं, इनको कोई हक नहीं है....

(श्री गिरधारीलाल भार्गव व श्री गफ्फार अली साथ साथ बोलने लगे)

उन्होंने खुद आग लगवाई। आनन्द मार्गी बदमाशियां करते हैं।

श्री अध्यक्ष : कृपया बैठे।

श्री मोहम्मद गफ्फार अली : देखिए अध्यक्ष महोदय, सबको समान अवसर देना चाहिए।

(श्री गुमानमल लोढा व श्री मोहम्मद गफ्फार अली साथ-साथ बोलने लगे)

श्री गुमानमल लोढ़ा : कांच के बंगले में बैठकर पत्थर फेंकते हो।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य स्थान ग्रहण करें।

श्री गुमानमल लोढ़ा : देश में खून खराबा पैदा कराना चाहते हैं।

प्रतिवेदनों का उपस्थापन

श्री अध्यक्ष : श्री पूनमचन्द विश्नोई !

श्री पूनमचन्द विश्नोई : अध्यक्ष महोदय, मैं प्राक्कलन समिति के निम्नांकित प्रतिवेदनों का उपस्थापन करता हूं:—

(1) जन स्वास्थ्य (अभियान्त्रिकी) विभाग से सम्बन्धित समिति का चतुर्थ प्रतिवेदन,

(2) राजस्थान संगीत नाटक अकादमी, जोधपुर विषयक प्राक्कलन समिति, 1968-69 के 12वें प्रतिवेदन में समाविष्ट सिफारिशों पर शासन द्वारा की गई कार्यवाही विषयक समिति का पंचम प्रतिवेदन।

(3) राजस्थान भूजल मंडल विषयक प्राक्कलन समिति, 1968-69 के 10वें

(श्री पूनमचन्द विश्नोई)
प्रतिवेदन में समाविष्ट सिफारिशों पर शासन द्वारा की गई कार्यवाही विषयक समिति का छठा प्रतिवेदन, तथा

(4) भू-संरक्षण विषयक प्राक्कलन समिति, 1968-69 के 9वें प्रतिवेदन में समाविष्ट सिफारिशों पर शासन द्वारा की गई कार्यवाही विषयक समिति का सातवां प्रतिवेदन।

श्री अध्यक्ष : श्रीमती प्रभा मिश्रा।

(अनुपस्थित)

श्रीमती मदनकौर : अध्यक्ष महोदय, मैं जन लेखा समिति के सातवें प्रतिवेदन (चौथी विधान सभा) में समाविष्ट सिफारिशों के परिपालन हेतु शासन द्वारा की गई कार्यवाही विषयक समिति के आठवें प्रतिवेदन का उपस्थापन करती हूं।

श्री अध्यक्ष : मन्त्री द्वारा वक्तव्य।

श्री चन्दनमल बैद (वित्त मन्त्री) : अगर आपकी इजाजत हो तो मैं अपना वक्तव्य शाम को दूं क्योंकि नए फैक्ट्स आने की आशा है।

श्री अध्यक्ष : ठीक है।

श्री गुमानमल लोढ़ा : समय निश्चित कर दें।

श्री चन्दनमल बैद : एप्रोप्रियेशन बिल पास होने के बाद में।

अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान कराधान विधियां (संशोधन) विधेयक, 1974 को विचारार्थ लिया जाए।

श्री अध्यक्ष : मोशन मूव्ड।

श्री गिरधारीलाल भार्गव!

श्री गिरधारीलाल भार्गव (हवामहल): अध्यक्ष महोदय, मंत्रीजी ने मनोरंजन कर में और भी कुछ बढ़ोतरी करने की अपनी घोषणायें की हैं। राज्य सरकार ने 1955 में एक अध्यादेश, एक हुक्म निकालकर जो राजस्थान की नगरपालिकायें हैं, जो मनोरंजन कर की वसूली कर रही थीं सिनेमाओं से व सर्कस से या टूर्नामेंट्स से या मेलों से या प्रदर्शनी से, सारी आय का स्रोत आपने 1955 में ले लिया था और 1955-1958 का औसत लगाकर आपने नगरपालिकाओं को देने के बारे में व्यवस्था की थी। 1958 के बाद नगरों में सिनेमाओं की संख्या भी बढ़ गई, देखने वालों की संख्या बढ़ गई और जो मनोरंजन कर पहले एक रुपये पर 6 पैसे था अब एक रुपये पर 65 पैसा होगा तो राज्य सरकार को बदली हुई परिस्थिति के आधार पर और समय के अनुकूल उन्होंने 1971-1974 का प्रावधान मंत्री महोदय ने किया है। आपने घोषणा की है कि नगरपालिकाओं को डबल पैसा मिलेगा इसका तो मैं स्वागत करता हूं। आपने इसमें यह तो माना है कि नगरपालिकाओं की स्थिति खराब है, उनमें वृद्धि होनी चाहिए। मैं कुछ आंकड़े प्रस्तुत करना चाहता हूं यदि उसको देखें तो केवल दुगुनी वृद्धि करने से काम नहीं चलने वाला है। जनवरी से दिसम्बर तक एक सिनेमा का आंकड़ा प्रस्तुत कर रहा हूं मनोरंजन कर 6.80 लाख एक वर्ष में, शो टैक्स 14,710, सरचार्ज टिकट जो बंगला देश के नाम से लगा दिया और जिसको 5 वर्ष तक चलाना चाहते हैं 1.10 लाख, विज्ञापन कर के रूप

(श्री गिरधारीलाल भार्गव)
में 2,500 इस प्रकार इन सबको यदि जोड़ तो 8.50 लाख रुपये एक सिनेमा से आपको जयपुर शहर में आय होती है।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यों को मैं सूचित करना चाहता हूं कि ये दो विधेयक तीन बजे से पहले पारित करने हैं, कार्य सलाहकार समिति ने समय निर्धारित किया था।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : मुझे ध्यान है। तो मैं निवेदन कर रहा था कि एक सिनेमा से 8.50 लाख आय जयपुर में हो गई, उससे कुल कितनी राज्य सरकार को आय होगी ? पिछले वर्ष का आंकें तो 60 लाख जब 7 सिनेमायें थीं, यदि अब जयपुर में 9 सिनेमाओं के आधार पर आंक लें तो 85 लाख रुपये की आय होगी जबकि सिनेमाओं में अलग अलग प्रकार के रेट्स हैं। मानप्रकाश में बालकनी के 3.40) । दो रुपये सिनेमा वाले को मिलेगा और 1.40) राज्य सरकार को प्राप्त होता है, जितनी आय राज्य सरकार को है उसमें जो डबल की छूट दी है, उसमें विचार करना पड़ेगा। अम्बर सिनेमा में लोवर क्लास का 1.30) है मानप्रकाश में 1.15) ।

(12.50 बजे)

(श्री रामसिंह यादव, उपाध्यक्ष पदासीन)

शालीमार में 1.15) । अपर क्लास में भी बड़ा आंकड़ा है। अम्बर में 2) दूसरों में 1.60) शालीमार में 1.75) । इसका अर्थ यह है कि जो सिनेमा हैं इनमे एक ही क्लास के विभिन्न प्रकार के कर की दरें हैं।

तो उपाध्यक्ष महोदय यह एक मुश्त रकम से राजस्थान सरकार को करीब 85 लाख रुपये की आय होती है। आज सिनेमा के अन्दर यह हालत है उपाध्यक्ष महोदय कि लोगों को टिकट नहीं मिलती है भीड़ पड़ती जिससे लोग क्यू में खड़े रहते हैं और लोग ब्लैक के टिकट खरीदते हैं वहां पर हालत यह होती है एक्स्ट्रा सीटें लगती हैं। अब वह जमाना चला गया जबकि सन् 1935 में जबकि मान प्रकाश खुला था तो मान प्रकाश के मालिक चरण बाबू लोगों को गली गली में कहते फिरते थे बाबूजी सिनेमा देखो टिकट आज ले लो और सिनेमा देखलो चाहे पैसे कल दे देना। ब्लैक तो दूर लोग सिनेमा देखने बहुत कम जाते थे। लेकिन अब यह बात है कि ब्लैक के टिकट लेते हैं लोगों को कीमत पर टिकट हाथ नहीं आते हैं, वहां पर लाठी चार्ज हो जाता है लोग दो रुपये के टिकट के पांच रुपये देकर सिनेमा देखते हैं अतिरिक्त सीटें लगती हैं। राज्य सरकार ने भी काफी ज्यादा टैक्स मनोरन्जन के नाम से लगा रखे हैं। आपने 50 पैसे के टिकट पर 35 प्रतिशत मनोरंजन कर के, 51 से लेकर 100 रुपये तक 50 प्रतिशत मनोरन्जन कर के तथा सौ रुपये से ऊपर 200 रुपये तक 60 प्रतिशत तथा दो सौ से ऊपर आप 75 प्रतिशत मनोरन्जन टैक्स के लेते हैं इसके ऊपर आप सरचार्ज भी लगाते हैं। इसमें सरकार को कोई विशेष खर्चा नहीं है। जिस तरह से जयपुर में दो कोर्टस आपने बना रखी हैं ईस्ट और वेस्ट उसी तरह से आपने दो इन्सपेक्टर्स एन्टरटेनमेन्ट टैक्स लगा रखे हैं। जयपुर ईस्ट के लिये और वेस्ट के लिये। उन्हें आप 250 रुपये देते हैं और जयपुर से आप लाखों रुपये की आय उन दो इन्सपेक्टर्स के जरिये जयपुर

(श्री गिरधारीलाल भार्गव)

के सिनेमाओं से उठाते हैं। इसके अलावा सिनेमा से अलावा आज जयपुर में कई सर्कस आते हैं, प्रदर्शनी लगती है, स्पोर्टस या मैचेज क्रिकेट के होते हैं उनसे भी आपकी काफी अच्छी आय हो जाती है। जयपुर में जेमिनी सर्कस आया था उसकी रोजाना आपको दो हजार रुपये एक शो के एन्टरटेनमेन्ट टैक्स के मिलने चाहिये थे लेकिन आपने उसे दो हजार के बदले सिर्फ 750 रुपये प्रति शो का रखा मैं नहीं समझता कि क्या कारण था कि मन्त्री महोदय ने इतना राज्य सरकार को घाटा दिया। इसके अलावा जो टूर्नामेंट होते हैं उसके भी पैसे राज्य सरकार मनोरंजन कर के रूप में वसूल करती है। इसमें आपको जेम सिनेमा से जो कि बड़ा है उससे आपको एक लाख रुपये से अधिक मिलता है। प्रेमप्रकाश से आप 50 हजार रुपया वसूल करते हैं। लेकिन रामप्रकाश सिनेमा से जो कि पहले नाटक घर था जहां पर नाटक होते थे क्योंकि रविन्द्र मन्च तो था नहीं पी. डब्ल्यू. डी. की यह बिल्डिंग है उससे आप सिर्फ 2,500 रुपये वसूल करते हैं। इसका कारण क्या है? उपाध्यक्ष महोदय, यह रामप्रकाश टॉकीज इसको जयपुर के लोग खटमल टॉकीज कहते हैं क्योंकि वहां से सिनेमा देखकर जब लोग आते हैं तो साथ में खटमल भी आ जाते हैं। मेरा निवेदन यह है कि पी. डब्ल्यू. डी. ने इस टॉकीज को एक ही व्यक्ति को क्यों दे रक्खा है? उपाध्यक्ष महोदय, आज इस मनोरंजन कर के लिए मेरा यह निवेदन है कि इसमें बहुत ही धांधली होती है। इसको रोका जाना चाहिये। इसके अलावा एक बात और मैं निवेदन करना चाहता हूं और वह यह है कि आप इतना टैक्स सिनेमा वालों से लेते हैं पर आप उनको सहूलियतें कुछ नहीं देते हैं। आज दो विद्यार्थी आ गए और उनके यहां पर कुर्सी तोड़ देते हैं मैनेजर की हालत खराब है। इधर पुलिस वाले उनको कहते हैं कि हमारे लिए 6 सीट रखना कभी मनोरंजन कर वाले कहते हैं मैनेजर साहब हमारे लिए चार सीट रखना तो यह लोग पैसे थोड़े ही देते हैं। आज आपके जयपुर के बड़े-बड़े अधिकारी हैं वह सब लोग फ्री में सिनेमा देखते हैं जिसका मनोरंजन कर भी नहीं देते हैं। इसके अलावा आपने जो पद्धति बना रखी है कि सिनेमा का हर साल रिन्यूअल होगा। इस लाइसेन्स रिन्यूअल के मामले में उनसे पैसा, लिया जाता है अन्यथा उनका लाइसेन्स रिन्यूअल नहीं किया जाता। इसके लिये आपको चाहिये कि हर तीसरे साल सिनेमा का लाइसेन्स रिन्युअल होना चाहिये ऐसा प्रावधान नियमों में करना चाहिये ताकि भ्रष्टाचार को कम बढ़ावा मिले। और सिनेमा वालों को राहत मिलेगी। इसके अलावा अगर किसी को सिनेमा बनाना हो तो आप उसे जल्दी जमीन तक नहीं देते हैं उसमें भी भ्रष्टाचार है, अगर वह शहर की चार दिवारी के पास सिनेमा बनाना चाहता है तो उसको एक लाख रुपया देना पड़ेगा रिश्वत के और शहर से दूर तो उसकी अलग रेट है, झोटवाड़ा में बनाओ तो उसकी रेट अलग है। उपाध्यक्ष महोदय, जब यह अम्बर सिनेमा बनाने की बात थी उसके मालिक को पूछो कि कितनी तकलीफ उसको हुई यों तो अखबार में निकालते हैं कि हम सिनेमा

(श्री गिरधारीलाल भार्गव)

के लिए काफी सहूलियतें देते हैं पर असलियत में आप उनको कोई सहूलियत बगैर रिश्वत लिए नहीं देते हैं। आप उनको नो ओबजेक्शन सर्टिफिकेट कितना मुश्किल से देते हैं। घोषणा करते हैं कि हम तत्काल नो-ओबजेक्शन देते हैं पर राज्य सरकार किस प्रकार से परेशान करके उन्हें नो-ओबजेक्शन सर्टिफिकेट दिया। अभी आपने एक और घोषणा करदी है कि राज्य सरकार उन सिनेमा के टिकटों पर पांच पैसे की वृद्धि और कर रही है उससे राज्य सरकार को दो लाख रुपये की आय हो जायेगी लेकिन जनता पर अतिरिक्त कर भार डाल रहे हैं। इसके अलावा कौन से पिक्चर को मनोरंजन कर से छूट देनी चाहिये और कौन से को नहीं मन्त्री महोदय अपनी इच्छानुसार उसे मनोरंजन कर से मुक्त कर देते हैं चाहे उसमें काफी अश्लील चित्र हों। अभी शालीमार में एक पिक्चर आया था उसमें फ्रान्स की कम्पनी के साथ पिक्चर बना हुआ था उसमें काफी अश्लील सीन थे लेकिन आपने उसे मनोरन्जन कर से मुक्त कर दिया, इसी प्रकार यह जो हिन्दुस्तान की कसम सिनेमा था उसके अन्दर भी काफी अश्लील बातें थी, उसको आपने मनोरंजन कर से मुक्त क्यों रखा। इसलिए मेरा निवेदन यह है कि उपाध्यक्ष महोदय, आज आप इतनी आय सिनेमा की वजह से अकेले जयपुर से 85 लाख रुपया सालाना कमाते हैं और नगरपालिकाओं को उसमें से आप नाम मात्र का ही हिस्सा देते हैं यह क्यों। मेरा निवेदन है कि जयपुर के सिनेमा से जो सम्पूर्ण मनोरंजन कर आता है सिवाय आपके प्रशासनिक खर्चे को लेकर नगरपालिका जयपुर को वह आय दी जावे। प्रशासनिक खर्चे का जहां तक सवाल है आपके यहां पर दो इन्सपेक्टर्स हैं ढ़ाई सौ रुपये माहवार का व्यय होता है आप चाहें तो सात पर्सेन्ट उसमें से काट ले 20 पर्सेन्ट कॉट ले। 25 पर्सेन्ट काटले लेकिन बाकी जो बचे वह आपको नगरपालिका को देना चाहिये। आप उसमें से मानले कि प्रशासनिक खर्च 25 लाख रुपये होते होगें लेकिन जयपुर की आय 85 लाख ही नहीं है बल्कि वह आय दूसरे और स्त्रोतों से देखें तो 95 लाख के करीब होती है उसमें से आप जयपुर को सिर्फ बजट में यह घोषणा करते हैं कि तीन लाख जो हर साल दिया जाता था वह अब बढ़ाकर छः लाख किया जाता है। यह आप नगरपालिकाओं के साथ कितना अन्याय कर रहे हैं आप नगरपालिकाओं की आय पर एनक्रोचमेन्ट कर रहे हैं। 95 लाख की आय आप पर जो आपका प्रशासनिक खर्चा हो उसको काटकर आपको सारी की सारी धनराशि नगरपालिका को दी जानी चाहिये। आपने स्वयं ने कहा कि नगरपालिकाओं की आर्थिक हालत खराब है लेकिन आप कोई पैदा हो तो टैक्स, कोई मरे तो टैक्स, कोई बेचे तो टैक्स, खरीदे तो टैक्स आप तो लेते जाते हैं....

श्री चन्दनमल बैद : आपने भारक कर का नहीं कहां वह भूल गये...

श्री गिरधारीलाल भार्गव : तो मैं मन्त्री महोदय को निवेदन करना चाहता हूं कि आज हम भी अपने निर्वाचन क्षेत्र में जाते हैं तो हमें वे कहते है कि यहां पर बिजली लगाओं, नल लगाओ अस्पताल खुलाओं आपको

(श्री गिरधारीलाल भार्गव)
भी कहते होंगे आखिर हम क्या जबाब दें। कांग्रेसी तो कुछ भी कह सकते हैं। कभी कहते हैं समाजवाद ला रहे हैं, कभी कहते हैं गरीबी हटा रहे हैं, कभी आप इन्दिरा जी का तावीज गले में डालकर घूम जाओ लेकिन हम किस का तावीज गले में डालकर घूमें ? आज विरोधी दल वाले कैसे कहीं टूटी लगा सकते हैं, बिजली लगा सकते हैं। तो मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि यह जो मनोरंजन कर से जितनी आय राज्य सरकार की होती है उसमें से प्रशासनिक व्यय को काट कर आप बाकी सम्पूर्ण आय मनोरंजन कर की आपको नगरपालिकाओं को देनी चाहिये। आज नगरपालिकाओं की आर्थिक हालत खराब देखते हुए आपको एक स्टेट फाईनेन्स कमीशन बनाना चाहिये। वह सभी नगरपालिकाओं की मांगों की स्टैडी करें और बाद में उन्हें अनुदान दे। जिस प्रकार भारत सरकार ने राज्य सरकारों के लिये स्टेट फाईनेन्स कमीशन बनाया है। जब फाइनेन्स कमीशन की रिकमन्डेशन के ऊपर भारत सरकार के टैक्सों से राज्य सरकारों को पैसा मिलता है तो उसी प्रकार स्टेट फाइनेन्स कमीशन मुकर्रर करना चहिये और उसमें कांग्रेस के व्यक्ति को चेयरमैन नहीं चुना जाय किन्तु किसी निष्पक्ष व्यक्ति को बिठा कर उससे आय टैक्स का बंटवारा स्वायत्त शासन संस्थाओं को कराइये तो उचित होगा।

एक माननीय सदस्य : कोरम का अभाव है।

(कोरम सूचक घन्टी)

श्री गिरधारीलाल भार्गव : (कोरम पूरा होने पर) . इसलिए मैं निवेदन करता था कि फाइनेन्स कमीशन स्टेट के लिए भी भी होना चाहिये। रजिस्ट्रेशन फीस में से म्युनिसिपैलिटी का हिस्सा होना चाहिये मकान बने हुये हैं, सड़कें और बिजली वगैरह का म्युनिसिपैलिटी ही तो सफाई टूट मरम्मत आदि का काम करती हैं, वह हो प्रबन्ध करती है। इसी प्रकार मोटर व्हीकल्स भी तो म्युनिसिपैलिटी की सड़कों पर चलती हैं तो जो टैक्स राज्य सरकार प्राप्त करती है उसमें से म्युनिसिपैलिटी को भी हिस्सा मिलना चाहिये। स्कूटर, वास्पा, लम्ब्रेटा आदि अन्य जो इस प्रकार की गाड़ियां चलती हैं उन सब का हिस्सा म्युनिसिपैलिटी को मिलना चाहिए। नगरपालिका की चारदीवारी के अन्दर जमीनें बेची जा रही हैं, यू. आई, टी. के एरिया में भी सड़कों की सफाई मरम्मत, बिजली का खर्चा, पानी का खर्चा आदि ये सब खर्चे नगरपालिका या नगर परिषद को भुगतने पड़ते हैं। 16 स्थानों पर तो एडमिनिस्ट्रेटर को नियुक्त कर दिया है। आज कलेक्टर बैठे हुए हैं। कब तक बैठे रहेंगे ? हारे हुओं को बैठा दीजिए जयपुर में बैठे हुए है हारे हुए, टिकट नही मिला उनको बैठा दीजिए

श्री चन्दनमल बैद : हमारे एम. एल. ए. काम छोड़ कर नहीं जाते हैं।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : हारे हुए बैठाए हैं। सारा इतिहास भरा हैं। आप भी एक बार चुनाव में हार गए थे, आपको भी चेयरमैन बना दिया था एग्रो इण्डस्ट्रियल कारपोरेशन फ्रान्स की यात्रा कर आये। न जाने क्या-क्या कर्म किये। अच्छे कर्म को तो अच्छा है।

(श्री गिरधारीलाल भार्गव)

तो मैं निवेदन कर रहा था कि ट्रस्ट की भूमि में मकान बेचा जाय उसका भी हिस्सा मिलना चाहिये म्युनिसिपैलिटी को।

सरचार्ज के लिये भी निवेदन करूंगा कि अकाल और बाढ़ के नाम पर आपने सरचार्ज लगाया है। बाहर का आदमी इसको पढ़ेगा तो समझेगा कि राजस्थान में चन्दनमलजी पांच वर्ष के लिये अकाल और बाढ़ लाना चाहते हैं। पांच साल के लिये आप टैक्स लगाना चाहते हैं तो इसको दूसरे रूप में आप सोचते। आपने तो अकाल और बाढ़ की घोषणा कर दी है इससे यह मतलब निकाला जा सकता है कि राजस्थान की कोई योजना नहीं है और योजना मंत्री अकाल और बाढ़ लाना चाहते हैं। इसका कारण यह है कि अकाल और बाढ़ के नाम पर हमारी जेब में पैसे आवेंगे। हम हमारे चमचों को पैसा देंगे। और हम खायेंगे और हमारे चमचों को खिलायेंगे। काट्या यह चाहता है कि श्मशान में अधिक से अधिक मुर्दे आयें और मेरी आमदनी बढ़े। ज्यादा से ज्यादा लोग मरें और मेरी आमदनी बढ़े। जयपुर शहर में आबादी ज्यादा है और बड़ा शहर हो तो यहां पर काट्या चाहेगा कि अधिक से अधिक आदमी मरें और मेरी इन्कम बढ़े। इसी प्रकार राजस्थान का वित्त मंत्री यह चाहता है कि पांच साल के लिये राजस्थान में अकाल आये और बाढ़ आये और इसके नाम पर हमारे खजाने में पैसा आये। वित्त मंत्रीजी मैं आपको एक बात कहना चाहूंगा कि टैक्सेशन नियमों के अनुसार एक वर्ष के लिये ही आप टैक्स लगा सकते हैं। लेकिन आपने तो पांच वर्ष के लिये टैक्स लगा दिया। आप नियमों को पढ़ लीजिये। आपको घाटे की पूर्ति करनी थी तो इस प्रकार की सस्ती वाहवाही नहीं लूटनी चाहिये थी।

(समय समाप्ति सूचक घंटी)

आपकी संभावना यह है कि पांच वर्ष तक राजस्थान में अकाल और बाढ़ आयेंगे और इसीलिये सरचार्ज लगाया जाना चाहिये यह उचित नहीं है। आपकी यह दुर्भावना है कि राजस्थान में अकाल और बाढ़ आये।

इसलिये आप इसको वापिस ले लें। आप यह दलील देंगे कि हमने कोई और कर नहीं लगाये हैं और घाटे की पूर्ति के लिये एक साल के लिये ही लगाना चाहते हैं यह उचित नहीं है। इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि इस बिल को पास करने से पूर्व जनमत जानने के लिये इसको प्रसारित करने की कृपा करें।

श्री उपाध्यक्ष : श्री मोहम्मद गफ्फार अली !

श्री मोहम्मद गफ्फार अली (जौहरी बाजार, जयपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, जब अमेन्डमैन्ट बिल ला रहे हैं तो हमारी नीतियों पर गौर करना चाहिये। मैं और मेरे दल के लोगों ने आमतौर पर जो सिद्धान्त सामने रखे हैं वे यह हैं कि जितने भी टैक्स लगावें वे डाईरेक्ट टैक्स होने चाहियें। इनडाईरेक्ट टैक्स इम्पोज करते हैं, चाहे वह सरचार्ज की शक्ल में हो, उसका भार ऐसे लोगों पर जाकर पड़ता है जो बोझा उठा नहीं सकते हैं।

सैद्धान्तिक रूप से सबसे पहला सवाल उठाऊंगा वह यह है कि जो टैक्स लगाने हों ऐसे सूक्ष्म वर्ग पर लगाना चाहिये कि

(श्री मोहम्मद गफ्फार ग्रली)

जो उसको झेलने के और बर्दाश्त करने के काबिल हो और जिसको देने में सहूलियत हो और वह दे सके। इनडाईरेक्ट की शक्ल में लगाना उचित नहीं है।

जहां तक एन्टरटेनमैन्ट टैक्स का सवाल है, मैं गुजारिश करूंगा और कहूंगा कि इस पर गौर किया जाना चाहिये। जो नगर-परिषद् या म्युनिसिपैलिटी या नगरपालिका उनको कुछ राहत देने की बात कहते हैं किन्तु मेरा कहना यह है कि जो भी टैक्स एन्टरटेनमैन्ट की शक्ल में आये, जैसा आपने बना रखा है कि 10 पर्सेन्ट डिडक्ट करके, बाकी का जितना भी टैक्स आपको मिले वह नगरपालिका को दे देना चाहिये यहां की जितनी नगरपालिकायें हैं वे सेल्फ सफिशियेन्ट नहीं हैं, आत्मनिर्भर नहीं हैं। उनका बोझा आप ही पर आकर पड़ता है। इसलिये ऐसी नीति निर्धारित करनी चाहिये ताकि उन म्युनिसिपैलिटीज को आप सेल्फ सफिशियेन्ट बना सकें, काम चलाने की स्थिति में बना रुकें।

मेरा यह निवेदन है कि जिन म्युनिसि-पैलिटीज में एन्टरटेनमैन्ट टैक्स वसूल हो रहा है जो प्रोविजन है उसको डिडक्ट करके आपको पूरा का पूरा पैसा म्युनिसिपैलिटीज को दे देना चाहिये।

आपने जो लैंगवेज इस्तेमाल की है उससे स्पष्ट हो जाता है कि सब म्युनिसि-पैलिटीज कवरअप नहीं होती हैं। छोटी 2 म्युनिसिपैलिटीज हैं वे आपकी नजरेइनायत की मोहताज हैं। उनकी ओर गौर करना चाहिये जो भी म्युनिसिपैलिटी चाहे वह छोटी हो या बड़ी सब के साथ समान नीति अपना कर सबको हैल्प करने की नीति से आपको पैसा देना चाहिये। आपको एन्टरटेनमेन्ट टैक्स को पूल में इकट्ठा करना चाहिए। इसके बाद सभी नगर-पालिकाओं को वितरण करना चाहिये। इससे उनको पूरी राहत मिलेगी।

इसके अतिरिक्त इसके इवेजन का प्रश्न सबसे बड़ा है। मैं पूछता हूं आपके पास ऐसा क्या जरिया है जिससे आप इस टैक्स के बहुत बड़े इवेजन को रोक सकते हो। आपका सुपरवाइजरी स्टाफ सही तरीके से काम नहीं करता यह मेरी मान्यता है।

आप जयपुर में जब आज जितने सिनेमा घर नहीं थे, उस समय भी इकट्ठा करते थे टैक्स। अब उससे सिनेमाओं की गिनती और जयपुर की बढती हुई आबादी के हिसाब से जितने आदमी आज सिनेमा देखने जाते हैं उस संख्या से उस समय की तादाद से मुकाबला करेंगे तो आज की आमदनी बहुत कम लगेगी। आज वह आमदनी कई गुना ज्यादा मिलनी चाहिये इससे यह तो स्पष्ट है कि इवेजन बहुत-बड़ा होता है। इसलिये इसका प्रबन्ध राज्य सर-कार को करना चाहिये ताकि इवेजन रुके।

आज तक आपने एन्टरटेनमैन्ट टैक्स वसूली आदि के बारे में ठीक तरह से नियम नहीं बनाये न रूल्स किसी तरह के बनाये हैं कि मुकामी तौर पर किस तरह की फिल्म को टैक्स से छूट दी जा सकती है। हमें तब अधिक कठिनाई होती है जब दूसरे देशों से हम सांस्कृतिक आदान प्रदान करने के खातिर बाहर वालों को यहां बुलाते हैं और वे जब यहां आते हैं। ऐसे डेलीगेशन जब भी बाहरी देशों से आते हैं तो उनमें

(श्री मोहम्मद गफ्फार अली)
बड़े बड़े अधिकारी भी शामिल होते हैं। आप लोग भी शामिल होते हैं। राज्य सरकार की सहायता भी प्राप्त होती है। पर मुझे अफसोस है कि आपके इन्स्पेक्टर बुरी तरह से परेशान करते हैं उनको। उनके चक्कर लगाते हैं और बड़े विचित्र तरीके से प्रश्न करते हैं कि आप इतना खर्च करते हैं वह कहां से आया। पैसा कहां से मिला। तो मैं इस बारे में वित्त मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि वे इस बारे में भी नियम बनावें ताकि ऐसे जो कल्चरल डेलीगेशन आवें उनको भी प्रोत्साहन मिले और इससे हमारे देश को भी काफी लाभ मिलता है और नियम होने से आपके इन्स्पेक्टर लोग जो कुछ कल्चरल मामलों में तो समझते नहीं केवल अपनी जेब गरम करना जानते हैं और इसके लिए चक्कर लगाते हैं और बड़े ऊट पटांग प्रश्न उनसे करते हैं। तो नियम बनाने पर ये इस तरह से तंग नहीं कर पावेंगे। बाहर का एक डेलीगेशन आया था।

(गणपूर्ति-की-घंटी)

आपकी मेहरबानी थी कि आपने उनके साथ रियायत बरती। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि आप इसके लिए एक कमेटी बना दें जो एक पॉलिसी इस बारे में बनाने में आपकी मदद कर सके। किस प्रकार की फिल्मों पर टैक्स माफ होना चाहिये, किस तरह के डेलीगेशन के प्रोग्राम्स एग्जम्प्ट किये जा सकते हैं आदि आदि मामलों में आपको पुख्ता राय अपनी दे सके। इवेजन न हो इस पर भी वह राय दे सके। इण्डिविजुवल डिस्क्रेशन पर निर्भर नहीं होना चाहिये। निश्चित एक पॉलिसी होनी चाहिये। लाइब्रेरी है, कॉलिज की सहायता के लिये अथवा किसी संस्था जो जन हितकारी हो, उनकी मदद में कोई शो होता है तो उनके एग्जम्पशन में भी पॉलिसी निश्चित होनी चाहिए।

फिर मेरी प्रार्थना यह भी है कि ऐसी चीजों के लिए जो आम जनता के हित की हों, जिससे समाज का नैतिक विकास होता हो या किताबें हैं या लाइब्रेरी हैं या सार्वजनिक हित की संस्थाएं हैं उनको प्रोत्साहन या लाभ मिलता हो ऐसी चीजों के लिए किये गए शो अथवा प्रोग्राम भी इससे एग्जम्प्ट होने चाहिएं। इससे आपका बहुत बड़ा नुकसान नहीं होगा बल्कि सामाजिक इन्टेलेक्चुअल्स की एक्टीविटीज को प्रोत्साहन मिलेगा।

अब कुछ सरचार्ज हैं जो वैसे के वैसे अभी भी गरीब जनता पर बोझ बने हुए हैं। बंगला देश की लड़ाई हुई। अच्छी बात थी। लोगों ने दिल खोलकर मदद दी। देश के एक एक नागरिक ने मदद की। आपने टिकट लगाकर टैक्स वसूल किया तो वह भी दिया। पर अब उसी को और रूप में आप लगा रहने देते हैं तो इसका असर गरीब जनता पर सीधा पड़ता है। इसलिए इस टैक्स को आप हटा दें। नहीं तो इसे आप इस तरह से लगावें कि जिसका असर पैसे वालों पर पड़े। न कि गरीब लोगों पर। तो इसको तो आप मेहरबानी करके एबोलिश करिये ताकि गरीब जनता पर से यह हटे। अकाल सहायता के लिये यह सरधान आप कहते हैं। यह भी सही नहीं है। इसके लिए ऐसा करें कि जिस साल आपको कठिनाई का सामना करना पड़े फेमीन जैसी हालत का तो उस समय भले

(श्री मोहम्मद गफ्फार अली)

ही लगावें पर यह कहूं कर कि यह लम्बा चौड़ा प्रदेश है, काफी रेगिस्तानी हिस्सा है हर साल किसी न किसी कोने में अकाल पड़ता ही रहता है, तो इसे एक परमानेन्ट फीचर मान कर हमेशा के लिए लगाना यह सरचार्ज यह उचित नहीं मानता मैं। इसलिए गुजारिश करूंगा कि आप इसे न लगावें या लगाना ही चाहें तो इस तरह से लगावें कि इसका सारा भार अमीरों पर पड़े सीधा ही। इतना ही मुझे निवेदन करना है।

श्री उपाध्यक्ष : मैं आज के विधायी कार्य के सम्बन्ध में कुछ निवेदन कर देना उचित समझता हूं। प्रभारी मन्त्री द्वारा राजस्थान करधान विधियां (संशोधन) विधेयक, 1974, विचारार्थ लिये जाने वाले विधेयक, और जनमत जानने हेतु अथवा प्रवर समिति को सौंपने वाले विधेयक है जो संशोधनों के नोटिस दिये हैं इन तीनों पर बहस एक साथ हो जाय। और जवाब भी इनका एक साथ हो जाय। यह व्यवस्था मैं देता हूं।

श्री केदारनाथ : मान्यवर, इस अमेण्डमैन्ट का स्कोप तो सीमित है। राजस्थान में एक टैक्सेशन कमेटी बिठाई थी। दस-बारह साल बीत गये। अब आइन्दा पंचवर्षीय योजना लागू होने वाली है उससे पावरटी हमें कम करनी है, डिस्पेरिटी दूर करनी है तो टैक्सेशन का मोड़ भी इस दृष्टि से होना चाहिये। इसके लिए आप नई कमेटी नियुक्त कर दीजिये। कौनसे सोर्स टेप किये जावें उनको कैसे प्राप्त किया जावे इन बातों पर वह कमेटी अपनी रिपोर्ट सरकार को दे।

दूसरी बात, मैं लगातार इस पर स्ट्रेस करता आया हूं कि स्टेट लेवल पर कमीशन नियुक्त हो जो पंचायत लेवल पर पंचायतों को फाइनेन्शियल, टैक्नीकल और एडमिनिस्ट्रेटिव पावर इन तीन दृष्टिकोणों पर न देंगे तब तक डेमोक्रेसी की पूरे अर्थों में सरकार यहां पर हो नहीं सकती।

श्री चन्दनमल बैद : (वित्त मंत्री) : आप ऐसे बिल पर बहस कर रहे हो जिस पर बयान करने की जरूरत नहीं है।

श्री केदारनाथ : मैं यह अर्ज कर रहा था म्यूनिसिपैलिटीज को, पंचायतों को पूरी पावर्स मिले, पूरे अधिकार मिले। एक कमीशन नियुक्त हो जाय ताकि इस बात का निर्णय हो जाय कौनसा टैक्स पंचायतें लगा सकती हैं और कौनसा टैक्स म्यूनिसपैलिटीज लगा सकती हैं और कितनी पावर्स मिलनी चाहिये। मान्यवर कहीं इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट चल रहा है, कहीं म्यूनिसिपल बोर्ड है। यह ड्युअल पालिसी है, वह खराब है। लोकल बाडीज के इन्तजाम में कहीं इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट और कहीं म्यूनिसिपल बोर्ड बना हुआ है। मेरा निवेदन है सारे पावर्स म्यूनिसिपैलिटीज को, पंचायतों को दे दीजिये और यह ड्यूअल पालिसी समाप्त कर दीजिये।

(ट्रेजरी बैन्चेज की ओर से व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

श्री केदारनाथ:....दूसरे, सिनेमाओं की आमदनी बढ़ती जा रही है। राज्य सरकार इसको अपने हाथ में ले ले। पापूलेशन बढ़ती जा रही है, सिनेमा देखने वालों का टैस्ट बढ़ता जा रहा है और सिनेमाओं की आमदनी दिन प्रति दिन बढ़ती जा रही है।

(श्री केदारनाथ)

इसमें एज्यूकेशन का बहुत बड़ा असर है। इस सारे को आप अपने हाथ में ले लीजिये। सिनेमा का राष्ट्रीयकरण करना बहुत आवश्यक है। बड़े बड़े शहरों में लिकर बेचने का इन्तजाम भी कर लें तो आपकी आमदनी बढ़ेगी। इससे राजस्थान में बहुत कुछ आमदनी प्राप्त होगी। आपने गंगानगर में लिकर अपने हाथ में लिया, वहां सफल हुये हैं। इसी प्रकार 10-15 बड़े बड़े शहरों में शराब बेचने का काम अपने हाथ में ले लीजिये तो निश्चित रूप से आपकी आमदनी बढ़ेगी। सिनेमा भी जितने बड़े बड़े शहरों में हैं, 10-15-25 हजार की आबादी को छोड़ दीजिये इसके ऊपर जितने शहर हैं, उनकी आमदनी पंचायतों को दे दीजिये, म्यूनिसिपैलिटीज को दे दीजिये और आपके टैक्सेज की रकम बढ़ जायगी और मान्यवर मुझे विश्वास है बहुत बड़ी ताकत म्यूनिसिपैलिटीज और पंचायतों को मिलेगी। आपने आबजेक्ट्स एन्ड रीजन्स में बताया है और अब चूंकि सिविक रेसपान्सबिलिटि बढ़ गई है, इसलिये हमने जो सरचार्ज लगाया है, एन्टरटेनमेंट टैक्स डबल कर देंगे और म्यूनिसिपैलिटीज की आमदनी बढ़ जायगी, मैं मानता हूं, यह आमदनी बढ़ेगी लेकिन और बढ़नी चाहिये। सिनेमाओं की सारी आमदनी अपने हाथ में ले लीजिये। ज्यादा न बोलता हुआ आखिर में यह निवेदन करूंगा यह टैक्सेज का जैसे मैने कहा टैक्सेसन एन्क्वायरी कमेटी बिठा दीजिये। अब एक ऐसा आपरचून टाइम है बंगला देश के नाम से जो टैक्स लिया जा रहा है उसे समाप्त कर दीजिये। आप डेजर्ट डवलपमेंट के नाम से टैक्स लें, आप शिड्यूल्ड कास्ट्स के प्रोग्रेस के लिये टैक्स लें, बैकवर्ड क्लासेज के नाम से टैक्स लें, इस तरह का कोई टैक्स लगायेंगे तो मान्यवर ठीक रहेगा। बंगला देश के नाम से टैक्स लेना, वह स्टेज निकल गई। जो इमोशनल असर था, जो हिस्टोरिकल असर था वह निकल गया। अब एक अलग स्टेट बन गई उसको आप कन्टीन्यू कर रहे हैं। आप राजस्थान की किसी अहम प्राबलेम को टैक्स लगायें तो हम उसका स्वागत करेंगे – फलां कम्यूनिटि के लिये, फलां काम के लिये इस टैक्स का इस्तेमाल किया जायगा यह कह कर ल तो ज्यादा अच्छा है। डेजर्ट को दूर करने के लिये आप कोई टैक्स लगा दें, ट्राईबल डवलपमेंट के लिए कोई टैक्स लगा दें, राजस्थान कैनाल के लिये कोई टैक्स लगा दें लेकिन बंगला देश के नाम पर टैक्स कन्टीन्यू करना चाहते हैं, यह कत्तई उचित नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : श्री वृद्धिचन्द्र।

(अनुपस्थित)

श्री गुमानमल लोढ़ा (जोधपुर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस सम्बन्ध में मैं भी दो शब्द निवेदन करना चाहूंगा। उपाध्यक्ष महोदय, हमारा यह मत हमेशा रहा है कि यह मनोरंजन कर, जो सिनेमा पर लगाया जाता है, नगरपालिकाओं की आय का मूल स्रोत था और राज्य सरकार ने अपनी असमर्थता बता कर अन्य किसी प्रकार से रेवेन्यू को आगमेंट करने के कारण से नगरपालिकाओं पर बहुत बड़ा आघात किया, जब उन्होंने एन्टरटेनमेंट टैक्स को अपने हाथ में ले लिया और नगरपालिकाओं को वंचित कर दिया। उपाध्यक्ष महोदय, मेरा आज भी मत है राज्य सरकार को

(श्री गुमानमल लोढ़ा)

पुनः विचार करना चाहिये और यह जो प्रावधान किया जा रहा है इसके स्थान पर प्रावधान यह होना चाहिये कि एन्टरटेनमेंट-टैक्स जितना चलचित्रों से वसूल किया जाय वह नगरपालिकाओं को मिले।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं स्थिति बताऊं जोधपुर में सारे शहर में सड़कों के अन्दर 5-5,3-3 फुट के खड्डे पड़े हुए हैं, उन सड़कों की नगरपालिका मरम्मत नहीं करा सकती है, क्योंकि नगरपालिका के पास साधन नहीं हैं, आमदनी के जरिये नहीं हैं और इसलिये नगर का विकास अवरुद्ध हो रहा है। आवश्यकता यह थी कि इसको नगरपालिका को दे दिया जाता और यदि माननीय मंत्री महोदय इसको देने में सहमत नहीं होते तो आज की नगरपालिकाओं की आवश्यकताओं को देखते हुए सन् 1958 में जो उनको दिया जाता था और उसके बाद आबादी बढ़ी, सिनेमा बढे, चलचित्र बढ़े और आमदनी कई गुना बढ़ गई, इसलिये माननीय मंत्री जी जो राहत देना चाहते हैं, राहत के रूप में कुछ बढ़ाया है और वह उचित भी था लेकिन अनुपात बहुत कम है और बहुत विलम्ब से बढ़ाया। अब यह अनुपात के अन्दर नगरपालिकाओं की आवश्यकताओं को देखते हुए केवल उनके आंसू पोंछना मात्र है। इससे नगरपालिकाओं को कोई राहत नहीं मिली। मैं चाहूंगा, माननीय मंत्री महोदय एन्टरटेनमेंट टैक्स की जितनी रकम वसूल होती है यदि पूरी रकम नहीं दे सकें तो पूरी रकम की वसूली की 50 प्रतिशत, 50 प्रतिशत आय नगरपालिकाओं को दे देनी चाहिये।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं यहां यह भी कहना चाहूंगा एन्टरटेनमेंट टैक्स और मनोरंजन कर रेवेन्यू ओगमेंट करने का अच्छा साधन है लेकिन राज्य सरकार इस प्रकार के चलचित्र आजकल आते हैं, हमारी युवा पीढ़ी पर क्या असर पड़ता है। कोई ऑफसीन आते हैं तो उसको रोकना चाहिये। केवल एन्टरटेनमेंट टैक्स मिलेगा, राज्य की आमदनी बढ़ेगी, इसलिए हम नागरिकों के जीवन के साथ खिलवाड करना चाहते हैं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं उदाहरण देना चाहता हूं बॉबी फिलम का। इस चलचित्र का राजस्थान की युवा पीढ़ी में, विद्यार्थियों में, नव युवकों में, नव युवतियों पर बहुत बुरा असर पड़ा है और आज हमारे राजस्थान में आप युवा पीढ़ी को क्या दिशा देना चाहते हैं। क्या हम चाहते हैं इस प्रकार के नग्न चित्र, इस प्रकार के नग्न प्रदर्शन ..

एक माननीय सदस्य : आपने देखा है क्या ?....

श्री गुमानमल लोढ़ा :....और उन चित्रों को एनकरेज करें। हमारे माननीय मुख्य मंत्रीजी उसका उद्घाटन करें, उसका शौक फरमायें और जनता को इशारा करें कि आप भी जाकर देखिये। मैं समझता हूं हमारे नैतिक मूल्यों को बढ़ाने और युवा पीढ़ी के चरित्र को ध्यान में रखते हुए बॉबी जैसे चित्रों की प्रदेश में रोक लगाई जानी चाहिये और अगर कोई रोक नहीं लगाते हैं तो कम से कम केवल एडल्ट्स के लिए ही दिखाई जाय, ऐसा ही कोई प्रवन्ध कर दीजिये।

मैं समझता हूं राज्य सरकार इस बात के लिये असमर्थ नहीं है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं यहां पर यह भी कहना चाहूंगा बंगला देश

(श्री गुमानमल लोढ़ा)

का कर बढ़ाने की बात कही गई । कल माननीय मंत्री जी ने कहा कि हमने बंगलादेश का संघर्ष किया, क्या हम उनको इतनी सी सहायता नहीं दे सकते हैं ? बंगला देश का संघर्ष सब देश ने किया, पैसे भी दिये, खून भी दिया, जीवन भी दिया लेकिन उसके नाम पर जनता पर टैक्स लगा कर केवल बंगला देश का नाम लेना, बंगला देश का शोषण है और गहरा एक्सप्लेनेशन है । रेवेन्यू ओगमेंट करने के लिए लिया जाना चाहिये मंत्री महोदय को स्पष्ट रूप से कहना चाहिए कि मेरी आवश्यकता इस बात की है और अन्य कारणों से बेलेन्स नहीं कर सकता बजट को इसलिए टैक्स लगाना चाहता हूं । लेकिन बंगला देश के संघर्ष के पुनीत नाम को इसमें घसीट कर जनता की भावना का शोषण करने का औचित्य किसी प्रकार का नहीं है । साथ ही उपाध्यापक महोदय, माननीय केदार जी ने सुझाव दिया है टैक्स इन्क्वायरी कमेटी का । मैं भी उसका समर्थन करता हूं और मैं यह कहना चाहूंगा कि हमारे यहां टैक्स का स्ट्रक्चर इतना कॉम्पली-केटेड हो गया है कि स्टेट में कई तरह के टैक्स विभिन्न प्रकार से लगते हैं और उनको राज्य सरकार को लेने में तकलीफ है और जनता को देने में तकलीफ होती है । इस-लिए एक आमूलचूल रूप में सोचकर मौलिक रूप से राजस्थान की जनता पर पर-कैपिटा कितनी क्षमता टैक्स लगाने की है, इसके लिए जो एक्सपर्ट्स हों, केवल पॉलीटिशियन्स नहीं बल्कि एक्सपर्ट्स, इकॉनामिस्ट्स आदि इसके बारे में विचार करके एक कमेटी बैठाई जाये और टैक्स स्ट्रक्चर को रेशनेलाइज किया जाये और उसको जन कल्याणकारी बनाया जाये तो मेरे ख्याल से आज की जनता की भावनाओं के अनुकूल ही होगा ।

श्री उपाध्यक्ष : वित्त मंत्री जी ।

श्री चन्दनमल बैद (वित्त मंत्री): उपा-ध्यक्ष महोदय, मैं तो ऐसा समझता था कि यह निर्दोष बिल है जिसके ऊपर किसी तरह की बहस की जरूरत नहीं पड़ेगी । लेकिन माननीय सदस्यों ने इस पर जो अपने विचार प्रकट किये कुछ भ्रम के कारण से और कुछ केवल आलोचना करने के कारण से उसके बारे में दो शब्द कहना उचित समझूंगा ।

एक तो उपाध्यक्ष महोदय, बार बार यह कहा गया कि बंगला देश के नाम से कर नहीं लगाना चाहिए । मैंने उसके नाम से कोई कर नहीं लगाया है । मैंने तो सहायता कर के नाम से कर लगाया है । इसलिए बंगला देश का नाम बारबार लेकर जो आप प्रचार करना चाहते हैं उसके लिए मैं माननीय सदस्यों से प्रार्थना करना चाहूंगा कि ऐसा करने की कृपा न करें । जो बंगला देश के नाम से कर लगाया था उसको पिछले साल ही सहा-यता कर के रूप में परिणत कर दिया था और मैं यह कहना चाहता हूं कि क्योंकि राजस्थान में आये साल 5 साल में, $2\frac{1}{2}$ साल का तो एवरेज है बाढ़ और सूखा पड़ता रहता है इसलिए इस कर को अगर हम सहायता कर के रूप में परिणित कर लें तो कोई बुराई की बात नहीं है । जब भारत सरकार हमको छठे फाइनेन्स कमिशन की रिकमन्डेशन के अनुसार 10 करोड़ 13 लाख रुपया इस काम के लिए देने को तैयार हैं तो क्या हम राजस्थानी जब बाढ़ आती है तो अकाल पड़ता या सूखा पड़ता है तो उसके लिए 80 लाख रुपये भी हम अपनी

(श्री चन्दनमल बैद)
तरफ से देने के लिए तैयार नहीं हैं। इसलिए ही मैंने कहा था कि उस समय का कर सहायता कर के रूप में परिणत कर दिया जाये इसलिए जो बंगला देश का प्रचार कर रहे हैं उसके लिए तो मैं आशा करूंगा कि कम से कम गलत प्रचार करने की कृपा माननीय सदस्य नहीं करें।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एक बात यह भी कही गयी कि कुछ नग्न पिक्चर्स को एन्टरटेनमैंट टैक्स से माफी दे दी। मैं माननीय सदस्यों का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि मेरे वित्त मंत्री बनने के बाद दो साल में केवल एक पिक्चर को एन्टरटेनमैंट टैक्स से माफी दी है और वह भी जो हमारे एयर कमोडोर मिस्टर सुरैया हैं उन्होंने कहा कि 'हिन्दुस्तान की कसम' ऐसा पिक्चर है जो हमारी एयरफोर्स को प्रोत्साहन देता है और उसको देखने से एयर फोर्स में जाने की लोगों को प्रेरणा मिलती है। इसलिए हम चाहते हैं कि इस पिक्चर को आप अपनी स्टेट में एन्टरटेनमैंट टैक्स से माफी दें। उनकी स्पेसिफिक रिक्वेस्ट पर जो कि एक बार नहीं कई बार उन्होंने की हमने इस पिक्चर को एन्टरटेनमैंट टैक्स से माफ किया।

दूसरे पिक्चर के बारे में जिसके बारे में माननीय सदस्यों ने जिक्र किया वह कल्चरल डेलीगेशन या कल्चरल आदान प्रदान एक देश से दूसरे देश के प्रति होते हैं उसके अन्दर हमारी भी फिल्में दूसरे देशों में जाती हैं और दूसरे देशों की हमारे देश में आती हैं कल्चरल एक्सचेन्ज में और इसके अन्तर्गत कुछ केनेडियन फिल्म यहां आईं। उसके लिए भारत सरकार ने हमको लिखा कि सारे देश में कल्चरल एक्सचेन्ज के रूप में यह पिक्चर्स आई हैं और हमारी पिक्चर्स भी दूसरे देशों में जायेंगी इसलिए कल्चरल एक्सचेन्ज को देखते हुए हिन्दुस्तान में कोई भी स्टेट इन पिक्चर्स के ऊपर एन्टरटेनमैन्ट टैक्स नहीं लगाये। भारत सरकार की रिक्वेस्ट पर हमने चूंकि कल्चरल एक्सचेन्ज के रूप में पिक्चर आ रही थीं हमने उनको एन्टरटेनमैंट टैक्स से माफी दी। ठीक है उनका कल्चर हमारे कल्चर से भिन्न हो सकता है। हम उस चीज को बुरा मान सकते हैं। अगर हवा महल से आने वाले माननीय सदस्य यूरोप जायें पता नहीं जिसका मौका उनको मिला या नहीं तो उनको और ही चीजें देखने को मिलेगी जो यहां नहीं मिल सकती हैं। तो उनका और हमारा कल्चर निश्चित रूप से अलग हो सकता है और कल्चर में तो जयपुर और बीकानेर के में भी फर्क हो सकता है। इसलिए उनके कल्चर में ऐसी बात हो और उसमें कुछ चीज नापसन्द आई हो तो केनेडियन हाई कमीशन को लिखें माननीय सदस्य कि आपकी पिक्चर हमें पसन्द नहीं आई।

एक बात यह भी कही गई कि कुछ पिक्चर्स को सेन्सर करना चाहिए और उनको हमें हमारे यहां अलाऊ नहीं करना चाहिए और उसमें खास तौर से बॉबी का नाम लिया गया। मैं माननीय सदस्यों को बताना चाहता हूं कि ऐसी पिक्चर्स को सेन्सर करने के लिए हिन्दुस्तान का एक सेन्सर बोर्ड बना हुआ है और वही उनको सेन्सर करता है और उनके द्वारा क्लियरेन्स होने के बाद ही वह फिल्म हिन्दुस्तान में दिखाई जाती है और वहीं यह भी तय होता है कि इसको सर्टीफिकेट 'यू' दिया जाय या 'ए' सर्टीफिकेट दिया जाय।

(श्री चन्दनमल बैद)
'यू' से मतलब यूनीवर्सल और 'ए' से मतलब एडल्ट से है। तो उनके द्वारा यह तय होता है और सारे हिन्दुस्तान में एक ही प्रक्रिया है। उस प्रक्रिया से राजस्थान, गुजरात या महाराष्ट्र बच जाये यह सम्भव नहीं है....

श्री मोहम्मद गफ्फार अली : राजस्थान गवर्नमेंट को भी पावर्स हैं सेन्सर करने की।

श्री चन्दनमल बैद : जी नहीं। सेन्सर बोर्ड सारे हिन्दुस्तान के लिए बना हुआ है।

श्री मोहम्मद गफ्फार अली : आपको पावर्स हैं या नहीं ?

श्री चन्दनमल बैद : जी नहीं, हमको पावर्स नहीं हैं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक बात समझता था कि माननीय सदस्य हवामहल से आने वाले बार बार इस प्रश्न को उठाते थे कि नगरपालिकाओं को एन्टरटेनमैंट टैक्स का हिस्सा दिया है उसको आप बढ़ायें उनकी भावनाओं की कद्र करते हुए मैंने इस बात का एलान किया कि एन्टरटेनमैन्ट टैक्स का जो हिस्सा नगरपालिकाओं को देते हैं उसका बढ़ा कर दुगुना कर दिया गया और यह जो मैं बिल लाया हूँ इसके अन्दर मैंने इसका प्रावधान भी रखा है कि यदि आगे आने वाले वित्त मंत्री और हवामहल से आने वाले माननीय सदस्य की ज्यादा कद्र भी करना चाहें और इसको तिगुना, चौगुना करना चाहें तो कर सकेंगे। ऐसा प्रावधान किया हुआ है कि कम से कम जितना उनको मिलता था उससे कम तो कर ही नहीं सकते और बढ़ाना चाहें तो जितना चाहें उतना बढ़ा सकते हैं। ऐसा प्रावधान रखा है। तो मैं तो समझता था कि हवामहल से आने वाले माननीय की भावनाओं की जो कद्र मैंने की है उसकी कद्रदानी वह खुद करेंगे। मुझे ऐसा लगता है कि मैं तो कद्र करना जानता हूं शायद आप नहीं।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : आपने दुगुना किया है उसका तो मैंने स्वागत् किया है लेकिन अभी और गुंजाइश है....

श्री चन्दनमल बैद : यह जरूरी नहीं है कि जब भी मैं बोलूं तो आप बार बार बोलें।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : आप खड़े होकर स्वागत करवाना चाहते थे इसलिए मैंने कर दिया।

श्री चन्दनमल बैद : आपका इन्सपिरेशन इस समय मौजूद नहीं है तो फिर क्यों बोलते हैं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, नगरपालिकाओं को इस साल 31 लाख रुपया ज्यादा राजस्थान सरकार से मिलेगा। उसमें से करीब 8।। या 9 लाख रुपया तो एन्टरटेनमैंट टैक्स का शामिल है और 22 लाख रुपया उनको 8 आना प्रति व्यक्ति के नाम से जो ग्रान्ट-इन-एड दी थी उसको बढ़ा कर एक रुपया प्रति व्यक्ति के हिसाब से कर दी गयी है उसका है। तो इससे बड़ी म्युनिसिपैलिटीज और छोटी म्युनिसिपैलिटीज दोनों को ज्यादा रुपया मिलेगा। उन म्युनिसिपैलिटीज जिनमें एण्टरटेनमैंट टैक्स वसूल होता था उनको दुगुना टैक्स का रुपया मिलेगा और जो

(श्री चन्दनमल वैद)

छोटी म्युनिसिपैलिटीज हैं उनको भी ग्राण्ट-इन-एड के तहत ज्यादा रुपया मिलेगा, डबल रुपया मिलेगा और इस प्रकार से दोनों म्युनिसिपैलिटीज को फायदा देने का खयाल रखा गया है। यह बात नहीं है कि बड़ी म्युनिसिपैलिटीज का तो खयाल रखा गया है और छोटी म्युनिसिपैलिटीज का खयाल नहीं रखा गया है। सब प्रकार की बातों का खयाल रख कर ही इन सारी नगरपालिकाओं को जितना रुपया मिलता था उससे दुगुना रुपया राजस्थान सरकार से उनको मिलेगा। इसलिए मैं समझता हूं कि आपको तो केवल धन्यवाद देकर ही कह देना चाहिए था कि मैं धन्यवाद देता हूं और बिना किसी प्रकार की बहस के इस बिल को पास कर देना चाहिए था।....

श्री मूलचन्द सामरिया : बड़ी म्युनिसिपैलिटीज को तो एण्टरटेनमैंट टैक्स का दुगुना रुपया मिल जायगा लेकिन छोटी म्युनिसिपैलिटीज को एण्टरटेनमैंट का किस प्रकार से फायदा मिलेगा यह बता दीजिए।

श्री चन्दनमल बैद : यह आपके समझ की बात नहीं है। मैं कह चुका हूं कि ग्राण्ड-इन-एड का भी दुगुना पैसा मिलेगा....

श्री मूलचन्द सामरिया : यह समझाने की बात किस तरह से कह रहे हैं यहां पर बैठने वाले हर एक माननीय सदस्य को समझने का अधिकार है। जहां पर एण्टरटेनमैंट की इन्कम नहीं है उनको इससे किस प्रकार से फायदा मिलेगा, मैं यह पूछ रहा हूं।

श्री चन्दनमल बैद : मैं यही अर्ज कर रहा हूं कि एण्टरटेनमैंट के साथ साथ जो जनरल ग्राण्ट-इन-एड मिलती है, हर म्युनिसिपैलिटीज को आठ आने प्रति व्यक्ति के हिसाब से उसको बढ़ा करके एक रुपया प्रति व्यक्ति कर दिया गया है, इस वास्ते राजस्थान की हर म्युनिसिपैलिटीज को इससे फायदा पहुंचेगा। इस साल से यह फायदा पहुंचेगा यह मैं आपसे अर्ज कर चुका हूं।

तो माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह समझता था कि इस पर किसी प्रकार के बहस मुबाहिसे की जरूरत नहीं है। कुछ मुद्दों का मैंने अपनी तरफ से जवाब देने की कोशिश की है। मैं चाहता हूं कि माननीय सदस्यगण और यह सदन इस बिल को विचारार्थ लेने की कृपा करेंगे।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : यह जो स्टेट फाइनेन्स कमीशन नगरपालिकाओं को

श्री उपाध्यक्ष : आप अपने प्रस्ताव को मन्त्री जी को सुनने के बाद वापस लेना उचित समझेंगे ?

श्री गिरधारीलाल भार्गव : जो आप कहें साहब।

श्री केदारनाथ : नम्बर हमारा कम है इसलिए वापस ले लेते हैं।

श्री उपाध्यक्ष : क्या सदन की अनुमति है कि जो प्रस्ताव माननीय सदस्य केदारनाथ ने प्रवर समिति को सुपुर्द करने

(श्री उपाध्यक्ष)

के लिए रखा गया था उसको वापस लेने की अनुमति दी जाय ?

(स्वीकृत)

आप भी फरमायेंगे ?

श्री गिरधारीलाल भार्गव : आपकी आज्ञा शिरोधार्य है।

श्री उपाध्यक्ष : क्या सदन की अनुमति है कि जो प्रस्ताव माननीय सदस्य श्री गिरधारीलाल भार्गव ने प्रस्तुत किया है उसको वापस लेने की अनुमति प्रदान की जाए ?

(स्वीकृत)

श्री गिरधारीलाल भार्गव : हां तो जोर से बोलें। चन्दनमल जी ही हां नहीं बोल रहे हैं।

श्री चन्दनमल बैद : चन्दनमल जी तो हां बोल ही रहे हैं। आप नहीं बोल रहे हैं।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : प्रस्ताव वापस लिया साहब।

श्री मोहम्मद गफ्फार अली : मैं भी वापस लेता हूँ।

श्री उपाध्यक्ष : अनुमति प्रदान की जाती है।

प्रश्न यह है कि राजस्थान कराधान विधियां (संशोधन) विधेयक, 1974 को विचारार्थ लिया जाय ?

(स्वीकृत)

विधेयक विचारार्थ लिया गया।

श्री चन्दनमल बैद : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि राजस्थान कराधान विधियां (संशोधन) विधेयक, 1974 को पारित किया जाय ?

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान कराधान विधियां (संशोधन) विधेयक, 1974 को पारित किया जाय ?

(स्वीकृत)

विधेयक पारित किया गया।

राजस्थान यात्री एवं माल करारोपण (संशोधन) विधेयक, 1974

श्री चन्दनमल बैद (वित्त मन्त्री) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान यात्री एवं माल करारोपण (संशोधन) विधेयक, 1974 को विचारार्थ लिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष : (श्री गिरधारीलाल भार्गव की ओर मुखापेक्ष) : आप का प्रस्ताव है इस पर ?

श्री गिरधारीलाल भार्गव (हवा महल) : माननीय उपाध्यक्षजी, यह जो राजस्थान पॅसेन्जर एण्ड गुड्स टैक्स लगाया है, मैं वित्त मन्त्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि यह कोई मालिकों पर टैक्स नहीं है। यह टैक्स सीधा जनता पर टैक्स है। और आपने इस टैक्स को जो लगाया है मैं इस सम्बन्ध में निवेदन करूंगा कि यह आपने इसमें कोर्ट की आज्ञा का उल्लंघन किया है और वह इस प्रकार किया है:—

In the case of Shive Sahai Yogender Kumar Vs. State

(श्री गिरधारीलाल भार्गव)

of Rajasthan and others the Rajasthan High Court has held that in the case of mixed routs which partly covers a metalled road and partly kucha road, the entire road covered by such routes does not fall within the first category, which is chargeable at 30%. इसके बाद सुप्रिम कोर्ट ने an appeal preferred against this decision was not accepted by the Supreme Court. यह राजस्थान की सरकार ने हाईकोर्ट के फैसले का का उल्लंघन किया, सुप्रीम कोर्ट में यह अपील हुई नहीं। इसका अर्थ यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने भी यह बात मानी कि तीस पर्सेंट नहीं बल्कि आपको पच्चीस पर्सेंट टैक्स लगाना चाहिए और यह टैक्स इसलिए लगाना चाहिए पच्चीस पर्सेंट और मेरी दलील इसके लिए यह है कि आज राजस्थान की सड़कों की हालत बिल्कुल खराब है। आप किसी भी रूट पर चले जायं, चाहे जयपुर से बीकानेर जायं, चाहे अन्य किसी भी रूट पर जायं, माननीय वित्त मन्त्री जी अपनी कॉंस्टीट्यूएन्सी में जाते होंगे, मेरी जानकारी इस प्रकार की है कि उस रूट पर ऐसा लगेगा कि बस उछलती रहती है और अभी गिरी, अभी गिरी की हालत रहती है। सड़कों की हालत राजस्थान में दयनीय है। इसलिए मेरा निवेदन है कि राज्य सरकार को पच्चीस पर्सेंट जो कि हाईकोर्ट का फैसला है, जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, वही टैक्स लगाना चाहिए और सरकार ने जो अपनी हठवादिता की नीति को अपना कर जो तीस पर्सेंट टैक्स ही लगाने वाली बात कही है, हाईकोर्ट के फैसले के बाद भी वही अपनी बात कही है, मैं समझता हूं कि यह उचित नहीं है। और यह टैक्स कम इसलिये लगायें, 25 पर्सेंट इस लिए लगायें कि जब तक कि राजस्थान की सम्पूर्ण सड़कों की हालत को आप ठीक प्रकार से नहीं करते तब तक मैं समझता हूं कि यह तीस पर्सेंट टैक्स लगाना उचित नहीं होगा। इसके अलावा बस कितनी किलोमीटर अच्छी सड़क पर चली और कितने किलोमीटर खराब सड़क पर चली इसको जानने का क्या पैमाना होगा। इसलिए मैं निवेदन करना चाहूंगा कि राजस्थान की गरीब जनता को राहत देने के लिए आप जब तक सडकों की हालत को, जो जीर्ण-शीर्ण हो चुकी हैं, भयंकर रूप से हालत खराब है, जयपुर से कोटा की सड़क ले लें, वहां पर बाढ़ आई थी और पानी भरा था, उस सड़क की भी हालत खराब है। कई जगहों पर भयंकर रूप से खड्डे हैं। इसके अलावा आप जयपुर से आमेर ही चले जायं, यह सड़क भी मैं समझता हूं कि खराब है। आप जयपुर से भादरा चले जाएं और कहीं पर भी चले जाएं सड़कों पर बराबर पानी भरा रहता है और सड़कों की हालत खराब है इसलिए मेरा निवेदन है कि आप जब तक सड़कों की हालत ठीक नहीं कर लें यह टैक्स पच्चीस पर्सेंट ही रखना चाहिये।

दूसरा मेरा निवेदन यह है कि एक वर्ष में यह असेसमैंट आपके अधिकारी अलग 2 करेंगे उसके कारण से भ्रष्टाचार फैलता है और भ्रष्टाचार व्यापक रूप से इसलिए फैलता है कि आप किस प्रकार से असेसमैंट करेंगे। उस असेसमैंट को करने में भयंकर रूप से भ्रष्टाचार होगा। इसलिए यदि आप

(श्री गिरधारीलाल भार्गव)

जैसा कि रोड़ टैक्स वसूल करते हैं उसी प्रकार से बस मालिकों से तय कर लें कि यह तुमको लम्पसम देना पड़ेगा। एक अमाउण्ट निश्चय कर लें उससे भ्रष्टाचार नहीं फैलेगा अन्यथा माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस प्रकार से तय करने में भ्रष्टाचार फैलता है। इसलिए रोड टैक्स की भांति ही इस टैक्स को भी एक निश्चित अमाउण्ट एक वक्त ही मालिकों से तय कर वसूल कर लेते हैं तो इसके कारण आपको और भी लाभ होगा। लाभ इस प्रकार से होगा कि सरकार के पास एडवांस में पैसा आ जाएगा। इस प्रकार से दूसरी स्टेटों ने भी किया है। उत्तर प्रदेश में ठीक इसी प्रकार से काम किया है। एक मुश्त बस मालिकों से तय करने से जो भ्रष्टाचार होता था वह समाप्त हो गया और भीलवाड़ा में भी पिछले साल यह प्रयास राजस्थान में भी किया गया है उससे भ्रष्टाचार मिटेगा। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आप क्षमा करना मुझे, कांग्रेस के लोगों की, जिनकी बसें चलती हैं उनमें लाखों रुपया बकाया है। उदयपुर का मेरे सामने एक उदाहरण है। इस प्रकार का कांग्रेस के लोगों में लाखों रुपया बकाया है। असेसमेंट जिस समय होता है काफी मात्रा में पक्षपात भी करते हैं और यहां तक कि असेसमेंट के समय मंत्री फोन करते हैं कि इसका असेसमेंट कम करना। शाहपुरा-जहाजपुर-देवली रोड पर एक व्यक्ति बजरंगलाल तो देता है 22 हजार रुपया और दूसरा व्यक्ति देता है 11 हजार रुपये। यह आपके असेसमेंट की दशा है। इसी प्रकार से पुरुषोत्तम दास चौधरी पर पैसेंजर टैक्स का लाखों रुपया बकाया है, सन् 56 से रुपया बकाया है और गवर्नमेंट की यह रिपोर्ट है कि वह व्यक्ति पुरुषोत्तमदास चौधरी एब्सकोंडिंग है। जिस व्यक्ति को गवर्नमेंट एब्सकोंडिंग कहे, यह पुरुषोत्तमदास चौधरी जिसमें लाखों रुपया पैसेन्जर टैक्स का बकाया है, यही व्यक्ति चित्तौड़ नगरपालिका का चेयरमैन है। यह एक उदाहरण मैने आपके सामने प्रस्तुत किया।

दूसरा मैं निवेदन करना चाहता हूं इसी प्रकार से गोरधनदास जिसके पास हजारों रुपया टैक्स का बकाया है उसके बारे में राज्य सरकार लिखती है कि मैन इज नोट ट्रेसेबल। आप जिसके लिए कहते हैं कि मैन इज नॉट ट्रेसेबल, जब कि यही व्यक्ति लाखों रुपया पैसेन्जर टैक्स का बकाया रख कर उदयपुर की नगरी में रहता है और दो लाख का जिसका बंगला है, उदयपुर में जिसका दो लाख का काच का बंगला है, जो इन्कम टैक्स देता है और सरकार की हालत यह है कि सरकार कहती है कि आदमी मिलता नहीं है। जो चित्तौड़गढ़ नगरपालिका का अध्यक्ष हो, जो व्यक्ति उदयपुर में रहता हो और जिसका दो लाख का कांच का बंगला हो, उसके लिए कहते हैं कि आदमी मिलते नहीं। मेरा सुझाव है कि इन परिस्थितियों में आप एक अमाउण्ट निश्चित कर दें जिस प्रकार से रोड टैक्स का अमाउण्ट निश्चित है, जिस प्रकार से यू. पी. में किया जाता है जिससे भ्रष्टाचार मिटेगा। अब आप इसको मानें या न मानें आपकी मर्जी है।

इसी प्रकार से सुखाड़िया जी के साले का लड़का बसन्त जिसमें 1959 से रुपया बकाया है और सरकार कहती है कि आदमी मिलता नहीं है। सुखाड़िया जी के साले

(श्री गिरधारीलाल भार्गव)

का लड़का नहीं मिले, और परिवार तो गायब होते हैं, आज भी समाचार छपा है कि एक परिवार गायब हो गया, पुलिस वाले कोई कार्यवाही नहीं करते तो क्या हालत होती होगी। कोई आदमी गायब नहीं है केवल टैक्स से बचने के लिए गायब हो जाते हैं और बड़े 2 पदों पर काम करते हैं। मुझे जानकारी मिली है कि यही श्री बसन्त बीकानेर जिप्स के कारखाने में मौजूद है। यह आपके सामने चित्रण इसलिए निवेदन किया कि यह हाल आपके यहां हो रहा है। इसलिए मेरी सबसे पहली मांग तो यह है कि जो आप टैक्स लगाने जा रहे हैं आप टैक्स लगावें, 25 पर्सेन्ट लगावें। सड़कों की हालत ठीक करें। राजस्थान के सड़कों की हालत दयनीय है। दूसरी मांग यह है कि 25 पर्सेन्ट के अलावा आप इसको निश्चित कर दीजिये। तीसरी बात यह कहना चाहता हूं कि आपने कोर्ट की आज्ञा का उल्लंघन किया है। कहीं इसको पास करवा लिया तो मालिक कोर्ट में चले जायेंगे और पैसा जमा नहीं होगा। इससे कम्पेलक्सी बढ़ जाएगी। कोर्ट में जाकर स्टे ले आयेंगे। तो इससे हंसी होगी। और इसमें हम भी शामिल हैं। हाँ पक्ष और ना पक्ष की क्या बात हो। बहुमत आपका है। मजबूरी में वापिस संशोधन लेने पड़ते हैं। परन्तु यह कोर्ट में चला जायेगा तो बात कहीं की नहीं रहेगी। हमारा काम आपको सुझाव देना है। यह हमारा मूल कर्तव्य है। सरकार को वाजिब सुझाव देना हमारा मूल कर्तव्य है। सरकार को इसको मानना चाहिये।

फिर आप इस बिल को रिट्रास्पेक्टिव इफेक्ट दे रहे हैं। क्यों देना चाहते हैं। इसका क्या कारण है। यह तो एक प्रकार से चोरी है। बेईमानी है। लोगों से आपने पैसा लिया है। टैक्स लिया है। तो मैं समझता हूं कि इस टैक्स को वापिस करना आपका फर्ज है। रिट्रास्पेक्टिव इफेक्ट देकर जो पैसा जमा है उसको आप हजम करना चाहते हैं। यह तो डकैती है दिन दहाड़े। राजस्थान विधान सभा जो कानून बनाती है वह लोगों के हित में होना चाहिये। आप इसको पैसेन्जर टैक्स के नाम पर भी लगा सकते हैं ...

श्री यशवन्तसिंह नाहर : बिना कोरम के यह सदन कब तक चलेगा ?

श्री उपाध्यक्ष : गणपूरक घंटी –

(कोरम के लिए घंटी बजाई गई)

श्री गिरधारीलाल भार्गव : यह बजट सेशन चल रहा है या कुछ और। बड़ी अजीब हाल है। क्या आवश्यकता है सेशन चलाने की ? उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन कर रहा था, वित्त मंत्री महोदय को मैंने सुझाव दिये हैं, आशा है वे इस सम्बन्ध में विचार करेंगे। इसमें यही निवेदन करना चाहता हूं, यह सरचार्ज आ गया है। मैं बंगला देश की बात नहीं करता, आप मुझे गलत समझे हैं। परन्तु आपने बाढ़ और अकाल के नाम पर दुश्चेष्टा की है। यह आपकी दुर्भावना है। आप फिर पांच साल तक अकाल और बाढ़ राजस्थान में रखना चाहते हैं। एक रुपये पर पांच पैसा याने 5 प्रतिशत चार रुपया का टिकट हो तो 20 पैसा बाढ़ और अकाला के नाम पर सरचार्ज के रूप में आप वसूल करेंगे। इसलिए जो भावना व्यक्त की है वह भावना खराब

72

(श्री गिरधारीलाल भार्गव)

है। तो मैं समझता हूं कि कम से कम एक अच्छी भावना होनी चाहिये। यह तो बुरी भावना है। आपको यह महसूस नहीं होता है। परन्तु राजस्थान के लोग भी इसको पढ़ते हैं। पूछते हैं आज क्या ऐजेण्डा है। कहते हैं राजस्थान के वित्त मन्त्री राजस्थान में अकाल पड़वाना चाहते हैं। इसलिए यह जो आपकी भावना है उसमें आपकी बदनामी है और आपकी बदनामी मेरी बदनामी है। इसलिए यह निवेदन करना चाहता हूं कि आप इस सरचार्ज के टैक्स को बदलदें। यह टै स एक वर्ष के लिए नहीं है। इसको आप टैक्स में बढ़ाकर पूरा कर सकते हैं। आज जनता का पैसा लूटा जा रहा है। बड़े-बड़े अधिकारी, लोग एब्सकाण्ड हो रहे हैं। कोई इसको नहीं देख रहा है। चोरी की जाती है। इसमें कांग्रेस के लोग हैं। वे लोग जनता का पैसा चोरी करवा रहे हैं। लोगों का सही असेसमेन्ट नहीं होता है। कांग्रेस के लोग असेसमेन्ट पूरा नहीं होने देते हैं। मेरे ये वित्त मन्त्री महोदय को ठोस सुझाव हैं। आशा है आप इनको मानेंगे। जो आपने इसको रिट्रास्पेक्टिव इफेक्ट दे रहे हैं तो यह चोरी और लूटने का तरीका अपनाया है। इसको वापिस करना चाहिये। परन्तु आप वापिस नहीं करना चाहते हैं। आप इस सम्बन्ध में गम्भीरता से मन्थन करायें। अपने अधिकारियों के साथ मन्थन करिये। मेरे सुझावों को निश्चित रूप से मानेंगे, यही मेरा निवेदन है।

श्री उपाध्यक्ष : श्री मोहम्मद गफ्फार अली !

श्री मोहम्मद गफ्फार अली : उपाध्यक्ष महोदय, जो मैंने पहले कुछ बातों पर प्रकाश डाला था उसका मुझे कोई जवाब नहीं मिला। मेरा यह निवेदन है। बिल इस किस्म का पास हो जिसमें कि आगे कोई रुकावट न हो। मैं एक बात अर्ज करना चाहता हूं। हम जिस वक्त किसी कानून को लागू करते हैं उस वक्त हमें सही मशीनरी हासिल न होने की वजह से हमको कठिनाई के दौर से गुजरना पड़ता है। कानून जो हम बना लेते हैं वह अल्टीमेटली हाईकोर्ट तक जाता है, सुप्रीम कोर्ट जाता है और वहां उसमें तब्दीली होती है तो उससे हमारी बात समाप्त हो जाती है। इसलिए मेरा निवेदन है कि हम जो कानून बनावें, जिस कानून को हम लागू करने की इच्छा रखते हैं, वह कानून इस तरीके से बनाना चाहिये कि उसमें स्ट्राइक ऑफ करने की, उसको खत्म करने की स्टेज न आवे। पहले भी इस किस्म के कानून आया है जैसे सेलिंग का कानून है, वह आया था। उस वक्त भी हमें हाईकोर्ट में यह कहना पड़ा था कि हम इसमें जरूरी परिवर्तन करेंगे और लागू करेंगे। मैं यह पूछना चाहता हूं कि हर जगह हिन्दुस्तान में इस किस्म के कानून लागू होते हैं। इस किस्म की गलतियां रोज की जाती हैं। कानून में फिर वे ही कमजोरियां रहें और उससे वह हिस्सा जिससे हम टैक्स लेना चाहते हैं, जिस पर इस टैक्स का बोझा डालना चाहते हैं वह टैक्स से मुक्त हो जाता है और आज तक मुक्त रहते हैं। जहां तक सीलिंग कानून का प्रश्न है, वह आपके सामने है। योगेन्द्र कुमार के केस में भी यही बात है। एक केटेगरी, दूसरी केटेगरी, लोअर केटेगरी को आप देंगे। आप चाहते हैं कि अपर केटेगरी पर लगे। तो इसको निश्चित कर दीजिये। मेरा यह

(श्री मोहम्मद गफ्फार अली)
निवेदन है कि आप इस कानून को बनावे तो जो लोअर लेविल है उसके ऊपर निश्चिय करना चाहिये था ताकि आगे कोई खामी न आवे। यह एक सुझाव है।

दूसरी चीज मैं यह कहना चाहता हूँ कि रिट्रास्पेटिव इफेक्ट से कोई ला आप लावें तो इसको, रिट्रास्पेक्टिव इफेक्ट को गुड ला नहीं समझा जाता है। जो पैसा आपने वसूल कर लिया है, जो एरियर्स के रूप में है उसको लेने के लिए आप रिट्रास्पेक्टिव इफेक्ट नहीं दे सकते हैं। जिसको आप लागू कर रहे हैं उसके इम्पलीकेशन्स के बारे में आपको सोचना चाहिये और जहां तक हो सके इसको रिट्रास्पेक्टिव इफेक्ट नहीं देना चाहिये। किसी तरह की खामी हो गयी तो इसको फिर यहां लावेंगे तो इसका क्या असर होगा।

दूसरी चीज मैं यह कहना चाहता हूँ कि यह सेक्शन 3 है उसको आपने वैसा का वैसा ही रखा है। इसके बाद 3-ए और जोड़ा है। मुझे इन दोनों में जरा कन्ट्राडिक्शन नजर आता है। आखिर में वेग रख दिया····

The tax shall be payable at the rates as notified in case of others.

आपने श्री वैसा का वैसा रख दिया और 3-ए जोड़ा है। आपने इसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दिया है। इसलिए मेरा निवेदन करना है कि इस कानून को फिर एक बार आप प्रोसेस कर लीजिये और उसके बाद इसको लागू करने का सोचा जाये। तीसरी चीज जो मैंने स्वय ने एक्सपीरियन्स्ड की है उसकी ओर तवज्जोह दिलाऊंगा। हम को दूसरी टेरीटरी में से होकर गुजरना पड़ता है। वहां पर संकट होता है। दिल्ली जाते हुए हरियाना का इलाका बीच में आता है। उसके टैक्स का हैवी पैसा अदा करना पड़ता है। मुझे खुद को तजुर्बा है। साम्प्रदायिकता विरोधी सम्मेलन में हम जा रहे थे, अंजनेव साहब तशरीफ लाए तब हम गाड़ियां ले गये थे तो हमको रास्ते में कठिनाई का सामना करना पड़ा।

तो यह जो इन्टरवीनिंग स्टेट्स हैं इनसे हमारा समझौता इस किस्म का होना चाहिए कि इसके वास्ते गाड़ी को रोकना न पड़े और घण्टों खड़ा न रहना पड़े। इससे बड़ी दिक्कत और कठिनाई का सामना करना पड़ता है।

तो मैं वित्त मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि इस सिलसिले में आप कुछ आधार ऐसे कायम कर लीजिये, और जो स्टेट्स हमारे बीच में इन्टरवीन हो रही हैं उन स्टेट्स से हमारा इस किस्म का मुआहिदा हो जाना चाहिए कि दो-तीन घण्टे तक टैक्स के कैलक्यूलेशन में या और किसी किस्म की दिक्कत में फंसना न पड़े। जो लोग प्राइवेट कार में सफर करते हैं उनको कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ता है, लेकिन हमारे जैसे लोग जो मिडिल क्लास से ताल्लुक रखते हैं या गरीब लोग हैं उनको कठिनाई का सामना करना पड़ता है। गाड़ी रोक देते हैं और उसके बाद बड़ा समय लग जाता है।

इसलिए मुख्तसर तौर से मैं यह निवेदन करूंगा कि इण्डाइरेक्ट टैक्सेशन का जो सिस्टम है और यह जो सरचार्ज लगा रहे हैं इसकी कोई प्रोप्राइटी नहीं है। आप सरचार्ज अगर लगाना चाहते हैं तो बहुत से

(श्री मोहम्मद गफ्फार अली)

ऐसे सक्षम वर्ग हैं जिन पर सरचार्ज लगा सकते हैं। शराब से यह दुर्घटना हुई है तो शराब पर लगा दें। अंग्रेजी शराब पर सरचार्ज लगा दें। कॉशमैटिक्स पर सरचार्ज लगा दें। आप एक ऐसा पर्टीक्यूलर सरचार्ज लगाते हैं कि इसका बर्डन पैसेन्जर पर पड़ता है और वह इन्डाइरेक्ट टैक्सेशन है कि जिसको टैक्सेशन पॉलिसी के मातहत सही करार नहीं दिया जा सकता। इसलिए मेरा यह निवेदन है कि इस लॉ में जो कन्ट्राडिक्शन है उसको मुलाहिजा फर्मा लें। इसके रिट्रास्पेक्टिव इफेक्ट को फिर से चैलेन्ज किया जा सकता है इसको मुलाहिजा कर लें। जिन स्टेट्स से हमारी गाड़ियां गुजरती हैं उन स्टेट्स से किसी तरह का यह मुआहिदा होना चाहिए इसको भी नजर फर्मा लें। यह जो सरचार्ज है इसको हटा दें। यह मेरा निवेदन है। इसके बाद जो कन्ट्राडिक्शन है वह दूर हो जायगा, और आप लोअर कैटेगरी में कायम करके अगर 25 पर्सेन्ट कायम कर देंगे तो फिर शायद यह कठिनाई का सामना न करना पड़े जो कि आज तक आपको करना पड़ता है। उससे थोड़ा सा नुकसान हो सकता है, और जो पैसा वसूल कर चुके हैं उसमें से कुछ पर्सेन्टेज वापिस लौटाना पड़े और जो आमदनी आने वाली है वह न हो। लेकिन उससे आप कानून को मजबूत बना देंगे, और वह चैलेन्ज नहीं किया जा सकेगा। यह मैं निवेदन करना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री रामानन्द अग्रवाल !

(अनुपस्थित)

श्री वृद्धिचन्द्र जैन !

(अनुपस्थित)

माननीय वित्तमंत्री जो !

श्री चन्दनमल बैद : माननीय उपाध्यक्ष जी, जो विधेयक मैंने प्रस्तुत किया है उसके बारे में 3-4 तरह की आपत्तियां उठाई गई हैं। पहली आपत्ति यह उठाई गई है कि जो दो तरह की रेट्स लगाई गई हैं एक तो 30 पर्सेन्ट की और एक 25 पर्सेन्ट की उसके बारे में जो हाईकोर्ट का निर्णय हुआ है उसके बाद में उसमें हम तरमीम कर रहे हैं। उसमें कानूनी दिक्कत पैदा हो सकती थी। मैं अर्ज यह करना चाहता हूं कि पहली किस्म की जो रोड्स हैं वह सीमेन्टेड, टार्ड, अस्फाल्टेड मेटल्ड, ग्रेवल्ड एण्ड कंकर इन पर 30 पर्सेन्ट का टैक्स और इनके अलावा जो रोड्स हैं उन पर 25 पर्सेन्ट का टैक्स लें। वह रूट्स जो मिक्सड रूट्स हैं जिन पर कुछ तो वह हिस्सा है जिसका वर्णन मैं ऊपर कर चुका हूं और उसके अलावा दूसरा हिस्सा है उस पर किस तरह का टैक्स लगे उसके बारे में हाईकोर्ट ने कहा है कि कानून में खुलासा नहीं है इसी वास्ते हम उस पर 25 पर्सेन्ट का टैक्स लगा रहे हैं नीचे का जो है। इस वास्ते जो बस वाले अपनी बसेज मिक्स्ड रूट्स पर प्लाई करते हैं यानी उस रूट पर 25 मील तो तार रोड है और 5 मील कच्चा रोड है तो उन्होंने टैक्स तो वसूल कर लिया 25 मील टार्ड के हिसाब से 30 पर्सेन्ट और 5 मील का उन्होंने किया 25 पर्सेन्ट तो यह हक नहीं उनको कि वह पैसा अपने पास रखें। इसी वास्ते यहां इसमें रखा है और इस चीज को डिफाइन कर दिया कि बस जितनी रूट पर इन केटेगरीज पर चल रही हैं तो 30 पर्सेन्ट तो 30 पर्सेन्ट से वसूल करें और बाकी जितनी है वह कच्ची सड़क पर चलती है तो उसके हिसाब से 25 पर्सेन्ट से वसूल करें। यह

(श्री चन्दनमल बैद)
पिछले एक्ट में प्रावधान नहीं था। इस वास्ते यह सारे झगड़े पैदा हुए और उसको दूर करने के लिए ही यह किया गया है।

रिट्रास्पेक्टिव इफेक्ट के लिए मैं कहना चाहता हूं कि मालिकों ने तो पैसा वसूल कर लिया और वह सरकारी खजाने में आ जाता है तो मैं समझता हूं कि अगर हवा-महल से आने वाले माननीय सदस्य को कोई ऐतराज हो तो वह हो सकता है, लेकिन कम से कम साम्यवादी सदस्य जो अभी बोल रहे थे उनको नहीं होना चाहिए। बस मालिकों के पास में न रह कर अगर सरकार के खजाने में आ जाता है तो उसमें ऐतराज उनको क्या है ?

श्री मोहम्मद गफ्फार अली : फिर चैलेन्ज कर देंगे।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : असेसमेंट में गड़बड़ होती है। वह जनता ने जो टैक्स दिया है वह मैं नहीं कहता कि बस मालिकों के पास रह जाय। आपको इससे प्रगतिशीलता का सर्टिफिकेट लेना हो तो आप ले लें।

श्री चन्दनमल बैद : मैं तो अपनी योग्यता का सर्टिफिकेट हवा महल से और उन सब सदस्यों से लेना चाहता हूं।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : मैं नहीं दे सकता। मैंने सुझाव दिये हैं। आपको नहीं मानना है तो आपकी मर्जी।

श्री चन्दनमल बैद : रिट्रास्पेक्टिव इफेक्ट से इस वास्ते लगाना चाहते हैं कि जिन लोगों ने पैसा वसूल कर लिया है उनसे हम वह पैसा वसूल कर सकें। वह पैसा उनके पास नहीं रहना चाहिए। एक पैसेन्जर ने ट्रेवल कर लिया और उसने पैसेन्जर टैक्स दे दिया तो उस पैसेन्जर को वह वापिस पैसा देने वाले नहीं मालिक और वह सरकार के खजाने में आ जाय, और सरकारी खजाने में आने में जो दिक्कत थी वह यह थी कि हमारे कानून में कुछ खामियां रहने के कारण से, यह डिफाइन नहीं करने के कारण कि मिक्स्ड रूट्स पर किस तरह से डिप वसूल करेंगे तो हाईकोर्ट ने यह निर्णय दिया है कि मिक्स्ड रूट पर लोएस्ट रेट से करें। हम यह प्रावधान करने जा रहे हैं कि मिक्स्ड रूट पर जितना ए क्लास का सैक्शन है उतना ए क्लास और जितना बी क्लास का रूट है उतना बी क्लास से वसूल करें।

जहां तक कानून में खामियां रहने का सवाल है तो कानून के इन्टरप्रिटेशन में खामियां तो सुप्रीम कोर्ट के निर्णय में भी हो जाती हैं। आप खुद इस बात को जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट की फुल बैन्च बैठकर एक दफा एक फैसला कर देती है और दो साल के बाद फिर फुल बैंच बैठती है तो कानून का इन्टरप्रिटेशन दूसरा कर देती है। तो कानून के इन्टरप्रिटेशन में कुछ न कुछ खामियां रह सकती हैं और सुप्रीम कोर्ट के इन्टरप्रिटेशन में रह सकती हैं तो स्टेट जो कानून बनाती है तो उसमें खामियां रह सकती हैं। फिर विधान सभा बनी किस वास्ते। कानून में खामियां रही तो असेम्बली के सम्मुख आ गये। कानून में खामियां न रहती तो आपके सामने क्यों उपस्थित होते ?

दूसरी बात हवा महल से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा और एक लिस्ट दी कि इन लोगों में बहुत टैक्स बकाया है

(श्री चन्दनमल बैद)
और मिनिस्टर का फोन चला जाता है और टैक्स की बकाया वसूल नहीं होती है। मैं आपको विश्वास के साथ में कहना चाहता हूं कि मैंने किसी भी सेल्स टैक्स ऑफिसर को आज तक फोन नहीं किया कि फलां आदमी पर टैक्स इस तरह से लगाओ या माफ कर दें या मत लो.......

श्री मूलचन्द सामरिया : चैम्बर में बुलाकर कहते हैं।

श्री चन्दनमल बैद : आपने नाम गिनाये हैं तो मैं उनकी जांच करवाऊंगा और अगर उनमें टैक्स बाकी है तो सख्ती के साथ वसूल करवाऊंगा चाहे वे कोई भी हों।

दूसरी बात माननीय सदस्य ने कही कि अंग्रेजी शराब पर टैक्स क्यों नहीं लगाते हैं। अंग्रेजी शराब पर 25 पर्सेन्ट हम ऑलरेडी ले रहे हैं।

श्री मोहम्मद गफ्फार अली : और लगा दीजिये।

श्री चन्दनमल बैद : और लगा देंगे तो मैं जानता हूं कि चोरी होने लगेगी, और अंग्रेजी शराब पीने वाले हरियाणा से सूटकेस में डालकर ले आयें तो उनका पकड़ना बड़ा मुश्किल है, और अगर दिल्ली से ले आयें तो पकड़ना मुश्किल है......

श्री मोहम्मद गफ्फार अली : वह तो आज भी होता है।

श्री चन्दनमल बैद : टैक्स लगाने के मामले में यह खयाल रखना चाहिए कि टैक्स लगाने के बाद वह वसूल हो। मैं चाहता हूं कि अंग्रेजी शराब पर सेन्ट-पर्सेन्ट टैक्स लगा दूं, लेकिन वह तभी सम्भव हो सकता है जब कि मेरी जो नेबरिंग स्टेट्स हैं वह भी इस तरह से काम करें। यदि नहीं करती हैं तो चोरियां होती हैं और ट्रेड डाइवर्ट हो जाता है, और साथ ही साथ आपके टैक्स का भी नुकसान होता है। इस वास्ते सबको एक सोच कर 25 पर्सेन्ट पर ही सन्तोष करना पड़ा। 25 पर्सेन्ट से ज्यादा मेरी नेबरिंग स्टेट्स में लगाया हुआ नहीं है। अगर लगाया हुआ माननीय सदस्य बता दें तो निश्चित रूप से बढ़ा दूंगा। इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं अंग्रेजी शराब का ठेकेदार नहीं हूं और उनकी पैरवी करने वाला नहीं हूं। मैं तो ज्यादा से ज्यादा टैक्स लगाने में खुश हूं।

श्री मोहम्मद गफ्फार अली : किसी शराबी से बात करें तो पता चले।

श्री चन्दनमल बैद : शराबी तो आपकी कॉन्स्टीटुएन्सी में काफी हैं।

एक माननीय सदस्य जो हवा महल से आते हैं। उन्होंने कहा कि लम्पसम का, प्रॉविजन कर देना चाहिए। हमारे जो रूल्स हैं राजस्थान पैसेन्जर एण्ड गुड्स टैक्सेशन रूल्स तो उनके ए श्री में लम्पसम का प्रोविजन है, लेकिन लम्पसम का उपयोग बस मालिक नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं क्योंकि लम्पसम का प्रोवीजन करने के बाद उनको शायद यह डर रहता है किफिर कुछ हेरफेर न कर सकें। उनको शायद यह डर रहता है कि फिर हम शायद कोई हेराफेरी नही कर सकेंगे। मेरी यह बराबर कोशिश रही है कि वह कम से हेराफेरी करें और इस हेराफेरी से बाज आयें। जिन लोगों को सुविधायें ज्यादा मिली हैं उनसे हम ज्यादा से ज्यादा वसूल

(श्री चन्दनमल बैद)
कर सकें। यह विचार है कि अगली पंचवर्षीय योजना में सारे ट्रांसपोर्ट का नेशनालाइजेशन कर लें जिससे कि टैक्स जो चोरी जाता है, वह नहीं जायें। इन्हीं शब्दों के साथ में माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैंने जो विधेयक पेश किया है, वह विचारार्थ लिया जाये।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आपने जो जनमत जानने के लिए प्रस्ताव रखा है, इसे वापिस लेते हैं ?

श्री गिरधारीलाल भार्गव : मैं वापिस लेता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य द्वारा रखे गये जनमत जानने हेतु प्रस्ताव को वापिस लेने के लिए क्या सदन की इजाजत है ?

(स्वीकृत)

प्रस्ताव वापिस लेने की स्वीकृति दी गई।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : मैं प्रस्ताव वापिस लेता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान यात्री एवं माल करारोपण (संशोधन) विधेयक, 1974 को विचारार्थ लिया जाए ?

(स्वीकृत)

विधेयक को विचारार्थ लिया गया।

श्री चन्दनमल बैद : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान यात्री एवं माल करारोपण (संशोधन) विधेयक, 1974 को पारित किया जाए।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान यात्री एवं माल करारोपण (संशोधन) विधेयक, 1974 पारित किया जावे।

(स्वीकृत)

विधेयक पारित किया गया।

अनुपूरक अनुदान की मांगों पर विचार

श्री चन्दनमल बैद : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 13, मुख्य शीर्षक 26-विविध विभाग के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1974 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 4,38,000 रु. तक की राशि और प्रदान की जावे।

श्री रामनारायण चौधरी : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 11, मुख्य शीर्षक 22—कारागार के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1974 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 8,20,000 रुपये तक की राशि और प्रदान की जावे।

श्री चन्दनमल बैद : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 31, मुख्य शीर्षक 66—प्रादेशिक तथा राजनैतिक निवृत्ति वेतन के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1974 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 50,000 रुपये तक राशि और प्रदान की जावे।

श्री उपाध्यक्ष : मांगें प्रस्तुत हुईं।

मांग संख्या 13, 11 व 31 पर प्रस्तुत कटौती प्रस्ताव

श्री गिरधारीलाल भार्गव : (किशन पोल, जयपुर) :

1. मांग संख्या 13, मुख्य शीर्षक 26—विविध विभाग के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (गाड़ियों के क्रय पर हुये अनावश्यक व्यय पर चर्चा के लिये)।

2. मांग संख्या 11, मुख्य शीर्षक 22—कारागार के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जेलों में उचित मात्रा में कैदियों को खाद्य पदार्थ उपलब्ध न कराने पर चर्चा के लिये)।

3. मांग संख्या 31, मुख्य शीर्षक 66—प्रादेशिक तथा राजनैतिक निवृत्ति वेतन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (स्वतंत्रता सेनानियों को दी जाने वाली पेन्शन में होने वाली देरी पर चर्चा के लिये)।

श्री वृद्धिचन्द्र जैन (बाड़मेर) :

4. मांग संख्या 11, मुख्य शीर्षक 22—कारागार के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (प्रान्त की जेलों में दिये जाने वाले भोजन में सुधार की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

5. मांग संख्या 31, मुख्य शीर्षक 66—प्रादेशिक तथा राजनैतिक निवृत्ति वेतन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राजस्थान प्रान्त में स्वतन्त्रता सेनानियों को राजनैतिक निवृत्ति वेतन समय पर अदा न करने से उनमें व्याप्त असंतोष पर चर्चा के लिये)।

श्री रामगोपाल (किशनगंज) :

6. मांग संख्या 11, मुख्य शीर्षक 22—कारागार के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बन्दियों को सही ढंग से मैडीकल सुविधा उपलब्ध नहीं हो पाती इस पर चर्चा के लिये)।

7. मांग संख्या 11, मुख्य शीर्षक 22—कारागार के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बन्दियों को निर्धारित मात्रा से कम खाद्य पदार्थ उपलब्ध कराने पर चर्चा के लिये)।

8. मांग संख्या 11, मुख्य शीर्षक 22—कारागार के अन्तर्गत मांग से से 100 रुपया कम दिया जाय, (छबड़ा जेल में कैदियों के लिए पीने के पानी की समस्या पर चर्चा के लिये)।

9. मांग संख्या 31, मुख्य शीर्षक 66—प्रादेशिक तथा राजनैतिक निवृत्ति वेतन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (स्वतन्त्रता सेनानियों को पेन्शन देने में होने वाली अनियमितताओं पर चर्चा के लिए)।

श्री चेतराम :

10. मांग संख्या 11, मुख्य शीर्षक 22—कारागार के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (कारागर में बन्दियों को स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराने हेतु चर्चा के लिए)।

11. मांग संख्या 31, मुख्य शीर्षक 66—प्रादेशिक तथा राजनैतिक निवृत्ति वेतन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया

(श्री चेतराम)
कम कर दिया जाए (स्वतन्त्रता सेनानियों को पेन्शन देने में होने वाले भेदभाव पर चर्चा के लिये)।

श्री केदारनाथ (श्री गंगानगर) :

12. मांग संख्या 11, मुख्य शीर्षक 22—कारागार के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राज्य सरकार कैदियों के भोजन की मात्रा में पौष्टिक पदार्थ की समुचित मात्रा नहीं कर सकी पर चर्चा के लिए)।

13. मांग संख्या 31, मुख्य शीर्षक 66—प्रादेशिक तथा राजनैतिक निवृत्ति वेतन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राज्य सरकार जागीरी अत्याचार के विरुद्ध लड़ने वाले प्रजा परिषद् व प्रजा मण्डलों के तहत काम करने वाले कार्यकर्त्ताओं को पेन्शन देने में असमर्थ रही इस पर चर्चा के लिये)।

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा (सूरतगढ़) :

14. मांग संख्या 11, मुख्य शीर्षक 22—कारागार के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (कारागारों पर कार्य करने वाले कर्मचारियों के यात्रा व्यय के भुगतान की दुर्लभपूर्ण स्थिति पर चर्चा के लिए)।

15. मांग संख्या 11, मुख्य शीर्षक 22—कारागार के अन्तगत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जेल विभाग में खाद्य पदार्थों के क्रय में व्याप्त भ्रष्टाचार पर चर्चा के लिये)।

16. मांग संख्या 31, मुख्य शीर्षक 66—प्रादेशिक तथा राजनैतिक निवृत्ति वेतन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (स्वतन्त्रता संग्राम के सेनानियों को दी जाने वाली पेन्शन में हुये पक्षपात पर चर्चा के लिये)।

17. मांग संख्या 31, मुख्य शीर्षक 66—प्रादेशिक तथा राजनैतिक निवृत्ति वेतन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (स्वतन्त्रता संग्राम के कार्यकर्त्ताओं को वास्तविक सम्मान न देने पर चर्चा के लिये)।

श्री माणकचन्द सोगानी :

18. मांग संख्या 31, मुख्य शीर्षक 66—प्रादेशिक तथा राजनैतिक निवृत्ति वेतन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (अजमेर में राजनैतिक निवृत्ति वेतन के वितरण प्रणाली के संबन्ध में चर्चा के लिये)।

श्री रघुनाथ विश्नोई :

19. मांग संख्या 31, मुख्य शीर्षक 66—प्रादेशिक तथा राजनैतिक निवृत्ति वेतन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (स्वतन्त्रता सेनानियों को शीघ्र पेन्शन दिलवाने पर चर्चा के लिये)।

श्री गिरधारीलाल भार्गव !

श्री गिरधारीलाल भार्गव (हवा महल, जयपुर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, तीन मांगों के बारे में विचार किया जा रहा है। मैं सबसे पहले यह जो नई गाड़ियां खरीदने की घोषणा हुई हैं, उसके बारे में निवेदन करना चाहता हूं;

(श्री गिरधारीलाल भार्गव)

गाड़ियां पहले ही बहुत हैं । बजट का घाटा। बंगला देश के कर को अकाल सहायता के रूप में परिवर्तित करके आगामी 5 वर्ष के लिए लगाये गये हैं। वित्त मन्त्री जी कह सकते हैं कि घाटे का बजट प्रस्तुत नहीं किया है । आप कुछ भी करें टैक्स राजस्थान की जनता पर ही लगेगा । जीवन भर देते आये हैं और जीवन भर देते रहेंगे । नया टैक्स लगायेंगे तो भी वह पे करेंगे । लोग देते हैं, लेकिन मजबूरी में देते हैं। इसलिए मैं कहना चाहता हूं। राजस्थान सरकार को आदर्श प्रस्तुत करना चाहिये था । पुरानी गाड़ियां हैं, उनसे काम चल रहा था । अब नई गाड़ियां चाहते हैं ताकि आराम करते हुये जायें । जिसमें सोफे लगे हुये हों। मैं समझता हूं कि जिस समय में राजस्थान में अकाल आया हुआ है । जबकि राजस्थान के गरीब निवासियों को भर पेट भोजन भी नहीं मिलता है। आप उनको भर पेट भोजन भी नहीं दे सकते हैं । आज किस प्रकार से गेहूं दिया जा रहा है। किस प्रकार का माइलो दिया जा रहा है । लोग भूखों मर रहे हैं, उस समय में मन्त्री लोग नई-नई गाड़ियां खरीदना चाहते हैं , गाड़ियां खरीदेंगे फिर उनका दुरुपयोग होगा। माननीय स्वर्गीय मुख्य मन्त्री बरकतउल्ला खां ने यह घोषणा की थी कि कोई मन्त्री सरकारी गाड़ी का दुरुपयोग नहीं करेगा । बालक स्कूल नहीं जायेंगे, पत्नी सरकारी गाड़ी पर साड़ियां खरीदने के लिए नहीं जायेगी। सब्जी खरीदने के लिए सरकारी गाड़ी नहीं जायेगी। आज वह घोषणा कहां गई है । आज उन सरकारी गाड़ियों के आपने पट्टे हटा दिये हैं । एम्बेसडर गाड़ियों में और सामान ले जाते हैं । मैं कहता हूं, अगर माननीय मन्त्री महोदय, चलें हमारे साथ, जब महारानी कॉलेज की छुट्टी होती है।

(2.16 बजे)

(श्री फूलचन्द जैन, सभापति पदासीन)

वहां देखा जा सकता है कि कितनी गाड़ियां आती हैं। स्वर्गीय मुख्य मन्त्री जी ने जब यह घोषणा की तब मुख्य-मन्त्री जी की पत्नि बापू बाजार में साड़ियां खरीद रही थी, सरकारी गाड़ी पर आकर। यह कथनी और करनी का अन्तर नहीं चलेगा । हम विधायक हैं । नेता हैं। केन्द्रीय सरकार घोषणा करे । इन्दिरा जी हिन्दुस्तान की प्रधान मन्त्री हैं। वह बग्घी में बैठकर पार्लियामैन्ट में जाये। तो अटल जी ने नहले पर दहला मारा। वह बैलगाड़ी पर गये।

श्री चन्दनमल बैद : वह रोज जाते होंगे।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : इन्दिरा जी के पीछे-पीछे आठ और गाड़ियां धीरे धीरे चली । कहा गया कि हम पैट्रोल का कम खर्चा करेंगे । उसमें और भी ज्यादा खर्चा आया । आप पैट्रोल लोगों को दिला नहीं सकें । पैट्रोल लोगों को नसीब नहीं हो। लोगों ने गाड़ियां छोड़ दी । साइकिल चलाने लगे हैं । आज साइकिल के ट्यूब भी नसीब नहीं होते हैं । बड़े बड़े लोगों को सड़क पर खड़ा कर दिया है । गाड़ियों का

(श्री गिरधारीलाल भार्गव)

कितना दुरुपयोग होता है। राज्य सरकार को ऐसे समय में कोई आदर्श उपस्थित करना चाहिये था। मैं यह बार-बार निवेदन करूंगा कि नई गाड़ियों का सपना छोड़ दीजिए पुरानी गाड़ियां ही काम में लें। अगर पेट्रोल का ज्यादा खर्चा करेंगे। उनके बाल-बच्चे सब्जी खरीदने के लिए आयेंगे तो हम राजधानी में रहते हैं। राज्य सरकार की उन गाड़ियों को रोकेंगे। सब्जी मण्डी में उन गाड़ियों को रोक लेंगे। ड्राईवर को कह देंगे कि गाड़ियां हमारी हैं। अगर ऐसी भावना से राजस्थान मन्त्री मण्डल काम नहीं कर सकता है तो धिक्कार है। सभापति महोदय, मेरा निवेदन है कि राज्य सरकार नई गाड़ियां नहीं खरीदे। पुरानी गाड़ियों से अपना काम करें। राज्य सरकार आदर्श उपस्थित करे। और घोषणा करे कि नई गाड़ियां नहीं खरीदेगी। दूसरा मैं निवेदन है कि भरतपुर के चुनाव में एम्बेसडर गाड़ियों की लाल प्लेट हटा दी गई है। वह इस राजस्थान सरकार की गाड़ियां थीं। वहां सरकारी गाड़ियां घूमती थीं। वहां धोखा किया गया है। राजस्थान की जनता को धोखा दिया गया है। यह धोखा कब तक चलेगा? वहां प्लेट हटाकर घूम रहे हैं, मन्त्री लोग मिल रहे हैं, कोई एम. एल. ए. घूमते फिर रहे हैं, बलाई में बलाई, चमार में चमार, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, धोबियों में धोबी, पानवालों में पानवाला। हर तरह के आदमियों को वहां पर ले गये। यह किसके खर्चे से हुआ, चुनाव किसके खर्चे पर लड़ा, कांग्रेस पार्टी के फण्ड पर चुनाव नहीं लड़ा, जनता के फण्ड से चुनाव लड़ा। लेकिन वहां पर चली नहीं, कांग्रेसी उम्मीदवार हारा और आपकी सारी पोल खुल गई। जिन एम्बेसडर गाड़ियों की लाल प्लेट हटा कर वहां चुनाव प्रचार किया, वह गाड़ियां नीचे खड़ी हैं और उन पर लाल प्लेट लगी है। यह दिखाते है, जैसे गाड़ियां बाप-दादाओं की हों। बाप-दादा चने खाते-खाते मर गए, गरुड पुराण पढ़ा दिया, पूजा पाठ करा दिया। लेकिन आज हालत इतनी खराब हो गई है कि इस प्रकार जनता के धन को खर्च करते हैं। यह अच्छा नहीं है। इससे जनता के सामने आदर्श उपस्थित नहीं हो रहा है। मैं निवेदन करूंगा, राजस्थान सरकार को कि कांग्रेस बहुमत में आई है, जनता ने 145 चुन कर भेजे हैं, एक अध्यक्ष बन गए और बाकी 144 रह गए है, धारा 144 (व्यवधान-अश्रव्य) इसलिए आप आदर्श उपस्थित करें। अपनी गाड़ियों पर आप लाल प्लेट लगायें और जनता के धन का दुरुपयोग न करें। नहीं तो वक्त आयेगा जब आप पैदल चलेंगे, साईकिलों पर चलेंगे। तब जनता आपको कहेगी तो आप यह कहेंगे कि हमसे भूल हो गई। आज आप घमण्ड में घूम रहे हैं, एम्बेसडर गाड़ियों में बैठेंगे, किसी की तरफ देखेंगे नहीं। कोई धरने पर बैठा हो, कोई भूख हड़ताल पर बैठा हो। मुंह उनकी तरफ नहीं होगा। मुंह दूसरी तरफ होगा। दुआ सलाम कुछ नहीं। यह घमण्ड आपका ज्यादा दिन चलेगा नहीं। घमण्ड रावण का भी नहीं चला था।

(श्री गिरधारीलाल भार्गव)

जेल के बारे में मेरा निवेदन है, कि जेल रिफार्म्स कमीशन की रिपोर्ट क्यों नहीं लागू की जा रही है । जेल रिफार्म्स कमीशन की रिपोर्ट लागू की जानी चाहिये । आज देखिये, जेलों में क्या हालत है। वहां पर लिखा हुआ है, बबूल का पेड़ बोओगे तो आम कहां से खाओगे। यह बात सही है, कोई अच्छा काम करेगा तो बाहर रहेगा और कोई बुरा काम करेगा तो जेल में जायेगा । मैं निवेदन करना चाहूंगा, कि आज जो आदमी जेल में चला गया, उसको आप किस प्रकार की शिक्षा-दीक्षा दे पाते हैं उस ओर मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं। जेल रिफार्म्स कमीशन ने अपनी कुछ रिकमन्डेशन दी थीं, उनकी ओर भी मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं । उसकी रिकमन्डेशन थी कि जेल में उत्पादन केन्द्र खाले जाने चाहिये । उत्पादन केन्द्र का अर्थ यह है कि जो व्यक्ति जिस प्रकार के काम को जानता है, सभापति महोदय, वही काम वह आदमी वहां पर करे। यदि कोई आदमी बाबूगिरी का काम जानता है, तो बाबूगिरी का काम वहां पर करे। यदि कोई पेन्टर है, तो पेन्टिंग का काम वहां पर करे। जो हस्तकला का काम जानता है, वह हस्तकला का काम करे। जो व्यक्ति जिस प्रकार का काम जानता है, वह वही काम करे । अगर कोई काम नहीं जानता है तो उत्पादन केन्द्र में काम सिखाये। काम सिखाया जायगा तो वह काम करेगा और उसको पैसा मिलेगा। जेल में रहते-रहते, सजा काटते-काटते उसको पैसा मिलेगा। उस पैसे को वह अपने परिवार को भेजेगा ! जिस वक्त उसकी छुट्टी होगी जेल से, वह अच्छे ढंग से जेल से बाहर निकलेगा, काम करते हुए वह बाहर जायगा, परिवार को उसने जो पैसा भेजा है, उसके अलावा और पैसा साथ लेकर जायगा । मेरा निवेदन है कि जेल में खराब मनुष्य को अच्छा मनुष्य बनाने जा रहे हैं तो आपको इन जेलों में उत्पादन केन्द्र खोलने चाहिएं । उदयपुर में उत्पादन केन्द्र चालू है, स्कूटर का काम वहां होता है, स्कूटर की रिपेअर का काम। जिस प्रकार आपने उदयपुर में आदर्श उपस्थित किया है, उसी प्रकार से आपको जयपुर में उत्पादन केन्द्र बनाना चाहिए, जोधपुर में उत्पादन केन्द्र बनाना चाहिए।

इसके अलावा दूसरा निवेदन है कि जेल में कुछ उद्योग कैदियों को सिखाये जायं, ऐसे उद्योग सिखाये जायं, जिनको सीख कर बाहर जाते ही लोगों को काम मिल जाय। जो पावर लूम का काम है, वह पावर लूम का काम जेलों में सिखाया जाय। आज जो व्यक्ति जेलों से बाहर आते हैं, वह बाहर आकर अपमानित होते हैं, समाज में लोग अपने साथ उनको बैठने नहीं देते हैं, अपने पास फटकने तक नहीं देते हैं। इस कारण वह शर्म महसूस करते हैं। कोई उनको नौकरी देता नहीं है। इसलिए फिर वह मजबूर होते हैं, वह सोचते हैं कि मेरा स्थान घर में नहीं है, मेरा स्थान जेल में है। इसलिए वह फिर कुकर्म करते हैं, चोरी करते हैं, हत्या करते हैं और अपराध करते हैं वह कहते हैं कि समाज हमें रोटी देगा नहीं, समाज हमें जिन्दा रहने नहीं देगा इसलिए हमारा स्थान जेल में है। और चार दिन के बाद फिर कोई अपराध करके फिर जेल में चले जाते हैं। अगर उनको काम सिखायें तो वह बाहर

(श्री गिरधारीलाल भार्गव)

आकर सम्मान के साथ काम कर सकते हैं। जेलों के अन्दर उनको पावर लूम का काम सिखाया जा सकता है। माननीय सभापति महोदय, प्रेस का काम जयपुर जेल में स्टेट टाइम में सिखाया जाता था। जिन राजा-महाराजाओं की आप आलोचना करते हैं, उनके वक्त में जयपुर जेल में प्रेस थी। जेल में प्रेस का काम चलता था, लोगों को कम्पोज करने का काम सिखाते थे। वहां उस प्रेस के अन्दर सारा काम जयपुर राज्य का होता था। सारा काम सेन्ट्रल में जाता था। कैदी काम करते थे। उनको पैसा मिलता था। वह आपने क्यों बन्द कर दिया ? इसलिये बन्द कर दिया क्योंकि राजा-महाराजाओं ने उसको चलाया था। यह आपकी प्रगतिशीलता है। प्रगतिशीलता के नाम पर जो जेल में प्रेस का काम होता था उसको बन्द कर दिया। आज देश में तोड़ फोड़ करते हैं, राष्ट्रद्रोहिता जो करते हैं, विधान सभा में अशोभनीय शब्द कहलवाते हैं, जो गन्दे वाक्यों का प्रयोग करवाना चाहते हैं, वह प्रगतिशीलता का सर्टिफिकेट इनसे ले लें। जिन राजा-महाराजाओं की बुराई करते हैं, उन भरतपुर के महाराजा के आप साथ हैं और अलवर के महाराजा के खिलाफ हैं। भरतपुर में महाराजा का सिम्बल लगा कर, राज्य परिवार का सिम्बल लगा कर कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार का प्रचार करते हैं, वहां अलवर के महाराजा के खिलाफ हैं। अलवर में अलग बात है और भरतपुर में अलग बात है।

आज अनाज के राष्ट्रीयकरण की बात फेल हो गई। कांग्रेस की सरकार ने मान लिया। आज कांग्रेस की सरकार कहती है, हमसे भूल हो गई। कम्युनिस्ट पार्टी के लोग जिस रास्ते पर हमें चलाना चाहते थे, उधर हम नहीं चलना चाहते थे। हमसे भूल हो गई (व्यवधान) (अश्रव्य) आज लोक सभा में कांग्रेस पार्टी के लोग एक ओर हैं और कम्युनिस्ट पार्टी के लोग दूसरी ओर। आज कांग्रेस के लोग कहते हैं कि जनसंघ का मार्ग अच्छा था। अनाज का राष्ट्रीयकरण नहीं करना चाहिए था। हमने अनाज का राष्ट्रीयकरण कर भूल की है। यह हालत है।

तीसरा मैं निवेदन करना चाहता हूं प्रहरियों के वेतन के सम्बन्ध में। आज सिपाहियों का वेतन कुछ भी नहीं है, उनकी हालत खराब कर रखी है। 11 बजे रात तक वह खड़े रहें, उनकी हार्ड ड्यूटी है। वह जनता पर निर्मम लाठी प्रहार करते हैं। भूखा पेट आदमी क्या नहीं करता। आज पुलिस लाइन की हालत क्या है, वहां की मैस की हालत क्या है। जेल में जो प्रहरी हैं, उनको 90 रुपये माहवार मिलते हैं। नौ घण्टे रोज उनको ड्यूटी देनी होती है। छः घण्टे ड्यूटी दिन के समय में देते हैं और तीन घण्टे ड्यूटी रात में देते हैं। उनको केवल 90 रुपये तनख्वाह मिलती है। 90 रुपये में क्या आप पेट भर सकते हैं। यहां कुछ कागजों पर दस्तखत करके दावत खाने के लिए चले जायेंगे, इस विधान सभा में रहेंगे नहीं। लेकिन जिनको दिन और रात में 9 घण्टे की ड्यूटी देनी पड़ती है, उनको 90 रुपये वेतन देते हैं। उनका वेतन आपको बढ़ाना चाहिए। इसके अलावा मैस अलाउन्स है, वह नाम मात्र को है। क्योंकि पुलिस के आदमियों का मैस अलाउन्स नाम मात्र को है, उनको सड़े आटे की रोटी मिलती है, जिसको जानवर भी नहीं खा सकते

(84)

(श्री गिरधारीलाल भार्गव)

हैं। यह हालत आज जेल के प्रहरियों की है। उनसे आप नौ घण्टे ड्यूटी लेना चाहते हैं और 90 रुपये वेतन देते नहीं हैं, जो कम है, और मैस अलाउन्स भी कम है। इस ओर आपको ध्यान देना चाहिए।

कैदियों के भोजन के बारे में मैं निवेदन करूंगा, सी क्लास के कैदियों की हालत देखें, उनकी क्या हालत है। पिछले दो महीने तक, मैं दावे के साथ कहता हूं, वहां गेहूं नहीं था। अधिकारी भले ही कह दें कि गेहूं था, लेकिन मेरा दावा है कि गेहूं नहीं था। गेहूं के अभाव के कारण, राष्ट्रीयकरण के कारण, खाद्यान्नों के अभाव के कारण राजस्थान की जेलों में दो महीने तक गेहूं नहीं दिया गया है। जो आटा मिल आटा पीसती थीं, उन आटा मिलों के बन्द होने के कारण से उनको आटा भी नहीं मिल सका। उन कैदियों को चना मिला, उन कैदियों को लाल ज्वार खाने को दी गई, जिसको जानवर भी नहीं खा सकते। उस लाल ज्वार की रोटी उन कैदियों को मिली है। वह लोग विद्रोह नहीं कर सकते, इस विधान सभा के सामने प्रदर्शन नहीं कर सकते, क्योंकि कैदी हैं और मजबूर हैं। वह विरोध कर नहीं सकते। वह भूखे रह सकते हैं। उन कैदियों को चना और लाल ज्वार की रोटी दी गई। आप कैदियों को ठीक करना चाहते हैं? आप वक्त आने दीजिये, वह वक्त आयेगा जब कैदी बाहर आयेंगे। उन कैदियों को बाहर आने दीजिये, मैं आपके सामने उनको लाकर दिखाऊंगा जिन्हें लाल ज्वार की रोटी दी है, चने की रोटी दी है। रोटी इस प्रकार की देते थे, फिर केवल चार रोटी उनको देते थे, मिले हुए आटे की, लोहे का बरतन उनको दे रखा है, जिससे वह शौच भी जांय और उसी में वह रोटी खायें। आप उनको थाली तक नहीं दे सकते। सी श्रेणी के कैदियों को आप थाली तक नहीं दे सकते, उनको लोहे के बर्तन दे देते हैं और चार रोटी दे देते हैं। उनको आप अच्छा भोजन नहीं देते हैं, उन लोगों को दाल तक नहीं देते हैं उन लोगों को सब्जी तक नहीं देते हैं, उन लोगों को प्याज और नीबू तक नहीं देते हैं। यह क्या हालत है। राज्य की जेलों के अन्दर जो कैदी मजबूर हैं, उनकी मजबूरी का आप लाभ उठाना चाहते हैं। आप उनको अच्छा मानव बनाना चाहते हैं? आप कहते हैं कि उनको अच्छा मानव बनायेंगे, ताकि जेल से बाहर आकर वह सम्मान के साथ जीवन व्यतीत कर सकें। यह कहना चाहते है कैदियों को, तुम्हारे से जो भूल हुई है, उसको आगे मत करना। लेकिन उन कैदियों को आगे भी अपराध करने के लिए आप मजबूर कर रहे हैं, उनको आप अपमानित कर रहे हैं और बाद में उनको समाज भी अपमानित करेगा। इस लिए मेरा निवेदन है कि यह अच्छा नहीं है। इन कैदियों के लिए समुचित भोजन की व्यवस्था होनी चाहिए, इनको दाल मिलनी चाहिए, सब्जी मिलनी चाहिए, पर्याप्त मात्रा में नीबू और प्याज मिलना चाहिए, आज यहां सेन्ट्रल जेल में खाली भूमि पड़ी हुई है, राजस्थान सरकार को भूमि पड़ी हुई है। मन्त्री महोदय, वहां पर सब्जी क्यों पैदा नहीं करते हैं? आज बाजार से सब्जी लाने की क्यों आवश्यकता पड़ती है? कई वर्ष पहले इसी जेल में इस खाली भूमि पर सब्जी पैदा होती थी, नींबू पैदा होता था। और वह कैदियों को खाने को दिया जाता था उनको चार रोटी भी मिले और सब्जी, दाल

(श्री गिरधारीलाल भार्गव)
नींबू, प्याज मिले तो बस अच्छी तरह से रोटी खा तो सकता है। आज वह खाली भूमि पड़ी हुई है लेकिन इस सेन्ट्रल जेल में आप सब्जी पैदा नहीं करेंगे मेरा निवेदन है कि इस खाली भूमि का उपयोग होना चाहिए। अगर वहां सब्जी पैदा करें तो बाजार से सब्जी खरीदने की कोई आवश्यता नहीं रहेगी।

इसी प्रकार से मैं निवेदन करना चाहूंगा आई. जी. जेल आये हैं नये, उन्होंने आते ही लोगों का तूफानी ट्रान्सफर कर दिया, तेरा ट्रान्सफर, उसका ट्रान्सफर। क्या कारण है? आई. जी. साहब अपना रुतबा जमाना चाहता है, ट्रांसफर्स कर दो ताकि मुझे मिन्नतें करें, आखिर जिनके ट्रांसफर्स किये थे सबके कैंसिल करने पड़े। उनकी नीयत क्या थी? क्यों ट्रांसफर्स कैंसिल हुए? मेरा सीधा आरोप आई. जी. पर है। वहां पीने के पानी का अभाव है। वित्त मंत्री कहते हैं कि जयपुर की चार दीवारी के अंदर कहीं भी पानी की कमी नहीं है, मैं भी जयपुर में रहता हूं। जयपुर शहर में 7 बजे पानी बंद हो जाता है, कतई पानी नहीं है। आप बहुमत में हैं आप चाहें तो हमें अपमानित कर सकते हैं। तालियां पिटवा सकते हैं लेकिन सच्ची बात रखने का जो मेरा कर्तव्य है, वह मैं पूरा कर रहा हूं। तो जेलों में रोटी खराब, नतीजा यह होता है कि टोकरे भर कर वह निकम्मी रोटी हरिजनों को दे देते हैं। यह तो खुशी है कि हरिजनों को मिल रही है, लेकिन कैदी भूखा है, वह बाजार में नहीं जा सकता चाहे यहां 4 बार हम काफी पी लेंगे, मिल्क रोज पी लेंगे लेकिन कैदी कहां जायेंगे? इसलिए जेल रिफार्म्स कमीशन ने जो बातें कही हैं और कुछ बातें जो मैंने कहीं है उनको पूरा करने की सरकार सदन में घोषणा करे। आप चाहें तो जेल में मेरे साथ चल कर देखें, पहले सूचना देकर नहीं चलें बल्कि अकस्मात जायें।

मंत्री महोदय ने 9½ लाख में शराब का ठेका नीलाम कर दिया आज इतने आदमी मर गए, पुलिस के सामने रहते हैं, क्यों नहीं पकड़ सकते? गल्ता के बैंक में रहते हैं। 4 दिन के बाद उस शराब को कोई पीए तो ढेर हो जाए। आपको जाना चाहिए और देखना चाहिए कि कहां कहां शराब के ठेके चलते हैं। आप शिक्षा मंत्री थे तब स्कूलों में जाते, हालत देखते। जिन्होंने शराब के ठेके लिए हैं वहां आपको घूमना चाहिए कि जनता को क्या कष्ट है लेकिन दूसरे भेष में जायं तो आपको मालूम पड़ेगा। राजा महाराजा भी घूमते थे, मैं उनकी वकालत नहीं करता लेकिन जो उनमें गुण थे वे आप में नहीं हैं। आप तो केवल नारे देकर राज करते हो आपको वहाँ पर जाना चाहिए कि क्यों वे लोग मरे हैं। आप चले जाते तो आप पर कोई हाथ नहीं उठाता वे कहते कि बहुत बढ़िया मंत्री हैं, आइए।

राज्य सरकार ने व केन्द्रीय सरकार ने स्वतंत्रता सैनानियों को कुछ सुविधायें दी हैं। ताम्रपत्र भी दिए हैं लेकिन भारत की प्रधान मंत्री के नाम। हमेशा भारत के राष्ट्रपति सम्मान देते हैं सबको जो बड़े बड़े लोग हैं, अच्छे लोग हैं किसी विशेष क्षेत्र में तो राष्ट्रपति उनको सम्मानित करते हैं। लेकिन स्वतंत्रता सैनानियों को प्रधान मंत्री इन्द्रा गांधी के द्वारा ताम्रपत्र दिए गए। वह कांग्रेस की नेता हैं, उनको नहीं देने चाहिए, स्वतन्त्रता सैनानी जो हैं जो लड़े चैसे

(श्री गिरधारीलाल भार्गव)

सुभाष चंद्र बोस, लाला लाजपत, तिलक, उनकी जयंती सरकार नहीं मनाती, दिल्ली चलो जिसने नारा दिया आजाद हिंद फौज बनाई उसकी जयन्ति 23 जनवरी हर साल नहीं मनाई जाती। ताम्रपत्र राजनैतिक आधार पर राजनैतिक लाभ के लिए भेद-भाव के आधार पर किसको देना चाहते हैं किसको नहीं। ऐसे लोगों को भी स्वतंत्रता सेनानी माना गया जो आजादी के दिनों में माफी मांग कर वापस घर आ गए। मेरे पास पत्र है, यदि एक एक की बात करूं तो सायंकाल हो जाएगा। उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और बंगाल सरकार ने स्वतंत्रता सैनानियों को रिहायशी प्लाट्स दिए हैं जैसे आपने यहां पत्रकार कॉलोनी बनाई है उनको चिकित्सा व बच्चों की शिक्षा की सुविधायें हैं। आप भी घोषणा करें उनकी तरह कि हम उनको जमीन देंगे, शिक्षा की सुविधायें उनको मिलेंगी। इतना ही नहीं पंजाब और हरियाणा सरकार ने इनको खेती की जमीन तक दी है। आज देखें कि हमारे मन्त्री जी किस प्रकार की घोषणा करते हैं। कहने को तो कह गए कि 75) रुपये प्रति माह से कम किसी को नहीं मिलेगा लेकिन मेरे पास कई पत्र हैं जिनको 50) रुपया मिलता है, 25) रुपये ऊपर से ही गायब, जिनके नाम पर आप धोली टोपी लगा कर मन्त्री जी बन गए हो, महात्मा गांधी जी कहते थे कि आजादी के बाद कांग्रेस को मिटा देना नहीं तो लोग आपको मारेंगे जैसे गुजरात और बिहार में मारा है। महात्मा गांधी जी के नाम पर आज मोटरें व बंगले और सब तरह की मौज उड़ा रहे हो। यहां स्वतन्त्रता सेनानियों के 25) हर महीने खा रहे हैं। मेरा निवेदन है कि कम से कम उनको 100) प्रति माह मिलना चाहिये, मंहगाई — भत्ता मिलना चाहिये और जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश सरकार ने उनको रिहायशी प्लाट्स, चिकित्सा व शिक्षा सुविधायें उनको दी हैं, वे आप भी दें। मंहगाई भत्ता नहीं मिलेगा तो उनकी हालत क्या होगी। ये थोड़े दिन के मेहमान हैं, कोई 4 वर्ष कोई 5 वर्ष जीवित रहेगा। अब कोई नया स्वतन्त्रता आन्दोलन नहीं होने वाला है। जाते-जाते उनको सुविधायें देंगे तो वे आपको आशीर्वाद देंगे, उनके बच्चे भी आपको वाहवाही देंगे। भरतपुर में स्वतन्त्रता सैनानियों की जांच कर रहे हैं। सितम्बर, 1973 में केस दर्ज किया, थाने में केस दर्ज किया गया, जांच कर रहे हैं एस. डी. ओ., आज तक स्वतन्त्रता सैनानियों पर केस चल रहा है। उनका फैसला नहीं हुआ। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जो लोग स्वतन्त्रता संग्राम में माफी मांग कर आ गए, वे भी पेन्शन ले रहे हैं।

इसके अलावा जिस प्रकार से केन्द्रीय सरकार ने पेन्शनर्स को 1-1-73 से अन्तरिम सहायता दी है: 85) से कम पेन्शन पाने वाले को 15), 85 से 209) पाने वाले को 20), 210) से 499) तक पाने वाले को 25), 500) से ऊपर पाने वाले को 35) उसी प्रकार आप राजस्थान के पेन्शनर्स को भी सहायता दें। रोजाना बाग में मुझसे पूछते हैं कि हमारे बारे में क्या हुआ। 100) पेन्शन, चिकित्सा व बच्चों के लिए शिक्षा सुविधा नहीं, दो लड़कियां बैठी हैं उनकी शादी करवानी है। अब

(श्री गिरधारीलाल भार्गव)
इन्दिरा गांधी का हुक्म हो गया तो आपको सबसे पहले घोषणा करनी चाहिए।

एक मथूरिया नामक जयपुर में व्यक्ति है, कलेक्टर ने एक रिपोर्ट की है और एस. डी. ओ. ने दूसरी। कलेक्टर कहता है कि उसकी हालत अच्छी है, एस. डी. ओ. कहता है कि बुरी है। उसका पूरा नाम मुझे इस समय मालूम नहीं है वह चक्कर लगा रहा है।

तो मैंने गाड़ियों के दुरुपयोग के बारे में, जेल सुधार के बारे में, जेल रिफार्म्स कमीशन की रिपोर्ट को लागू करने के बारे में और स्वतन्त्रता सेनानियों को जो पड़ोसी राज्यों में सुविधायें मिलती हैं और जो पेन्शनर्स को महंगाई भत्ता मिलना चाहिए, उस बारे में मैं समझता हूं निश्चित रूप से मेरे इन ठोस सुझावों के बारे में इस सदन में सरकार घोषणा करेगी। अगर आप मेरे ठोस सुझावों पर अमल करेंगे तो इससे उनको लाभ मिलेगा। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो मैं समझता हूं कि जिस तरह आप अपने घर से ही भाषण बनाकर लाते हैं और रटी रटाई भाषा में ही बोल देते हैं फिर इतने में पांच बज जायेंगे तो फिर उपाध्यक्ष महोदय, या चेअर से यह आदेश आज आयेगा कि विल पारित हुआ सदन की कार्यवाही दो दिन के लिये स्थगित की जाती है और साथ में यह भी कह दें कि सदन की कार्यवाही तारीख दो अप्रेल के 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। सभापति महोदय, यह तो बड़े ही दुर्भाग्य की बात है कि आज यहां पर सदन में जनता का लाखों रुपया खर्च किया जा रहा है माननीय सदस्यों पर लेकिन जनता के भले के लिए जो भी सुझाव दिए जाते हैं उन्हें कोई सुनता नहीं है। सामने मन्त्री जी बैठे हैं, खुश हो रहे हैं आपको चिन्ता है ही नहीं आपके भरोसे तो राजस्थान की जनता मरे या जीये। आपतो हंस रहे हैं वित्त मन्त्री जी लेकिन इससे जनता का भला नहीं होता है। इसलिए मैं उम्मीद करता हूं कि जो मैंने सुझाव आज सदन में दिए उन पर वित्त मन्त्री जी गम्भीरता से विचार करके उसके लिए घोषणा सदन में करेंगे। बस इतना ही मुझे निवेदन करना है।

श्री सभापति : श्री वृद्धिचन्द्र जैन।

(अनुपस्थित)

श्री रामगोपाल !

श्री रामगोपाल (किशनगंज) : सभापति महोदय, आज अभी सदन के अन्दर जयपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने जेलों के बारे में चित्रण किया है वह बहुत ही दुखद है इससे मैं भी सहमत हूं। वास्तव में उनको जेलों का अनुभव अधिक है। मैं भी इस विषय पर कुछ निवेदन करना चाहूंगा। सभापति महोदय, मैंने भी इस पर दो अपने कटौती प्रस्ताव दिए थे। उन कटौती प्रस्तावों के जरिये कुछ सुझाव राज्य सरकार को देना चाहूंगा जिससे कि राज्य सरकार को भी उसका लाभ मिल सके। और उससे जेलों के अन्दर जितनी भी खराबियां हैं उनमें जितना भी सुधार राज्य सरकार करना चाहे कर सके। मैं सर्व प्रथम माननीय

(श्री रामगोपाल)

सभापति महोदय, मन्त्री महोदय का ध्यान जेलों के अन्दर जो आज ओपन एअर जेल्स आपने स्थापित की हैं उसके बारे में निवेदन करना चाहूँगा। इसके लिए मेरा निवेदन है कि हमारे कोटा जिले में अटरू एक जगह है वहां पर आपको ओपन एअर केन्द्र स्थापित करना चाहिये। इसके अलावा मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूँ कि कोटा जिले में एक बोराखेड़ी स्थान है वहां पर भी अगर आप ओपन एअर जेल स्थापित करें तो काफी अच्छा रहेगा। बोराखेड़ी स्थान ओपन एअर केन्द्र के लिए बहुत ही उपयुक्त है। इससे जितने भी बन्दी उन ओपन एअर केन्द्रों से बाहर निकलेंगे तो उनको समाज में जेल से बाहर आते ही काफी अच्छा वातावरण मिलेगा। मैं आपके माध्यम से यह निवेदन करूंगा कि इसके लिये कोटा जिले की जो बोराखेड़ी जगह है वह बहुत ही फायदेमन्द रहेगी। इससे राज्य सरकार को भी फायदा होगा। इसलिए मैं यह मांग करता हूँ सभापति महोदय, आपके मार्फत राज्य सरकार से कि कोटा के अन्दर बोराखेडी जगह पर ओपन एअर कैम्प खोला जाये। दूसरी जो बात मैं निवेदन करना चाहता हूं वह यह है कि जेलों के अन्दर आज जो बन्दी लोग हैं उनकी हालत बहुत ही खराब है। उसे सुधारने की जरूरत है। एक समस्या और है जिसके बारे में मैं कुछ सुझाव राज्य सरकार को देना चाहता हूं। आज आपको जेलों के अन्दर कुटीर उद्योगों की स्थापना की जानी चाहिये। इससे यह होगा हमारे सरकार का उन कुटीर उद्योगों के माध्यम से उत्पादन बढ़ेगा और सरकार को आर्थिक लाभ होगा तथा साथ साथ में जेल में जो कैदी हैं वह भी वहां पर कुटीर उद्योगों का काम सीख जायेंगे ताकि जब वह जेल से बाहर निकलें तब तक कुछ काम सीख कर निकलें। इसलिए सभापति महोदय मैं आपके माध्यम से मन्त्री महोदय को निवेदन करना चाहूंगा कि हालांकि आज भी जेलों के कुछ कुटीर उद्योग हैं फिर भी जेल में कैदियों की संख्या को देखते हुए वह अपर्याप्त हैं। इसलिए मेरा निवेदन है कि जेलों में ज्यादा से ज्यादा कुटीर उद्योग खोले जाएं। ताकि बन्दी लोग उसकी शिक्षा पा सकें और जेल से छूटने के बाद अपने आपको बेकार नहीं समझें। और जेल से छूटने के बाद कुछ न कुछ काम करें। और एक अच्छी जिन्दगी बिता सकें। इसके अलावा एक और खास मुद्दे के बारे में मैं मन्त्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। मन्त्री जी आप कुछ कागज पर लिख रहे हैं तो मेरा निवेदन हैं कि दो चार लाइन मैं बोलूं उन सुझावों को भी लिख लें। मैं मन्त्री महोदय का इस ओर ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि हमारे कोटा जिले में अटरू एक स्थान है वहां पर पहले मुन्सिफ मजिस्ट्रेट का दफ्तर था और अब भी है लेकिन उस मुन्सिफ मजिस्ट्रेट को पहले हफ्ते में दो दिन के लिए बृहस्पतिवार और शुक्रवार को छबड़ा में अपना कोर्ट लगाना पड़ता था वहां पर ऐसी व्यवस्था है सभापति महोदय, कि गाड़ी सुबह 8 बजे जाती है छबड़ा और शाम को वहां से करीब साढ़े सात बजे या आठ बजे

(श्री रामगोपाल)

वापिस अटरू के लिए आती है। इससे काफी समस्या दोनों जगहों के लिए हो जाती है क्योंकि मुलजिमों को अगर बृहस्पतिवार को कोई केस में आना होता है तो अटरू से छबड़ा जावो शुक्रवार को वही बात और दूसरे दिनों में छबड़ा से अटरू आना पड़े इससे मुलजिमों को लाने ले जाने में काफी दिक्कत आती है। अटरू में जेल भवन भी नहीं है वहां से छबड़ा ले जाना पड़ता है तो मेरा निवेदन है मन्त्री महोदय से कि अटरू जेल में भवन बनाने की व्यवस्था की जावे। क्योंकि सभापति महोदय एक तारीख से हमारी सरकार जूडिशियरी को एग्जीक्यूटिव से सेपरेट करने जा रही है तो इससे कि मुलजिम को परेशानी नहीं हो अगर आप अटरू में जेल भवन बनादें तो अटरू से दो दिन छबड़ा मुन्सिफ मजिस्ट्रेट तो रहेगा लेकिन जेल भवन भी तो होना चाहिये। इसके अलावा छबड़ा में यह मुन्सिफ मजिस्ट्रेट जा नहीं सकेगा तो वहां भी एक मुन्सिफ मजिस्ट्रेट का पद रखा जाना चाहिये। इससे छबड़ा की जनता को भी फायदा होगा। और अटरू में तो मुन्सिफ मजिस्ट्रेट का पद है ही। तो अटरू के मुन्सिफ मजिस्ट्रेट के पद का फायदा अटरू की जनता को भी होगा। इसलिये मेरा यह निवेदन है कि अटरू में जेल भवन बनाया जाय ताकि मुलजिमों को भी रहने की जगह हो। इसके अलावा छबड़ा के अन्दर जो जेल है मुलजिमों के लिए वह एक टेकरी पर है। वह पुराना कृषि भवन में है। वहां पर कैदियों के पीने के पानी की बहुत ही प्रोब्लम है। वह इतना ऊंचा है सभापति महोदय कि कैदियों को पानी लाने में काफी दिक्कत होती है। जेल से नीचे जाकर पानी लाना पड़ता है। कैदियों के पैरों में वेड़ियां होती हैं और उन्हें पानी लाने में काफी दिक्कत होती है। वहां पर जो जेल है उसका भवन भी काफी पुराना है उसकी मरम्मत की जरूरत है। इसलिए उन कैदियों की सुविधा के लिए जेल भवन बनाया जाना चाहिये। इसके अलावा कैदियों को आज जेलों में मैडीकल फैसीलिटीज के बारे में काफी गड़बड़ी है उन्हें पूरी मैडीकल सुविधायें नहीं दी जाती हैं। इसके बारे में भी कुछ कहना चाहूंगा। जेलों में कैदियों को काफी मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। एक ही तरह की दवा उनको हर बीमारी में दे दी जाती है अगर किसी की टांग में दर्द है तो उसके लिए उसको कान के दर्द की दवा दी जाती है। बीमारी कुछ होती है और दवा उसको दूसरी दे दी जाती है। इसलिए मेरा राज्य सरकार से यह निवेदन है कि कैदियों को सही मेडीकल एड दी जानी चाहिये। मैं आगे यह भी कहना चाहूंगा मैंने कटौती प्रस्ताव भी दिये हैं उसके लिए वह है मांग संख्या 31, मुख्य शीर्षक 66 प्रादेशिक तथा राजनैतिक निवृत्ति लोगों के बारे में मैं मन्त्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। सभापति महोदय आज जितने भी स्वतन्त्रता सैनानी हैं ....

श्रीमती मदनकौर : कोरम नहीं है उसके बिना ही हाउस चल रहा है।

(गणपूर्ति सूचक घन्टी)

(कोरम-घण्टी)

(गण पूर्ति के पश्चात्)

श्री रामगोपाल : सभापति महोदय, आज ये जितने भी स्वतन्त्रता सेनानी हैं उनको

(श्री रामगोपाल)

जो पेन्शन दी गयी है उनमें से तो कई ऐसे हैं जो वास्तव में स्वतन्त्रता सैनानी नहीं हैं। जिनको स्वतन्त्रता सैनानी के लिए ताम्रपत्र दिया जाना चाहिए था उन्हें नहीं दिया गया जिन्हें नहीं दिया जाना चाहिए था, उन्हें ताम्रपत्र दिया गया है। जिन्हें पेन्शन मिलनी चाहिये थी स्वतन्त्रता सैनानी को उन्हें नहीं मिली है। जिन्हें नहीं मिलनी चाहिए थी उन्हें पेन्शन मिली है। आज वह लोग गले में ताम्रपत्र डाले फिर रहे हैं जिनको ताम्रपत्र मिलना ही नहीं चाहिये था उचित लोगों को ताम्रपत्र नहीं मिला। इसलिए मैं मन्त्री महोदय को आपके माध्यम से सुझाव देना चाहता हूं कि इसके लिए एक कमेटी बनाकर यह जांच की जाये कि वास्तव में स्वतन्त्रता सैनानी कौन थे और कौन नहीं हैं। इसकी जानकारी की जाय। और वास्तव में जो पेन्शन के काबिल है उनको पेन्शन दी जाय। इसके अलावा ज्यादा विषयों में अब मैं नहीं जाना चाहता किन्तु यही कहना चाहूंगा कि कोटा के अन्दर बारखेड़ के वहां पर ओपन कैम्प की स्थापना की जाय।

दूसरा जेलों के अन्दर ज्यादा से ज्यादा कुटीर उद्योगों की व्यवस्था की जाय जिससे सरकार के लिए उत्पादन बढ़ सके और लाभ हो सके।

तीसरा अटरू में जेल भवन का निर्माण हो ताकि उस क्षेत्र के बन्दी जिनको छबड़ा से लाया जाता है, उनके आ जाने में असुविधा होती है, उसके लिये असुविधा का सामना नहीं करना पड़े। स्वतन्त्रता सैनानियों के साथ जो भेदभाव बरता जाता है वह न बरत करके जो पेन्शन काबिल हैं उनको पेन्शन दी जाय। मैं इतना ही कह कर अपनी बात को समाप्त करता हूं और आशा करता हूं कि जो मैंने सुझाव दिये हैं उन पर मन्त्री महोदय गौर करेंगे और पूरा करने की कोशिश करेंगे।

श्री सभापति : श्री चेतराम !

(अनुपस्थित)

प्रोफेसर केदारनाथ !

श्री केदारनाथ (गंगापुर) : सभापतिजी, काफी सालों के बाद और वह भी सप्लीमेंटरी ग्रान्ट पर बोलने का मौका मिला है। जिस समय, एक्सरूलर्स के समय जेल जाने का मौका मिलता था उसमें और आज की कन्डीशन्स में बहुत फर्क है। सभापतिजी आपको भी अनुभव है। 45-46 में प्रजामण्डल के आन्दोलन चलते थे उस समय पोलिटिकल वरकर्स को जो यातनायें दी जाती थीं, वे भयकर रूप से सामने आती थीं। उन यातनाओं का पीरियड बन्द कर दिया पर हमारे राज्य ने जेल के बारे में सन् 1953 में कानून बनाया उसके बाद भी कभी विचार नहीं किया कि इसमें मौलिक परिवर्तन किया जाय। जेलों की कण्डीशन्स के बारे में, रेमिशन के बारे में। क्लासिफिकेशन्स के बारे में, लाइट के बारे में, शिक्षा के बारे में कभी सोचा ही नहीं। केवल एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर्स देते रहे, पीस मील में कभी 2 ऑर्डर्स दे दिये लेकिन जेल मेन्युअल में तब्दिली लाने के लिये कोई कोशिश नहीं की गयी। हालांकि जेल रिफोर्म्स कमीशन था और उसकी रिकमन्डेशन्स थीं उनमें यह कहा गया था और आप यह ताज्जुब करेंगे कि हाउस में मांग की गयी थी और उसके फल-

(श्री केदारनाथ)

स्वरूप वह कमीशन नियुक्त हुआ था लेकिन इस हाउस में उस कमीशन की रिपोर्ट पर कभी बहस नहीं हुई। उसकी रिकमन्डेशन्स पर बहस हो जाती और मैन्युअल में तब्दिली हो जाती तो अब तक जेल का काफी सुधार हो जाता।

मान्यवर, मैं दो शब्द इस सम्बन्ध में भी कहना चाहता हूं कि जो शख्स दस बारह साल जेल में काटता है, हम यह सोचते हैं और यह कल्पना करते हैं कि जेल में दस बारह साल काटने के बाद वह अपने घर को वापिस आये तो वह अपने आपको एक सुधरा हुआ व्यक्ति मान कर आये, उसके दिमाग में, उसके टैम्परामेन्ट में, उसकी आदतों में मौलिक तब्दिली आये जिससे वह हार्ड क्रिमिनल के रूप में न रह कर एक नागरिक का जीवन व्यतीत कर सके। आज वहां की डाइट, वहां का वातावरण क्या है? उसको अच्छा नागरिक में तब्दील करने के लिये वह काफी है क्या? नहीं।

सभापतिजी, जेल का फाटक, 6 बजे जेल का फाटक बन्द हो जाता है। सुबह सुबह नाश्ता मिलता है उसमें एक चपाती मिलती है। चने बन्द कर दिये क्योंकि उसके प्राइसेज बहुत बढ़ गये हैं। दस बजे 3-3। छटांक का भोजन मिलता है। सब्जी का पता नहीं, दाल है तो दाने नहीं दाल के, दाने कम और झोल ज्यादा।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : आप अच्छी तरह से बोल लें जेल के लिये अपने को चलना है साथ जेल में।

श्री केदारनाथ : जो सब्जी फैंकने काबिल होती है वह उनको मिलती है। शाम का भोजन तो पूछिये हो नहीं कैसा होता है कच्ची रोटी। फ्युल की क्वान्टिटी जो दस वर्ष पहले निर्धारित की थी, उसी में भोजन तैयार करना पड़ता है। एक रसोड़ा है डिस्ट्रिक्ट जेल में, चाहे सौ आदमी हों, चाहे दोसौ आदमी हैं हार्ड क्रिमिनल्स को यह काम सौंपा जाता है। उनकी मार्फत आप यह कराते हैं। कम क्वान्टिटी, कच्चा भोजन, प्रोटीन नाम की चीज नहीं उसको खाकर दस बारह साल के बाद उसका मानस क्या तब्दील होकर आवेगा?

श्री यशवन्तसिंह नाहर : उनमें तब्दिली चाहते ही क्यों हैं?

श्री केदारनाथ : सभापतिजी, जेल जाने वालों के लिये समुचित शिक्षा का भी प्रबन्ध नहीं है। न सोशियल एक्टिविटीज हैं, न खेल का सामान है और न ही ऐसा वातावरण है। प्रोडक्शन के लिये भी कोई वातावरण नहीं एम्प्लॉयमेन्ट का भी पूरा साधन नहीं। सारे दिन वह करते क्या हैं फिर? वे एक तरह की पंचायत करते हैं। एक पूछता है तू क्या करके आया। दूसरा जवाब देता है फलां को मार कर आया हूं। कैसे मारा? गोली से मारा। कैसे मारना चाहिये? हथोड़े से मारना चाहिये। उनकी यह आपस में बैठकर स्टेडी क्लासेज होती हैं।

किन कॉन्स्टेबल्स को लगाया जाता है? जिनका खुद का मेन्टल इक्वीपमेंट नहीं होता है कि जो उनसे ढग से व्यवहार और बात कर सके। एम्प्लॉइज का काम करने का स्टेन्डर्ड भी ऐसा नहीं है कि जो हम चेन्ज चाहते हैं वह तो आने वाली नहीं है।

क्लासिफिकेशन कैसा हो? जेल मैन्युअल के तहत जो भी जिम्मेदार अफसर हैं,

(श्री केदारनाथ)

जेलर, असिस्टेन्ट जेलर उनको अधिकार होने चाहियें कि छः माह के बाद क्लासिफिकेशन कर दें। एक ओर्डिनरी और एक स्पेशल क्लास। 6 महीने के अन्दर, परफोर्मेन्स देख लें, रिजल्ट्स देख ले और सेटिस्फाई होने पर क्लासिफिकेशन उसका बदल दिया जाय।

जहां तक डाइट का सवाल है उसमें फर्क होना चाहिये। जो मैनुअल लेबर करते हैं, फिजिकल लेबर करते हैं, मैन्टल लेबर करते हैं उनकी डाइट की मात्रा अलग अलग बनानी चाहिये। सारी की सारी डाइट्स का चार्ट दस वर्ष पहले का है। आज की कीमतों को देखते हुए उसमें तब्दिली आनी चाहिये। एक टेन्डर ले लेते हैं। एक आदमी से डील करते हैं। जेल के अन्दर सब के राशनकार्ड न बनाये सब्सिडाइज्ड रेट पर भोजन का प्रबन्ध नहीं करायेंगे तो डाइट में सुधार नहीं होगा। मौजूदा कीमतों में डाइट देने जा रहे हैं तो उसकी क्वान्टिटी कम हो जावेगी, प्रोटीन नाम की तो कोई चीज ही नहीं। उसको स्टेन्डर्डाईज करके इन्क्रीज कीजिये। को-ऑपरेटिव सोसाइटी या सरकार की ओर से तो सामान नहीं आता है। प्राइवेट डीलर्स की मार्फत सामान आताहै सबसे भद्दा सामान वह राशन में सप्लाई करता है। अभी मैंने क्लासिफिकेशन की बात कही।

दूसरी बात, जेल में जो एम्प्लाइज हैं तीन तरह के हैं। जेलर, डिप्टी जेलर और असिस्टेन्ट जेलर। असिस्टेन्ट डाइरेक्टर को आप डाइरेक्ट अपॉइन्ट करते हैं। डिप्टी की पोस्ट प्रमोशन से भरते हैं और जेलर की पोस्ट भी इसी तरह से है। पर डिप्टी और असिस्टेन्ट जेलर की तनख्वाह में अन्तर नहीं है। केवल दस रुपये का फरक है। आज दस साल के बाद भी, उनकी मांग आने के बाद भी एक कमेटी की रिपोर्ट मिल जाने के बाद भी आप यह तै नहीं कर सके कि डिप्टी जेलर को इन्क्रीमेन्ट कैसे दिया जाय आपने गुप्ता कमेटी की रिपोर्ट पर भी अमल नहीं किया।

फिर एक चीज और है। जेलर की पोस्ट पर डिप्टी जेलर का प्रमोशन करने के बजाय आप कभी किसी रोडवेज के अधिकारी को जेलर बना कर भेज देते हैं कभी समाज कल्याण के अधिकारी को भेज देते हैं कभी किसी विभाग के अधिकारी को जेलर बना देते हैं। यह गलत तरीका है आपका। जो दस बारह साल से डिप्टी जेलर की पोस्ट पर रह कर उसका अनुभव हांसिल कर चुका है उसे आपको जेलर बनाना चाहिये। आपने जयपुर में रोडवेज के किसी अधिकारी को जेलर बना दिया। बीकानेर में भी ऐसा ही किया।

आपने एक जेल एडवाइजरी कमेटी बनाई है। उसमें दो एम. एल. ए. एस. पी. कलेक्टर और सैशन जज भी हैं। वहां विजिटर्स के रूप में एम. एल. ए. जाता है। देख आता है और रजिस्टर में लिख देता है। इसके अलावा उसे कोई अधिकार नहीं है। आप ऐसी कमेटी बनाइये जो रेमिशन के बारे में, क्लासिफिकेशन के बारे में, ड्यूटी को तब्दील करने के बारे में राय ही न दे सके, कुछ अधिकार भी हों इनको क्रियान्वित करने का उसको। केवल माह दो माह या छः माह में कभी जावें और रजिस्टर में रिमार्क लिख

(श्री केदारनाथ)
दें कि हालत ठीक नहीं है या यह कमी है, वह कमी है। इससे कुछ होने जाने वाला नहीं है। इनको पावर दीजिये। नहीं तो जेलों में सुधार की बात करना व्यर्थ है। एड्वाइजरी कमेटी बनावें और इनको अधिकार दें।

अच्छा डॉक्टर भी वहां हो। आजकल डाक्टर एक घंटा दो घंटा तीन दिन में एक बार है। इससे काम नहीं चलेगा। फिर अगर अधिक बीमार हो जायं तो आप उसके आगे पीछे तीन चार कॉन्स्टेबल भेजते हैं वे जाते हैं अस्पताल और वापिस आते हैं। वहां भर्ती हों तो उनको भी साथ रहना पड़ता है। इसके एवज में तो एक पूरा डॉक्टर अस्पताल में ही हो और एक अच्छी डिस्पेन्सरी भी हो तो जितना खर्चा आपका आज होता है उससे कम खर्चा भी होगा और अस्पताल वहीं होने से सभी को सहूलियत भी होगी, चार सिपाही बराबर रखने का खर्चा भी आपका नहीं होगा।

फिर रेमिशन में आपका एक परफोर्मेन्स है। पहले कभी दे देते हैं फिर ले भी लेते हैं किन्हीं मामलों में तो इससे काम नहीं बनता। एल्योरमेन्ट कुछ दीजिये। इसे आप प्रोडक्शन के साथ जोड़ दीजिये। काम के साथ जोड़ दीजिये। आपको दूहरा लाभ होगा। काम भी बढ़ेगा और उनकी देख भाल में जो आपको अधिक समय खर्च करना पड़ता है वह भी कम होगा, उनमें आत्मविश्वास पैदा होगा। तब आवेगा परिवर्तन। ओपन एअर कैम्प की आपकी स्कीम अच्छी है। इसे आप विस्तार दीजिये परिवार उनके साथ होता है। काम फिर वे काफी डट कर करेंगे। तब सुधार आवेगा ये सारे रास्ते हैं। इन कैम्पों की संख्या काफी बढ़ाइये। प्रबन्ध के लिये अलग समिति बनाइये। केवल एक अफसर बैठ कर चार पांच साल का उसका परफोर्मेन्सेज देख कर एडमिसन की सिफारिश करें यह काफी नहीं है। स्टेट लेवल पर एक कमेटी हो। रेमिशन एण्ड कैम्पों में एडमिशन, क्लेरिफिकेशन आदि के बारे में इनको अधिकार दीजिये।

मुझे जेल के जूडीशियल लॉकप का अनुभव है। वह आपके परव्यू में आता नहीं जेल में ही हालत खराब है। बी क्लास की बैरकें जेलों में 10-15 बीस साल पहले बनी थीं। न उनमें रोशनी का प्रबन्ध है, न हवा आने जाने का पर्याप्त प्रबन्ध है। 6 बजे शाम आदमी को आप बन्द कर देते हैं। यहां गरम प्रदेश में बड़ी कठिनाई होती है। उसकी नींद हराम हो जाती है। मच्छर ऊपर से अलग, गरमी है ही। अप्रैल महीने से अक्टूबर तक गरमी का सीजन चलता है। उसके बाद अन्दर जाकर वह सो सकता है। आप उसको सोने न दो, डाइट कम दो, शान्त वातावरण न दो तो फिर आप सुधार की आशा न करें। अच्छा काम करता है तो छः महीने बाद उसे बाहर सोने की इजाजत दे दीजिये। काफी एनक्लोजर्स हैं, बैरक का है, उसके बाद और एनक्लोजर है, उसके बाद एक और दरवाजा है। तीन तीन गेट हैं। इनमें से निकल कर भागना मुश्किल है। आज तक जो भी जेल काट कर निकला है वह जेल के आपको एम्प्लोइज से मिल कर ही निकला है। अपने आप कोई भी क्रिमिनल कितना भी हार्ड क्यों न हो कितना ही एक्सपर्ट क्यों न हो। अकेला कभी निकल नहीं सकता। आप पंखों का भी उनके लिये प्रबन्ध करिये।

(श्री केदारनाथ)

डाइट शिड्यूल की जहां तक बात है इस साल बाद भी वहीं है। इसमें समय के अनुसार आप चेन्ज करिये। उनको नरिशमेंन्ट मिले इसका ध्यान रखिये।

डिस्पेन्सरियां खोलिये उनमें दवाइयों का प्रबन्ध करिये। डॉक्टर और कम्पाउण्डर रखिये। आज तो केवल एक कम्पाउण्डर रहता है जो भी छः बजे बाद चला जाता है। तो इस तरह से आप सारे लेवल पर कमेटियां बनाइये। और जो आपकी मान्यता है उसके अनुसार इसमें सुधार करिये। डायट में तब्दीली लाइये। 3।। छटांक की जगह पांच छटांक इतनी सब्जी इतनी रोटी। इसको ठीक करिये। इसके अलावा न साबुन न तेल। एक माह में एक मुट्ठी रीठा मिलता है। सोडा आप देते हैं एक महीने में एक बार। इससे कैसे वे अपने कपड़े साफ कर सकते हैं। पेनीवाइज पौंड फुलिश की बात करते हैं।

दूसरा मेरा कट मोशन पोलिटिकल सफरर के बारे में है। हम माँग करते थे कि आप एक रिवोल्यूशन की हिस्ट्री लिखें, लिबरेशन मूवमेन्ट की हिस्ट्री लिखें कि कौन कौन लोग थे जिन्होंने इसमें काम किया, प्रजा मण्डलों में काम किया। राजाओं के खिलाफ लड़ाइयों में भाग लिया, प्रजा मण्डलों और प्रजा परिषदों में शामिल हुए। किनको कितना नुकसान हुआ। यह हिस्ट्री अगर आप तैयार करवाते तो फिर किसी को किसी के पास भीख माँगने नहीं जाना पड़ता। आज तो जिन ब्यूरोक्रेसी के मुर्जी ने उस वक्त तंग किया था उन्हीं के पास सर्टीफिकेट लेने के लिये जाना पड़ता हैं। अब जिन्होंने जिस देश के लिये काम किया है वे स्वयं अपने कामों का बखान करके कुछ लेने की कोशिश करें और वह भी छः छः महीने बाद तस्दीक मिले। इससे बड़ा ह्यूमिलियेशन और क्या होगा।

आप उन सबकी हिस्ट्री लिखाते उनमें से जो जीवित हैं उनसे कहते कि हम आपके लिये यह करने जा रहे हैं। आज आप पच्चीस साल बाद उनको कुछ देने जा रहे हो। इसमें भी पहले तो यह कहा कि छः महीने जेल रह आये उनको लेंगे। हमारे यहाँ अन्डरग्राउण्ड भी बहुत थे। इसके अलावा बाहर भी फील्ड में जिन्होंने काम किया था जागीरदारी इलाकों में। उस एट्रोसिटीज में सबके नाम है और 10-12 साल से इतिहास लिखा जा रहा है लेकिन वह पूरा नहीं हो पा रहा है। पहले हमारे खड़गावत जी थे अब जोधपुर में लिखा जा रहा है लेकिन अभी तक राजस्थान की लिबरेशन हिस्ट्री नहीं लिखी गई है। इसलिये मेरी प्रार्थना है अगर आप जस्टिस करना चाहते हैं फ्रीडम फाइटर्स के साथ तो उनकी हिस्ट्री लिखवाइये, उनकी हिस्ट्री क्लासेज में पढ़ाई जाय। अगर आप यह नहीं करते है तो उनके साथ क्या जस्टिस करते हैं और क्या आस्था पैदा करते हैं। बच्चे हिस्ट्री पढ़ें और यह जानकारी लें कि इस प्रकार के काश्तकार थे जिन्होंने जागीरदारों के खिलाफ लड़ाई लड़ी है, जिन्होंने काफी कुर्बानी दी है। उन लोगों ने प्रजा परिषद् और प्रजा मण्डल में काम किया है। आप समझते हैं हमने तो काम किया नहीं और इसलिये हमारा नाम तो उस इतिहास में आयेगा नहीं लेकिन उनकी हिस्ट्री लिख दीजिये। उनके पिक्चर है, उनके ऐसे भी

(श्री केदारनाथ)

है प्रजा परिषद और प्रजा मण्डल में किसने काम किया है यह जब तक राजस्थान की सरकार नहीं करती है, मैं समझता हूं फ्रीडम फाईटर्स के साथ जस्टिस नहीं करती है। अब जिन लोगों ने जंग लड़े, कांग्रेस के सिपाही के नाते अब तो इने गिने रह गये हैं, दिखते ही नहीं है-आल इण्डिया स्टेट्स पिपुल्स कान्फ्रेन्स जिसके नेहरू जी अध्यक्ष थे और शेख अब्दुला प्रेसीडेन्ट थे, उनके वक्त जिन्होंने काम किया है और जागीरदारों की एट्रोसिटीज को सहन किया है, उनकी मार खाई है, जेलों में गये हैं और अपना जीवन समाप्त किया है। कुछ लोग तो ऐसे थे, जिनके परिवार के परिवार समाप्त हो गये, क्योंकि 6 महीने की कन्वीक्शन जेलों में नहीं काटी। अब आप उनकी कुर्बानी इसके अलावा और क्या समझते हैं। जेल काटना तो मामूली बात है। जिन्होंने अपनी लाइफ को रिस्क में डाल दिया कांकड काण्ड जैसे काण्डों में काफी लोग मारे गये है लेकिन सभापति जी आज कतई उनका नाम नहीं है फ्रीडम फाइटर्स की लिस्ट में। इसलिये मैं निवेदन करना चाहता हूं राजस्थान में अगर आप इन्साफ करना चाहते हैं तो ऐसे लोगों को आप ताम्रपत्र मत दीजिये कम से कम पालिटिकल फ्रीडम फाइटर्स तो मानिये। कहां यूथ का टाइम लगाया उन्होंने, देश की सेवा में लगाया तो उनके परिवार वाले जब वह इतिहास पढ़े तो उन्हें सन्तोष तो आना चाहिये।

अब सभापति जी, सेन्ट्रल ने लिस्ट बना ली ताम्र पत्र की और अब स्टेट ने बनाना शुरू किया है और एक कमेटी का निर्माण किया है जिसके श्रीमान राज बहादुर जी चेयर मेन हैं। आखिर मुझे मालूम नहीं 2-3 कमेटियों का कोआर्डिनेशन क्या होगा। एक केबिनेट स्तर की है। स्टेट लेवल पर को आर्डिनेशन होना चाहिये और एक जगह से उसको पेन्शन, ताम्र पत्र जो मिलता है वह एक ही स्थान से होना चाहिये। अब 3-4 जगह एप्लाई कर रखा है तो वह पोलिटिकल फ्रीडम फाइटर अन्धेरे में रहता है। सभापति जी मैं यह मानकर चलता हूं डिप्टी सेक्रेटरी लेवल पर जांच होना ह्यूमिलियेशन है। पोलिटिकल वर्कर किसी चेयरमैन के पास जा सकता है, पब्लिक मैन के पास जा सकता है लेकिन अगर वह सेक्रेटेरियट के चक्कर लगाता है, डिप्टी सेक्रेटरी के पास जाता है तो वह अपने आपको ह्यूमिलियेट मानता है। अगर पी. सी. सी. में बैठ कर शहादतें होती हैं उसको वहां बार बार जाना पड़ता है तो मैं उसको अच्छा मानता हूं बशर्ते सेक्रेटेरियट में जाने के। सेक्रेटेरियट में जाने के लिए पहले तो चपरासी खड़ा रहे, वह उसको रोक दे, वह उसको आगे नहीं बढ़ने दे मैं बहुत बड़ा ह्यूमिलियेशन मानता हूं। फिर चपरासी से निकल जाने के बाद भी अनेक प्रकार की रुकावटें उसे वहां तक पहुंचने में आती हैं। इसलिए मेरा निवेदन है आप कहीं भी बुला लीजिये। यह ताम्र पत्र का सेक्रेटेरियट में न होकर और कहीं होना चाहिये और उसका चेयरमैन पालिटिकल फ्रीडम फाइटर होना चाहिये तब आपको मालूम पड़ेगा कि राजस्थान का मूवमेंट क्या था।

अब सभापति जी ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्होंने 6 महिने की जेल नहीं काटी और अन्डर ग्राउन्ड चले गये। हम मूवमेंट

(श्री केदारनाथ)

के समय ग्राउस में बैठकर यह तय करते थे कौन ग्रोपनली ग्ररेस्ट होगा ग्रौर कौन लोग जाकर फील्ड में काम करेंगे, वे ग्रन्डर ग्राऊन्ड हुग्रा करते हैं। ग्रब ग्रन्डर ग्राउन्ड वालों की कोई लिस्ट नहीं जबकि वास्तविक फाइटर्स हैं, खुले रूप में जिन्होंने संघर्ष किया है ग्रौर जिन्होंने 6 महिने से कम जेल काटी ग्रौर दूसरा काफी काम किया उनका लिस्ट में नाम नहीं है। मेरा निवेदन तो यह है ज्यादा हिस्सा तो उन लोगों का है, ज्यादा एक्टिव तो वे लोग रहे हैं जो ग्रन्डर ग्राउण्ड थे। उन्होंने राजस्थान का नकशा बदला है। मैं सोचता हूं सभापति जी जब हमारे मंत्री महोदय जवाब दें तो बतायें कि राजस्थान में ऐसी स्टेट्स थी जहां रूलर्स राज्य किया करते थे ग्रौर उनकी ग्रपनी जेलें थीं ग्रौर उस तरीके से उन्होंने काम किया है। हमारा दृष्टिकोण यह है ग्रौर मैं यह मानकर चलूंगा जब इस प्रकार का ग्रापका कोई इतिहास होगा तो ही राजस्थान के साथ इन्साफ होगा। मैं इन्हीं शब्दों के साथ ग्रपना स्थान लेता हूं।

श्री सभापति : श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा !

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा (सूरतगढ़) : सभापति महोदय, ग्राज हम 31 करोड़ के करीब सप्लीमेन्टरी ग्रान्ट में से केवल तीन ग्रान्ट्स पर ही विचार कर रहे हैं विविध विभाग 26, कारागार 22 ग्रौर माँग संख्या 31 प्रादेशिक तथा राजनैतिक निवृत्ति वेतन—66। इन ग्रान्ट्स में वैसे राशि बहुत थोड़ी है लेकिन ग्रपने ग्राप में काफी ग्रहम ग्रान्ट्स है। कारागार के लिये 20 हजार चाहे गये हैं ग्रौर राजनैतिक पेन्शन वगैरह के लिये केवल 50 हजार। वैसे तो सभापति महोदय कारागार ग्रपने ग्राप में एक महत्वपूर्ण विषय है लेकिन कारागार के सम्बन्ध में भारतवर्ष के किन्हीं कारागारों को देखिये तो राजस्थान के कारागार की स्थिति बड़ी दुर्लक्षपूर्ण है। ग्राज सात प्रकार के कारागार हैं। ग्रग्रेजों के जमाने से जो सड़ी गली ए श्रेणी, बी श्रेणी ग्रौर सी श्रेणी की जो सहूलियतें प्राप्त हैं उनको देखें तो कई जगह हंसी ग्राती है। बी श्रेणी ग्रौर ए श्रेणी को ले लीजिये ग्रौर स्लीपिंग ड्रेस का प्रोविजन-स्लीपिंग ड्रेस पहना कर सुला रहे हैं ग्रौर ग्रौर फिर इन सारी श्रेणियों के ग्रन्दर जो ग्रन्तिम श्रेणी है जिनमें हमारी बारी ग्राती है जो करीबन 70 के है उन जेलों में कई प्रकार की जेलें ऐसी हैं कि उन जेलों से फांसी लगाकर मार डालना ज्यादा उचित है। मुझे सौभाग्य प्राप्त हुग्रा है। इधर के कम लोगों को प्राप्त हुग्रा है, क्योंकि स्वतन्त्रता सैनानियों का सुमनेश जोशी का ग्रन्थ निकलता है जिसमें राजस्थान के 650 स्वतन्त्रता सैनानियों का इतिहास है तो मुझे केवल इने गिने सदस्य मन्त्रिमण्डल के, कोई नजर नहीं ग्राता है····

एक माननीय सदस्य : चश्मा लगाकर देखिये।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : बहुत गहराई से देख रहा हूं मन्त्रिमण्डल में कोई नजर नहीं ग्राता है····

श्री वृद्धिचन्द्र जैन : हमारे हरिदेव जी हैं····

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : हरिदेव जी का नाम नहीं है। ग्रभी यह ग्रन्थ स्वीकृत नहीं किया गया है, शिक्षा विभाग से इसलिये

(श्री योगेन्द्रनाथ हांडा)

सभापति जी उनको इस बात का विशेष कष्ट नहीं होगा लेकिन प्रो. केदार और मुझे साल में 3-4 बार प्रदर्शन करना पड़ता है। रायसिंह नगर, भादरा, हनुमानगढ़ के कारागारों को देखिये—हनुमानगढ़ का कारागार तो साढ़े पांच फुट····

श्रीमती नगेन्द्रबाला : एक मिनिट मेरी बात सुन लें। स्वतन्त्रता सेनानियों की लिस्ट में एक भी एम. एल. ए. नहीं है, एक भी मिनिस्टर नहीं है यह किस आधार पर ···

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : एम. एल. एज. का नहीं कहा है। मैंने केवल मिनिस्टर्स के लिये कहा है। एम. एल. एज. में तो आप भी आती हैं आपका पूरा परिवार आता है·· आप चिन्ता मत कीजिए मैंने उसके लिए विशेष वर्णन का आयोजन किया है···

श्रीमती नगेन्द्रबाला : मैं तो यह कहना चाहती हूं कि ताम्रपत्र लेने से या पेन्शन लेने से ही स्वतन्त्रता सेनानी हो जाते हैं क्या ?

श्री प्रद्युम्नसिंह : हमारे मुख्य मन्त्रीजी हैं। पुस्तक में वर्णन नहीं किया तो इसका मतलब यह नहीं कि वह स्वतन्त्रता सेनानी नहीं हैं।

श्री सभापति : ऑर्डर प्लीज।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : तो सभापति महोदय, मैं यह अर्ज कर रहा था कि उप-कारागृह की स्थिति इस प्रकार की है कि हनुमानगढ़ की जेल केवल 5½ फुट ऊंची है जिसमें न तो प्रोफेसर केदार ही खड़े हो सकते हैं और न मैं ही। और जितना समय कारागृह में गुजारना पड़ता है वह लम्बे लेटकर गुजरना पड़ता है। और झुंझुनूं के जेल की स्थिति तो शायद माननीय रामनारायणजी बता पायें। फिर उप-कारागृह में यदि 25 कैदियों के लिए स्थान है वहां हनुमानगढ़ में 60-60 और 70-70 कैदी से कम नहीं होते। हनुमानगढ़ या रायसिंहनगर को ही ले लीजिए। जहां 30 आदमियों की बात है वहां 60-70 और 80 तक कैदी ठूंस-ठूंस कर भर दिये जाते है। तो इस की यातना देकर आप उनको सुधार रहे हैं तो सीधे-सीधे फांसी पर ही क्यों न लटका दो उनको।

इसके अतिरिक्त मैं समझता हूं कि आज हमारा दृष्टिकोण क्राइम्स के प्रति अधिक वैज्ञानिक होता जा रहा है और जैसे-जैसे बदलती जा रही हैं क्राइम्स के बारे में हमारा आस्थायें, दृष्टिकोण भी बदलता जा रहा है और आज सारा विश्व जानता है कि क्राइम्स व्यवस्था के कारण होते हैं। सारे विश्व में पूंजीवादी देशों में क्राइम्स की स्थिति का अध्ययन किया जा चुका है और उस सम्बन्ध में यू. एन. ओ की भी रिपोर्ट है और विद्वानों की भी रिपोर्ट है और सारे सोशियलिस्ट देशों में क्राइम्स का अध्ययन किया जा चुका है, सभापति महोदय, पूंजीवादी समाज क्राइम्स को जन्म देता है, जुवीनाइल क्राइम्स को जन्म देता है और सब तरह के क्राइम्स को जन्म देता है और क्राइम्स के सम्बन्ध में सुधार का जो दृष्टिकोण है उसके लिए जेल एक बहुत ही उपयुक्त स्थान है। क्राइम्स क्यों किये जाते है उसके अध्ययन के लिए भी जेल उपयुक्त स्थान है। सन् 1962 के अन्दर एक जेल रिफार्म्स कमेटी बनी थी। 1964

(श्री योगेन्द्रनाथ हांडा)

में उसने अपनी रिपोर्ट सबमिट कर दी और उसने इस पहलू के ऊपर भी थोड़ा विवेचन किया है लेकिन आज 1974 तक न तो वह रिपोर्ट कभी सदन के अन्दर बहस के लिए आई और न उस रिपोर्ट के सम्बन्ध में कभी कोई चर्चा हुई और न उस रिपोर्ट को लागू करने का प्रश्न है और न उस रिपोर्ट में जो योजनायें दी गयी हैं उस सम्बन्ध में कभी उनको लागू किया गया है या गम्भीरता से उसके ऊपर विचार भी किया गया है। वैसे तो कहने के लिए राजस्थान के अन्दर हमने बालक सुधार गृह भी बनाये, महिला सुधार गृह भी बनाये। हमारी अजमेर की आदर्श जेल भी है और हमने ए और बी श्रेणी की जेलों के लिए अडल्ट एजुकेशन के प्रोग्राम भी रखे हैं 3 महीने, 6 महीने और 9 महीने के और इन प्रोग्राम के लिए हम तीन सर्टीफिकेट्स भी देते हैं लेकिन सभापति महोदय आज आप आंकड़े देखें कि प्रौढ़ शिक्षा के आंकड़े केवल 176 के हैं जिन्होंने ए, बी और सी के सर्टीफिकेट हासिल किये हैं और 1973-74 के आंकड़े देखें तो यह 250 से अधिक नहीं जाते और अगर बाल सुधार के आंकड़े देखें तो केवल उदयपुर तक ही सिमट कर रह गये हैं और मैं आपको बताऊं कि इसमें केवल बालकों की संख्या देखें तो चन्द ही बालकों को पांचवीं कक्षा तक 1973 तक 42 बालक उत्तीर्ण हुए और 1972-73 तक केवल 40 बालकों को पांचवीं कक्षा तक की शिक्षा दिलाई और उसमें से 33 बालक उत्तीर्ण हुए और महिलाओं के सम्बन्ध में कोई योजना आरम्भिक शिक्षा की भी ऐसी स्थिति नहीं है।

सभापति महोदय, अगर किसी मनुष्य को सारे जीवन की जेल हो जाती है तो जीवन में किन्हीं परिस्थितियों में मनुष्य क्राइम भी करता है और शेक्सपीयर ने तो यह कहा है कि क्राइम इन्सान किसी विशेष परिस्थितियों में कर सकता है। लेडी मैकबैथ में जब वह अपने हस्बेण्ड का गला घोंट कर मार देती है और उसके माथे पर खून का धब्बा गिर पड़ता है तो वह कहती है :

All that cannot sit in the little spot of mine. परिस्थितियां क्राइम कराती हैं और पूंजीवादी व्यवस्थायें ऐसी परिस्थितियां पैदा करती हैं जिसमें हर प्रकार का क्राइम जन्म लेता है।

(3.25 म. प.)

(श्री केदारनाथ, सभापति, पदासीन)

आज जेलों के अन्दर वही श्रेणियां हैं। आज जेलों के अन्दर वही 6 बजे बन्द कर देते हैं और वही इनहाईजिनिक कण्डीशन्स, वेण्टीलेशन्स का नहीं होना, और दूसरी प्रकार की बेड़ियों का पनिशमेन्ट होना और वहाँ मनुष्यों को जेलों के अन्दर हीन भावनाओं का शिकार बना दिया जाता है। जेल के अन्दर जाने के बाद अपने आपको समाज से ठुकराया हुआ आदमी समझता है। क्या आपने राजस्थान की जेलों के अन्दर क्राइम करने वाले लोगों का कोई विवेचन साइकालॉजिकली इस आइडिया से करवाया है कि जिससे कोई एक भी डाकूमेण्ट राजस्थान की सरकार प्रेषित कर सकी है कि राजस्थान में मुख्य कारण क्राइम्स के क्या हैं ? जिसमें वाइटल फोर्सेस रॉंग डाइरेक्शन्स ले लेती हैं और इन फोर्सेस को किस प्रकार से राइट चेनल में डाला जाये, इसका कभी विश्लेषण नहीं किया गया है। सभापति महोदय, अगर

(श्री योगेन्द्रनाथ हांडा)

वाल्मिकी रामायण लिख सकते हैं और दूसरे महान व्यक्ति बन सकते हैं तो इन जेलों के अन्दर रहने वाले क्राइम करने वाले लोग भी विश्व के महानतम पुरुष बनाये जा सकते हैं और यह आपको मानना पड़ेगा कि जो मर्डर करता है, डेकैयटी करता है मनोवैज्ञानिक रूप में उसकी विल बहुत स्ट्रांग होती है उसके अन्दर वाईटेलिटी होती है लेकिन उसके अन्दर मिसगाइड ण्ट होता है जिसको निकाला जा सकता है लेकिन राजस्थान के सुधार कारागृहों में इस प्रकार का आयोजन हो ऐसा नजर नहीं आता है। कोई कैदी से मिलना चाहे, कोई गुड़ लाये तो पहले तो जेलर साहब ही आधा ले लेंगे और कोई बेड़िया कटवाना चाहे तो 500 रुपया बेड़ियां कटवाने का है और कोई अपनी कोठरी से निकलकर हॉस्पीटल में भरती होना चाहे तो 100 रुपया माहवार उससे ले लेंगे। अभी अभी सभापति महोदय, एन्टीकरप्शन डिपार्टमेण्ट ने एक जेलर को ट्रैप किया। उसने वादा किया था कि मैं तुमको हास्पीटल में पहुंचा दूंगा तो तुम मुझको 100 रुपया माहवार देते रहो। 100 रुपया बकाया था तो उस कैदी ने कहा कि बाहर निकलकर दे दूंगा। वह कैदी सुधर कर निकला था तो उसने जेलर को 100 रुपये लेने के आरोप में एन्टीकरप्शन में पकड़वा दिया। कई कान्ट्रेक्टर्स की समस्या है और जो नारकीय रोटी जेल में खाने को मिलती है तो मनुष्य स्वयं ही अनुभव करता है वह पशुओं की श्रेणी में है।

सभापति महोदय, एक ओपिन जेल की योजना थी और यह राजस्थान के अन्दर चार जगहों पर है दुर्गापुरा, मण्डोर, सांगानेर और सूरतगढ़ में। अच्छा विचार है कैदियों की शक्ति को उत्पादन के काम के अन्दर लाने का लेकिन अगर आप खुली हुई जेलों के आंकड़े देखें जिसमें 5 साल से ऊपर के कैदी रखे जाते हैं मैं सूरतगढ़ जेल की बात कर सकता हूं। उसके लिए सिफारिश चाहिए खुली हुई जेल में पहुंचने के लिए जिसमें कैदियों को पारिवारिक सहूलियतें भी मिलती हैं। आप चारों जेलों के आंकड़े मंगाकर देख लें। 20-20 साल से कैदी चल रहे हैं, उनका कण्डक्ट अच्छा है, उनकी सिफारिश है, जेल के सारे अधिकारी कहते हैं कि उनका चरित्र बहुत अच्छा रहा है और इसलिए इनको ओपिन जेल में भेज दिया जाये लेकिन ऐसे कैदी ओपिन जेल में नहीं भेजे जायेंगे। केवल वही कैदी जो कि किसी राजनीतिज्ञ से सम्बन्ध रखते हों, जिनकी कोई बड़ी सिफारिश हो, वही कैदी ओपन जेल में जाते हैं और उसका निर्णय करने के लिए कोई मान्यता एक रूप के अन्दर चली आती हो, ऐसी बात भी नहीं है। निर्णय सरकारी लेवल पर होता है, मिनिस्टर करता है, आई. जी. पी. निर्णय करता है, कोई कमेटी नहीं इसका निर्णय करने के लिए, कोई कमेटी नहीं इसको स्क्रूटिनाईज करने के लिए कि कौन कैदी ओपन जेल में जाय और किस कैदी को ओपन जेल में नहीं भेजा जाय। आज अगर देखा जाय तो आप इन कैदियों को प्रोडक्शन के काम में लगाते हैं, परिवार के साथ रख कर उनके अन्दर जो इन्फीरियटी कॉम्पलेक्स जिसके कारण कैदी क्राइम करता है, उस इन्फीरियोरिटी कॉम्पलेक्स की भावना को खत्म करने के लिए और उनको सुधार के रास्ते पर डालने के लिए आप खुली जेल में ले आते हैं और उसके साथ-साथ ही उनकी शिक्षा की भी व्यवस्था करते हैं तो सभापति

(श्री योगेन्द्रनाथ हांडा)

महोदय, आप एक बहुत अच्छा और बड़ा काम कर रहे हैं। आपने इन कैद में रहने वाले लोगों के रहने और उनकी शिक्षा की जो स्थिति पैदा की है अगर उनके आंकड़े देखें तो वह आंकड़ें भी कोई बहुत अच्छे आंकड़ें नहीं हैं। 72-73 के अन्दर केवल एक हायर सेकेण्ड्री और एक सेकेण्ड्री विद्यार्थी पैदा कर सके हैं और 73-74 के अन्दर केवल तीन और फिर अगर कोई कार्य हुआ हुआ तो वह राष्ट्रभाषा प्रचार समिति वर्धा द्वारा उदयपुर में जो कुछ कार्य हुआ है वह किया है और 25-30 कैदियों में कार्य किया है ...

श्री सभापति : एक मिनिट। श्री आचार्य जी पॉइन्ट ऑफ इन्फॉर्मेशन पर कुछ कहना चाहते हैं। आचार्य जी !

श्री निरंजननाथ आचार्य : ऑन ए पॉइन्ट ऑफ इन्फॉर्मेशन सर। माननीय महोदय, आज जैसा कि दकाल के सम्पादक के सम्बन्ध में एक प्रश्न उठाया था और उस प्रश्न ने केवल सदन को ही व्यग्र नहीं किया किन्तु समस्त पत्रकार जगत उस प्रश्न से उद्विग्न हुआ। यहां के पत्रकार माननीय अध्यक्ष महोदय से मिले और दकाल के सम्पादक को भी माननीय अध्यक्ष महोदय से मिलने का अवसर मिला और दकाल के सम्पादक ने जो वहां के पुलिस कर्मचारियों ने सिपाहियों ने दुर्व्यहार किया, अदालत में, जाते हुए, सरेण्डर करते हुए जमानत के मसले पर, उनको पकड़ कर मारा गया और सभापति महोदय, माननीय अध्यक्ष महोदय के सामने अपने शरीर पर लगी हुई चोटों को उन्होंने दिखाया है। इसी के साथ माननीय सभापति महोदय, पत्रकारों ने इस सम्बन्ध में माननीय मुख्य मंत्री महोदय को भी अवगत कराया। इस सारे मसले के सदन में होते हुए भी यह पत्रकार जगत को उद्विग्न करने वाला प्रश्न है। माननीय सभापति महोदय, कि जब पत्रकार जगत उद्विग्न है, सदन इस सम्बन्ध में उद्विग्न है और दकाल के सम्पादक की जान को खतरा है, नन्दसिंह एस. एच. ओ. मुकदमे को फेबरीकेशन कर रहा है, दकाल के सम्पादक जयपुर में हैं और बूंदी जाने की स्थिति में नहीं हैं, ऐसी स्थिति में मुझको ज्ञात हुआ है कि माननीय मुख्य मंत्रीजी ने भी कोई आश्वासन इस सम्बन्ध में दिया है। माननीय सभापति महोदय, आपके द्वारा मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने आश्वासन दिया है और जो आश्वासन दिया गया है उसमें क्या गति लाई गई है। यह मैं जानना चाहता हूं।

(3.32 म. प.)

(श्री रामसिंह यादव, उपाध्यक्ष, पीठासीन)

मैंने सभापति महोदय से यह जानकारी चाही थी और माननीय उपाध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण कर लिया तो क्या मुझे फिर से अपनी बात को दोहराना होगा।

श्री उपाध्यक्ष : मैं समझ गया हूं।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : मैं कहे देता हूं। उपाध्यक्ष महोदय, दकाल के सम्पादक के सम्बन्ध में यह जानकारी मैं भी चाहूंगा कि इस सदन के सत्र में जो हम सदस्य जो आशंकाएं प्रकट करते हैं वह सारी की सारी आशंकाएं सही निकलती हैं। यही स्थिति

(श्री योगेन्द्रनाथ हांडा)

करणीदान प्रजा सेवक के सम्पादक के साथ में हुई है और यही स्थिति दकाल के सम्पादक के सम्बन्ध में हुई है। और मुझे अभी भी करणीदान का पत्र प्राप्त हुआ है, अभी आज ही पत्र प्राप्त हुआ है, मैं उस पत्र के संबंध में भी सूचना जानना चाहता था और गृह मंत्री महोदय से जानना चाहता था। उन्होंने अपने पत्र के अन्दर लिखा है कि इस सारे मामले के अन्दर खुद एस. पी. साहब ने खुद करणीदान को बुलाया और उसको पूछा कि तुम्हारे पास चन्दा कहां से आता है, तुम अखबार कैसे चलाते हो, उसको डराया धमकाया गया है। उससे पूछा कि तुम कम्युनिस्ट पार्टी में क्यों भर्ती हो गए। उससे यह भी पूछा कि इस प्रकार की खबरें क्यों निकालते हो कलेक्टर के खिलाफ। यह खुद एस. पी. महोदय ने पूछा है। यह की यह स्थिति आज दकाल के सम्बन्ध में हो रही है। वहां का थानेदार नन्दलाल, उनको कचहरी से घसीट कर ले गया, उनको मारा जिससे उनके चोटें आईं और उन्होंने अध्यक्ष महोदय को अपनी चोटें दिखायीं। सारे पत्रकारों ने इस सम्बन्ध में अपना आक्रोस जाहिर किया है। मुख्य मंत्री से मिले हैं इस सम्बन्ध के अन्दर। उन्होंने सर्व सम्मत प्रस्ताव पारित किया है। क्या प्रजातंत्र के अन्दर उस पत्र की आवाज को इस प्रकार से दबा दिया जाएगा, कुचल दिया जाएगा। मैं यह जानना चाहूंगा कि आखिर राज्य सरकार क्या कदम, जो हमारी आशंकाएं सारी की सारी सही होती चली जा रही हैं और जो यहां पर घोषणा की जाती है, उनका कोई प्रभाव नहीं, कोई अर्थ नहीं हैं उन घोषणाओं का जो यहां पर की गई है। हैड कांस्टेबल सस्पेन्ड हो गए हैं सूरतगढ़ में यह बढाया गया लेकिन कल परसों तक की मेरी सूचना है कि वे दोनों हैड कांस्टेबल काम कर रहे हैं, कई जगह लोगों के घरों में गए हैं कनक वगैरा बरामद करने की बात की है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कि यह सारे सदस्यों का और इस सदन का काफी अपमान है कि इस सदन के अन्दर आशंकाएं व्यक्त हों और राज्य के अन्दर उन लोगों की सुरक्षा नहीं हो। इस सदन के अन्दर घोषणाएं हों और वे घोषणायें पूरी न हों। तो यह सारा मामला है, माननीय गृह मंत्री महोदय इस सम्बन्ध में स्टेटमेंट दें।

श्री केदारनाथ (गंगानगर) : उपाध्यक्ष महोदय, आसन राज्य सरकार को पाबन्द करे स्टेटमेंट देने के लिए जिसके लिए सुबह भी अर्ज किया था आपकी इजाजत के साथ। 28 तारीख को दकाल के सम्पादक वालण्ट्यली अपने आपको पेश करते है आदालत के सामने, इसके दौरान वहां के पुलिस एस. एच. ओ. ने मैन-हैंडल किया, फर्जी केस इन्स्टीट्यूट किया और हमारे एड्जोर्नमेंट मोशन के बाद उसने और फर्जी केस दर्ज कर मैन हैंडल किया, उनके घर को घेरा और उनके साथ मारपीट की इससे बढ कर शर्मनाक बात क्या हो सकती है।

श्री गिरधारीलाल भार्गव (हवा महल जयपुर): उपाध्यक्ष महोदय, दकाल के सम्पादक जयपुर में इस समय घूम रहे हैं, वह बूंदी जाना चाहते हैं। मैं समझता हूं कि इस प्रजातत्र में और किसी व्यक्ति की बात तो छोड दें, साधारण व्यक्ति की बात के अन्दर आप एम. एल. एज. की बात छोड़ दीजिए, पर मैं यह निवेदन करता हूं कि जब पत्रकार अपनी बात कहने को स्वाधीन है, इस प्रकार की स्थिति में किस पकार से लिखेंगे,

(श्री गिरधारीलाल भार्गव)

किस प्रकार से अपने विचार व्यक्त कर सकेंगे। फिर जब कोई थानेदार को राज्य हो, जहां पर किसी और ऐसे व्यक्ति का राज्य हो तो वहां उसको उसके प्रभाव में आकर लिखना पड़ेगा। चाहे कोई जहरीली शराब का प्रश्न हो, चाहे कहीं पर कुकृत्य हो गया हो, कोई व्यक्ति दादागिरी के आधार पर नगर में राज्य चलाता हो, दादागिरी करता हो और कोई पत्रकार लिख देता है तो मैं समझता हूं कि उसकी स्वाधीनता उसके अधीन ही बन कर रहेगी। यहां पर एक छोटा सा प्रश्न है। दकाल के सम्पादक की 28 तारीख को पिटाई हुई और जो व्यक्ति अदालत में जमानत देने के लिए गया, एस. एच. ओ. नन्दसिंह ने उसको पकड़ कर बुरी तरह से मारा और मैं समझता हूं कि माननीय सदस्यों ने भी इस विधान सभा में जिस प्रकार से उस प्रश्न को लाकर कई बार यहां रखा, एडजोर्नमैन्ट मोशन के नाते रखा, मैं समझता हूं कि स्थगन प्रस्ताव को रखने का अर्थ यही है कि कोई एक्यूट घटना राजस्थान में होने जा रही है और जिसकी ओर राज्य सरकार का ध्यान दिलाना है तो मैं समझता हूं कि स्थगन प्रस्ताव का प्रोविजन इसीलिए रखा गया है। इतनी बात होने के बाद भी गृह मन्त्री स्टेटमेंट नहीं दे सकते, मुख्य मन्त्री स्टेटमेंट नहीं दे सकते तो मैं समझता हूं कि स्टेटमेंट कई बार दिए गये हैं और आज तो इस प्रकार की जो घटना है यह एक पत्रकार के साथ का प्रश्न नहीं है, यह मैं समझता हूं कि राजस्थान में जितने पत्रकार हैं उनके साथ इस प्रकार का भी प्रश्न जुड़ा हुआ है। और उनकी इज्जत और उनके जीवन का प्रश्न इसमें जुड़ा हुआ है। जब सदन में यह बात आ गई तो सदन के 184 एम. एल. एज. जो यहां हैं उनकी इज्जत का प्रश्न है। यदि आज एस. एच. ओ. नन्दसिंह दकाल के सम्पादक के साथ अन्याय करता है, उनको पीटता है, डराता है और इतना भयभीत कर देता है कि दकाल के सम्पादक जयपुर में घूमते रहें, मुख्य मन्त्री से मिले, हैड ऑफ दी डिपार्टमैंट राजस्थान के हैं उनसे मिलने के बाद राजस्थान में शरण चाह रहे हैं, कोई मध्य-प्रदेश में शरण नहीं चाह रहे हैं, उत्तर प्रदेश में शरण नहीं चाह रहे हैं। आज वह थानेदार इतना प्रभावशील हो गया कि मुख्य मन्त्री के सामने प्रश्न रख दिया गया, राजस्थान विधान सभा में उस प्रश्न को रख दिया उसको राजस्थान विधान सभा के 184 सदस्यों का भय नहीं तो मैं समझता हूं कि राजस्थान सरकार बिलकुल पंगु सरकार है। पुलिस के प्रभाव में है यह सरकार पुलिस से डरती है। प्रशासन नहीं चला सकती। यह निकम्मी सरकार है और पुलिस से डरती। यहां पर पुलिस राज है। डेमोक्रेसी नहीं है। डिक्टेटरशिप है। आज इस सदन के माननीय सदस्य इस प्रश्न से इतने उग्र हैं। एक पत्रकार जाना चाहता है, वह जा नहीं सकता। इस पत्रकार की, पत्रकारिता की स्वतन्त्रता किस प्रकार बनी रहे, इस सदन की मर्यादा किस प्रकार बनी रहे। यह इस सदन में प्रश्न आ गया है। मुख्य मन्त्री महोदय के सामने प्रश्न है। इसकी अहमियत है। यह गंभीर प्रश्न है। मुख्य मन्त्री महोदय को स्टेटमेंट निश्चित रूप से देना चाहिये।

श्री मूलचन्द सामरिया : उपाध्यक्ष महोदय, इस प्रश्न पर दो शब्द मैं भी कहना चाहूंगा....

Page No 103

(103)

श्री प्रद्युम्नसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, इस तरह से सब बोलते रहेंगे …

श्री उपाध्यक्ष : यह माननीय सदस्यों की भावना का प्रश्न है …

श्री प्रद्युम्नसिंह : जब आचार्य जी ने यह प्रश्न रख दिया तो सब की भावनाएं उसमें निहित हैं …

श्री निरंजननाथ आचार्य : कम से कम इतनी इज्जत आप रखते तो हैं सदन की, धन्यवाद।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : मैं आप दोनों का शुक्र गुजार हूं।

श्री मूलचन्द सामरिया : उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन कर रहा था कि इस प्रकार प्रेस की आवाज को बन्द करना अत्याचार है। जनतन्त्र में जनता की अगर कोई आवाज है तो वह प्रेस है। देश में और प्रान्त में जनतन्त्र जिन्दा नहीं रह सकता अगर प्रेस की स्वतन्त्रता बन्द कर दी गयी। आज जितने भी प्रचार के साधन हैं, उनमें से अधिकांश पर सरकार का अधिपत्य है, जैसे रेडियो परन्तु यह सरकारी नियंत्रण में है लेकिन अन्य में से जनतन्त्र के अन्दर प्रेस सब से अधिक प्रभावशाली है। वह जनता की आवाज को उठा सकता है। अगर उस पर पुलिस के बडे अधिकारी अंकुश लगाते हैं और पुलिस के अंकुश को न मानने पर उसके सम्पादक के साथ दुर्व्यवहार किया जाता है, उसको बन्द किया जाता है तो यह गलत है। इस प्रश्न की ओर स्थगन प्रस्ताव के द्वारा सरकार का ध्यान आकर्षित किया गया है और उसके बाद भी पुलिस द्वारा सम्पादक महोदय को तंग किया जाता है तो यह 181 सदस्यों का ही अपमान ही नहीं, बल्कि प्रदेश की पौने तीन करोड़ जनता का अपमान है। उस अधिकारी को मुख्य मन्त्री तुरन्त नौकरी से छुट्टी कर दे जिससे कि आइन्दा प्रेस के सम्पादकों के ऊपर होने वाले अन्याय को रोका जा सके। अगर ऐसा नहीं किया गया तो मैं यह निवेदन करूंगा कि यह अन्याय है व प्रेस को स्वतन्त्रता नहीं है जनतत्र में तो मैं यह निश्चित तौर से कह सकता हूं कि यह जनतन्त्र नहीं है। इसलिए सबंधित पुलिस अधिकारी पर सख्त कार्यवाही की जाये। सदन के सदस्यों की भावनाओं को देख कर मुख्य मंत्री महोदय को एक स्टेटमेंट देना चाहिये और उस अधिकारी को तुरन्त सर्विस से अलग किया जाये तो यह सदन की भावनाओं के अनुकूल होगा।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : उपाध्यक्ष महोदय,

श्री उपाध्यक्ष : आप बोल चुके हैं।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : मेरा भाषण जारी था। मैंने तो अपना समय दकाल के लिए दे दिया …

श्री उपाध्यक्ष : मावली से आने वाले माननीय सदस्य ने यह प्रश्न उठाया था। जिस समय यह प्रश्न यहां उठाया जा रहा था मैं माननीय अध्यक्ष के कक्ष में था। मैं माननीय अध्यक्ष जी से इस प्रश्न पर विचार विमर्श करना चाहता था। माननीय अध्यक्ष जी ने इस संबंध में विचार विमर्श किया और माननीय मुख्य मन्त्री जी से विचार विमर्श हुआ और उन्होंने यह कहा है कि जो फर्स्ट वर्किंग डे, दो अप्रेल है, उस दिन इस सम्बन्ध में सर-

(श्री उपाध्यक्ष)

कार अपना वक्तव्य दे। इसके साथ ही माननीय अध्यक्ष जी से यह भी कहा है कि दकाल के सम्पादक की व्यक्तिगत स्वतन्त्रता का जो प्रश्न हैं, सरकार जिम्मेदारी के साथ उसकी सुरक्षा करे। माननीय अध्यक्ष जी ने जिस तरह की सूचना दी है वह माननीय सदस्यों को सूचित कर दिया है।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : माननीय उपाध्यक्ष जी आज सम्पादकों की स्वतन्त्रता खतरे में है इसलिए मैं जेल छोड़कर स्वतन्त्रता सेनानियों के पास आ जाता हूं। बाद में जेल में जाना है। पहले भी जेल में रहे हैं और हो सकता है आगे भी रहें...

श्री प्रद्युम्नसिंह : पिछले दो वर्षों से तो आप जेल में नहीं गये हैं।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : हां थोड़ा आराम है। वैसे औसत दो तीन बार हो जाता है एक वर्ष के अन्दर।

श्री उपाध्यक्ष : यह आपका रिफ्रेशर कोर्स हैं।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : जी हां। स्वास्थ्य बनाने के लिए।

उपाध्यक्ष महोदय, देश की यह हालत रही तो इस रिफ्रेशर कोर्स के लिए आपको भी जाना पड़ेगा।

श्री केदारनाथ : जेल में दूध जितना मिलता था ये पी जाते थे।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह अर्ज कर रहा था कि राष्ट्रीय संग्राम सैनानियों के बारे में। जो 50 हजार का प्रावधान है सप्लीमेंट्री ग्रान्ट्स में, मैं समझता हूं कि इस सम्बन्ध में स्वतन्त्रता संग्राम के सेनानियों को जो आदर हमें देना चाहिये, जो सम्मान हमें उनको देना चाहिये था, क्या वह हम उनको दे सके हैं। 15 अगस्त, 72 को हमने उन्हें ताम्र पत्र देने की घोषणा की और तभी से हमने इस दिशा के अन्दर उनके परिवारों को और स्वतन्त्रता सैनानियों को पेन्शन देने का तय किया है। उनके बालकों को शिक्षा के बारे में भी कदम उठाये हैं। इसके बाद मैं मानता हूं काफी स्वतन्त्रता सेनानियों को पेन्शन दी गयी है और उनको भी लाभ हुआ है। लेकिन उससे पहले उपाध्यक्ष महोदय सन् 1947 के बाद और 1942 के देश व्यापी भारत छोड़ो आन्दोलन के बाद अनेकों अनेकों स्वतन्त्रता सेनानी और उनके परिवार के लोग रोते-रोते मर गये। टी. बी. से मर गये। उन्होंने अपनी जीवन लीला दुःखदपूर्ण स्थिति में, कष्टपूर्ण स्थिति में समाप्त की। जो वास्तव में स्वतन्त्रता सैनानी थे, उन्होंने कोई सहायता नहीं मांगी। किसी प्रकार से मदद नहीं मांगी। चम्बल के अन्दर, उसके बीहड़ों के अन्दर जो बागी थे, डाकू थे उन्होंने समर्पण किया। यह उनको एक प्रेरणा थी और उनके परिवारों को आज सरकार की ओर से 45 रुपये से लेकर 75 रुपये की सहायता मिलती है परन्तु स्वतन्त्रता संग्राम के सेनानियों के बालकों को 10/- रुपया 20/- रुपया मासिक दिया जाता है। आज हमने उनके बालकों को इस स्थिति में रख दिया। चम्बल के डाकुओं के परिवारों से भी नीचे रख दिया और फिर इतना ही नहीं हम उनको पुस्तकों के लिए बीस रुपया देते हैं तो वह रुपया कभी तो वर्ष गुजर जाता है, कभी डेढ़ वर्ष गुजर जाता है, बालकों को

(श्री योगेन्द्रनाथ हांडा)

यह स्टाइपन्ड वर्ष के अन्त तक मिलता है। उपाध्यक्ष महोदय, ताम्र पत्र दिये। लेकिन किन को दिये गये ? जीवित लोगों को ताम्र पत्र दिये गये। क्या उन लोगों को ताम्र पत्र दिये गये हैं जो कि मर गये हैं। ऐसे हजारों स्वतन्त्रता सेनानी हैं जिनके नाम कोई नहीं जानता है जो देश की आजादी पर परवाने की तरह कुर्बान हो गये। उनमें से कई सन् 47 के बाद ठोकरें खाते हुए, सिसकते हुए मर गये और सिसकते हुए अपनी जिन्दगी को गुजार दिया। क्या उनको ताम्र पत्र दिये गये हैं ? सागरमल गोपा, किशनसिंह बारठ, अर्जुनलाल सेठी, दामोदर दास राठी, जोरावरसिंह बारठ, ये ऐसे लोग हैं। इनके अतिरिक्त और भी लोग हैं जैसे जयनारायण व्यास, माणिक्यलाल वर्मा, विजयसिंह पथिक स्वामी कुमारानन्द, इन्द्रसिंह आजाद, मोती लाल तेजावत, ये ऐसे लोग हैं जिनको अगर गिनने बैठें तो हमारा सिर, हमारे देश का सम्मान ऊंचा होता है। इस देश का सम्मान मस्तिष्क ऊंचा होता है। ऐसे लोग आज नहीं रहे। उनको क्या सम्मान आज हमने दिया है। अन नोन सोल्जर की ग्रेव पर फूल चढ़ाये जाते हैं। वह राष्ट्र का सम्मानीय स्थान है क्या हमारे इस देश के अन्दर इनके सम्मान में ऐसी कोई ग्रेव है। क्या हमने कोई ऐसा गगनचुम्बी स्मारक इनकी यादगार में बनाया है, जहां जाकर हम इनकी याद कर सकें। उनको फूल चढ़ा सकें। मैं विदेश गया था। वहां मैंने ऐसे स्मारक देखे हैं अन नोन सोल्जर की स्मृति में। ऐसी एक गगनचुम्बी बुत थी और उसके सामने एक औरत अपने बच्चे को लेकर खड़ी है और पास ही एक सिपाही हाथ में तलवार लिए हुए उनको सान्त्वना दे रहा है। वह माता रो रही है। उसकी हिम्मत बंधा रहा है। क्या ऐसा कोई स्मारक आपने इनकी स्मृति में बनाया है जहां जाकर इनका स्मरण कर सकें। ऐसे स्थल पर जाकर आदमी का सिर सम्मान के साथ नीचे झुक जाता है। मानवता की मुक्ति के लिए जिन्होंने बलिदान दिया है ऐसे इस देश के अन्दर हजारों-हजारों लोग हैं जिनके नाम हम पूरी तरह से नहीं जानते हैं। क्या इस प्रकार का कोई कीर्ति स्तम्भ बनाया है जिसके आगे सम्मान से हमारा सिर झुक जाये। और फिर उन लोगों के लिए जिनके हम नाम जानते हैं, जो हमारे बीच में न रहे, केवल वह जो जीवित हैं उनको ताम्रपत्र देना चाहते हैं, और जो जीवित न रहे उनको ताम्रपत्र नहीं देना चाहते।

यह सुमनेश जोशी हैं इन्होंने पुस्तकें लिखी हैं। 16 फरवरी, 1974 को यह संसार में नहीं रहे। इन्होंने 38 पुस्तकें लिखी हैं और 5 वर्ष कारावास में काटे हैं। सामन्तों के साथ प्रचण्ड लड़ाई लड़ी है और 750 व्यक्तियों का जीवन-चरित्र इन्होंने लिखा है। वह 16 तारीख को इस संसार में न रहे। 14 तारीख को हरिदेव जी जोशी इनसे मिल राज्य के मुख्य मन्त्री और इस पुस्तक (पुस्तक दिखाते हुए) के सम्बन्ध में बात हुई और उनसे ज्यादा बातचीत हुई नहीं। उन्होंने यह पुस्तक जिसकी कीमत 60 रुपये रखी है और जिसमें कम से कम इस देश के साढ़े पांच सौ स्वतन्त्रता सैनानियों के जीवन का परिचय है, उस पुस्तक को आज केवल 25 लाइब्रेरियों के लिए स्वीकृत किया गया है। केवल 25 स्टेट लाइब्रेरीज के लिए स्वीकृत किया है। और जिस प्रकार से सुमनेश जोशी करें, जिस प्रकार से उन्होंने

(श्री योगेन्द्रनाथ हांडा)

अपने जीवन के अन्दर संघर्ष किया और जोधपुर रियासत से बाहर निकाले गये, वहां से उनको निष्कासित कर दिया गया, और सामन्तों के खिलाफ जिस प्रकार से डटकर मोर्चा लिया है वह अपने आपके अन्दर एक मिसाल है, और आज उनके परिवार की स्थिति देखें और आज उनकी पुस्तक की स्थिति देखें जो कि संसार को एक रोशनी देने वाली पुस्तक है। शिक्षा विभाग इसको स्वीकार नहीं करता है। कुछ दिनों पहले यहां पर एक सिन्धी पुस्तक का वर्णन आया था जो कि कोर्स के अन्दर प्रेस्क्राइब्ड है। चार लाख रुपये भारत सरकार ने स्टीपेंड देने के लिए जो पढ़े लिखे बेरोजगार हैं उनकी किताबें खरीदने के लिए। टेन्डर दे दिये राजपाल एण्ड सन्स पाकेट एजेन्सीज और दूसरी एजेन्सीज ने। यह एक बहुत बड़ा रैकेट चल रहा है। कम से कम चार लाख रुपये का यह रैकेट है जिसमें गुलशन नन्दा की पुस्तकें अगर दूसरे ऐसे लेखकों की पुस्तकें खरीदी जा रही हैं, लेकिन राजस्थान के एक स्वतन्त्रता सैनानी की ऐसी पुस्तक के लिए राज्य सरकार की ओर से कोई प्रेरणा नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय, श्री सुमनेश जोशी तो हमारे बीच में न रहे, और ऐसे अनेकों लोग हैं जो आज टी. बी. की बीमारी से पीड़ित हैं। मैं अचलेश्वर प्रसाद शर्मा, सम्पादक, प्रजा सेवक साप्ताहिक जिन्होंने गुलामी के खिलाफ लड़ाई लड़ी अपनी कलम से, जिन्होंने अपनी शक्ति और शरीर से भी लड़ाई लड़ी, और जिन्होंने सामन्तों के खिलाफ विद्रोह किया, आदिवासी और पिछड़े हुए लोगों के अन्दर काम किया। यह ठीक है कि आज आप उनको 200 रुपये की पेन्शन दे रहे हैं, लेकिन टी. बी. रोग से जर्जरित आज उनका शरीर एस. एम. एस. हॉस्पिटल के अन्दर पड़ा हुआ है। मैं पूछना चाहता हूं कि राज्य के मन्त्री कितनी दफा आज उनको देखने गये? किस ने उनकी दवा की व्यवस्था की है? किसने उनको सम्भाला है?

इतना ही नहीं अभयमल जैन जो मारवाड़ी लोक परिषद् के जनरल सेक्रेटरी थे और जो अपने आपके अन्दर अग्रणी थे। अनेक वर्षों जिन्होंने जेल के अन्दर काटे हैं। वे 25 वर्ष पहले टी. बी. से मर गये, और उसके बाद उनका नौजवान लड़का टी. बी. से मर गया, और आज उनकी स्त्री और बहू वह संकटपूर्ण स्थिति के अन्दर हैं, और राज्य सरकार आज उनको केवल 50 रुपया पेन्शन देती है। आपने इनको ताम्र-पत्र नहीं दिया। वह संसार के अन्दर नहीं रहे। उन्हें खा गई यह पूंजीवादी व्यवस्था। उन्हें यह पूंजीवाद खा गया। वह अपने अन्दर महान् थे। उन्होने कहीं हाथ नहीं फैलाया और मर जाना स्वीकार किया। उनका नौजवान लड़का मर गया और आपकी यह व्यवस्था उसको रोजगार नहीं दे सकी और आज उनकी स्त्री और बहू के लिए आपके राज-कोष के अन्दर केवल 50 रुपये हैं जिससे आज आप उनकी व्यवस्था करना चाहते हैं। उनकी कोई कीमत नहीं की जा सकती आपसे वह लोग कोई कीमत नहीं मांगते हैं जो कि देश पर कुर्बान हो चुके हैं, क्योंकि वह देश के लिए मरे हैं और वह यह समझते हैं कि उन्होंने किसी पर अहसान नहीं किया है। उन्होंने मानवता को मुक्त किया है जो कि एक महान् कार्य

(श्री योगेन्द्रनाथ हांडा)

है और उस महान् कार्य को उन्होंने प्रतिपादित किया है।

मैं हरिकृष्ण का जिक्र करना चाहूंगा जो कि टी. बी. से पीड़ित होकर अपने जीवन के अन्तिम क्षणों को गिन रहे हैं, और केवल इसलिए कि 6 महीनों के अन्दर दो दिन कम थे आज उनको पेन्शन प्राप्त नहीं हो सकी। दवाई की व्यवस्था या इलाज का तो प्रश्न ही पैदा नहीं होता है।

इसी प्रकार से अनेकों स्वतन्त्रता सेनानी हैं। सूरजप्रकाश पापा को ले लीजिये। ठीक है कि आप 200 रुपये उनको पेन्शन देते हैं, लेकिन उनके लड़के का पैर कट गया कार के नीचे। ठीक है कि केस कोर्ट में है। वह कार जो पूंजीपति की है उस पूंजीपति को गिरफ्तार किया जाय। उसको नहीं लेकिन थाने वाले पापा को बैठाते हैं।

कल ही मैंने इस सदन के अन्दर कहा था कि 52 से लेकर 62 तक जो पी. सी. सी. के मेम्बर थे उन मामराज मेघवाल का जिक्र किया था जो कि मुकलावा गांव का रहने वाला है। यह ठीक है कि आपने उनको सम्मान नहीं उस गरीब हरिजन ने बीरबल शहीद हुआ था तो बीकानेर रियासत की जेल काटी थी और गोलियों का मुकाबला किया था, लेकिन क्या सम्मान है आज उस स्वतंत्रता सेनानी का? मैंने तीन दिन पूर्व इस सदन में इस बात को दोहराया था, लेकिन राज्य करने वालों को चिन्ता नहीं थी कि दो मिनिट के लिए उसको पढ़ लेते। उसके घर पर थानेदार मुकलावा और ए. एस. आई. मुकलावा शराब पीकर आते हैं और उसकी बहू के साथ में जबरदस्ती एडल्ट्री कमिट करते है (शेम, शेम)। यह स्थिति है पी. सी. सी. के एक्स. मेम्बर की और स्वतन्त्रता सेनानी की। तीन बार इस सदन के अन्दर मैंने इस चीज को रखा है। क्या राज्य के गृह मंत्री और राज्य के मुख्य मंत्री, क्या राज्य करने वाले लोगों में इस बात पर एक बार भी चिन्ता हुई। कि वह पूछते, उस बात की जांच करते और उस थानेदार को पकड़ते। वह तो प्रश्न ही दूर का है। यह सम्मान है जो स्वतन्त्रता सेनानी को, उपाध्यक्ष महोदय, हम दे रहे हैं ताम्रपत्र के नाम के ऊपर।

पंजाब सरकार ने "भारत माता" भगत सिंह की माता को घोषित किया लेकिन 4-5 दिन पहले भगत सिंह की शहादत का दिवस था। यह वह दिवस था जब भगत सिंह को फांसी लगाई गई थी और सुलेमंकी हैड के ऊपर उनकी लाश को फूंक दिया गया था। उपाध्यक्ष महोदय, इस के अन्दर इस राज्य की ओर से आज एक प्रस्ताव भी नहीं आया। भगत सिंह की शहादत का दिन है तो दो मिनिट खड़े तो हो जांय उस शहीद को याद करने के लिए जिसने देश की आत्मा को जगाया। कम से कम देश की विधान सभाओं में जिस विधान सभा में बम्ब डालकर यह कहा था कि प्रदेश की आत्मा को जगाना चाहता हूं विधान सभा के सदस्यों को मारना नहीं चाहता वहां तो इस प्रकार से होना चाहिए था। आज इस देश की आत्मा सोई हुई है। इसको जगाने की आवश्यकता है, उपाध्यक्ष महोदय......

श्री उपाध्यक्ष : समाप्त कीजिये।

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : मैं कहना चाहूंगा कि वह सम्मान जो स्वतन्त्रता सैनानियों को देना चाहिए था वह नहीं दिया। हम उनके जीवन की रक्षा नहीं करते। हम उनके लिए कोई कीर्तिस्तम्भ स्थापित नहीं कर पाये, लेकिन स्वतन्त्रता सैनानियों के नाम पर लोगों ने लाभ उठाया। आज जिस तरह से कुम्भाराम जी को दो मुरब्बा जमीन एलाट हुई है जो कि आज एक एक मुरब्बा 5-5, 10-10 हजार का हो रहा है हंसराजजी आर्य पर चाहे कत्ल के कई केसेज हों लेकिन आज उन्हें जो जमीन दी जा रही है वह इस किस्म की जमीन है कि जिसकी कीमत 10 हजार रुपये बीघा है, ऐसी 50 बीघा जमीन उनको मिल रही है। आज चाहे बांरूपाल जी कुछ लूज करते हों या नहीं लेकिन 50 बीघा स्वतन्त्रता सैनानी के नाम पर जमीन जरूर मिलेगी। आज एक बीघे की कीमत 5-5 हजार है। राजनीतिकों ने अपने रूप में इस बात का फ़ायदा उठाया है स्वतन्त्रता सैनानियों के नाम पर, और फिर अन्त में अजीब बात यह की है कि उन स्वतन्त्रता सैनानियों को कलेक्टर के द्वार पर भेजा है कि वह कलेक्टर से सनद लेकर आयें। आपने सारे देश के किसानों को पटवारी का बन्दी बना दिया। आज आपकी पूंजीवादी और समान्तवादी व्यवस्था में ग्रामीण जनता जकड़ी हुई है। स्वतन्त्रता सैनानियों को आप ब्यूरोक्रेसी के दरवाजे पर खड़ा करना चाहते हैं। जिनको कि जवाहरलाल नेहरू ने बार्किंग डॉग्स कहा था। इससे अधिक दुर्व्यवस्था स्वतन्त्रता सैनानियों के लिए और क्या हो सकती है। फिर उनके ऊपर राजबहादुर कमेटी आप निश्चय करते हैं।

(समय-समाप्ति-सूचक-घण्टी)

आज सैनानियों का सम्मान आप करना नहीं चाहते हैं। नहीं तो सेनानी ब्यूरोक्रेसी के दरवाजे पर ठोकर नहीं खाते। आपकी व्यवस्था होती तो कलेक्टर खुद सैनानियों के दरवाजे पर मदद पहुंचाता। उसके जीवन की रक्षा करता। उसके बच्चों को मदद करता। उपाध्यक्ष महोदय, मैं और अधिक समय नहीं लेना चाहता हूं। अन्त में मैं मांग संख्या विविध पर निवेदन करना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : अभी विविध नहीं था ?

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : यह मांग संख्या 13, मुख्य शीर्षक 26 में 4,38,000 रु. की मांग है। इसमें गाड़ियां खरीदने की मांग की है। इधर मुख्य मन्त्री महोदय ने कटौती की घोषणा की है। उन्होंने पैट्रोल के बारे में घोषणा की है कि 10 लिटर या 15 लिटर प्रति दिन बताया है। लेकिन उपाध्यक्ष महोदय, इस कटौती के साथ साथ राज्य की गाड़ियों की लाल पट्टियां गाड़ियों की गायब हो गई हैं। वह नीली हो गई हैं। आखिर इसका भी कोई कारण होना चाहिए। आपने कटौती की गाड़ियों की। इधर आपने रिट्रास्पेक्टिव इफेक्ट से बिजली, पानी के बिल बढ़ा लिये हैं। कटौती की है जिन गाड़ियों की उनके रंग और गहरे किये जाने चाहिएं थे। कटौती के सिलसिले में गाड़ियों में गवर्नमैन्ट को पट्टे लगा देना चाहिए था। बड़े बड़े लगा देना चाहिए था ताकि पता लगता रहे। लेकिन यह तो चोरी का तरीका निकाला है। घोषणा कर दी कि हमने तो कटौती कर दी। ताकि ध्यान नहीं दिया जायेगा। मैं कहता हूं मन्त्री महोदय को कि लाल पट्टी

(श्री योगेन्द्रनाथ हांडा)

लगा दो। आपकी जीप कभी सब्जी लेने जा रही है। कोयला लेने जा रही है। टमाटर लेने जा रही है। फिर देखें कि वह कैसे जाती है। राजस्थान में चल जाती होगी। लेकिन हिन्दुस्तान का ऐसा वातावरण पैदा हो गया है कि टमाटर लेने के लिए सरकारी गाड़ी जाये तो जनता बरदाश्त करने वाली नहीं है। हमारा चेलेंज है। आप लाल प्लेट रखिये और जो नम्बर प्लेट रखते हैं, वह रखिये जैसी राजा महाराजा रखते हैं, इस प्रकार लगाइये तो पता लगेगा कि कितना उपयोग हो रहा है और कितना नहीं हो रहा है। यह तो राजस्थान कैनाल क्षेत्र में एण्टीकरप्शन विभाग ने बहुत सी जीपें पकड़ी हैं। 80-90 मील से गंगानगर में सिनेमा देखने के लिए आते हैं। अधिशासी अभियन्ता, सहायक अभियन्ता छतरगढ़ से गंगानगर 120 मील दूर है, वहां सिनेमा देखने के लिए आते हैं। दूसरे दिन वापिस जा रहे हैं। इतना महंगा पैट्रोल है। मैं चेलेंज देकर कह सकता हूं। वैसे गाड़ियों के गड़बड़ घोटाले के अनेक केस हैं। 42 हजार की गाड़ी, 38 हजार रिपेयरिंग चार्जेज। 5 दिन गाड़ी चली और 6 दिन खड़ी हो गई। मिल्क स्कीम की गाड़ियों का केस चल रहा है। इसी प्रकार से उदयपुर युनिवर्सिटी की गाड़ियों का केस रखा। 15 एडवान्स चेसिस के। 14 हजार की बॉडी: उसके बाद गाड़ी की कीमत पे हो गई। गाड़ी वैसी ही खड़ी है। यूनिवर्सिटी के गर्ल्स कॉलेज में वह खड़ी है। गाड़ियों का प्रश्न और लिया जाये तो अपने आप मे तहुत प्रश्न हैं। कलेक्टर साहब को एस. डी. एम साहब प्रसन्न कर दें तो उनको जीप प्राप्त हो जाये। प्रसन्न नहीं करें तो, उनका क्षेत्र चाहे कितने ही लम्बा चौड़ा हो, उसे नहीं मिलेगी। रायसिंह नगर के एस डी. एम. को गंगानगर कलेक्टर साहब जीप नहीं दे सकते हैं। वह बस के द्वारा जाकर कार्य करता है। लेकिन गंगानगर के एस. डी. एम. जिसको शहर में घूमना है। जो कलेक्टर के कृपा पात्र हैं। वह चाहें तो साइकिल पर भी जा सकते हैं। थोड़े से गांव हैं, लेकिन उनको कलेक्टर साहब ने जीप दे रखी है। एक घरसाने का थाना है। जहां संसार भर की सबसे ज्यादा स्मगलिंग होती है। न वहां पर टेलीफोन है। न वहां पर जीप है। उस थाने से 25 मील दूर एक पुराना थाना है। वहां एक पुराने थानेदार हरमेघ सिंह रहते है। बाकी खेतों में बैठे हुए लोग हैं। खुली स्वतन्त्रता है। वह कुछ भी करें। अन्त में इसके अन्दर मैं कहना चाहूंगा, यह व्हिकल कटौती करने का जो प्रश्न है, मुझे नहीं मालूम होता है कि आप कटौती कर रहे हैं। या पेट्रोल में बचत कर रहे हैं। आप लॉग बुक चेकअप कर लीजिये। मैं कई केस लेकर आया हूं। मै रतनगढ़ के अधिशासी अभियन्ता का कम्प्लीट केस पेश कर सकता हूं। आप व्हिकल को मंगवा लीजिये। मैं पेश कर सकता हूं।

एक माननीय सदस्य : पेश कर दो।

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : बीदासर से खांडा पत्थर डिपार्टमेन्ट के ट्रक पर लोड करते रहते हैं। डिपार्टमेन्ट का ट्रक अपने पर्सनल काम में लेते हैं। आप लॉग बुक चेक कीजिये। रतनगढ़ के रिछपालसिंह एस. डी. एम. गाड़ी आर. जे. आई. 1045 पर अपने बच्चों को साथ लेकर चूरू में रामेश्वर गौड़ एक धनाढ्य ब्राह्मण और

(श्री योगेन्द्रनाथ हांडा)
सोहनलाल म ाराज के यहां पधारे। उनकी जीप व्यक्तिगत कामों में आती रही। इसी प्रकार और अनेकों जीपों के केस हैं।

श्री प्रद्युम्नसिंह : वह भी पढ़ डालें।

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : सुजानगढ़ के ए. एस. पी. ने खुद जीप में सवार होकर उसका मिसयूज किया है, वह भंवरसिंह की लड़की की शादी में जीप लेकर गये.......

श्री चन्दनमल बेद : सुजानगढ़ में ए. एस. पी. ही नहीं है।

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : यह इस प्रकार के केसेज हैं, मैं मंत्री महोदय को दे देता हूं सारे पन्ने समय नष्ट न करते हुए, आप इन पन्नों में से केसेज निकाल लीजिये.......

श्री निरंजननाथ आचार्य : समय का बड़ा ख्याल है।

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : अंत में मैं यह कहना चाहूंगा कि आप व्हीकल्स का प्रयोग जन प्रतिनिधियों को नहीं करने देते हैं और आपकी ब्यूरोक्रेसी मनमाने तरीके से उनका प्रयोग करती है। आपने कहा कि एम. एल. एज. को महीने के अंत में तीन दिन के लिए व्हीकल दे देंगे। लेकिन प्रधान की कृपा हो व्हीकल ले जाय और प्रधान की कृपा नहीं हो तो एम. एल. एज. अपने निर्वाचन क्षेत्र में व्हीकल का प्रयोग नहीं कर सकता। आपके निर्माण विभाग, इरिगेशन विभाग, आर. एस. ई. बी. के ऑफिसर्स प्राइवेट काम के लिए व्हीकल्स का यूज करते हैं, सरकारी ट्रकों का यूज करते हैं, सरकारी सीमेन्ट का यूज करते हैं, कोई चिन्ता उन्हें नहीं है कि सारे देश में तेल की क्राइसिस है, सारे विश्व में तेल की क्राइसिस है :

श्री उपाध्यक्ष : श्री माणकचन्द सोगानी !

श्री माणकचन्द सोगानी : उपाध्यक्ष महोदय, आज मैं ओल्ड ऐज पेंशन के बारे में ...

श्री प्रद्युम्नसिंह : पॉलिटिकल पेंशन का विषय है। ओल्ड ऐज पेंशन का विषय नहीं है।

श्री माणकचन्द सोगानी : मैं पेंशन के सम्बन्ध में विचार पेश कर रहा हूं....

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : अभी आप जवान हैं, ओल्ड ऐज पेंशन के बारे में चिन्तित क्यों ?

श्री माणकचन्द सोगानी : ऐसा है, ख्याल सबका रखना चाहिए, यह सवाल सबके सामने आयेगा।

मैं निवेदन कर रहा था, जहां तक राजस्थान सरकार ने पेंशन की व्यवस्था की है, वह तो बहुत सराहनीय है, लेकिन कार्यरूप में वह कहां तक अमल में आ रही है—वह मैं आपके सामने कुछ बताना चाहता हूं। आज जहां तक उम्र का सम्बन्ध है, पेन्शन के लिए पुरुष के लिए 60 वर्ष है और महिला के लिए 55 वर्ष है। यह उम्र निर्धारित की है, लेकिन जहां पर यह काम सौंपा गया है, यह ट्रेजरी ऑफिस के पास में छोड़ दिया गया है। अनुभव यह है कि यह फॉर्म्स के अपने ...

श्रीमती नगेन्द्रबाला : यह पॉलिटिकल पेन्शन के लिए है, ओल्ड एज पेन्शन के लिए नहीं है।

श्री माणकचन्द सोगानी : मैं उसी विषय पर आ जाऊंगा। जो शुरू किया है, उस पर कृपा करके बोलने दीजिये।

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : इस भरी जवानी में ओल्ड एज पेन्शन की काहे को फिक्र करते हैं।

श्री निरंजननाथ आचार्य : भरी जवानी फिसलती जा रही है।

श्री माणकचन्द सोगानी : जहां तक हमारे राजनैतिक ताम्र पत्र के सम्बन्ध में चर्चा चल रही है, अभी मेरे से पूर्व माननीय सदस्य ने जो कुछ बताया है, वह दरअसल में उचित नहीं लगता है कि कलेक्टर साहब के सामने जाकर यह प्रमाण-पत्र लिये जायं। होना यह चाहिए कि जो फ्रीडम फाइटर हैं, उनमें से किसी को चेअरमैन चुन कर इस बात का सलेक्शन करें। यह इसमें एक चीज जोड़ी जानी चाहिए कि उन लोगों के चुनाव के अन्दर किसी आदमी ने इस काम के अन्दर भाग लिया है, उस जमात का आदमी होना चाहिए। यह शोभनीय लगेगा।

जहां तक फ्रीडम फाइटर का सवाल आया है, यह सही है कि ताम्र पत्र तो दिए गये, लेकिन ताम्र पत्र के साथ कई लोग, जिन्होंने बहुत सारे जुल्म सहे हैं, क्या हिस्ट्री, उनके जुल्मों का, जब कभी भी लिखी जाएगी, कोई विवरण लिखेगी। इसका भी कोई प्रावधान है। इस चीज की अपने यहां व्यवस्था होनी ही चाहिए।

जो छः महीने का सवाल रखा गया है, अधिकतर ऐसे केसेज निगाह में आते हैं, जैसा अभी एक माननीय सदस्य ने बताया है अगर छः महीने से दो दिन भी कम रह जायं और उन्होंने जुल्म अथाह सहा हो, तो ऐसे व्यक्तियों को किसी प्रकार का भी फायदा नहीं मिलता है। इस चीज पर अपनी सरकार को दुबारा गौर करना चाहिए और इसके लिए अब समय लिमिट 31 मार्च तक बढ़ायी थी, वह समाप्त हो रही है, तो इससे कई लोग, जो फायदा उठा सकते हैं, वह वंचित रह जायेंगे। इसलिए पुरजोर प्रार्थना है कि जिन लोगों का कार्य बहुत सराहनीय रहा है, वह सिर्फ इस वजह से नहीं रोके जाने चाहिए कि उनके कार्यकाल के अन्दर छः महीने की जेल की अवधि उन्होंने पूरी नहीं की है।

यहां पर आज विविध विषयों के ऊपर मैं थोड़ा गेरना चाहता हूं, चूंकि इस विषय में काफी कहा जा चुका है। विविध विषयों में जहां अभी सवाल आया था, यातायात विभाग का, जो कि राज-पथ-निगम से सम्बन्ध रखता है। तो आज यह हालत है कि जहां हमारे कर्मचारी आज यहां से मोटर के ऊपर, कण्डक्टर आदि; चण्डीगढ़ जाते हैं, या दूसरे आगरा जाकर अपनी गाड़ी रात को रोकते हैं तो उनके लिए वहां पर कोई ठहरने की व्यवस्था नहीं है। अभी चण्डीगढ़ में गया था, वहां कोई क्लर्क यह बताने के लिए तैयार नहीं है और हमारा कोई ऑफिस वहां खुला हुआ नहीं है कि यहां से राजस्थान, चण्डीगढ़ से राजस्थान कोई गाडी जायगी, क्या समय पर जायगी....

श्री हीरालाल देवपुरा : रोडवेज का है।

श्री माणकचन्द सोगाणी : बात यह है, विविध विषयों में रोडवेज आ जायगी।

श्री मूलचन्द सामरिया : आ रही है वह तो।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : क्या चिन्ता है, फ्री स्टाइल रेसलिंग चलनी चाहिये।

श्री माणकचन्द सोगानी : फ्री स्टाइल रेसलिंग का अखाड़ा तो, मुझे माफ करना, मैं नहीं करने दूंगा, न मैं करना चाहता हूं। मुझे यह निवेदन करना है....

श्री उपाध्यक्ष : आप यातायात के सामान्य प्रशासन पर बोल रहे हैं।

श्री माणकचन्द सोगानी । यातायाग भी अपना अंग है। उसमें थोड़ी जो गलतियां हैं, उनको दूर करने के लिए ...

श्री मूलचन्द सामरिया : कहां तक करेंगे, गलतिया ही गलतियाँ हैं।

श्री माणकचन्द सोगानी : उसमें निवेदन करना है कि जहां हमारे यहां पर 25 पर्सेन्ट रोड्स को अपने अधीन ले रहे हैं, लिया है, साथ ही साथ व्यवस्था को भी देखना हे कि जो हमारे यहां पर यात्री उतरते है, उनके उतरने के लिए कोई प्लेट-फार्म भी बना हुआ है या नहीं ? अजमेर का दृष्टान्त मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ। वहां आज इतनी जनता होते हुये भी अभी तक कोई स्टेशन नहीं बनाया गया है। अभी बरसात के मौसम में कोई यात्री उतरेगा तो इतनी कीचड वहां हर मिलेगी कि आसानी से असबाब नहीं उतार सकता है, वह खुद भी नहीं उतर सकता है. पांव फिसल जाता है, गिर जाता हैं, चोट आ जाती है। ऐसी इम्पॉर्टेंशन जगह स्टेशन का अभाव है। दूसरे पीने के पानी के लिए प्याऊ नहीं है। होता यह है कि किसी आदमी को पीने के पानी की आवश्यकता होती है तो जरूरी तौर पर होटल के अन्दर जाकर कोकाकोला के पैसे खर्च करने पड़ते हैं. चाय के पैसे खर्च करके पड़ते हैं। वहां पर लाइट की पूरी व्यवस्था नहीं है। यह जो कुछ कार्यक्रम हमारे सामने रखे गये हैं, यातायात विभाग का ध्यान इस ओर आकर्षित करता हूँ कि वहां जल्दी से जल्दी उसके साधन किए जाए। यही मेरा अर्ज करना है (समय-समाप्ति-सूचक घण्टी) सभापति महोदय, घण्टी तो आपने बजा दी है ...

श्री निरन्जननाथ आचार्य : उपाध्यक्ष !

श्री माणकचन्द सोगानी : थेंक यू वेरी मच !

श्री प्रद्युम्नसिंह : पांच मिनिट मैं बोलूंगा।

श्री मूलचन्द सामरिया : में बीच में बोलूंगा। बीच में बोलने के लिए खड़ा होने लग जाऊंगा।

श्री प्रद्युम्नसिंह : मुझे आदेश है, इसलिए बोलना पड़ रहा है। पैरोकारी करनी पड़ेगी सरकार की थोढ़ी बहुत ..

श्री निरन्जननाथ आचार्य : मरम्मत !

श्री प्रद्युम्नसिंह : क्या कह रहे हैं सरकार ?

श्री निरन्जननाथ आचार्य : नहीं, मैं सरकार नहीं हूं।

श्री प्रद्युम्नसिंह : आज यहा पर....

श्री योगेन्द्र नाथ हाण्डा : यह सरकार नहीं गैर सरकार है। सरकार थे।

श्री प्रद्युम्नसिंह : पॉलिटिकल पेंशन, जेल और गैराज के बारे में, स्टेट गैराज है, आपका नहीं है, कुछ मांगें यहां पर पेश हुई हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं सबसे पहले पॉलिटिकल पेंशन की बात लेकर चलूंगा। उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान के अन्दर पॉलिटिकल पेंशन का जहां तक प्रश्न है, सरकार ने काफी लोगों को पॉलिटिकल पेंशन दी है, लेकिन मेरे तीन चार इस बारे में बहुत जरूरी सुझाव है। एक तो यह है कि इसके अन्दर पॉलिटिकल पेंशन देते वक्त बहुत ज्यादा समय लेते हैं। इसलिए प्रक्रिया को सरल करना पड़ेगा। महीनों दरख्वास्त कलेक्टर के यहां पड़ी रहती हैं, कलेक्टर के यहां से एस. डी. ओ. को मामला जाता है। वहां पहुंचते पहुंचते और वहां से पटवारी के लेवल तक पहुंचते पहुंचते, और फिर उसी तरह से ऊपर चलते चलते काफी समय लगता है। कमेटी की मीटिंग, तीन-तीन, चार-चार, छः-छः महीने तक नहीं होती है। इसलिए पॉलिटिकल पेंशन के मामले में जो देरी होती है, उसको कम करने के लिए सरकार को प्रक्रिया सरल करनी चाहिये ताकि लोगों को जल्दी पॉलिटिकल पेंशन मिल सके।

दूसरी बात पॉलिटिकल पेंशन के बारे में है, जो राशि हमारी राज्य सरकार देती है, कहीं 50) रुपये, कहीं 60) रुपये, कहीं 75) रुपये, कहीं 100) रुपये, डेढ़ सौ रुपये कुछ मामलों में दी है। इस जमाने में महंगाई के अन्दर पचास रुपये पिचहत्तर रुपये के अन्दर लोगों को जीवनयापन करना, परिवार का पालन पोषण करना मुश्किल है। इसलिए पॉलिटिकल पेंशन की राशि है उसको भी बढ़ाया जाना बहुत ही आवश्यक है।

तीसरी बात, अभी उत्तरप्रदेश में वहां की सरकार ने जो स्वतन्त्रता सेनानी हैं उनके लिए काफी सुविधाओं की घोषणा वहां की सरकार ने की है और एक हैंड बुक भी प्रकाशित किया है जो स्वतन्त्रता सेनानियों में बांटी गई है और उसके लिए काफी विस्तृत हिदायतें जिला अधिकारियों को भेजी हैं। तो यदि आपकी मन्शा इनको सुविधायें देने की है तो जैसे उत्तर प्रदेश में उनको सुविधायें मिली हैं वह आपको यहा भी उनको देनी चाहिएं। उदाहरण के लिए दो महत्वपूर्ण सुविधायें उनको दी गई हैं एक तो चिकित्सा सुविधा जिसके अन्तर्गत खुद व उसके आश्रित, उनको मिलती है। रोडवेज बसिज के अन्दर उनको पास मिलती है। नौकरियों में, इन्जनियरिंग व मेडिकल की भर्ती में उनके आश्रितों के लिए एक पर्सेन्टेज फिक्स कर रखा है, उनको प्राथमिकता दी जाएगी। इसलिए मैं मांग करता हूं कि आप भी इस मामले में उत्तर प्रदेश को देखते हुए और राजस्थान में स्वतंत्रता सेनानियों की कम संख्या को देखते हुए, यह व्यवस्था करनी चाहिए। संख्या कम होने के कारण आपके बजट पर ज्यादा भार भी नहीं पड़ने वाला है। इसलिए आपको उनको ये सुविधायें देनी चाहिएं।

मैं स्टेट गैराज के बारे में थोड़े से सुझाव देना चाहता हूं। अगर उन पर अमल करेंगे तो आपके स्टेट गैराज के खर्चे में काफी बचत हो सकती है। सबसे पहले बात यह है कि

(श्री प्रद्युम्नसिंह)

स्टेट गैराज में बहुत थोड़ी गाड़ियों की मरम्मत होती है उदाहरण के लिए जयपुर में बहुत से विभाग हैं जिनके पास अपनी गाड़ियां हैं लेकिन दूसरे मोटिव्ज को निगाह में रखते हुए उन विभागों के कर्मचारी उन गाड़ियों की मरम्मत स्टेट गैराज में नहीं कराते हैं बल्कि प्राइवेट वर्क शॉप में लेजाकर करवाते हैं जिसकी वजह से सरकार का काफी खर्चा होता है जो नहीं होना चाहिए। क्योंकि टेक्नीकल मामला है, वर्क शॉप के मिस्त्री ने 20 पार्ट्स की लिस्ट बना दी जबकि इतने पार्ट्स की वास्तव में जरूरत नहीं है तो आपकी गाड़ी पर 5 हजार लगा दिए तो 5 हजार सैंक्शन हो गया। इससे धन के दुरुपयोग की संभावना रहती है। अगर आप स्टेट गैराज के अन्दर सुविधायें बढ़ायें और आबलीगेटरी कर दें कि जितनी गाड़ियां हैं चाहे डीजल की, चाहे पेट्रोल, मरम्मत स्टेट गैराज में कराना जरूरी होगा।

आपको ध्यान होगा कि कुछ दिन पूर्व राज्य मंत्री चिकित्सा ने एक प्रश्न के उत्तर में कहा था कि मैडीकल एण्ड हैल्थ विभाग का वैन 1965 66 से मरम्मत में पड़ा हुआ है, उस गाड़ी पर जितनी गाडी की कीमत है उसका आधा पैसा तो मरम्मत पर लग चुका, मान लीजिए कि गाड़ी की कीमत 30 हजार है तो 15 हजार रुपए उसकी मरम्मत पर लग चुका है और सिर्फ इसलिए कि दो तीन हजार के और बिल उन्होंने बनाकर दिए हैं, जब वह पेमेंट हो जाएगा तब कहीं जाकर मरम्मत की मंजूरी होगी। स्टेट गैराज में इस बात की कम संभावना है कि वहाँ पर इस किस्म का दुरुपयोग होगा। मैं जयपुर की ही बात नहीं कहता, आपके जितने डिवीजनल हैडक्वार्टर्स हैं उदयपुर, जोधपुर, बीकानेर इत्यादि वहां पर आपको इस किस्म के वर्कशाप्स कायम करने चाहिएं, वे स्टेट गैराज के तहत कायम करें तो जितनी भी डिस्ट्रिक्ट पूल की गाड़ियां हैं और अन्य गाड़ियां हैं उनकी मरम्मत हो सके, उससे आपके खर्चे में काफी बचत होगी, यह मेरा सुझाव है।

आज पेट्रोल के खर्चे पर हमारा इफेक्टिव कन्ट्रोल नहीं है। पेट्रोल का काफी दुरुपयोग वहाँ पर होता है, उसको भी चक करने के लिए कोई इफेक्टिव कदम उठाने पड़ेंगे। यह खुशी की बात है कि पहले मन्त्रियों को 20 लिटर पट्रोल के निजी खर्च के लिए रोजाना जयपुर में मिलते थे, आज उसको घटा कर राज्य सरकार ने करीब 10 लिटर कर दिया है। यह स्वागत योग्य बात है और आज के समय में पेट्रोल की कठिनाई को देखते हुए जितनी बचत की जा सके उतनी अच्छी है। अभी जयपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने बहुत बड़ा आरोप लगाया मंत्रियों पर कि उनकी गाड़ियां तरकारी ले आने के काम आती हैं, सामेंट लेने जाती हैं, उनके बच्चे गाड़ियों में बैठकर स्कूल पढ़ने जाते हैं लेकिन जहां तक मेरी जानकारी है, सरकार के जो नियम हैं उनके अनुसार मंत्रियों को अपने निजी व परिवार के स्तैमाल के लिए गाड़ी मिलती है और उन पर पाबंदी यह है कि पेट्रोल निर्धारित सीमा के तहत ही खर्च करें उसके ऊपर के पेट्रोल का पेमेंट मंत्री महोदय को अपनी जेब से करना पड़ता है। ऐसे कितने ही उदाहरण हैं जहां पर मन्त्रियों ने अपने पास से एक्सेस पेट्रोल का पेमेंट किया है। जो माननीय सदस्य ने आरोप लगाया कि गाड़ियों का दुरुपयोग मंत्रीगण करते हैं, वह जनता को भ्रम में

(श्री प्रद्युम्नसिंह)

डालने केलिए, सरकार व मंत्री मंडल को बदनाम करने की नीयत से, किया। उनकी जानकारी में है कि मंत्री निजी स्तेमाल के लिए गाड़ी काम में ले सकते हैं। यह देश के बहुत से राज्यों में व्यवस्था है कि जहाँ पर मंत्री को गाड़ी मिली हुई हो वह अपने निजी काम के लिए स्तेमाल कर सकता है, मुझे इस बात की जानकारी है। अगर हमारे स्टेट गैराज की एक एक गाड़ी जिला हैडक्वार्टर्स पर रख दी जाय तो उससे काफी पेट्रोल की बचत हो सकती है। हमारे बहुत से सीनियर अधिकारी, मंत्रीगण वहाँ जिलों में जाते हैं और जयपुर से गाड़ी उनके स्तेमाल के लिए जाती है। अब सरकार ने 5-7 जिलों में एक एक गाड़ी रखना शुरू कर दिया है लेकिन इसके साथ साथ हर जिला हैडक्वार्टर पर कलेक्टर की जीप को विथड्रा करके गाड़ी दे और जब मंत्री वहाँ जाए तो वह भी स्तेमाल कर सकते हैं और कलेक्टर के दौरे के काम में भी वह गाड़ी स्तेमाल हो सकती है। तो इससे खर्च की काफी बचत की संभावना है। दूसरी बात उपाध्यक्ष महोदय मैं निवेदन करना चाहता हूं वह गाड़ियों के बारे में। मेरा इस बात में राज्य सरकार को यह निवेदन है कि अगर आप स्टेट गैरेज की गाड़ियों को आप जिला हैडक्वार्टर आप रख लें तो राज्य सरकार को काफी लाभ हो सकता है। राज्य सरकार का खर्चा इससे काफी बच जायेगा। क्योंकि आज जिला पूल की जब गाड़ियां खराब हो जाती हैं तो वहां पर एक मैकेनिक रहता है वह उन गाड़ियों की वहीं के लोकल आदमियों से सांठ-गांठ करता है और बिल बनवा कर वह लोग पेमेन्ट उठा लेते हैं। इसलिए अगर स्टेट गैरेज की गाड़ियां वहां रहेंगी तो वह सांठ गांठ बन्द हो जायेंगी और अगर वह गाड़ियां खराब हो जायेगी तो स्टेट गैरेज के वर्कशॉप से ठीक हो जायेंगी। वहां पर आप स्टेट गैरेज के वर्कशॉप शाखा खोलदें। इससे उपाध्यक्ष महोदय मैं निश्चित तौर से कह सकता हूं काफी राज्य सरकार के पैसे की बचत हो सकती है। दूसरी बात जो मैं आपके माध्यम से मन्त्री महोदय को यह निवेदन करना चाहता हूं और उसके साथ में यह सुझाव भी देना चाहूंगा कि वैसे तो आपने जो बड़ी-बड़ी लग्जुरियस गाड़ियों को बेच दिया हैं सिर्फ दो चार गाड़ियां रखी है आपने तो जो कि मुख्य मन्त्री महोदय के काम में आती हैं बाकी कभी प्रधान मन्त्री आवे या कोई वी. आई. पीज. आवे तो काम में आ सकती है तो जो स्पेअर पार्ट्स पड़े है जो कि बेकार हो गये है या होने वाले हैं जिनका कि इस्तेमाल नहीं होता उसको नीलामी करा दिया जावे। क्योंकि कई औजार ऐसे हैं जो कि खराब हो सकते हैं। आज वह दस-दस साल से वहां पर पड़े है टायर की तो कोई बात नहीं लेकिन और जो पुर्जे हैं वह स्टोर्स से नीलाम करा दिये जावें। तो काफी राज्य सरकार का नुकसान की बचत हो सकती है।

(समय-समाप्ति-सूचक-घण्टी)

उपाध्यक्ष महोदय अभी पांच बजे तो मुख बन्द होने वाला है वैसे बोलने वाले भी कोई हैं नहीं एक बोलने वाला है सो पांच मिनट में बोल लेता हूं बाकी पांच मिनट वह बोल लेंगे मूलचन्द जी साहब।

श्री उपाध्यक्ष : दूसरे माननीय सदस्य भी तो बोलना चाह सकते है।

श्री प्रद्युम्नसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, सिर्फ एक ही व्यक्ति हैं मूलचन्द जी सामरिया। सो पांच मिनट में समाप्त कर दूंगा।

एक माननीय सदस्य : बुलेटिन तो पांच बजे लगेगा। अभी तो काफी समय है। क्यों बेकार झूठ बोल रहे हैं।

श्री प्रद्युम्नसिंह : हम तो सही बात कहते। झूठ नहीं बोलते हैं।

श्री मूलचन्द सामरिया : आप कानूनी बात तो कह नहीं रहे हैं झूठ बोल रहे हैं।

श्री प्रद्युम्नसिंह : मैं जो बात कह रहा हूं वह सही कह रहा हूं। आपको कानून कायदा पता नहीं है। आप तो हवा में उड़ रहे हैं। आपको क्या पता कानून कायदे।

एक माननीय सदस्य : यह एल. एल. बी. है।

श्री प्रद्युम्नसिंह : मुझे इसकी जानकारी है। कोई आलोचना सही करे तो हम कुछ नहीं कहेंगे लेकिन झूठी बात कहते हैं तो कहना पड़ता है। लेकिन एक बात है कि उपाध्यक्ष महोदय, अगर कोई बात किसी को सही कही जाय तो वह हमेशा बुरी लगती है लेकिन यह सदन में गाड़ियों के बारे झूठी बात कह कर एक भ्रम फैलाते तो हमें उस भ्रम का निवारण तो करना पड़ेगा यह सुनना नहीं चाहते हैं।

श्री केदारनाथ : अब आप गैरेज से निकल कर जेल में आवे।

श्री प्रद्युम्नसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, अब मैं थोड़ा जेलों की व्यवस्था के बारे में निवेदन करना चाहूंगा। आज उपाध्यक्ष महोदय जेलों की हालत बहुत ही खराब है। वैसे तो कई माननीय सदस्यों ने सदन में इस बारे में काफी चर्चा करदी। इसलिऐ मैं इसके बारे में ज्यादा विस्तार में नहीं जाकर कुछ सुझाव प्रस्तुत करना चाहूंगा।

श्री मोहम्मद गफ्फार अली : आपको जेलों का तजुरबा है क्या ? आप कभी जेल गये क्या ?

श्री प्रद्युम्नसिंह : मुझे जेल जाने का तजुरबा नहीं है और न ही भगवान मुझे जेल का तजुरबा करावे वह तो आपको ही है। आप तो शान्त रहें अब जबसे दो साल हमारे साथी हुए तब से आपको भी बारबार जेल जाने की जरूरत नहीं पड़ती है। आप अब इस झगड़े में मत पड़िये।

श्री निरंजननाथ आचार्य : यह आपकी मेहमाननवाजी बढ़ाना चाहते हैं।

श्री प्रद्युम्नसिंह : तो उपाध्यक्ष महोदय मैं कुछ जेलों के बारे में निवेदन करना चाहता हूं। उपाध्यक्ष महोदय आज जेलों की हालत देखते हुए वहां पर सुधार होने की तुरन्त आवश्यकता है। हालांकि राज्य सरकार ने कुछ कदम जेलों में कैदियों को सुविधायें देने के उठाये हैं फिर भी वह बहुत ही कम है। अगर मैं जो सुझाव देता हूं उन्हें अगर राज्य सरकार मानती है या उस पर तव्जोह देती इससे जेल विभाग को लाभ होगा, जेल के केदियों को भी लाभ होगा और अगर उसको बड़े पैमाने पर आप लें तो जेल विभाग का सारा खर्चा जेल विभाग के द्वारा ही वहन किया जा सकता है। जेलों की आमदनी उससे काफी बढ़ सकती है। उपाध्यक्ष महोदय मुझे एक बार आगरा की जेल देखने का मौका मिला वह बहुत बड़ी है...

श्री मोहम्मद गफ्फार अली : आगरे का मेन्टल होस्पीटल भी काफी बड़ा है।

श्री प्रद्युम्नसिंह : यहा मेण्टल होस्पीटल छोटा है मुझे मालूम है। उपाध्यक्ष महोदय मैं आपके मार्फत राज्य सरकार को यह निवेदन करना चाहूंगा कि जेलों के अन्दर कुटीर उद्योगों की स्थापना की जावे।

श्री रामनारायण चौधरी (जेल मंत्री) वह तो अभी भी चल रहे हैं।

श्री प्रद्युम्नसिह : उन कुटीर उद्योगों को आप बडे पैमाने पर चलाइये। उन्हें और आगे बढावें। इससे आपके विभाग को काफी फायदा हो सकता है। अगर आप ही जवाब देना चाहें तो मैं बैठ जाऊंगा आप उत्तर दें कि कितनी-कितनी आमदनी हो रही है उन कुटीर उद्योगों से। अब और आगे आप उनके लिये क्या कदम उठा रहे हैं?

श्री रामनारायण चौधरी (जेल मन्त्री) : जब जेल विभाग के कटौती प्रस्ताव आये थे और जेल विभाग की मांगों के बारे में आपने कटौती प्रस्ताव दिये होते उस वक्त मैं जवाब दे देता और भी काफी माननीय सदस्यों ने कटौती प्रस्ताव दिये थे।

श्री प्रद्युम्नसिंह: तो उपाध्यक्ष महोदय, मेरा मन्त्री महोदय से आपके माध्यम से यह निवेदन है कि इस काम को बड़े पैमाने पर चलाना चाहिये। इससे काफी आमदनी बढ़ सकती है इसके अलावा लोगों को जेल में ट्रेनिंग दी जानी चाहिये जैसे दरी बनाने के लिये, गलीचे बनाने के लिये, तथा खिलौने बनाने के लिये, साबुन बनाना है ऐसे और छोटे-छोटे धन्धे खोल कर अपने विभाग की आय बहुत बढ़ा सकते हैं। इसके अलावा उससे यह भी होगा कि आप अपने विभाग का खर्चा भी उससे वहन कर सकते हैं ताकि राज्य सरकार के कोष में बचत हो सकेगी।

(समय-समाप्ति-सूचक-घन्टी)

अभी समाप्त कर रहा हूं उपाध्यक्ष महोदय अभी खाने के बारे में थोड़ा निवेदन करना चाहता हूं। उपाध्यक्ष महोदय, जेलों में खाने की बहुत बुरी हालत है कैदियों को जो खाना मिलता है वह काफी घटिया किस्म का खाना मिलता है। जोकि स्वास्थ्य के लिये काफी हानिजनक है। जैसे कि प्रोफेसर केदार ने कहा कि वहां पर दाल ऐसी मिलती है कि आप उसमें डुबकी लगा सकते हैं।

श्री केदारनाथ : आज मन्त्री महोदय घोषणा कर रहे हैं कि बाजरे का चूरमा दिया जावेगा।

(समय-समाप्ति-सूचक-घन्टी)

श्री प्रद्युम्नसिंह : आप कहते हैं कि मैं बैठ जाऊं तो मैं अपनी बात यहां पर समाप्त करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री मूलचन्द सामरिया !

श्री मूलचन्द सामरिया (दौसा): उपाध्यक्ष महोदय, मैं सर्व प्रथम राज्य सरकार के मोटर गैरेज के बारे में निवेदन करना चाहता हूं। उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि ठीक है राज्य सरकार ने मन्त्रियों को यह सहूलियत दी है कि मन्त्रियों को मोटरे मिलती हैं लेकिन जनतान्त्रिक प्रणाली में जो लोग समाजवाद की बातें करते हैं समाजवाद का ढोल पीटते है वह सरकार जिस काम के लिये

(श्री मूलचन्द सामरिया)
आप कहो चाहे स्कूल खोलने के लिये चाहे अस्पताल खोलने के लिये हो चाहे नल लगाने के लिये बिजली देने के लिये हो राज्य सरकार यही कहेगी कि धनाभाव के कारण यह कार्य हाथ में नहीं लिया जा सकता है लेकिन मन्त्रियों के गाड़ियों के लिये धनाभाव नहीं होता है उनके लिये लग्जुरियस गाड़ी आप खरीद सकते हैं तो मेरा निवेदन है कि जो समाजवाद की बातें करते हैं उनको शीशे उनका मुख दिखाया जाये कि क्या यह समाजवाद है आपका? आज हमारे यहां यहां पर किसानों की, मजदूरों की और गरीब लोगों की क्या हालत है। क्या उनकी हालत देखते हुए आपको ऐसी लग्जुरियस कारों में बैठना शोभा देता है आप देखें कि आप किस तरह की लग्जुरियस लाइफ लीड कर रहे हैं। उपाध्यक्ष महोदय ऐसे लोग जो कि एल. डी. सी. की पोस्ट के लिये काबिल नहीं थे जिनको एल. डी. सी. पोस्ट के लिए काबिल नहीं समझ कर निकाल दिया वह व्यक्ति मन्त्री बन सकता है।

श्री प्रद्युम्नसिंह : यह गलत है।

श्री मूलचन्द सामरिया : आप मेरे मुंह से क्यों कहलवाना चाहते है मैं जो कुछ कह रहा हूं वह फैक्ट्स कह रहा हूं।

(श्री मूलचन्द सामरिया और श्री प्रद्युम्नसिंह के एक साथ बोलने पर अव्यवस्था)

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर ऑर्डर प्लीज।

श्री प्रद्युम्नसिंह : यह गलत बात कह रहे हैं।

श्री मूलचन्द सामरिया : मैंने नाम नहीं लिया है।

श्री प्रद्युम्नसिंह : यह कोई बात नहीं आपने चपरासी की बात नहीं की। उपाध्यक्ष।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य स्थान ग्रहण करें। अगर आप कोई व्यक्तिगत चार्ज लगाना चाहते तो पहले आप मुझे लिख कर देते मैं उसके बारे में व्यवस्था देता।

श्री मूलचन्द सामरिया : ऐसा है कि उपाध्यक्ष महोदय कि बाद में उनको नोटिस वगैरह दे कर सर्विस से निकाल दिया। खैर अब यह माननीय सदस्य कहते हैं कि मन्त्री महोदय ज्यादा खर्चा नहीं करते हैं करते हैं तो अपने घर से पैसा देते हैं हो सकता है कि लाल प्लेट को निकाल लेंगे, बातें ऐसी करते हैं कि नियमों में ज्यादा समझते हैं। उनको यह पता है वे मिनिस्टर भी रहें हैं। निजी इस्तेमाल का मतलब क्या यह है कि मोटर में बच्चों को स्कूल भेजना, सब्जी के लिए गाड़ी जा सकती है, मेला देख सकते हैं, अच्छे अच्छे दर्शनीय स्थानों के भ्रमण के लिए उसमें जा सकते हैं? इस तरह से ये सब व्यक्तिगत प्रयोग में आये हैं वरना कानून में चाहे इस ओर कुछ किया हो लेकिन प्रेक्टिकल रूप उसका दूसरा ही है। इन सब का खुल कर दुरुपयोग आज किया जाता है। मैंने निवेदन किया उसको भी जनता जानती है और उन्होंने जो फरमाया उसको भी जनता जानती है।

स्वतन्त्रता सैनानियों के लिये एक बात जरूर ध्यान में रखना चाहिये जिन्होने देश की आजादी के लिए अपने आपकी कुर्बानी दे दी, धन दौलत सब कुछ जिनका लुट गया जिन्दगी और मौत से झूझते रहे उनके

(श्री मूलचन्द सामरिया)

मुकाबले में उन लोगों को भी नहीं भूल जाना चाहिये जिन्होंने भूमिगत रह कर देश के लिये काम किया, बल्कि मैं तो यों कहूंगा कि भूमिगत रह कर काम करना यह बहुत ज्यादा जिम्मेदारी का काम होता है और उनमें और इनमें किसी प्रकार अन्तर नहीं करना चाहिए। मेरे पूर्व वक्ताओं ने जो सलाह दी हैं उसके अनुसार उनको सम्मान दिया जाय।

(समय समाप्ति सूचक घंटी)

दो तीन मिनिट और ले लेता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : समय बहुत कम है।

श्री मूलचन्द सामरिया : आप ही टाइम बता दीजिये कि कितने समय तक बोलूं ?

श्री उपाध्यक्ष : दो मिनिट।

श्री मूलचन्द सामरिया : तीन मिनिट कम से कम।

तो मैं निवेदन करूंगा कि ऐसे जो लोग है उनको कम से कम किसी भी सरकारी अधिकारी के सामने न जाना पड़े। कोई व्यक्ति सरकार को नाम देता है तो यह तो सरकार की जिम्मेदारी होनी चाहिये कि वह उसके लिये जानकारी प्राप्त करे। और जो कुछ पेन्शन है वह उसको सम्मानजनक रूप से पहुंचाये। कम से कम इन लोगों की न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति की जाय और जिन्होने देश को आजाद कराया कम से कम उनको आजादी से जीने का मौका दिया जाय।

समय के अभाव में मुझे क्या निवेदन करना है पहले और बाद में। मैं यह निवेदन करूंगा कि यह जो जो जेल में क्लासेज बना रखी हैं। उनमें से एम. एल., ए. एम. पी., मिनिस्टर या सार्वजनिक कार्यकर्त्ताओं के लिए कौनसी क्लास है अगर वे चोर बाजारी करते हैं, ब्लैक मार्केट करते हैं उनको सरकार पकड़ती है उनके लिए कौनसी क्लास है और जो भूखा व्यक्ति है, एक टाइम के लिए जिसके पास खाना नहीं है, बाल बच्चों को भूखा नहीं देख सकता है, यदि कहीं सेठ साहूकारों से भिक्षा मांगें, सरकार से वह भीख मांगता है लेकिन फिर भी उसके जीवन की रक्षा नहीं होती है और यदि वह अपने बच्चों के जीवन की रक्षा के खातिर उसको किसी प्रकार भिक्षा भी न मिलने पर यदि वह पेट भरने के लिए कोई चोरी कर लेता है तो उसको कौनसी क्लास मिले इसके लिए कभी नहीं, सोचा है। जो जुर्म करता है और दूसरा वह जिसको जुर्म करने के लिए मजबूर हो जाना पड़ता है, अपने बच्चों और परिवार की रक्षा के लिए उनको कौनसी क्लास देंगे? उनके साथ किस तरह का कठोर व्यवहार करेंगे ? तीन मिनिट से पहले आपकी घन्टी बजे उससे पहले मैं मांग करूंगा कि आप उन लोगों को कौनसी क्लास देना चाहते हैं ? मजबूर होकर पेट भरने के लिए, बच्चों का जीवन बचाने के लिए चोरी कर लेता है तो आप उनको कौनसी क्लास देंगे। जेलों के अन्दर क्या फेसिलिटीज है। एक कैदी से पूछा कि आपको क्या सुविधा है तो वह कहने लगा कि इससे तो अच्छी नरक ही है। हम मैला धो लेंगे लेकिन यहां रहना तो उससे भी ज्यादा खराब है। जो व्यक्ति मजबूर होकर जुर्म करता है, आपकी जेलों में उनके लिये कोई मनोवैज्ञानिक इलाज होता है क्या ?

(श्री मूलचन्द सामरिया)

नहीं होता है। मनोवैज्ञानिक तरीके से ऐसे लोगों का इलाज किया जाय और उनका सुधार किया जाय। कत्ल और डकैती आदि करने वालों को आप अन्दर जेलों में रख सकते हैं लेकिन ऐसे लोगों को तो आपको खुले कैम्पों में ही रखना चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मन्त्री जी !

श्री हीरालाल देवपुरा : उपाध्यक्ष महोदय, आज सप्लीमेन्टरी ग्रान्ट्स के अवसर पर मांग संख्या 31 और मांग संख्या 13 पर स्वतन्त्रता संग्राम के सेनानियों के सम्बन्ध में तथा राजस्थान मोटर गैराज के सम्बन्ध में माननीय सदस्यों ने प्रकाश डाला है।

जहां तक स्वतन्त्रता सेनानियों को सम्मान देने का प्रश्न है राष्ट्र का प्रत्येक व्यक्ति उनको सम्मानित करना चाहता है, सम्मान देना चाहता है, राजस्थान सरकार उनको हर प्रकार का सम्मान देना चाहती है और उसी आधार पर राजस्थान में भी ताम्रपत्र के माध्यम से उनको सम्मानित किया गया है उससे पूर्व ही राजस्थान में स्वतंत्रता सैनानियों को राजस्थान में सुविधायें देना प्रारम्भ की गई थीं। कई स्वतन्त्रता संग्राम के सैनानियों को उनके पश्चात् उनके प्रतिनिधियों को, उनके लड़कों को राजस्थान के अन्दर पेन्शन के रूप में धनराशि दी जाती रही है, स्कोलरशिप के रूप में धन राशि दी जाती रही है। जब भारत सराकर ने स्वतन्त्रता संग्राम के सैनानियों को ताम्रपत्र स्वीकार किये तो विभिन्न तरीकों पर राजस्थान के स्वतन्त्रता संग्राम के सैनानियों को सम्मानित किया गया। सबसे पहले 15 अगस्त 1972 को दिल्ली में राजस्थान के 61 स्वतन्त्रता संग्राम के सैनानियों को ताम्रपत्र द्वारा सम्मानित किया गया। उसके पश्चात् 158.72 को जयपुर में 50 स्वतन्त्रता संग्राम के सैनानियों को ता. 26-1-73 72 स्वतन्त्रता संग्राम के सैनानियों को और 23-1-74 को 61 स्वतन्त्रता संग्राम के सैनानियों को विभिन्न अवसरों पर सम्मानित किया गया है और इन विभिन्न अवसरों पर जिन स्वतन्त्रता संग्राम के सेनानियों को सम्मानार्थ आमन्त्रित किया गया था और वे कारणवश नहीं आ सके थे उनको उनके स्थानों पर ताम्रपत्र भेजे गये वे 233 हैं। इस प्रकार 477 स्वतन्त्रता संग्राम के सेनानियों को ताम्रपत्र के माध्यम से अब तक सम्मानित किया गया।

जहां तक पेन्शन का सवाल है राजस्थान सरकार और भारत सरकार के द्वारा भी स्वतन्त्रता संग्राम के सैनानियों को पेन्शन दी जाती है। उनमें से 770 स्वतन्त्रता संग्राम के सैनानियों को राजस्थान में पेन्शन दी गयी और 462 स्वतन्त्रता संग्राम के सैनानियों को भारत सरकार के द्वारा पेन्शन के द्वारा सम्मानित किया गया और राजस्थान सरकार द्वारा लगभग 1200 स्वतन्त्रता संग्राम के सैनानियों के आवेदन पत्र भारत सरकार को भेजे होंगे उनमें से 462 को ताम्रपत्र मिल गये हैं 301 जो पेन्शन के क्राइटेरिया में नहीं आते थे उनकी स्वीकृति आई, बाकी का आना शेष है और हम आशा करते हैं कि जिनको पेन्शन मिलना चाहिये उनको पेन्शन मिलेगी।

राजस्थान सरकार द्वारा जो भी आवेदन-पत्र आते हैं उनके प्राप्त जागरुक होकर

(श्री हीरालाल देवपुरा)

उनको समय पर पेन्शन उपलब्ध करा दी जाती है। जहां तक कुछ सुविधायें देने का जिक्र किया है, सूरतगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य ने मैडीकल फैसिलिटीज, उनके बच्चों को दूसरी फैसेलिटीज के लिये बताया, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जहां जहां राजस्थान सरकार को मालूम है उनके उसी प्रकार की सुविधा दी गयी है और चिकित्सा के हेतु अब तक 50 स्वतन्त्रता संग्राम के सैनानियों को सहायता दी गई है। बच्चों को निर्वाह हेतु 81 स्वतन्त्रता संग्राम के सेनानियों को सहायता दी है, अनुग्रह सहायता 2,800 को दी गयी है, भूमि अनुदान 671 और ऋण की व्यवस्था के लिये भी व्यवस्था की है। इस प्रकार दूसरी सुविधाए भी स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को दी जाती हैं। सरकार जब भी अवसर आता है इस प्रकार की हर तरह की सुविधा उनको देने की इच्छुक रही है। सरकार उन सब का सम्मान करती है।

सीकर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि इन शहीदों का स्मारक बनाया जावे। सम्भवत: माननीय सदस्य को ज्ञात नहीं है। भारत सरकार ने निर्णय लिया है कि हर पंचायत समितियों में एक इस तरह का शिलालेख पत्थर में अंकित करके लगाया जावे जिसमें उस क्षेत्र के स्वतन्त्रता सेनानियों का नामोल्लेख हो ताकि आने वाली पीढियां उनसे सबक ले सके, प्रेरणा ले सके। ऐसे शिलालेख पंचायत समितियों में कइयों में पहुंचाये भी जा चुके हैं।

अब स्मारक के बारे में भी हमने सोचा था। वह कैसा हो, कीर्तिस्तम्भ की हमने कल्पना की थी। पर वह एक जगह नहीं विभिन्न स्थानों में जहां पर आन्दोलन चले हैं उन पंचायत समितियों के केन्द्रों में वे स्मारक तैयार करना चाहते हैं। अब वे लगने लगे हैं। कई जगह फंक्शन करके लगाये हैं। यह निश्चित है कि इस प्रकार उनके स्मारक के रूप में उनकी याद रहे, उनके तप त्याग से प्रेरणा मिलती रहे इस दृष्टि से यह सब किया जा रहा है। स्वतन्त्रता सेनानियों के प्रति जितना सम्मान और आदर माननीय सदस्यों के मनों में है उतना ही राज्य सरकार का भी है, भारत सरकार का भी है।

जहां तक दूसरी मांग का सवाल है मोटर गैराज की मोटरों के बारे में। ये मोटरें कोई नई नहीं खरीदी गई हैं। पर पुरानी मोटरों को जिनका मेन्टीनेन्स खर्च बढ़ गया था उसे घटाने के लिये उनको बेचकर उनकी जगह नई खरीदी गई हैं। पुरानी बेचने से हमें 4½ लाख की आमदनी हुई है और 2½ लाख के करीब अधिक देना पड़ा है। इससे रिपेयरिंग एक्सपेण्डीचर जो हमारा पुरानी गाड़ियों के कारण बढ़ गया था वह कम हो जावेगा।

कहा यह भी गया कि निजी काम में आती हैं ये गाड़ियां। हमने इसको रोकने के लिये ही पेट्रोल की खपत पर अंकुश लगाया है। बीस लीटर अब तक मिलता था अब उनकी जगह दस लीटर कर दिया है प्रति दिन का। इससे अधिक अगर कोई चलाता है तो मन्त्री को उसका खर्चा स्वयं के पास से भुगतना होगा। अब दस लीटर प्रति दिन का खर्चा जो है उसको मिसयूज कहना गलत होगा। उनके साथ ज्यादती होगी। आप मन्त्री को बंगला देते हैं। अब यह नहीं हो

(श्री रामनारायण चौधरी)

सकता कि बंगले में बच्चे न रहे, परिवार न रहे पत्नी न रहे। अब उनके उपयोग में गाड़ी न आये यह उनके साथ ज्यादती के सिवाय कुछ नहीं है। दुरुपयोग के लिये हमने पेट्रोल का राशन कर दिया है। दस लीटर प्रति दिन बांध दिया है।

इसी सम्बन्ध में विभागों में अधिकारियों द्वारा मिस यूज की बात कही गई। कहा गया कि उन पर नम्बर प्लेट नहीं होती मार्किंग नहीं होती। वे सभी हैं। कोई नहीं हटाया गया है। मालुम न हो ऐसा दृष्टि-कोण तो कतई नहीं है सब पर मार्किंग है। फिर इन पर भी पेट्रोल खपत पर नियन्त्रण है। काफी तो हमने कम कर दी हैं। तीन अफसरों के बीच में जहां पहले तीन थी अब एक कर दी है। पेट्रोल मंहगा हो जाने पर भी उसकी मात्रा में और रकम में हमने कतई बढोतरी नहीं की है। उसी पैसे से उनको अब भी काम करना है इसका अर्थ हुआ चौथाई उपयोग रह गया है उनका। इस हिसाब से तो अपने आप प्रति-बन्ध भी लग गया है एक तरह से। मिसयूज का खतरा इससे अब कैसे हो सकता है? कुछ जगह सम्भव है दुरुपयोग भी होता हो। ऐसे मामले जब कभी भी हमारे सामने आते हैं अथवा लाये जाते हैं तो हम एक्शन भी लेते है। ऐसा कोई कमी कुछ नहीं है कि हमने उनको मिसयूज की खुली छूट दे दी हो।

तो मैं माननीय सदस्यों को यह विश्वास दिलाना चाहता हूं कि राज्य सरकार जागरुक है इन शब्दों के साथ मैं निवेदन करता हूं कि मांग संख्या 31 व 13 को पारित किया जाय।

श्री खेतसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि मांगें पारित न हों तब तक के लिये सदन का समय बढ़ा दिया जाय। पांच बजते ही चूंकि गिलोटिन लग जावेगा अतः एप्रोप्रियेशन बिल पास न हो जावे और माननीय मन्त्री का स्टेटमेन्ट न हो जावे तब तक के लिये समय बढ़ा दिया जावे।

श्री उपाध्यक्ष : क्या सदन की अनुमति है कि एप्रोप्रियेशन बिल के पारित होने एवं मन्त्री के द्वारा वक्तव्य दिये जाने तक के लिये सदन का समय बढ़ाया जाय।

(स्वीकृत)

तब तक के लिये सदन का समय बढ़ाया गया।

श्री रामनारायण चौधरी : उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान की जेलों के सम्बन्ध में आठ माननीय सदस्यों ने 19 कटौती के प्रस्ताव प्रस्तुत किये और 5 ने उन पर अपने विचार व्यक्त किये। राजस्थान की जेलों के सम्बन्ध में जो विचार व्यक्त किये गये हैं और जो सुझाव दिये हैं उनके बारे में मैं पूरा खयाल रखूंगा और राजस्थान की जेलों के बारे में जो माननीय सदस्यों ने बातें बताई हैं वे तथ्यों से दूर हैं।

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज। मुखबन्द का प्रयोग करता हूं। अनुदानों की मांगें।

श्री उपाध्यक्ष : मैं मुखबन्द का प्रयोग करता हूं और अनुपूरक अनुदान की मांगों को पारित होने के लिये प्रस्ताव करता हूं-प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग सं. 13, मुख्य शीर्षक 26 विविध विभाग के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1974 को समाप्त

(श्री उपाध्यक्ष)
होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 4,38,000 रुपये तक की राशि और प्रदान की जावे।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 11, मुख्य शीर्षक 22–कारागार के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1974 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले, व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 8,20,000 रुपये तक की राशि और प्रदान की जावे।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 31, मुख्य शीर्षक 66–प्रादेशिक तथा राजनैतिक निवृत्ति वेतन के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1974 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 50,000 रुपये तक की राशि और प्रदान की जावे।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 1, मुख्य शीर्षक 9—भू-राजस्व के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1974 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 19,00,000 रुपये तक की राशि और प्रदान की जावे।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 6, मुख्य शीर्षक 14—स्टाम्पस के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1974 का समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 2,00,000 रुपये तक की राशि और प्रदान की जाये।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 8, मुख्य शीर्षक-18 संसद, राज्य संघ-राज्य क्षेत्र विधान सभा के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1974 को समाप्त होने वाले वर्ष में किए जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 2,11,000 रुपये तक की राशि और प्रदान की जावे।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकर की गई।

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 9, मुख्य शीर्षक 19-सामान्य प्रशासन के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1974 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 18,71,000 रुपये तक की राशि और प्रदान की जावे।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 10, मुख्य शीर्षक 21 न्याय प्रशासन के सम्बन्ध में 21 मार्च, 1974 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को

(श्री उपाध्यक्ष)

50,000 रुपये तक की राशि और प्रदान की जावे।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 12, मुख्य शीर्षक 23—पुलिस के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1974 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 1,18,52,000 रुपये तक क राशि और प्रदान की जावे।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

प्राश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 14, मुख्य शीर्षक 27-वैज्ञानिक विभाग के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1974 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 1,000 रुपये तक की राशि और प्रदान की जावे।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 15—मुख्य शीर्षक 28—शिक्षा के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1974 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 2,99,54,000 रुपये तक की राशि और प्रदान की जावे।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक 29—चिकित्सा के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1974 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 18,22,000 रुपये तक की राशि और प्रदान की जावे।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 17, मुख्य शीर्षक 30—जन स्वास्थ्य के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1974 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 58,94,000 रुपये तक की राशि और प्रदान की जावे।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 19, मुख्य शीर्षक 31—कृषि के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1974 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 2,000 रुपये तक की राशि और प्रदान की जावे।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 20, मुख्य शीर्षक 33—पशु पालन के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1974 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को

(श्री उपाध्यक्ष)

19,61,000 रुपये तक की राशि और प्रदान की जावे ।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई ।

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक 34—सहकारिता के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1974 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 1,000 रुपये तक की राशि और प्रदान की जावे ।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई ।

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 22, मुख्य शीर्षक 35—उद्योग के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1974 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 18,36,000 रुपये तक की राशि और प्रदान की जावे ।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई ।

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 25, मुख्य शीर्षक 39—विविध सामाजिक तथा विकासीय संगठन के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1974 को समाप्त होने वाले वर्ष में किए जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 67,17,000 रुपये तक की राशि और प्रदान की जावे ।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई ।

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 27, मुख्य शीर्षक 43—सिंचन, नौचालन, तटबन्धन तथा जल निकास निर्माण कार्य (वाणिज्यिक) के सम्बन्धमें 31 मार्च, 1974 को समाप्त होने वाले वर्ष में किए जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 1,000 रुपये तक की राशि और प्रदान की जावे ।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई ।

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 30, मुख्य शीर्षक 65—निवृत्ति वेतन और अन्य निवृत्ति लाभ 72—निवृत्ति वेतनों का संराशिकरण के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1974 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 42,08,000 रुपए तक की राशि और प्रदान की जावे ।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई ।

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 34, मुख्य शीर्षक 70—वन के संबंध में 31 मार्च, 1974 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 17,56,000 रुपये तक की राशि और प्रदान की जावे ।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई ।

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 35, मुख्य शीर्षक 71—विविध के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1974 को समाप्त

(श्री उपाध्यक्ष)
होने वाले वर्ष में किए जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 2,27,13,000 रुपये तक की राशि और प्रदान की जावे।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 30, मुख्य शीर्षक 95—जन स्वास्थ्य सुधार पूंजी की लागत के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1974 को समाप्त होने वाले वर्ष में किए जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 3,09,000 रुपये तक की राशि और प्रदान की जावे।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 39, मुख्य शीर्षक 95—कृषि उन्नति और अन्वेषण की योजनाओं पर पूंजी की लागत के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1974 को समाप्त होने वाले वर्ष में किए जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 15,27,000 रुपये तक की राशि और प्रदान की जावे।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 40, मुख्य शीर्षक 96—औद्योगिक एवं आर्थिक विकास पर पूंजी की लागत के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1974 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 1,000 रुपये तक की राशि और प्रदान की जावे।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 44, मुख्य शीर्षक 120—निवृत्ति वेतनों के सराशिकृत मूल्य के भुगतान के संबंध में 31 मार्च, 1974 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 2,00 000 रुपये तक की राशि और प्रदान की जावे ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 45, मुख्य शीर्षक 124—सरकारी व्यापार की योजनाओं पर पूंजी की लागत के संबंध में 31 मार्च, 1974 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 6,21,40,000 रुपये तक की राशि और प्रदान की जावे ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 47, मुख्य शीर्षक पा : राज्य/संघीय क्षेत्र सरकारों द्वारा ऋण तथा अग्रिम के संबंध में 31 मार्च, 1974 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 4,000 रुपये तक की राशि और प्रदान की जावे ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

विधायी कार्य

वित्त मंत्री जी

श्री चन्दनमल बैद (वित्त मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान विनियोग (संख्या 2) विधेयक, 1974 को पुरःस्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : क्या सदन की अनुमति है कि राजस्थान विनियोग (संख्या 2) विधेयक, 1974 को पुरःस्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जावे ?

(स्वीकृत)
(आज्ञा प्रदान की गई)

श्री चन्दनमल बैद : उपाध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान विनियोग (संख्या 2) विधेयक, 1974 को पुरःस्थापित करता हूं।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : उपाध्यक्ष महोदय....

कुछ माननीय सदस्य : अभी कैसे बोल सकते है।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : क्यों ? मेरा राइट है बोलने का।

श्री उपाध्यक्ष : मैं निवेदन कर दूं। अभी तो पुरःस्थापित ही किया है। परम्परा को क्यों तोड़ते हैं ?

वित्त मंत्रीजी !

श्री चन्दनमल बैद : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान विनियोग (संख्या 2) विधेयक, 1974 को विचारार्थ लिया जाये।

श्री गिरधारीलाल भार्गव !

श्री गिरधारीलाल भार्गव (हवा महल, जयपुर) : माननीय उपाध्यक्ष जी, प्रश्न इस समय यह है कि सन् 1973 और 74 में जो अतिरिक्त खर्चा हुआ राज्य सरकार उस पर आज इस बिल को लाकर यहां पर मोहर लगवाना चाहती है। मैं निवेदन करूं कि आखिरकार इनका जो डिपार्टमेन्ट है और इनकी जो योजनायें है यह योजना विभाग इनका क्या कर रहा है ? यह उस समय क्या कर रहे थे और जो अधिक खर्चा किया वह किस कारण से किया और आज के बिल को यहां पर लाने की आवश्यकता क्या थी ? मैं इस सम्बन्ध में कुछ बातों की ओर निवेदन करना चाहूंगा कि राज्य सरकार ने पिछली बार मंत्रियों के पानी और बिजली की अधिकांश राशि मन्जूर कराई और की है और उसमें यह कहा है कि मुख्य मंत्री जी को 10 हजार रुपये तक और मंत्रियों को पांच हजार रुपये तक और वह भी रिट्रोस्पेक्टिव इफैक्ट से याने 23 जून, 1973 से यह लागू होगा। निवेदन करना यह है कि क्या वह रकम इसमें भी शामिल कर ली गयी है। आज मुख्य मंत्री जी ने खर्चा किया माननीय मंत्रियों ने जो खर्चा किया मैं समझता हूं कि इस प्रकार से पिछले मुख्य मंत्री में रकम बकाया याने न तो नल का बिल चुकाया, न बिजली का बिल चुकाया और चूंकि उनके ऊपर कुर्की आती और जनता में बदनामी होती उस बात को छुपाने के लिए राज्य सरकार ने 23 जून, 1973 से जो सुविधा ली है। एक ओर हमारे टैक्स बढ़ रहे हैं, लोगों के सामने आदर्श प्रस्तुत करना चाहते हैं गाड़ियों के बारे में मंत्रीगण कह रहे थे कि वह उनका दुरुपयोग नहीं करते

(श्री गिरधारीलाल भार्गव)

यह बिल्कुल असत्य है। अभी सदन की कार्यवाही समाप्त हो जाये आप मेरे साथ किसी स्कूल में चले जाइये, किसी कॉलेज में चले जाइये, सायंकाल सब्जी मण्डी में चले जाइये और सिनेमा आरम्भ होता है उस समय वहां खड़े हो जाइये—सब जगह आप इन कारों को देख सकते हैं। आपने 10 लीटर की बात की। आखिरकार इसकी कोई सीमा नहीं, कोई लॉग बुक नहीं, और मैं कहना चाहता हूं कि गाड़ी में आप पेट्रोल डालकर जाना चाहते हैं अपनी मुन्नी को स्कूल से जाना है, पत्नी को सब्जी खरीदनी है तो मैं समझता हूं कि आप इन कामों के लिए अपना पेट्रोल डालकर जब चलना चाहते हैं तो प्राईवेट गाड़ी खरीदें या फिर साइकिल पर बैठकर जाइये, वह आदर्श होगा। इसलिए यह अनापशनाप खर्च करना और खर्च करके फिर सदन में बहुमत से पास करवाना—मैं इस बिल का विरोध करता हूं। इसका विरोध करना मेरा कर्त्तव्य है।

मैं यहां पर यह निवेदन करना चाहूंगा कि कृषि भूमि वाली बात जिसके लिए मैंने सदन में मैंने कई बार कहा उसके बारे में सरकार ने कोई घोषणा नहीं की। 80 प्रतिशत कृषि भूमि की अवाप्ति के नोटिस दे दिए गए और चेम्बर ऑफ कॉमर्स ने कहा कि यह नोटिस वापिस लेने चाहिए। मैं प्रिवीलेज का मोशन ला रहा हूं माननीय राजस्व मन्त्री जी के खिलाफ क्योंकि उन्होंने घोषणा की थी, मुझे उसकी कापी मिल गई जिसमें उन्होंने घोषणा की थी कि गांधीनगर के आसपास कृषि भूमि में जिन्होंने मकान बना लिए उनके नोटिस वापिस ले लिये जायेंगे बशर्ते कि वह पैसा जमा कराना चाहते हैं। यह बिल्कुल स्पष्ट है। इसका मतलब यह है कि भूमि अवाप्ति के नोटिस वापिस ले लिये जायेंगे यह घोषणा की थी। मैं कहता हूं कि विशेष अधिकारी किस बात के लिए मुकर्रर किया गया? जब 80 पर्सेंट जयपुर के आसपास की भूमि चाहे यहां से एरोड्रोम चले जायें, उधर आमेर चले जायें और उधर, गोडाला चले जायें केवल मुख्य मन्त्री महोदय के फार्म को छोड़कर उनको भूमि की अवाप्ति के नोटिस नहीं और लोगों को भूमि अवाप्ति के नोटिस दे दें और लाल कोठी में बड़े-बड़े अधिकारी जिनका नाम लेना मैं यहां मुनासिब नहीं समझता उनको अवाप्ति के नोटिस वापिस हो जायें और गरीब किसानों की भूमि अवाप्ति के नोटिस वापिस नहीं हों तो यह कौनसा समाजवाद है और यह कहा गया कि कोई कारखाना लगा रखा हो तो वह भी रेगुलराइज हो जायेगा, कोई मकान बना हुआ हो वह भी रेगुलेराइज हो जायेगा····

श्री श्रीराम गोटेवाला : यह अधिकारियों के नाम क्यों नहीं लेना चाहते हैं?

श्री गिरधारीलाल भार्गव : यह बसन्त विहार का मामला इसमें मौजूद है जिसमें लाखों रुपयों का गोलमाल किया है। मैं नाम लेना मुनासिब नहीं समझता। आप मेरे सहयोगी हैं और मैं कुछ नहीं कहना चाहता हूं। जयपुर शहर की जो एक्यूट प्रोब्लम है श्रीरामजी वह मैं रखना चाहता हूं।

श्री श्रीराम गोटेवाला : मैं चाहता हूं कि आप नाम लो ताकि प्रोब्लम सुलझे।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : जिन गरीब लोगों की जमीन अवाप्ति में आ गयी

(श्री गिरधारीलाल भार्गव)

है वह आदमी चीफ टाउन प्लानर्स के पास जायेंगे, और वह उनका नक्शा पास नहीं करेगा जब तक कि अवाप्ति के नोटिस वापिस नहीं ले लिये जायेंगे और अवाप्ति के नोटिस वापिस नहीं लिये जायेंगे और जयपुर शहर का मास्टर प्लान जो कि 1972 में प्रकाशित हो गया और यह अब 74 आ गया और सब लोगों ने जयपुर में कर्माशियल संस्थायें हैं उन्होंने और पॉलिटिकल पार्टीज ने जयपुर के मास्टर प्लान का आब्जेक्शन किया था वह आज तक नहीं सुने गये। भगवान जाने वह मास्टर प्लान कब फाइनल होगा और सबसे दुखद बात यह है कि जयपुर के मास्टर प्लान में जो भूमि कमर्शियल और रेजिडेन्शल बताई गई है उसके भी अवाप्ति के नोटिस दे रखे हैं। मास्टर प्लान में कहा गया कि जो भूमि आवासीय है, कमर्शियल है उसके नोटिस वापिस होंगे। मैं कहता हूं कि यह सदन में घोषणा होनी चाहिए, मास्टर प्लान फाइनल होना चाहिए, लोगों के केसेज विथड्रा करने चाहिए और भूमि को रेगुलेराइज करना चाहिए। एग्रीकल्चर की भूमि की अवाप्ति के नोटिस वापिस नहीं होंगे फिर किस बात के लिए विशेष अधिकारी बनाया ? यह गरीबों के साथ और किसानों के साथ जयपुर के आस पास के खेत हैं उनको एक्वायर करके सरकार की साजिश है कि बड़े बड़े लोग अपने बंगले बना लें। जितने भी मंत्री हैं वह जयपुर के शरणागत हैं। इनके यहां पर मकान हैं, बंगले हैं बड़े बड़े खेत हैं। दूसरी कॉन्सटीटुएन्सीज से जीतकर आते हैं। मैं समझता हूं कि जयपुर ने उनको शरण दे रखी है। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि भूमि अवाप्ति के नोटिसेज सरकार को तुरन्त वापिस लेने चाहिए। राजस्व मंत्री जी ने सदन में घोषणा की थी और मैं उनके खिलाफ प्रिविलेज मोशन ला रहा हूं। 9 अक्टूबर को घोषणा की है और 10 अक्टूबर को अखबार में प्रकाशित हुआ है लेकिन मैं आपको बताऊं कि 9 अक्टूबर की कार्यवाही मेरे पास है और मैं प्रिविलेज मोशन ला रहा हूं। आप जयपुर का मास्टर प्लान फाईनल कीजिए। यदि नहीं करते हैं तो उसके बिना पर एक्शन नहीं ले रहे हैं। राज्य सरकार ने घोषणा की थी 30 अगस्त, 1971 तक जो व्यक्ति आबाद है उसको कच्ची बस्तियों से बेदखल नहीं किया जायेगा लेकिन आज दुर्भाग्य है कि नियम नहीं बने, भण्डारी कमेटी की रिपोर्ट फाइनल नहीं हुई और आज भी कच्ची बस्तियों के लोग जनसंघ के तत्वावधान में 10 अप्रेल तक धरना देंगे। सर्वे पूरा नहीं कराया। मैं कच्ची बस्ती के लिए वकालत करूंगा कि कच्ची बस्ती में पीने के पानी का प्रबंध उन्हें वाटर कनेक्शन नहीं दिया जाएगा, जिन लोगों ने एग्रीकल्चर लैंड पर मकान बनाना चाहा है उनको वाटर कनेक्शन नहीं दिया जाएगा, इस प्रकार की आपकी हालत है।

इसी प्रकार से माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज सबसे बड़ी एक्यूट प्रॉब्लम लोगों के सामने राशन कार्ड की है। राशन कार्ड से तीन किलो गेहूं मिलेगा, सड़ा गला मिलेगा, दुकानों पर जाकर आप देख लें, मैंने आपको नमूना भी पेश किया है, महीना समाप्त हो गया है। फिर 17 तारीख आएगी और फिर किसी प्रकार का आन्दोलन करना पड़ेगा तब जाकर वह सड़ा गला अनाज मिलने

(130)

(श्री गिरधारीलाल भार्गव) वाला है जिसको जानवर भी नहीं खा सकते हैं। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि लोगों के पास राशन कार्ड नहीं हैं। आज गोविन्ददेव जी से बड़े हो गए हैं, भगवान से भी बड़े हो गए हैं ये राशन कार्ड इन लोगों के सामने राशन कार्ड की समस्या खड़ी है। लोगों को पिछले महीने राशन कार्ड मिले नहीं, फरवरी गया, मार्च गया और अप्रैल का महीना भी आ गया है और पहिले राशन कार्ड सेक्टर वाइज बनते थे अब उसमें एरिया और जोड़ दिया गया है पहले एरिया में प्रार्थना पत्र दो, फिर सेक्टर में जो फिर वार्ड में जायेगा और फिर जांच होगी, जांच होकर फिर लोगों को राशन कार्ड बनेगा। इस प्रकार से मैं समझता हूं कि जयपुर में हजारों नागरिकों के पास आज जिनके राशन कार्ड नहीं बने हैं, लोगों को राशन मिलता ही नहीं, चीनी मिलती नहीं, मिट्टी का तेल मिलता नहीं। एक तारीख आ गई

श्री उपाध्यक्ष : समाप्त करें।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : मैं संक्षेप में ही कह रहा हूं। मैं आपकी भावना को समझता हूं, मेरे दल के लीडर की भावना को भी समझता हूं लेकिन जयपुर के शहर की एक्यूट प्रॉब्लम हैं, मुझे बहुत सारी बातें यहां पर रखनी है लेकिन माननीय उपाध्यक्ष जी मेरे जैसे दल का आदेश है

श्री रामकिशोर व्यास : पांच बजे के बाद भी कोई सवाल नहीं करते हैं यह भी ध्यान में रखें।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : आपका भी आदेश है मैं उसका आदर करते हुये संक्षेप में ही निवेदन कर रहा हूं।

अन्त में मैं यहां की जो पानी की समस्या है, जयपुर में पीने के पानी की समस्या है, दूषित पानी मिल रहा है, गन्दा पानी नलों में आ रहा है, दामोदर जी मौर्य का स्टेटमेंट है कि वे बीमार हो गए, पीलिये से लोग बीमार हो गए और यह राजस्थान की सरकार लोगों को पीने का पानी भी भली प्रकार मुहैया नहीं कर सकती।

इसी प्रकार से बिजली की समस्या है, वोल्टेज की समस्या है। जयपुर में कभी वोल्टेज आया कभी नहीं आया, कभी किसी की मोटर जल गई वोल्टेज के कारण, खेती की मोटरें जल गई, लोगों को भली प्रकार से वोल्टेज नहीं मिलता, जो बिजली मिलनी चाहिए वह बिजली नहीं मिलती है।

इसी प्रकार से अन्त में यह बात भी कहना चाहूंगा कि उपाध्यक्ष महोदय, राज्य कर्मचारियों के आन्दोलन के वक्त में जो मैंने बार बार सदन में निवेदन किया है और आज फिर निवेदन कर देना चाहता हूं। माननीय मुख्य मन्त्री महोदय ने जोधपुर में, अलवर में, सब जगहों के केसेज वापस ले लिए। राज्य कर्मचारी आन्दोलन के समय जिन निर्दोष व्यक्तियों को, गरीबों को, दुकान से पकड़ कर, पकौड़ी बिनाने वाले, रिसोर्ट बनाने वाले, होटल वाले, ठेले वाले निर्दोष लोगों को पकड़ कर और उन पर 307 के केस बना दिए। जब आपने राज्य

(श्री गिरधारीलाल भार्गव)

कर्मचारियों के केसेज विथड्रो कर लिए, यह स्वागत योग्य घोषणा है जिसका मैंने पहले भी स्वागत किया है।

(व्यवधान-प्रश्नव्य)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज ।

(श्री भानुकुमार शास्त्री के पास में एक बोतल दिखाई देने पर)

माननीय सदस्य, यह बोतल का शौक सदन में कैसे ?

श्री निरञ्जननाथ आचार्य : यह ब्राह्मी आंवली है।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : मैं आपकी मार्फत राज्य सरकार का ध्यान दिलाना चाहूंगा कि ऐसे निर्दोष व्यक्ति जिनकी संख्या पांच छः सौ है और जिन पर 307 के केसेज लगा रखे हैं, अटेम्प्ट टू मर्डर के केसेज लगा रखे हैं, जिन लोगों का इस सारे आन्दोलन से कोई लेना देना नहीं शांति प्रिय ढंग से दुकानों पर बैठे हुए लोगों को पकड़ कर उनको मारा गया, उन पर झूठे केस लगा दिए गए उन सारे केसेज को सरकार विथड्रो करे ।

(समय-समाप्ति-सूचक घन्टी)

आपकी आज्ञा शिरोधार्य है लेकिन जिन पुलिस वालों की निर्मम रूप से पिटाई की गई, जिन पत्रकारों की पिटाई की गई, जिन पत्रकारों को डी. आई. आर. के तहत पकड़ कर केसेज चलाए गए, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जब अन्य राज्य कर्मचारियों के केसेज विथड्रो कर लिए गए तो जयपुर की जनता पर चलने वाले केसेज भी विथड्रो किए जावें और पत्रकारों की जो निर्मम पिटाई की गई उसके लिए राज्य सरकार लिखित में माफी मांगे और डी. आई. आर. में जो केसेज चलाए जा रहे हैं, वे केसेज राज्य सरकार विथड्रो करे।

(समय समाप्ति सूचक अनवरत घंटी)

यही प्रार्थना करता हूं कि राजस्थान की राजधानी जयपुर की जनता पर जो कष्ट हैं उन पर आप अवश्य ध्यान देंगे।

श्री मनोहरलाल (कामां) : उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान के मुख्य मंत्री दिल्ली की क्षेत्रीय विकास परिषद् के सदस्य हैं। केन्द्र सरकार ने दिल्ली की आबादी को कम करने के लिए और दिल्ली के आस पास का विकास करने के लिए सौ मील की परिधि में विकास करने के लिए, एक विकास परिषद का गठन किया है। हमारे माननीय मुख्य मंत्री श्री उस परिषद के सदस्य हैं। उपाध्यक्ष महोदय, यह बड़ी अच्छी बात है कि केन्द्रीय सरकार ने परिषद् बना करके दिल्ली के विकास के लिए और दिल्ली के चारों ओर की सौ मील के एरिया का विकास करने के लिए परिषद बनाई है लेकिन शायद मुख्य मंत्री महोदय यह समझते हों कि अलवर और भरतपुर को शायद केन्द्रीय सरकार दिल्ली में मिला रही है, ऐसी बात नहीं है। हकीकत यह है कि मुख्य मंत्री महोदय भरतपुर के साथ भेदभाव बरतते हैं। हो सकता है कि चुनावों की वजह से आमतौर पर उनको भरतपुर में ज्यादा वोट नहीं मिले हों, वोट कम मिले हों, इसलिए भरतपुर को छोड़ दिया गया है। मुझे बड़ी खुशी है और मैं इस बात के लिए स्वर्गीय मुख्य मंत्री जी को बधाई दूंगा कि उन्होंने अलवर को शामिल कर लिया,

श्री भानुकुमार शास्त्री : बधाई क्या स्वर्ग में देंगे ?

श्री मनोहरलाल : बाकी मैं निवेदन करना चाहता था कि अलवर का क्षेत्र जो सौ मील से भी ज्यादा 102 मील की परिधि में, रामगढ़, तिजारा, किशनगढ़ वास ये सारे के सारे क्षेत्र उस विकास परिषद में ले लिए गए हैं, बड़ी अच्छी बात है। लेकिन मैं पूछता हूं, उपाध्यक्ष महोदय, कामां, डीग, नदबई, भरतपुर, कुम्हेर जो 90 मील की परिधि में आते हैं उनको क्यों छोड़ दिया गया है। इसके दो कारण हो सकते हैं। या तो मुख्य मन्त्री महोदय यह मान कर चल रहे हों कि भरतपुर का इलाका कहीं शायद राजस्थान के बाहर नहीं चला जाय या इसका कारण यह हो कि बाबू राजबहादुर जी के साथ मतभेद हो। उनके साथ भले ही उनका मतभेद हो लेकिन भरतपुर की जनता इसका नुकसान क्यों उठावे। दूसरी बात एक और है उपाध्यक्ष महोदय, और वह यह है कि मुख्य मन्त्री महोदय हो सकता है कि भरतपुर की जनता से नाराज हों। लेकिन मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आपकी नाराजगी यहीं तक चल सकती है। जो भरतपुर के लोग कहीं यह मांग करने लगें कि राजस्थान की सरकार और राजस्थान के मुख्य मन्त्री हमारे साथ भेदभाव करते है, पक्षपात करते हैं और उसका नतीजा यह हो सकता है कि भरतपुर के लोग यह मांग करने लगें, कि भरतपुर में एक आन्दोलन चलने लगा है, भरतपुर में प्रताप सेना के नाम से एक संगठन बन गया है। भरतपुर के लोगों ने गुप्त रूप से अर्ध सैनिक संगठन तैयार किया है जिसका उद्देश्य किसी भी तरीके से अपने अधिकारों की मांग करना है। भरतपुर के लोग इस बात की मांग कर सकते हैं कि अगर उनकी न्यायोचित मांग को नहीं माना गया, अगर हमारे अधिकार को नहीं मानेगे तो हम लोग राजस्थान से अलग होने की मांग कर सकते हैं, हम उत्तर प्रदेश में मिलने की मांग कर सकते हैं, वहां के लोग ब्रज प्रदेश की मांग कर सकते हैं।

दूसरी बात, उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस सम्बन्ध में यह निवेदन करना चाहता हूं कि खास तौर से मुख्य मन्त्री महोदय से और उनकी निंदा भी करता हूं कि बाबू राजबहादुर की लड़ाई के कारण, पहाड़िया और राजबहादुर की लडाई के कारण भरतपुर क्षेत्र को छोड़ दिया गया है। इसके साथ ही मैं निवेदन करना चाहूंगा उपाध्यक्ष महोदय, भरतपुर जिले में एक मांग है, आज यहां पर बहुत से अधिकारी बैठे हैं, मन्त्रीगण बैठे हैं, तो मैं एक बात निवेदन करना चाहता हूं खास तौर से कि आज थाने और तहसीलें नीलाम होती हैं। जो थानेदार दो हजार महीना देगा, जो तहसीलदार तीन हजार रुपये महीना देगा उसको कामां और डीग और पहाड़ी में रखा जाएगा।

श्री केदारनाथ : यह तो आपने बहुत सस्ता बता दिया।

श्री मनोहरलाल : आई. जी. और मन्त्रियों के थाने अलग हैं, एस. पी. के थाने अलग हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि भरतपुर जिले में थाने और तहसीलें नीलाम होती हैं। मन्त्री और आई. जी. आपके शामिल हैं। आज भरतपुर इलाके में यह हालत है कि दस बीस आदमियों को थाने पर बुला लिया जाता है और उनकी ठुकाई

(श्री मनोहरलाल)

होती है। पन्द्रह-पन्द्रह दिन तक बिना किसी मुकदमे के और बिना किसी केस के उनको थाने में रखा जाता है और पांच पांच सौ रुपया लेकर छोड़ा जाता है। मैं निवेदन करना चाहता हूं उपाध्यक्ष महोदय, कल और परसों वहां पर तीन सौ आदमियों को पांच पांच सौ रुपये लेकर छोडा गया है एक और निवेदन कर देना चाहता हूं। जिसे सारा भारत जानता है। भारत का बच्चा बच्चा जानता है राजस्थान का एक गांव, कामां तहसील का एक गांव है वहां दो आदमियों को पकड़ा गया। उजागर सिंह और प्रतापसिंह। ये दोनों भाई थे दिल्ली की एक हत्या के सम्बन्ध में, डाक्टर जैन की पत्नी विद्या जैन की हत्या के सिल-सिले में इनको पकड़ा गया। मैं इस केस की मेरिट्स डि-मेरिट्स में नहीं जाना चाहता। कौन हत्यारा है और किसने हत्या की लेकिन उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन कर देना चाहता हूं कि दिल्ली की पुलिस इस गांव में आई, मेरे क्षेत्र में इन दो आदमियों को पकड़ने के लिए आई। दिल्ली पुलिस के डी. आई. जी., एस. पी., डी. एस. पी. आदि आये। वहां पर कई थानेदार भी आये। जीपों का एक काफिला वहां पर आया जैसे कि गांव पर हमला किया गया है। एक तरह से गांव पर धावा बोल दिया गया और इनको पकड़ा गया। और उसमें उजागरसिंह, जिस रास्ते से आता जाता था, उस रास्ते में एक जाटव का खलिहान पड़ता था। उस जाटव के खलि-हान में उपाध्यक्ष महोदय, उजागरसिंह एक चीज पटक गया। वह दिल्ली से आया था या कहां से आया था लेकिन दिल्ली की पुलिस वहां पर गयी और उस जाटव को पकड़ कर ले गई। उससे कहा कि तुम्हारे यहां पर उजागरसिंह आया जाया करता था। तुम्हारे खलिहान से गुजरता था। उसको पकड़ा। उससे तफतीश की और एक घन्टे में उससे पूछताछ करके उसको छोड़ दिया गया। यह जाटव मानसिंह था। मैं भी दिल्ली के डी. आई. जी. से मिला हूं और उनसे बात की है। उन्होंने कहा कि इसका कोई दोष नहीं है। यह रास्ते में पानी पीता था। प्रतापसिंह डॉक्टर जैन की पत्नी का हत्यारा है। इसका कोई सम्बन्ध नहीं है। इसके बाद क्या हुआ ? राजस्थान की पुलिस उस मानसिंह जाटव के पास पहुँची। उसको मारा और तीन दिन तक हिरासत में रखा। उसकी जमीन बिकवा दी और 1500/-रूपये रिश्वत के बतौर लिये। यह राजस्थान की पुलिस की तारीफ है। प्रतापसिंह वहां रहता था। उसका यह पुलिस कुछ नहीं कर सकी लेकिन उस गरीब जाटव को इस पुलिस ने पकड़ा जिसको दिल्ली के डी. आई. जी. ने निर्दोष करार दिया। उसको छोड़ दिया। मैं भी डी. आई. जी. से मिला। उन्होंने कहा आप क्या चाहते हैं ? मैंने कहा, इससे माफी मांगो। इसका जवाब दीजिए। बेगुनाह व्यक्ति को पकड़ा। इसके 1500/- रुपये दीजिये। यह कहा गया 1200/- रुपये लौटा देंगे। 300/-रूपया दलाल खा गया है। दलाल पुलिस का था, जनता का नहीं था। इस प्रकार के कारनामें राजस्थान की पुलिस करती है। राजस्थान को बदनाम करती है। राज-स्थान की जनता को बदनाम करती है। एक बात और कह कर के उपाध्यक्ष महोदय मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। शिड्यूल कास्ट, अनुसूचित जातियों के बारे में बड़ी

(श्री मनोहरलाल)

बड़ी बातें कही जाती है। यह कहा जाता है हम तुम को जमीन देंगे, रोजगार देंगे। कांग्रेस सरकार यह कहती है उपाध्यक्ष महोदय कि शिड्यूल कास्ट्स, शिड्यूल ट्राइब्स वालों को आसमान पर बिठा देंगे, अमीर को नीचे लायेंगे, गरीब को आसमान पर बिठा देंगे। समाजवाद लायेंगे। पता नहीं क्या क्या नारे दिये जाते हैं। एक ही निवेदन करना चाहता हूं। इनको नौकरी भी नहीं मिलती है, रोजगार भी नहीं मिलता है, भूमि नहीं मिलती है। लेकिन इनको छप्पर भी नहीं मिलता है। शिड्यूलड कास्ट, शिड्यूल ट्राइब्स वालों को भर पेट खाना मिल गया तो अकल आ जायेगी और वे कांग्रेस को वोट नहीं देंगे। वह बुद्धिराम हो जायेगा और बुद्धिराम होते ही कांग्रेस को वोट नहीं देगा। इसलिए इनको ऐसा रखो, भूखामारा तो वह मर जायेगा इसलिए भूखों भी नहीं मरने देते हैं, लेकिन ऐसा रखना चाहते हैं कि वह बुद्धराम बना रहे और बुद्धिराम न बने। भूखा न मरता रहे बल्कि तरसता रहे। जमीन के चक्कर में उसको बहकाते रहते हैं। जमीन देते हैं तो उसको कब्जा नहीं मिलता है। दस साल में एक बीघा ऐलाट करते हैं और वह भूमि भी उसको नहीं मिल पाती है। इस ओर सदन में ध्यान भी आकर्षित होता है। वह कहते हैं, जमीन नहीं, रोजगार नहीं, नौकरी नहीं और पढ़ने के लिए स्कालरशिप नहीं और मिलेगी तो पुरानी रेट पर स्कॉलरशिप मिलेगी। मैं निवेदन कर दूं, सारे मन्त्रियों के, विधायकों के इलाके में, शिड्यूल कास्ट के गरीब लोगों को, हरिजन लोगों को छप्पर मिल गये होंगे,

परन्तु उपाध्यक्ष महोदय, भरतपुर जिले में शिड्यूल कास्ट और ट्राइब्स के लोग है जो कि छप्पर हीन है, जिनके जच्चा और बच्चा को घर नहीं है। वे रोजगार के बिना रह सकते हैं, बिना नौकरी के रह सकते हैं, बिना खेती की जमीन के रह सकते हैं परन्तु छप्पर के नहीं रह सकते हैं। आज कामां और डीग में जमीन नीलाम की जा रही हैं। कोई वर्गीकरण नहीं है। कोई रिजर्वेशन नहीं है। सौ रुपया, सत्तर रुपया गज जमीन नीलाम हो रहा है। बड़े लोग उनको खरीद रहे हैं। मिडिल क्लास के लोग, गरीब लोग उसके लिए तरस रहे हैं। इससे तो इस्लाम की तरफ देखो। वहां मरने के बाद कब्रिस्तान में दो गज जमीन तो मिलेगी। हिन्दुस्तान में हरिजनों के जच्चा और बच्चा को छप्पर नहीं। जमीन है तो नीलाम हो रही है। भारत माता को नीलाम किया जा रहा है और उसके नालायक बच्चे छप्पर के लिए तरस रहे हैं। बच्चा और जच्चा को जमीन नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय, एक बात और कह कर मैं अपनी बात समाप्त करना चाहता हूं। भरतपुर जिले में पिछले साल से आज तक खाद्यानों को लेकर बड़े भारी घपले हुए है। शायद यहां पर खाद्य मन्त्री, भोजन मंत्री भी बैठे हैं। शायद यहां पर कृषि मन्त्री भी बैठे हैं। मैं एक निवेदन कर दूं उपाध्यक्ष महोदय, जिस राजस्थान के भोजन मन्त्री, खाद मन्त्री और कृषि मन्त्री XXX शामिल हों....

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज।

XXX ये शब्द अध्यक्ष पीठ के आदेश से निकाले गए।

(श्री मनोहरलाल) मैंने पहले भी कई बार माननीय सदस्यों से निवेदन किया है और नियमों में भी इस तरह का प्रावधान है कि किसी मन्त्री के विरुद्ध कोई आरोप लगाना चाहें तो उसमें विशिष्ट रूप से प्रावधान है। आपको लिखित में आसन को सूचना देनी चाहिये, सम्बन्धित माननीय मन्त्री को भी सूचना देनी चाहिये और आसन से स्वीकृति लेने के बाद ही इस प्रकार के आरोप लगाने के अधिकारी हैं। इस बारे में मैं स्वीकृति नहीं दे सकता।

श्री मनोहरलाल : भरतपुर जिले के बारे में निवेदन करूंगा।

श्री उपाध्यक्ष : जो शब्द आपने कहे उनको एक्सपंज किया जाये।

श्री मनोहरलाल : उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह कह रहा था कि चने को राजस्थान से बाहर ले जाने का कोई पाबन्दी नहीं है। राजस्थान में बाद में यह फैसला किया गया कि राजस्थान से बाहर यू. पी. हरियाणा को चना ले जा सकते हैं। खाद्य मन्त्री की मिली भगत से, कलेक्टर की मिली भगत से यह बाधा लगाई गई और जगह जगह पुलिस चौकियां कायम की गई। यह कहा गया पांच रुपया बोरी जो सुविधा शुल्क देगा वह चना उत्तर प्रदेश, हरियाणा को ले जा सकेगा और जो नहीं देगा उसका चना पकड़ा जायेगा। उपाध्यक्ष महोदय इस बात की जवाबदेही किसकी है। चने पर आज तक पाबन्दी नहीं है। 73 में कोई पाबन्दी नहीं थी और आज 74 में कोई पाबन्दी नहीं है। परन्तु सैंकड़ों लोगों के खिलाफ प्रगतिशीलता के नाम पर, समाजवाद के नाम पर, तस्कर व्यापार के नाम पर लोगों पर मुकद्दमे बनाये और आज भी अदालत में चल रहे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक केस बताना चाहूंगा। 20 अप्रेल 1973 को सरदार दारासिंह अपने खलिहान से चना ला रहा था। उसका खेत राजस्थान और यू. पी. की बोर्डर के पास में बामनवास तहसील में थाना पहाड़ी में देही के पास में उसका गांव है। वह अपने खलिहान से गांव को चना ला रहा था। तो पहाड़ी का थानेदार बामनवास के पास रात को गश्त लगा रहा था तो वह सरदार को मिला। उसने कहा कि चना कहां ले जा रहे हो। घर ले जा रहा हूं उसने कहा। 500 रुपये दो। 500 रुपये नहीं दूंगा। थानेदारजी ने उसको मारा और सरदार दारासिंह ने वहीं पर दम तोड़ दिया वह सरदार करमसिंह का अकेला लड़का था। उपाध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि इसकी जवाबदेही किस पर है? किस को सजा होगी? थानेदार को सजा होगी या मन्त्री महोदय को सजा होगी? जब कोई आदेश नहीं था, जब आपने केन्द्रीय सरकार की कोई अनुमति नहीं ली उसके बाद भी इस तरह के आदेश लागू किये गये।

(समय-समाप्ति-सूचक-घंटी)

एक बात कहकर उपाध्यक्ष महोदय, मैं समाप्त करूंगा अपनी बात को। मैं तबादलों के बारे में कहना चाहता हूं। आज अध्यापकों के ऊपर, थर्ड ग्रेड के कर्मचारियों के ऊपर यह पाबन्दी लगाई जाती है कि भरतपुर का कर्मचारी बाड़मेर में रहेगा, अलवर का कर्मचारी जोधपुर में रहेगा।

(श्री मनोहरलाल)

मैं आपको उदाहरण देना चाहता हूं कि एक एक ग्राम सेवक को 15-15 साल से बाड़मेर और जोधपुर में है। उनकी मां मर गई, बाप मर गये, औरतें बीमार हैं, लेकिन उनका तबादला नहीं हो सकता। क्या तबादलों में इस प्रकार की प्रणाली है कि जयपुर में जन्मे, जयपुर में पढ़े और आई. ए. एस. हो गये, आर. ए. एस. हो गये, आर. पी. एस. हो गये, सैक्रेटेरियेट में चले गये। जयपुर में पैदा हुए और जयपुर में ही रिटायरमैंट हो गया। 30 साल की नौकरी जयपुर में की आई. सी. एस. या आई. ए. एस. होकर और दूसरी तरफ ग्राम सेवक, चपरासी और छोटे कर्मचारी हैं थानेदार, नायब तहसीलदार और पेशकार यह सारे के सारे लोग भरतपुर के इलाके से और अलवर से सारे राजस्थान में दूसरे हिस्सों में भेजे जायेंगे। उपाध्यक्ष महोदय, यह बहुत गम्भीर मामला है। जयपुर की राजधानी में एक एक अधिकारी 25-25 साल से एक ही महकमे को दाबे हुए। महकमा उनकी बापौती हो जाता है। वह कहते रहते हैं कौन में बैठकर कि चिल्लाते रहते हैं विधायक। 25 साल से फाइलें उनके पास में हैं। मिनिस्टर्स उनसे कहते हैं कोई तरीका निकालो तब वह बेइमानी का तरीका निकालते हैं जो विधायकों को मालूम नहीं है। मैं निवेदन करूंगा कि भट्टजी महाराज जन सम्पर्क विभाग के बड़े अधिकारी 25-25 साल तक मुख्य मंत्री मर गये, मुख्य मंत्री बदल गये, मंत्री बदल गये और यह विधान सभा भी समाप्त हो जायगी, लेकिन भट्ट जी बदस्तूर उस महकमे को दाबे हुए हैं। उपाध्यक्ष महोदय, तमाम के बारे में तय होना चाहिए। अगर नहीं होता है तो हम भूख हड़ताल करेंगे, घेराव करेंगे और इसके लिए हम हिंसा का भी इस्तेमाल करेंगे। इस प्रकार से अधिकारी में 25-25 साल तक रहें और जो छोटे अधिकारी हैं, छोटे कर्मचारी हैं उनको 500-500 मील के फासले पर भेजा जाता है।

उपाध्यक्ष महोदय, एक बात और कहना चाहता हूं अन्त में केवल बजट के मामले को लेकर। 11 महीने और 8 दिन तक सरकारी अधिकारी और विधान सभा के कर्मचारी मौज मनाते हैं। 11 महीने और 8 दिन के बाद 15 दिन में बजट पास होता है असेम्बली में और 5 दिन तक बोगस बिल और वाउचर्स बनाये जाते हैं और दो दिन 30 और 31 मार्च को केवल बैंक में डकैती होती है, ट्रेजरी में डकैती होती है। उपाध्यक्ष महोदय, मैंने पहली या दूसरी बार यह देखा है। मुझे मालूम नहीं था कि ऐसी डकैती होती है। 11 महीने और 8 दिन तक सरकारी कार्यालय में कुछ नहीं होता है। 11 महीने और 8 दिन के बाद बजट स्वीकार करते हैं। बजट पास हो गया और बजट का एलोकेशन हो गया तो 5 दिन तक पी. डब्ल्यू. डी. में बोगस बिल और वाउचर्स होते हैं और 30 और 31 की तारीख को रात दिन उनका भुगतान होता है। मैं अपनी पार्टी से अपील करूंगा कि वह जनता को आह्वान करे और बैंकों का घेराव करे, ट्रेजरी का घेराव करे। ट्रेजरी पर अधिकारी लोग डकैती करते हैं। एक उदाहरण देना चाहता हूं कि 25 फरवरी को कामां के बी. डी. ओ. के पास एक इत्तिला पहुंची कि आप स्कूल बनवाइये। स्कूल की रकम आ रही है। रकम का पता नहीं कि कितनी रकम आ रही है, लेकिन उन्होंने कहा। 27 मार्च को उनको इत्तिला मिलती है कि 31 मार्च तक बिल बनवा लें

(श्री मनोहरलाल)
और रकम ले लें। भले से भले आदमी को बेईमान बना रहे हैं। वित्त मंत्री का पता नहीं या क्या बात है? 11 महीने तक तो लोग बैठे रहते हैं और 5 दिन में बोगस बिल और वाउचर्स बनाकर बजट को हड़प लिया जाता है।

(समय-समाप्ति-सूचक-घंटी)

एक बात और बता देना चाहता हूं कि मैं वित्त मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि अलवर और भरतपुर में दो सालों के अन्दर फूड ग्रेन्स पर कितना सेल्स टैक्स का नुकसान हुआ।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

उपाध्यक्ष महोदय, एक बात और निवेदन करना चाहूंगा मैं सदन का ज्यादा समय नहीं लूंगा। क्षमा चाहूंगा, उपाध्यक्ष महोदय। उदयपुर में कृषि विश्वविद्यालय बनाया। अच्छी बात है पहाड़ों पर खेती करना चाहते हैं तो पहाड़ी विश्व विद्यालय बनाते। पहाड़ों पर खेती करना चाहते हैं बहुत अच्छी बात है। वह कोई अमेरिकन पैटर्न की बात होगी। बड़ी अच्छी बात है पहाड़ों पर खेती करना चाहते हैं। मुझे कोई एतराज नहीं है। उदयपुर में विश्वविद्यालय कृषि का कायम किया तो हम प्रशंसा करते हैं कि पहाड़ों पर कृषि होने लगी। लेकिन एक बात कहना चाहूंगा कि मैंने एक किताब में पढ़ा था, एक रिपोर्ट थी कि सवाई माधोपुर, भरतपुर और अलवर यह दो-तीन जिले उपजाऊ जिले कहे जाते हैं, कृषि-प्रधान जिले कहे जाते हैं। लेकिन, उपाध्यक्ष महोदय, अलवर और भरतपुर दोनों में ही कृषि का कार्यक्रम किसी भी किस्म का नहीं है। मैं मांग करना चाहता हूं कि अलवर और भरतपुर जिलों में—मैं भरतपुर और अलवर की लड़ाई पैदा नहीं करना चाहता—अगर आप चाहते हैं कि किसानों की तरक्की हो, किसानों को कुछ शिक्षा मिले तो वहां पर एक कृषि की कॉलिज भरतपुर और अलवर दोनों के बीच में राजगढ़ में या मन्डावर में स्थापना करें।

उपाध्यक्ष महोदय, एक बात और कहना चाहूंगा। गुड़गांवा कैनाल के लिए कहा गया था कि उससे एक लाख एकड़ सिंचाई करेंगे। जमीन अवाप्त कर ली गई, लेकिन मुआवजे के लिए लोग रो रहे हैं। नहर खोदी गई लेकिन उसको रोक दिया गया है। 60 लाख रुपयों की वजह से नहर को रोक दिया गया है। 90 लाख रुपये लग चुके हैं। हरियाणे का हिस्सा पूरा हो चुका है। हमारा पैसा उसमें भी लग चुका है। उसके अलावा 90 लाख भी लग चुका है, लेकिन 60 लाख रुपये सरकार नहीं दे सकी 1,20,000 एकड़ की सिंचाई के लिए। उपाध्यक्ष महोदय, मैं थोड़ा सा यह निवेदन करना चाहता हूं कि 60 लाख को टुकड़ों-टुकड़ों में कर दें। आप चार लाख ही दे दें। सातवां का हिस्सा बन चुका है, अरबन सेक्शन का हिस्सा बन चुका है। उसमें केवल 3 लाख ही दे दें तो उससे 25 हजार एकड़ में सिंचाई होने लग जायगी।

श्री उपाध्यक्ष : समाप्त करें।

श्री मनोहरलाल : उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि गुड़गांवा कैनाल के पास रहने वाले हम लोगों ने फैसला कर लिया है कि इस साल अगर पानी नहीं मिला और उसके

(श्री मनोहरलाल)
लिए रकम एलाट नहीं की गई तो हम उस नहर को तोड़ देंगे। खेतों का अगर मुआवजा नहीं मिला तो खेतो को मिटा देंगे।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

श्री चन्दनमल बैद : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अभी जो माननीय सदस्य अभी बोल रहे थे आपने उनकी जोश भरी बातें सुनी। जोश अच्छा है, लेकिन होश खो करके वे कहते हैं वह अच्छा नहीं है। मुझे ऐसा मालूम पड़ता है कि माननीय सदस्य को सामने बोतल देखकर उस पर जोश आगया, और जोश में जो बातें उनको नहीं कहना चाहिए थीं....

श्री गुमानमल लोढ़ा : बोतल को देखा है या बोतल मंत्री को ?

श्री चन्दनमल बैद : ठीक है बोतल मंत्री को भी देखा होगा और बोतल को भी देखा होगा, लेकिन उनको जोश नहीं खोना चाहिए। हम लोगों को गौरव है कि हम भारतवर्ष के रहने वाले हैं, लेकिन कामां से आने वाले माननीय सदस्य को इस बात का दुःख है कि वे इस देश के रहने वाले हैं। वह चाहें तो इस जोश में अपने देश से चले जा सकते हैं। हमें कोई ऐतराज या दुःख उनके लिए नहीं होगा। आज जो मैंने उनकी बातें सुनीं तो सचमुच मुझे उनसे दुःख हुआ है, क्योंकि केवल अनर्गल बातें करने से कोई मतलब नहीं निकलने वाला है। पुलिस के बारे में उनको शिकायत थी तो पुलिस विभाग के मामले पर जब विचार-विमर्श हुआ तब वे बोल सकते थे। अगर किसी मंत्री के बारे में उनको शिकायत थी तो लिखकर दे सकते थे, बोल सकते थे। सिंचाई विभाग पर जब विचार-विमर्श हुआ और गुड़गांवा केनाल के बारे में उनको कोई शिकायत थी तो मैं समझता हूं कि जिस दिन सिंचाई विभाग की मांग पर बहस हुई थी....

श्री मनोहरलाल : बजट होने के बाद सप्लीमेण्टरी मांग रहे है। इससे ज्यादा पोल क्या होगी राजस्थान में ?

श्री चन्दनमल बैद : माननीय सदस्य एक एक करके 25 बातें बोल गये हैं। मैं समझता हूं कि उनके दल के माननीय नेता उनको कुछ सभ्यता सिखायें। इस प्रकार से वह बोलते हैं।

श्री मनोहरलाल : मेरे लिये आप आग लगा दीजिये।

श्री चन्दनमल बैद : अभी अभी भरतपुर में चुनाव हुआ। आपके दल की जमानत जब्त हुई। आपको कुछ नाराजगी हो सकती है। आपकी नाराजगी समझ में आ सकती है।

श्री गुमानमल लोढ़ा : जी हां। भरतपुर में चुनाव हुआ और आपको वहां आना पडा। राजा महाराजाओं को आपने साष्टांग दण्डवत की है। सारे सरकारी साधनों का दुरुपयोग किया है। फिर भी आप हार गये हैं।

एक माननीय सदस्य : और यू. पी में क्या हुआ ?

श्री चन्दनमल बैद : यू. पी. के चुनाव में तो हम सारे राजा महाराजा जो हिन्दुस्तान में बसे हैं, उनको लेकर गये थे। फिर भी हम जीत कर आये हैं।

श्री गुमानमल लोढ़ा : 30% वोट मिले हैं।

श्री चन्दनमल बैद : 30% वोट मिले हैं, फिर भी हम जीत कर आये हैं।

श्री मूलचन्द सामरिया : यह सारी बात किस लिए हो रही है?

श्री श्रीराम गोटेवाला : सामरिया जी की स्वतंत्र पार्टी का तो एक ही आदमी पहुंचा है।

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज।

श्री मनोहरलाल : 30% वोट पड़े हैं××

श्री चन्दनमल बैद : (श्री गुमानमल लोढा को हंसते देखकर) आप हंस रहे है ?

श्री गुमानमल लोढ़ा : आप तो एप्रोप्रियेशन बिल की बात करें।

श्री उपाध्यक्ष : यह ××× पड़ने वाली बात को मैं 'असंसदीय' मानता हूं। इसे एक्सपंज किया जाये।

ऑर्डर प्लीज।

श्री गुमानमल लोढ़ा : जच्चे और बच्चों को जमीन नहीं मिलती है।

श्री श्रीराम गोटेवाला : जच्चे और बच्चों पर बोल रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष : मैंने इन शब्दों को कार्यवाही से निकालने का आदेश दे दिया दिया है।

श्री चन्दनमल बैद : उपाध्यक्ष महोदय, मैं अपनी हार इस बात में मानता हूं अपनी पराजय मानता हूं कि जिस प्रकार की भाषा और शब्द कामों से आने वाले माननीय सदस्य उपयोग में ला सकते हैं, मैं वैसी भाषा और शब्द उपयोग में नहीं ला सकता हूं। मैं यह भी कहता हूं कि हवा महल से आने वाले माननीय सदस्य ने हमारी बहुत सी बुराईयां और कमियां कही हैं। जयपुर का पानी गन्दा पानी मिलता है। जयपुर में यह नहीं हुआ। जयपुर में वह नहीं हुआ। मैं बराबर यह कोशिश करता हूं और अभी भी जयपुर को सबसे ज्यादा पानी मुहय्या किया गया है। लेकिन वह जयपुर की जनता को यह बताना चाहते हैं कि वह जयपुर के बहुत बड़े हितैषी हैं। कोई भी अवसर हो, वह जयपुर के बारे में बोलने लगते हैं। मन्त्री बोल रहे हों तो वह बीच में उठकर खड़े हो जाते हैं।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : आप हाउस को मिसगाइड कर रहे हैं। आप मेरे साथ सवेरे 7 बजे चलें। मैं आपको दिखाता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज। माननीय सदस्य।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : मैं मन्त्री महोदय को दिखा सकता हूं। मैंने जो कुछ कहा है, उसको साबित कर सकता हूं।

(व्यवस्था सूचक घन्टी)

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : जयपुर की समस्याएं रखना मेरा फर्ज है।

××× ये शब्द अध्यक्ष पीठ के आदेश से निकाले गये।

श्री रामगोपाल : बोतल सामने रखी है। पानी दिखाई दे रहा है।

श्री केदारनाथ : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, ये तो ऐसे इश्यूज हैं, जो पहले भी रेज किये गये हैं। कोई नया इश्यू रेज किया जाये तो ठीक है। जो इश्यूज पहले रेज किये गये हैं, यह तो उन्हीं का एक्सप्लेनेशन है। यह तो ठीक नहीं है।

श्री चन्दनमल बैद : मैं गंगानगर से आने वाले माननीय सदस्य से निवेदन करूंगा, अभी जब विरोधी दल के माननीय सदस्य बोल रहे थे, तब तो आप चुपचाप सुनते रहे। आप सारी दुनिया को × × × देखते हैं।

श्री निरंजननाथ आचार्य : It is a contempt of the Hon'ble Member and a reflection on him.

माननीय सदस्य के लिए यह कहना कि × × × से देखते हैं।

(विरोधी पक्ष के अनेक सदस्य एक साथ शोरगुल–अश्रव्य)

श्री भानुकुमार शास्त्री : ऐसे सम्माननीय व्यक्ति के लिए यह कहना·······

(निरन्तर भारी शोरगुल-व्यवधान-अश्रव्य)

श्री चन्दनमल बैद : मैं क्षमा चाहता हूं। मैं अपने शब्द वापिस लेता हूं।

(निरन्तर भारी शोरगुल-व्यवधान-अश्रव्य)

श्री निरंजननाथ आचार्य : It is contemptuous.

श्री गुमानमल लोढ़ा : We want the Hon'ble Minister to take his words back and beg for unqualified apology otherwise we won't sit.

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज माननीय सदस्य।

(निरन्तर शोरगुल, व्यवधान-अश्रव्य)

ऑर्डर प्लीज, माननीय सदस्य। मन्त्री महोदय ने क्षमा मांग ली है।

(निरन्तर शोरगुल-व्यवधान-अश्रव्य)

श्री भानुकुमार शास्त्री : ऐसे गम्भीर व्यक्ति के लिए ऐसे घटिया शब्द उच्चारण करें।

(निरन्तर शोरगुल-व्यवधान-अश्रव्य)

श्री गिरधारीलाल भार्गव : हम नहीं बैठेंगे। हम कार्यवाही नहीं चलने देंगे।

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज।

(निरन्तर शोरगुल-व्यवधान-अश्रव्य)

श्री गुमानमल लोढ़ा : इसके लिए क्षमा मांगनी चाहिए। जब तक क्षमा नहीं मांगेंगे तब तक हम बैठेंगे नहीं।

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज। माननीय सदस्य बिराजिये। आप सुनिये तो····

(निरन्तर शोरगुल-व्यवधान-अश्रव्य)

× × × ये शब्द अध्यक्ष पीठ के आदेश से निकाले गए।

Page No 141

(१४१)

श्री चन्दनमल बैद : एक मिनिट मेरी तो सुन लीजिये।

(निरन्तर शोरगुल-व्यवधान-अश्रव्य)

श्री उपाध्यक्ष : मैं अर्ज कर रहा हूं····

(निरन्तर शोरगुल-अश्रव्य)

श्री मोहम्मद गफ्फार अली : एक मिनिस्टर की क्या यही तहजीब है।

(निरन्तर शोरगुल-व्यवधान-अश्रव्य)

श्री गिरधारीलाल भार्गव : हम सदन की कार्यवाही नहीं चलने देंगे।

श्री गुमानमल लोढ़ा : हम बैठने के लिए तैयार नहीं हैं।

(निरन्तर शोरगुल-व्यवधान-अश्रव्य)

श्री चन्दनमल बैद : मैं माफी मांगने के लिए तैयार हूं। मैंने क्षमा मांग ली है।

(निरन्तर शोरगुल-अश्रव्य)

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज। माननीय मन्त्री महोदय माननीय सदस्य से क्षमा मांग रहे हैं। ऑर्डर प्लीज।

श्री चन्दनमल बैद : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं गंगानगर से आने वाले माननीय सदस्य से क्षमा चाहता हूं। मैं उनका बहुत सम्मान करता हूं।

श्री केदारनाथ : मैंने ऐतराज नहीं किया।

श्री चन्दनमल बैद : मैं तीन बार क्षमा मांग चुका हूं। मेरी गलती हुई। मेरी गलती हुई, मैं ऐसा आदमी नहीं हूं कि जिद्द के मारे, कोई बात गलत है, तो उसे मैं स्वीकार नहीं करूं। मैं गंगानगर से आने वाले माननीय सदस्य की बहुत श्रद्धा करता हूं और मेरी भूल से शब्द निकल गए, उसके लिए एक बार नहीं, कई बार क्षमा चाहता हूं····

श्री गुमानमल लोढा : देट इज आल।

श्री चन्दनमल बैद : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा कहने का मतलब यह था कि एक माननीय सदस्य किसी तरह का भी आरोप लगायें और हम उसका जवाब नहीं दें तो उसका मतलब यह होता है कि हम उनके आरोपों को स्वीकार करते हैं। मैं उनसे प्रार्थना कर रहा था; उनको जो आरोप लगाने थे, जब विभिन्न मांगों पर इस सदन में चर्चा हो रही थी, उस समय वह लगाते तो आपको उन आरोपों का जवाब मिल जाता। लेकिन उस समय आरोप नहीं लगाये और आज जब मौका नहीं था, ऐसे उन्होंने आरोप लगाये। फिर भी मैं प्रार्थना करूंगा, यदि उनको यह विश्वास है इस बात का कि जो आरोप लगाये हैं वह सही हैं तो निश्चित रूप से या तो मौके पर लगाये, या लिख कर दे दें, हम निश्चित रूप से जानकारी करेंगे, उसकी जांच करेंगे, और कोशिश इस बात की करेंगे कि आपको हिन्दुस्तान छोड़ कर जाना नहीं पड़े। उसके बावजूद इस भूमि को ऐसा समझते हैं कि आप नहीं रहना चाहते हैं तो आपकी मर्जी है। इसके लिए हम बाध्य नहीं कर सकते।

(श्री चन्दनमल बैद)

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एक बात जो कि गंगानगर से आने वाले माननीय सदस्य ने कही, मुझे वित्तीय स्थिति के बारे में ही कहना चाहिये। इसके वास्ते एक पाइन्ट उठाया गया। आज के दिन जब साल समाप्त हो रहा है, हम सप्लीमेन्ट्री ग्रान्ट के लिए क्यों आये मैं आपको यह अर्ज करना चाहता हूं कि साल भर में हम जो उसका बजट पास करवाते हैं, साल भर में ज्यादा या कम खर्चा होता है, या रीएप्रोप्रियेशन हम आपस में करते हैं, एक मेजर हैड का माइनर हैड में दूसरे माइनर हैड में, या किसी जगह कन्टिनजेन्सी फंड से लेकर करते हैं, या आकस्मिक खर्च हो जाता है, उस पैसे को साल के अंत में, यह नई बात नहीं है, ज्यादातर विधान सभा में, राजस्थान विधान सभा जब से शुरू हुई है, तब से हमेशा रेगुलराइज कराने के लिए विधान सभा के सम्मुख पेश करना पड़ा है और विधान सभा से अनुमति प्राप्त करते हैं।

मैं अर्ज करना चाहता हूं कि जो मांग प्रस्तुत की गई है, उसका संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत किया जा चुका है। मैं निवेदन करना चाहता हूं, इसमें 6 करोड़ 30 लाख तो केवल कर्ज का रिपेमेंट करना पड़ा। एक साल के कर्ज के रिपेमेंट के वास्ते अकाउटेन्ट जनरल के यहां से फिगर आते हैं, वह फिगर अक्सर उनके यहां चेंज होते रहते हैं और साल के अन्त में मालूम होता है कितना रिपेमेंट करना पड़ेगा, क्या समायोजन करना पड़ेगा। तो 6 करोड़ 30 लाख तो इस सिलसिले में है। उसके बाद कर्ज का इन्ट्रेस्ट पे करते हैं, वह 5 करोड़ 25 लाख रुपये का जो पेमेन्ट करना पड़ रहा है। वह भी अकाउटेन्ट जनरल के यहां से फिगर आते हैं, वह साल के अन्त तक कई बार चेंज होते रहते हैं। फिर डीअरनेस अलाउन्स का 2 करोड़ 50 लाख रुपया एक्स्ट्रा पेमेन्ट करना पड़ा। फिर ट्रेडिंग एक्टिविटी के वास्ते, बीज, फर्टिलाइजर, फूड ट्रान्सपोर्टेशन, मिल्क सप्लाई और दूसरी चीजों के बारे में 6 करोड़ 21 लाख रुपया खर्च करना पड़ा, जिसके बारे में आज हम आपके सामने आये हैं।

रॉक फास्फेट के बारे में अर्ज करूं, रॉक फास्फेट से साढ़े चार करोड़ की विशेष आमदनी करनी है। उसमें 1 करोड़ की मशीनरी डालनी पड़ेगी जिससे हम खनन ज्यादा तेजी के साथ में कर सकें। इसलिए यह मशीनरी खरीदनी पड़ी। इसलिए ट्रेडिंग एक्टिविटी के लिए पैसा खर्च करना पड़ा, वह 6 करोड़ 21 लाख खर्च आया। इरिगेशन पर 47 लाख, पुलिस पर 12 लाख, पेंशन पर 40 लाख, पंचायत इलेक्शन पर 15 लाख क्योंकि पंचायत इलेक्शन की पूरी तैयारी कर ली गई थी, कई तैयारी करने के सिलसिले में, इलेक्टोरल रोल बनाने के लिए, छपवाने के लिए करना पड़ा, उसके लिए यह खर्च करना पड़ा। मैं अर्ज करना चाहता हूं कि इसमें से 10 करोड़ 64 लाख रुपये का तो बुक एडजस्टमेंट का है, 10 करोड़ 64 लाख इस बात के हैं कि रिजर्व बैंक को हमें पे करना है या हमें रिजर्व बैंक को पे करना है, बुक एन्ट्री के रूप में यह हुआ। कुल मिला कर 37 करोड़ 47 लाख की अनुपूरक मांगें पेश की हैं, वह इस तरीके से हैं, इसमें बेजाब्ता की बात नहीं है। जो कि इस वास्ते मैंने प्रस्ताव विनियोग (संख्या 2) विधेयक,

(श्री चन्दनमल वैद)

1974 आपके सम्मुख विचारार्थ पेश किया है, मैं कहता हूं इसको पारित किया जाय।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि विनियोग (संख्या 2) विधेयक, 1974 विचारार्थ लिया जाय।

(स्वीकृत)

विधेयक विचारार्थ लिया गया।

श्री चन्दनमल वैद : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान विनियोग (संख्या 2) विधेयक, 1974 को पारित किया जाय।

श्री भानुकुमार शास्त्री : मुझे कहना है....

श्री उपाध्यक्ष : इसके सम्बन्ध में क्या कहना है। अभी स्टेटमेंट और देना है।

श्री भानुकुमार शास्त्री : इसमें बड़ी महत्वपूर्ण बात हैं।

श्री उपाध्यक्ष : संक्षेप में।

श्री भानुकुमार शास्त्री : मैं एक बात इन्फार्मेशन की दृष्टि से कहना चाहता हूं। झामर कोटरा राक फास्फेट की इन्कम बताई है वह तब होगी जब माल बिकेगा। माल आप पहाड़ी से निकाल लेंगे, लेकिन पहाड़ी से बाहर निकालने की व्यवस्था नहीं होगी तब तक नहीं ले जा सकते हैं। आज तक व्यवस्था दोषपूर्ण है। इन परिस्थितियों में जब तक बड़ी लाइन से इसे नहीं जोड़ेंगे झामर कोटरा को और जहां जहां माल पहुंचाना चाहिए, वहां नहीं पहुंचा पाते तब तब लगा हुआ टैक्स वसूल नहीं होगा।

दूसरी बात राक फास्फेट की लिया गया, इसके लिए मैं कहना चाहता हूं कि आज उसे टेक ओवर कर लिया है, इसके लिए तो मैं सरकार की प्रशंशा करूंगा। लेकिन इसके अन्दर दूषण रहा है, वह यह रहा है, पहले बीकानेर जिप्सम के हाथ में कान्ट्रेक्ट था, काफी अर्से तक विवाद चल रहा था, बीकानेर जिप्सम के साथ जो कान्ट्रेक्ट डीड था, उस डीड का, बीकानेर जिप्सम वालों ने सारे रूल्स का वायोलेशन किया है, सारे एग्रीमेंट को तोड़ा है, उसने खान को लाखों रुपये का नुकसान पहुंचाया है, गलत स्थान पर मलवा डाला है जब आप मलबा उठायेंगे तो कम से कम खर्च तीस लाख रुपये करना होगा। यह सारा खर्चा उससे वसूल किया जायगा। बीकानेर जिप्सम से वह वसूल नहीं कर रहे हैं। मेरा कहना है कि यह वसूल करिये। दूसरे नाव डुबाने वाले मि. दत्ता थे। उनको मैनेजिंग डाइरेक्टर बनाने की क्या आवश्यकता थी? क्या राजस्थान में कोई एक्सपर्ट नहीं है जो इस खान का विकास कर सके। मैं चाहूंगा, राज्य सरकार के पास यह एक ऐसी खनिज सम्पदा है, मैं इसके लिए आगाह करना चाहूंगा, आने वाले वर्ष में राज्य सरकार को टैक्स लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, साढ़े चार करोड़ के बजाय दस करोड़ की आमदनी झामर कोटरा दे सकता हैं, बशर्ते कि व्यवस्था को ठीक ढंग से चलाया जाय। इन शब्दों के साथ में निवेदन करूंगा कि भारत सरकार से सम्पर्क स्थापित कर यातायात व्यवस्था करायें। दूसरे जो उत्पादन एक हजार टन प्रति दिन होना चाहिए वह 200 टन हो गया है। आज मान लें कि बी ब्लाक और डी ब्लाक में खनन शुरू कर दिया है, और 700 टन पैदा हो गया है तो

(श्री भानुकुमार शास्त्री)

यह कोई बड़ी बात नहीं है। दूसरे ट्रान्सपोर्टेशन की व्यवस्था नहीं है। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि राक फास्फेट से आप आमदनी करना चाहते है तो बड़ी लाइन से इसे जोड़ा जाय और ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा बनाई जाय।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मंत्री कुछ कहना चाहेगें।

श्री चन्दन मल बंद : उपाध्यक्ष महोदय, झामर कोटरा के बारे में एक प्रश्न उठाया गया। मैं माननीय सदस्य, जो उदयपुर से आते हैं, को विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि हम इस बारे में सचेत हैं, सजग हैं। बराबर भारत सरकार से इस बारे में पत्र व्यवहार कर रहे है कि वहां रेल्वे लाइन, नई लाइन बिछाने की जरूरत है, उसका खर्च देने को तैयार है। नई रेल्वे लाइन बिछाने पर विशेष खर्च होता है, उसके कारण राक फास्फेट को ले जाने के लिए विशेष भाड़ा भारत सरकार लेना चाहे तो उसके लिए तैयार हैं। हम उसके लिए बातचीत कर रहे हैं और यह कोशिश कर रहे है कि भारत सरकार ज्यादा से ज्यादा वैगन दे, जिससे जो माल खनन कर रहे हैं, वह ज्यादा से ज्यादा ले जा सकें। यह कोशिश कर रहे हैं कि ट्रकों के द्वारा हमारा माल जा सके पिछले दिनों, नई मशीन जो हमारे पास नहीं है, पहुंचने वाली है। पिछले दिनों हाइएस्ट आथोरिटी मि. धींगरा को नियुक्त किया है, जो कार्य कर रहे हैं। मैं सदन को इन्फार्मेशन के लिए कहना चाहता हूं कि 10-3-74 को ब्लाक बी में 604 और ब्लाक डी में 637 टन खनन हुआ, 11 को रेस्ट था, 12-3-74 को ब्लाक बी में 660 टन और ब्लॉक डी में 400 टन खनन हुआ, 13-3-74 को ब्लॉक बी में 608 टन और ब्लाक डी. में 900 टन खनन हुआ, 14-3-74 को ब्लाक बी में 532 टन और ब्लाक डी. में 725 टन खनन हुआ, 15-3-74 को इसी तरीके से ब्लाक बी में 248 टन और ब्लाक डी में 1164 टन खनन हुआ, 16-3-74 को ब्लाक बी में 1100 टन और ब्लाक डी में 678 टन खनन हुआ, 17-3-74 को ब्लाक बी में 484 टन और ब्लाक डी में 930 टन का खनन हुआ तो मैं निवेदन करना चाहता हूं कि हम जो 1 अप्रेल से आशा करते थे कि एक हजार टन खनन करना शुरू कर देंगे उसके बजाय मार्च में ही उस फिगर पर पहुंच गए। हमारी कोशिश यह है कि बावजूद कठिनाइयों के ज्यादा से ज्यादा खनन करें। हम जानते हैं कि जिस तरह से अरब देशों के लिए तेल है उसी तरह से राजस्थान के लिए राक फास्फेट गोल्ड माइन है, उसका हम चाहते है कि पूरी तरह से उपयोग करें। मैंने जब इस बात का जवाब दिया था कि हमने कर नहीं लगाये तो मैंने कहा था कि बिना कर लगाए ही हमें जो रिसोर्सिज मोबीलाईज करने चाहिये वे कर सकते हैं तो जरूरत नहीं कि टैक्स लगायें। इसलिए इस साल कर नहीं लगाए और अगले साल हम ज्यादा सफल रहे और ज्यादा खनन किया, ज्यादा राक फास्फेट निकला ज्यादा मुनाफा हुआ तो हम अपनी योजना को तेज करके और ज्यादा विकास के काम को अपने हाथ में ले सकेंगे। आपके सब सुझाव स्वागत योग्य हैं मैं आपको विश्वास दिलाता हूं मेरी इच्छा है कि ज्योंही विधान सभा सत्र समाप्त होगा, हम उदयपुर जायं, राक फास्फेट की

Page No 145

145

(श्री चन्दनमल वैद)

माइन्स पर जायं, जो खनिज मंत्री हैं वह भी मेरे साथ जायं, जितने अधिकारी हैं योजना विभाग के वे भी हमारे साथ चलेंगे देखेंगे कि किस तरह से उस काम को ज्यादा तेजी से चला सकते हैं और इस खनिज संपदा से हम ज्यादा से ज्यादा राजस्थान के लिए धन प्राप्त कर सकेंगे, इसकी पूरी कोशिश करेंगे। अब मुझे आशा है आपकी शंकायें मिट गई होंगी। अब उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करता हूं कि इस एप्रोप्रिएशन बिल को पारित किया जाय।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान विनियोग (संख्या 2) विधेयक, 1974 को पारित किया जाए।

(स्वीकृत)

राजस्थान विनियोग (संख्या 2) विधेयक पारित किया गया।

आबकारी मंत्री का वक्तव्य।

(श्री गुमानमल लोढ़ा व श्री गफ्फार अली साथ साथ बोलने लगे)

श्री गुमानमल लोढ़ा : यह वक्तव्य कल होने वाला था फिर आज सुबह का समय निश्चित हुआ, फिर शाम को रखा लेकिन सदन की भावना को देखते हुए यदि दो तारीख को वक्तव्य दें तो ज्यादा अच्छा होगा।

शासन पक्ष के कुछ मा. सदस्य : आज ही होना चाहिए।

श्री प्रद्युम्नसिंह : आज ही होना चाहिए। ह्वी मस्ट नो ह्वाट आर दी फैक्ट्स पहले कल होने वाला था, फिर सुबह को फिर शाम को, अभी होना चाहिए।

श्री चन्दनमल वैद : मैं कल शाम को वक्तव्य देने के लिए तैयार था लेकिन माननीय सदस्यों ने इस बात के लिए आग्रह किया था कि मैं आज दूं। मैं आज सुबह को देना चाहता था लेकिन मुझे मालूम हुआ कि कुछ नई सूचनायें प्राप्त होने वाली हैं इसलिए अध्यक्ष महोदय से प्रार्थना की गई कि अगर शाम को हो जाए तो ज्यादा अच्छा होगा। उन्होंने कृपापूर्वक इजाजत दी शाम के लिए ... ...

श्री निरंजननाथ आचार्य : आपको सुबह वक्तव्य देना था, आपने शाम के लिए समय मांगा और हम लोग उस पर सहमत हुए, क्या दिक्कत है कि आज न होकर सोमवार को हो जाए ? इसमें कोई असुविधा नहीं है। इसका यह अर्थ नहीं है कि उधर से ऐतराज हो, सदन की सुविधा का प्रश्न है और समय की सुविधा का प्रश्न है, कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए।

श्री वृद्धिचन्द जैन : हमको इस मामले में जिद्द नहीं करनी चाहिए।

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज। आबकारी मंत्री।

श्री चन्दनमल वैद (आबकारी मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय माननीय सदस्यों ने स्थगन प्रस्ताव द्वारा इस सदन का ध्यान जयपुर नगर के रेगरों की कोठी क्षेत्र में हानिकारक शराब के पीने से कुछ व्यक्तियों की मृत्यु की ओर आकर्षित किया है। वास्तव में यह एक दुःखद घटना है और राज्य सरकार शोक संतप्त परिवारों के प्रति अपनी सहानुभूति प्रकट करती है। अब तक की जांच में यह पाया गया है कि गणगौर के अवसर पर इस आबादी के कुछ लोगों ने

(श्री चन्दनमल बैद)

हीरा खटीक व कालू कलाल से नाजायज शराब खरीद कर उसका सेवन किया जिसके फलस्वरूप दिनांक 27-3-74 को एक दिनांक 28-3-74 को 7 एवं 29-3-74 को एक व्यक्ति की मृत्यु हुई।

खेद है कि प्रभावित व्यक्तियों की स्थिति के बारे में उनके परिवारों के सदस्यों और आबादी के लोगों ने संबंधित अधिकारियों को कोई सूचना नहीं दी। दिनांक 28-3-74 को रात्रि के करीब 8.30 बजे जिला प्रशासन को यह सूचना मिली कि शराब के अत्याधिक सेवन या शराब के हानिकारक होने के कारण रैगरों की कोठी के क्षेत्र में कुछ लोगों का मृत्यु हो गई है और कुछ लोगों को अस्पताल में दाखिल कराया गया है। इस सूचना पर वस्तुस्थिति की जांच करने हेतु अविलम्ब ही कुछ पुलिस अधिकारियों को मौके पर भेजा गया जिन्होंने उक्त शराब सेवन से प्रभावित व्यक्तियों को पुलिस गाड़ी में इलाज हेतु अस्पताल भेजा। इन्हें प्राथमिक उपचार के पश्चात् घर लाने की इजाजत दे दी गई। पुलिस दल ने साथ ही साथ हीरा खटीक के घर पर छापा मारा और उसकी स्त्री से पूछताछ प्रारम्भ की। पुलिस के दूसरे दल ने साथ ही साथ कालू कलाल के घर पर भी छापा मारा और वहां से 1 बोतल नाजायज शराब की बरामद की। जिलाधीश, जयपुर एवं अधीक्षक आरक्षी भी घटनास्थल पर पहुंचे और सम्बन्धित लोगों के घर पर जाकर सम्पर्क स्थापित किया। उस क्षेत्र में आबादी के समस्त लोगों से अपील की कि घर घर जाकर यदि कोई बीमार हो तो उसका पता लगाने में प्रशासन की पूरी मदद करें। दोनों ही अस्पताल में पहुंचे और उपचार की व्यवस्था भी देखी। आबकारी विभाग के अधिकारियों से भी सम्पर्क स्थापित किया और समस्त घटना की जांच करने में सहयोग प्राप्त किया।

जांच के दौरान ऐसा भी ज्ञात हुआ कि दिनांक 26-3-74 को पुरानी बस्ती में भी नाजायज शराब पीने से दो व्यक्तियों की मृत्यु हुई जिनमें से एक श्री रामगोपाल कलाल जो कि नाजायज शराब का धन्धा करता है, का नौकर था। आबकारी विभाग ने समय-समय पर सूचना प्राप्त होने पर कि जयपुर नगर के विभिन्न भागों में नाजायज शराब निकाली एवं बेची जाती है उपयुक्त कार्यवाही की जिसके फलस्वरूप 1973 में 107 केसेज पकड़े गए जिनमें करीब दो हजार बोतलें नाजायज शराब की और करीब दो हजार पांच सौ लीटर कच्ची शराब की जब्त की। 1974 में अब तक 13 केसेज पकड़े हैं जिनमें नाजायज शराब की लगभग 600 बोतलें पकड़ी गई। इन्हीं केसेज में उल्लेखनीय है कि दिनांक 28-3-74 को आबकारी विभाग ने प्रातः करीब 4 बजे पुरानी बस्ती में श्री रामगोपाल के घर पर छापा मारकर नाजायज शराब के बनाने के उपकरण फिल्टर चरी आदि मय 150 बोतल नाजायज शराब बरामद की। इसी दिन अमानीशाह के नले में चार हजार बोतल कच्ची शराब बरामद की। इस नाजायज शराब को केमीकल टेस्ट के लिए भेज दिया गया है।

इस दुखद घटना के सम्बन्ध में थाना रामगंज में धारा 302, 328 और 109 आई. पी. सी. के तहत मुकदमा कायम कर आवश्यक अनुसंधान प्रारम्भ कर दिया है। पुलिस ने मणी नाम की महिला को

(श्री चन्दनमल वैद)

गिरफ्तार किया है। अभी पूछताछ के सम्बन्ध में 15 व्यक्तियों को बुलाया जाकर इन्ट्रोगेशन किया जा रहा है। मृतकों में से 4 की मृत्यु अस्पताल में हुई है जिसका पोस्ट मार्टम हो चुका है और विसरा लिया जाकर केमीकल जांच के लिए भेजा गया है।

मैं सरकार की ओर से सदन को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि इस दुःखद घटना की जांच पूर्ण रूप से की जाकर दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही कराई जावेगी।

उपाध्यक्ष महोदय, मै जब स्टेटमेंट दे रहा था उसके और अब के बीच में मुझे सूचना मिली है कि जिस हीरा खटीक का मैंने नाम लिया है जिसके यहां शराब पीना बताया गया है उसको गिरफ्तार कर लिया गया है और उसको इन्ट्रोगेट किया जा रहा है।

श्री गफ्फार अली : मैं गुजारिश करूंगा कि यह जो हीरा खटीक है, उसके बारे में क्या यह सही है कि उसको कुछ दिन पहले मय शराब के कट्टों के गिरफ्तार किया गया था मगर कस्टम्स अधिकारियों ने वापस कट्टे सुपुर्द कर दिए और उन्हीं कट्टों से जहरीली शराब वितरित की। संबन्धित पुलिस को इस घटना की सूचना बहुत दिन पहले दे चुके थे कि हीरा और कालू और एक और आदमी अवैध दुकानें चला रहे हैं और शराब बाकायदा बिक रही है लेकिन न कस्टम्स वालों ने दिलचस्पी ली और पुलिस ने कहा हमारा जुरिस्डिक्शन नहीं है।

इसके अलावा मैं एक बात यह और जानना चाहूंगा कि क्या राज्य सरकार उन परिवार के लोगों को जिनकी इस तरह से मौत हुई उनके बारे में क्या कोई उचित मुआवजा उन मृतकों के परिवार वालों को देने का विचार रखती है। इसके अलावा जो हीरा खटीक और कालू खटीक जो कि दोनों ही मेरे निर्वाचन क्षेत्र में रहते हैं जो कि वर्षों से यह इलीसिट शराब बनाने का काम करते हैं उनकी वहां के लोगों ने आबकारी और कस्टम विभाग को इत्तिला दी कि यहां पर इस तरह से अवैध शराब बनाने की कार्यवाही चल रही है कोई कार्यवाही नहीं की गयी उसके लिये आप आबकारी अधिकारियों के खिलाफ मे क्या एक्शन लेने जा रहे हैं? इसके अलावा उनके परिवार वालों का क्या उचित मुआवजा राज्य सरकार देने का विचार रखती है? इसके अलावा मैं यह भी जानकारी चाहूंगा कि जैसा कि मन्त्री महोदय ने फरमाया है कि उन्होंने इसके लिये एक कमेटी गठित कर दी है क्या उस कमेटी के सदस्य वह भी होंगे जोकि उस एरिया में रहते हैं और अभी विधान सभा के सदस्य हैं? इसके अलावा शिड्यूल्ड कास्ट और शिड्यूल्ड ट्राईब के विधान सभा सदस्य भी उस कमेटी के मेम्बर होंगे क्या ताकि उनको भी इस बात का कहने का मौका मिले। चूंकि वह लोग खुद शिड्यूल्ड कास्ट और शिड्यूल्ड ट्राइब के सदस्य हैं और विधान सभा के सदस्य भी है। वह वेचारे मुसीबत में पड़ गये हैं। क्या उनको भी इस कमेटी में सदस्य होने का मौका दिया जायेगा? क्योंकि वह खुद उसी मोहल्ले में रहते हैं जहां पर कि घटना घटी थी। क्या वह लोग भी इस कमेटी में शामिल होंगे? उपाध्यक्ष महोदय वहां पर 11 दुकानें तो

(श्री गफ्फार अली)

वैध हैं लेकिन करीब 150-200 दूकानें शराब की अवैध चल रही हैं जोकि इन कस्टम अधिकारियों की नॉलेज में है। पुलिस विभाग की जानकारी में भी है उनके पैसे बन्धे हुए हैं और यही कारण है कि उनके खिलाफ में कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है। इसके अलावा उपाध्यक्ष महोदय आज इन शराब की दूकानों के अलावा कई क्लब चल रहे हैं जहां पर शराब की बिक्री होती है इस तरह के और भी कई इन्स्टीट्यूशन्स इस जयपुर में चल रहे हैं जहां कि शराब बेचा जाता है। उपाध्यक्ष महोदय आज इस जयपुर के अन्दर कई ब्रॉथेल्स चल रहे हैं जहां भी नाजायज शराब बेची जाती है। उनके खिलाफ में राज्य सरकार क्या कार्यवाही करेगी उनके बारे में मैं जानना चाहूंगा।

(कई माननीय सदस्य एक साथ बोलने पर अश्रव्य)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य स्थान ग्रहण करें ऑर्डर प्लीज, ऑर्डर प्लीज। श्री निरंजननाथ आचार्य।

श्री निरंजननाथ आचार्य (मावली) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह जानना चाहूंगा कि शराब किस के यहां बेची गयी। तारीख 28 मार्च, 1974 को आबकारी विभाग के द्वारा रेड की गई कुछ बोतलें शराब की पकड़ी गई उस अड्डे को भी पकड़ा गया इसके साथ साथ वहां पर कितने लोगों को पकड़ा गया? दूसरी बात मैं यह जानना चाहूंगा कि जैसा कि मुख्य मन्त्री महोदय ने यह बताया था कि सरकार को इत्तला मिलती रहती थी तब शराब बन्दी आन्दोलन चल रहा था क्योंकि राज्य सरकार को भी इस बात की इत्तला मिलती रही इसलिये दोनों ही इस बारे में सक्रिय हो रहे थे। जब विभाग को खबर होती रही तब विभाग ने उन अवैध शराब बनाने वालों के खिलाफ में क्या कार्यवाही की? जबकि राज्य सरकार की यह जानकारी में था कि अवैध शराब बनाने वाले सक्रिय हैं तो विभाग ने पहले इन अड्डों पर रेड क्यों नहीं किया? इसके अलावा तीसरी बात मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि यह तो सर्वमान्य सत्य है कि जयपुर में एक अण्डर ग्राउण्ड रिंग अवैध शराब बनाने वालों का है। वह बाहर से वैध शराब का ठेका लेते हैं और अन्दर से अवैध शराब बना कर बाजार में बेचते हैं। वह लोग अवैध शराब का बिजनेस करते हैं। तो मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि जब विभाग को यह पता थी कि यहां पर अण्डर ग्राउण्ड इलीसिट शराब बनायी जाती है तो उन्होंने इसको पकड़ने का क्यों नहीं प्रयास किया इसका मतलब यह हुआ कि आबकारी विभाग इस ओर बिलकुल निष्क्रिय था। यह मेरी मान्यता है और मैं समझता हूं कि जयपुर में अवैध शराब बड़े व्यापक पैमाने पर अण्डर ग्राउण्ड वर्ल्ड में शराब बनती है। उसको खतम करने के लिए आपके विभाग ने क्या सक्रिय कदम उठाये? और अगर अब आपका आबकारी विभाग इस ओर सक्रिय हुआ है तो वह कब तक इसका पूरा पता लगा सकेगा कि ये अधिकारी यहां पर लम्बे अर्से से यहां पर नियुक्त हैं और एक लम्बे अर्से से यहां पर होने की वजह से उनका इन लोगों से एक ऐसोसियेशन हो गया है और एक ऐसोसियेशन होना भी स्वाभाविक है। यह नहीं कहा जा सकता कि इन अधिकारियों

(श्री निरंजननाथ आचार्य)
से उनका कोई एसोसियेशन नहीं रहा। अवैध शराब बनाने वालों पर उनका नियन्त्रण न रहा हो। नियन्त्रण नहीं रहने की वजह से इन दस व्यक्तियों की मृत्यु हो गई इससे राज्य सरकार को क्या सबक मिलता है। क्या राज्य सरकार जिस प्रकार हमने डेकोइटी को नष्ट किया था उसी तरह इन अन्डर ग्राउन्ड शराब बनाने वाले डकैतों को नष्ट करके उपलब्धि प्राप्त करेगी। क्या राज्य सरकार उन पर नियन्त्रण रखना उचित नहीं समझती ?

इसके अलावा जयपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने मानवीय दृष्टिकोण का प्रश्न यहां रखा। हम मानते हैं कि वह लोग शराबी थे, खराब थे। उनके कर्मों का फल उन्हें मिल गया फिर भी हमने उनके प्रति संवेदना प्रगट की। लेकिन जिन शिड्यूल्ड कास्ट और शिड्यूल्ड ट्राइब के लोग मरे है उनके परिवार जो कि डेजर्ट हो गए हैं उनको क्या राहत राज्य सरकार देने वाली है ? क्योंकि उन लोगों की आर्थिक हालत कमजोर है। इसलिये क्या राज्य सरकार मानवीय दृष्टिकोण अपनाते हुए कुछ आर्थिक सहायता उन गरीब लोगों की फेमीली को देना उचित समझती है। इन सभी बातों के बारे में मैं राज्य सरकार से जानकारी चाहूंगा।

प्रोफेसर केदार : मान्यवर ...

(कई माननीय सदस्य एक साथ बोलने खड़े होने पर अश्रव्य)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य स्थान ग्रहण करें। ऑर्डर प्लीज ऑर्डर प्लीज श्री केदारनाथ। मैं माननीय सदस्यों को निवेदन करना चाहता हूँ कि जिन लोगों ने स्थगन प्रस्ताव दिये हैं उन्हें मैं पहले बोलने का मौका दूंगा। आप (श्री दिनेशराय डांगी की तरफ इशारा करके) खुद मन्त्री रह चुके हैं आपको नियमों का पता है कि स्थगन प्रस्ताव जो देते हैं पहले वह बोलते हैं।

श्री केदारनाथ : मान्यवर इलीसिट लिकर का जहां पर सबसे ज्यादा प्रोडक्शन होता है उस जगह से मैं आता हूं। मेरे निर्वाचन क्षेत्रों में लोग आम तौर से शराब ज्यादा पीते हैं। लेकिन शराब आमतौर से उस तबके के लिये जो कि गरीब है, साधनहीन है मजदूर हैं उनको आप उस वक्त तक शराब पीने से नहीं रोक सकेंगे जब तक कि आप शराबबन्दी को पूरी तरह से लागू नहीं करते। शराब को पूरी तरह से बन्द करना मुश्किल है जब तक कि आप शराबबन्दी कानून ही नहीं बना दें क्योंकि इन छोटे तबके के लोगों को जिनका कोई सोसियल आस्पेक्ट नहीं होता वह लोग शराब ज्यादा पीते हैं। आज शहर में हर दस दूकानों के बाद आपको एक दूकान शराब की मिलेगी। और बस्तियों में आपको गली गली में शराब मिलेगी। इसका पूरी तरह से एन्ड जब आ सकता है जबकि राज्य सरकार इसको पूरी तरह से समाप्त नहीं करदे। अभी एक कमेटी की रिपोर्ट आई है जिसमें शिड्यूल्ड कास्ट और शिड्यूल्ड ट्राईब्स के लोगों को कुछ राहत मिले तो ठीक रहे आज रैगर बस्ती जहां कि ज्यादा से ज्यादा शिड्यूल्ड कास्ट और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के लोग रहते हैं। जो रात को सात से ग्यारह बजे तक एक्टिव रहें सो बन्द कर सकते हैं। पर

(श्री केदारनाथ)

जिन सिपाहियों को आप वहां लगाते हैं या जिन अफसरों को लगाते हैं वे स्वयं पीते हैं। ऐसे नाजायज शराब बनाकर बेचने वालों के 90 प्रतिशत केस वे पैसा उनसे लेकर छोड़ देते हैं। अब आप इस पर पूरा अंकुश लगाकर चलें तो कुछ काम हो सकता है।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, घटना के घटित होने के समय मैं वहां था। मैं रात्रि को भी वहां मौजूदा था। इसलिये मैं उस दिन की वहां की वस्तुस्थिति बताना चाहता हूं।

मुख्यमन्त्री जी के वक्तव्य से ऐसा लगा कि दोषी अधिकारियों को सजा मिलेगी। पता नहीं क्यों ऐसा वक्तव्य उन्होंने दिया ? आपने एक बात कही कि नाजायज शराब वहां बिक रही है इसकी सूचना नहीं थी। तीन महीने से वहां आन्दोलन चल रहा है और इस सिलसिले में आपको बराबर जानकारी आपकी पुलिस और सभी विभाग जो सम्बन्धित थे दे रहे थे कि वहां निरन्तर नाजायज शराब बिक रही है।

अब दुर्घटना जिस दिन घटी, आबकारी विभाग का विषय था वह। आबकारी अधिकारी को वहां होना चाहिये था पुलिस के साथ। पर रात 2½ बजे तक भी जिला आबकारी अधिकारी मुन्नालाल गोयल वहां नहीं पहुंचे। मैंने फोन से उनको सूचना भी दी। पर मुझे उत्तर मिला कि वे कहीं पार्टी में गये हैं। कलक्टर, एस. पी., डी. एस. पी. सब वहां मौजूद थे। दोनों थानों के थानेदार थे। पर आबकारी अधिकारी नहीं पहुंचा। कहा गया कि उसकी क्या जरूरत थी। उनको जरूरत तो पैसा बटोरने की थी जो वे बराबर बटोरते रहे हैं। आज क्या सरकार उनकी सम्पत्ति के बारे में मालूम करने की कोशिश करेगी कि कितनी सम्पत्ति उन्होंने इन 15 वर्षों में बटोरी है। फिर एक अधिकारी 15 वर्षों से लगातार वहां बैठा है वह भी सरकार जानती है। पर उनका तबादला करने की हिम्मत सरकार की भी नहीं दिखती। इस एक अधिकारी को बराबर वहां बनाये रखने का परिणाम है यह 11 व्यक्ति मर गये। लगातार 15 वर्षों तक एक जगह रहने के कारण जितने नाजायज शराब बनाने वाले हैं जितने ठेकेदार हैं उनसे उनका रिश्ता कायम हो गया है। ऐसे अधिकारी को आगे भी वहीं बनाये रखना इन 11 मृत व्यक्तियों के प्रति उनके परिवार वालों के प्रति घोर अपमान है अन्याय है इनके प्रति।

अब कौन मरा कौन नहीं मरा। इसमें भी पुलिस कुछ मानती है अस्पताल के रिकार्ड कुछ और कह रहे हैं। मुझे जो जानकारी है जिन लोगों के नाम लिये नानगराम आदि सब वहां पर नहीं मरे।

देवासिंह कोटावाला नाहरी का नाका उनके साथी मौजूद थे। रामदयाल जी, उदयराम रैगर, ईश्वरीलाल आदि ने कहा है इस ठेकेदार से कि नाजायज शराब मत बेचो। इस पर श्रीराम और उदयराम को बुरी तरह से पीटा गया। पुलिस में इसकी रिपोर्ट दर्ज है। बनवारीलाल चपरासी को सारों ने मिल कर पीटा।

रामदयाल कलाल के मरने के बारे में कहा है। मेरे पास नाम है नानगराम।

(श्री गिरधारीलाल भार्गव)— आप कहते हैं श्रीनारायण । मैं कहता हूं श्रीनारायण मरने वालों में नहीं है ।

रामगोपाल कलाल को पकड़ने की बात कही है । यह छिपा हुआ आदमी नहीं है । यह प्रीवेन्टिव फोर्स के दफ्तर के सामने ठीक सामने रहता है और नाजायज शराब बेचने का खुला धन्धा उनकी नाक के नीचे उनकी जानकारी में करता रहा है । उसकी आमदनी में इस विभाग का बराबर का हिस्सा रहा है । आपके आबकारी अधिकारी को यह सब मालूम है । नाजायज शराब बनाने का अड्डा वहां चलता रहा है । अब कहा जाता है मार पीट का भय था उनको इसलिये आबकारी अधिकारी वहां नहीं पहुंचे । यह कर्त्तव्य से हटने का बहाना है ।

नारायणलाल । इसकी मृत्यु कल सायंकाल हुई है । अब उसे कब पकड़ लिया गया । तो इस तरह से गलत तथ्य रखने से काम नहीं चलेगा ।

आज भी अड्डे चलते हैं नाजायज शराब के । आबकारी अधिकारियों की सब जानकारी में है । गत्ता के बैल्ट में डी.डी.टी. मिला कर नाजायज शराब बनाई जा रही है । चार चार रुपये की बोतल मिलती है । जिस तरह से यह बनती है उससे वह पॉइजन हो जाती है । आबकारी अधिकारी के वे सभी कृपापात्र हैं ।

वह ठेका जिसको बन्द करने का आन्दोलन चल रहा है उसी को 9½ लाख में फिर उठा दिया । फिर आन्दोलन करने का उद्देश्य क्या रहा ? तीन महीने भजन कीर्त्तन करने का क्या लाभ हुआ ? इससे साफ है कि आपका यह आबकारी अधिकारी निकम्मा है । इसको यहां से हटा दिया जाना चाहिये ।

इसलिये मेरा निवेदन है कि सबसे पहले मृतक के परिवार को आप आर्थिक सहायता दें ताकि उनके बाल बच्चों को मदद मिले ।

हॉस्पिटल में एडमिट होने की बात कही गई कि वहां उनका उपचार किया जावेगा । एक आदमी की आंख गई । शालिग्राम उसका नाम है । उसकी आंख में नकली आई डाल कर घर भेज दिया ।

रामदयाल नामक व्यक्ति जो आपकी जानकारी में नहीं है दौलतराम है ये अभी भी बेहोश हैं । गोपाल के दाह संस्कार में मैं मौजूद था । अब अगर विरोधी आदमी का कहना है यह कह कर आप सारी सच्चाई को टालना चाहें तो आपकी मरजी है ।

मेरी मांग है कि मृत व्यक्तियों के परिवार की आप आर्थिक सहायता करें, अस्पताल में जो हैं उनका ठीक तरह से उपचार करें । जिला आबकारी अधिकारी मन्नालाल जी आर्य अपने कर्त्तव्य पालन में पीछे रहे हैं; अकर्मण्य रहे हैं । पन्द्रह साल से यहां एक ही स्थान पर डटे हुए हैं । लोगों से रिश्ते बन गये हैं । धन कमा रहे हैं । लोगों को इस तरह से बेमौत मार रहे हैं । नाजायज शराब बनाने वालों से उनके सम्बन्ध हैं । उनको सस्पेण्ड किया जावे । वरना यहां से बाड़मेर जैसलमेर भेज दिया जाय ।

श्री रघुनाथ विश्नोई: यह क्यों ? भरतपुर अलवर क्यों नहीं ?

श्री गिरधारीलाल भार्गव: चाहे कहीं भेजे, यहां से भेज दें । यहां से उस आबकारी

(श्री गिरधारीलाल भार्गव)

अधिकारी को हटा दिया जाय। आपकी कमजोरी है। आप उस आबकारी अधिकारी के खिलाफ एक्शन ले नहीं सकते। लेना चाहते हों तो यहां सदन में घोषणा करें कि या तो उसको हटा दूंगा नहीं तो सदन में त्यागपत्र दे दूंगा। यह मेरी विनम्र प्रार्थना है। आप अगर ऐसा करेंगे तो निश्चय ही आगे चल कर आप मुख्य मंत्री बनेंगे।

श्री मूलचन्द सामरिया : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, रैगरों की कोठी में जो नशाबन्दी समिति वालों का आन्दोलन चल रहा है और कहा जा रहा है कि वहां के लोगों का हृदय परिवर्तन हो रहा। इसके विपरीत सरकार यह कह रही है कि हृदय परिवर्तन नहीं हो रहा है, बल्कि सरकारी शराब की जगह नाजायज शराब बहुत बड़ी तादाद में बिक रही है और वह लोग पी रहे हैं। इससे स्पष्ट है कि सरकार को नाजायज शराब के बिकने की जानकारी लगातार मिलती रही। फिर हीरालाल खटीक को इस बारे में पकड़ा। अब एक्चुअल पोजीशन का पता नहीं। कई वक्ताओं ने फरमाया कि छापे में कई बोतलें मिलीं। उसमें से एक बोतल जो ठीक थी वह तो उन्होंने पकड़ ली बाकी की जहरीली बोतलें वापिस उसको दे दी। इन तमाम बातों के सन्दर्भ में मैं निवेदन करूंगा कि इसके पीछे सरकार की मंशा साफ है कि इस शराबबन्दी आन्दोलन को बदनाम किया जाय कहा जाय कि चूंकि शराबबन्दी वालों ने सरकारी दूकानें बन्द करा दीं इसलिये जहरीली शराब पीकर ये मौतें हुई। उनकी शराब पीने की आदत बदली नहीं। पर अगर ऐसा है तो सरकार को यह मालूम होना चाहिये कि नाजायज शराब की एक भी बूंद बनती है तो वह जुर्म है। उसके लिये सरकार की तरफ से दिन और रात वहां पर किन लोगों को निगरानी के लिये डेप्युट किया तो मैं यह पूछना चाहता हूं सरकार से कि क्या सरकार यह नहीं समझती है खासतौर से मेले पर या किसी फंक्शन पर जो लोग शराब पीते हैं शराब के ठेकों पर नहीं जायेंगे ......

(समय-समाप्ति-सूचक-घण्टी)

सरकार ने, सरकार के अधिकारियों ने ऐसे लोगों को छूट दी है। दूसरा मुझे मालूम पड़ता है नशाबन्दी आंदोलन फेल होने के कारण को व लोगों की आदत नहीं बदली यह दिखाने के लिये चमत्कारिक तरीके से दिखाने के लिये पॉइजिनस शराब पिलाकर दिखाया है कि इन लोगों की आदत शराब की नहीं छूटी है और यह आन्दोलन ......

(समय-समाप्ति-सूचक-घण्टी)

आप यह कहना चाहते हैं कि हृदय परिवर्तन नहीं हुआ है तो यह माना जाय कि सरकार ने आन्दोलन फेल करने के लिये यह षड़यन्त्र किया है। अन्यथा तीन महिने से आन्दोलन हो रहा है और लोगों को मौका मिले और सरकार की तरफ से निगरानी करने वाले नहीं हों और पकड़े नहीं। 3-4 दिन में ...

श्री उपाध्यक्ष : आप तशरीफ रखिये।

श्री मूलचन्द सामरिया : इस तरह मैं निवेदन करूंगा उन अधिकारियों के खिलाफ इस संदर्भ में सोचा जाय सरकार ने अपनी कथनी को पूर्ण रूप से साक्षात्कार कराने के लिये किया है अथवा इन्नोसेन्ट तरीके से। वैसे मेरी मरने वालों से हमदर्दी नहीं है, जैसा उन्होंने किया वैसा पाया। परन्तु उनके परिवारजनों से है और वे सहायता के पात्र हैं।

श्री रघुनाथ विश्नोई : यह ठीक ही कहा है।

श्री दिनेशराय डांगी : आपने कृपापूर्वक टाइम दिया है, उसके लिये तो मैं आभारी हूं। इस प्रश्न पर काफी चर्चा हो चुकी है और राज्य सरकार का स्टेटमेन्ट भी आया है। मैं यह चाहूंगा अनुसूचित जाति के लोग वैसे भी गरीब होते हैं और सरकार अगर उनके साथ यह रवैया रखेगी तो उचित नहीं है। मैं चाहूंगा कुछ लोग ऐसे हैं जिनके आगे पीछे कोई भी नहीं है। सरकार की तरफ से पेन्शन की व्यवस्था की जाय और कुछ इमीजियेट रीलीफ दिया जाय। जिनके मार्फत अवैध शराब बनाई गई और वेची गई उनके खिलाफ सख्त कार्यवाही करें लेकिन उपाध्यक्ष महोदय, आपको मालूम है जिस गाड़ी से एक्सीडेन्ट होता है उनके यात्रियों को मुआवजा मिलता है, गलती तो चलाने वाले की ही होती है इसलिये ...

श्री वृद्धिचन्द्र जैन : क्या यह एक्सीडेन्ट हुआ है ?

श्री दिनेशराय डांगी : मैं मानवता के नाते चाहता हूं। पेन्शन दें या उनके बच्चों को कुछ राहत दें।

श्री उपाध्यक्ष : श्री देवीलाल !

श्री देवीलाल : राजस्थान में नाजायज दारू कई शहरों में ...

श्री उपाध्यक्ष : मैं भाषण के लिये समय नहीं दे रहा हूं ...

श्री देवीलाल : मैं यह पूछना चाहता हूं नाजायज शराब सरकार ने पिलाई है या मिनिस्टर महोदय ने दिलाई है, जो मुआवजा देंगे। अपने आप पीते हैं और सरकार उनको मुआवजा दे ?

(कई माननीय सदस्यों की एक साथ आवाज, अश्रव्य)

श्री उपाध्यक्ष : श्री जयकिशनलाल !

श्री जयकिशनलाल : मेरा निवेदन तो यह है कि रैगरों की वस्ती में कल सुबह मैं भी जाकर आया था और वहां सारी वस्ती में घूमने के बाद प्रत्येक मृतक के घर जाने के पश्चात् देखा तो उपाध्यक्ष महोदय बड़ी दयनीय स्थिति थी और बड़ी भयानक स्थिति थी। माननीय मंत्री महोदय से आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं कब तक उन हरिजन जाति के जो अन-समझ व्यक्ति हैं कब तक उनके जीवन के साथ खिलवाड़ खेलते रहेंगे ? क्या सदन में ऐसा निर्णय कर देंगे कि ऐसी गरीब बस्तियों में जहां जहां शराब का ठेका है। वे अपने भविष्य को पहचानते नहीं हैं। अपनी सन्तान को सही स्थान पर पहुंचाने का विचार ही नहीं है। उनमें इतनी बुद्धि नहीं है क्योंकि पीढ़ी दर पीढ़ी इस प्रकार का चलन आया हुआ है कि वे लोग सही स्थिति को नहीं पहचानते हैं क्या ऐसी कच्ची बस्तियों में सरकार के जो ठेके हैं उनको रुकवायेंगे और विशेष रूप से रैगरों की कोठी, जयपुर में पिछले तीन महीने से आन्दोलन चल रहा है और उस आन्दोलन को देखते हुये क्या राज्य सरकार इस प्रकार का निर्णय लेगी कि आज की तारीख में वहां से ठेका तुरन्त हटा दिया जाय और बाकी बचे हुये हैं उनके जीवन को बचाने की कोशिश की जाय। माननीय उपाध्यक्ष महोदय मेरा तो सरकार से यही निवेदन है।

श्री उपाध्यक्ष : श्री प्रद्युम्न सिंह !

श्री प्रद्युम्नसिंह : मैं तो मंत्री महोदय से दो ही बात पूछना चाहता हूं कि इस नाजायज शराब की वजह से जयपुर में ये मौतें हुई, उसके बाद अखबारों में पढ़ने को मिला कई शहरों में, कई प्रान्तों में 40-40, 50-50 मौतें नाजायज शराब पीकर हुई है। सरकार भविष्य में पुनरावृत्ति नहीं हो इसलिये सरकार क्या इफेक्टिव कदम उठाना चाहती हैं और क्या काम करना चाहती है जिससे यह चीज रुके ? क्योंकि इस विषय में बहुत कहा जा रहा है। बहुत बड़ी तादाद में आदमी मरे हैं कोई इफेक्टिव कदम उठाना चाहिये, क्योंकि लोग सस्ती शराब का जहर पियेंगे, यह निश्चित है। जहां जहां खास तौर से मौतें हुई हैं वहां नशाबन्दी है। मैं केवल इतना जानना चाहता हूं आप क्या इफेक्टिव कदम उठाने की सोचते हैं जिससे दुबारा इस प्रकार की बातें न हो ?

श्री मूलचन्द सामरिया : एक-एक बोतल ··(अश्रव्य) रखवा दो ···

श्री रघुनाथ बिश्नोई : नाजायज शराब से नाजायज इन्कम होती है उसके बांटने के सम्बन्ध में सख्ती से कदम उठाया जाय तो यह मामला रुक सकता है मेरा अनुभव यह है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मंत्रीजी।

श्री मोहम्मद गफ्फार अली : जो पर्सनल्स है उनके नाम जरूर बता दें ···

श्री चन्दनमल बैद : कौनसे पर्सनल्स है ··

श्री मोहम्मद गफ्फार अली : जो कमेटी आपने बनाई है ···

श्री चन्दनमल बैद : मैंने कौनसी कमेटी की बात की···

श्री मोहम्मद गफ्फार अली : आपने कहा एन्क्वायरी करा रहे हैं।

श्री चन्दनमल बैद : इन्वेस्टीगेशन तो पुलिस कर रही है···

श्री गिरधारीलाल भार्गव : ना आप हट रहे हैं, न आबकारी मंत्री को हटा रहे है और न स्वयं हट रहे है।

श्री मोहम्मद गफ्फार अली : किस ऐजेन्सी के द्वारा करायेंगे ?

श्री गिरधारीलाल भार्गव : वित्त मंत्री जी ना एन्क्वायरी करा रहे हैं, ना आबकारी मंत्री जी को हटा रहे है, और ना स्वयं हट रहे हैं। फिर मैं समझता हूं स्टेटमेंट देने से कोई फायदा नहीं है ··

(शोर गुल व्यवधान, अश्रव्य)

जो लोग मर गये हैं वे तो मर गये हैं लेकिन उसको एन्क्वायरी कराकर दोषी को सजा नहीं देना चाहते हैं। आपको स्तीफा देना चाहिये। आबकारी मंत्री जी को हटाना चाहिये तो मैं समझता हूं जो मर गये उनको श्रद्धांजली देने से कोई फायदा नहीं होगा।

(शोरगुल, व्यवधान, अश्रव्य)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, माननीय सदस्य !

श्री गिरधारीलाल भार्गव : अधिकारियों को हटाइये और तुरन्त.......

(कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने से अश्रव्य)

श्री मनोहरलाल (कामां) : .... घोषणा करें ....उसके बावजूद भी ....

श्री उपाध्यक्ष : श्री रामलाल !

श्री रामलाल : राजस्थान की कितनी हरिजन बस्तियों में ऐसी कितनी दूकान हैं इन दूकानों को हटाने का सरकार का सरदर्द है। ये मरने वाले शराब पीकर मर गये लेकिन दुबारा मरने को रोका नहीं। कुत्ते को पकड़े फिर 10 कुत्ते नहीं रहे ऐसे कानून बनाये जायं। मरने वाले तो मर गये लेकिन बीच में एक टुकड़ा रोटी डाल दी, तुम आपस में लड़ो।

श्री वृद्धिचन्द्र जैन : उपाध्यक्ष महोदय एक प्रश्न ऐसा है कि ....

श्री गिरधारीलाल भार्गव : ये मिनिस्टर बनने वाले है।

श्री वृद्धिचन्द्र जैन : अभी जो नाजायज शराब की बिक्री हो रही है और यह न केवल यहां हो रही है सभी जगह हो रही है, मेरे जिले में भी हो रही है। आपका जो प्रिवेन्टिव फोर्स है वह बहुत कम है। सैंकिन्डली जो फोर्स है वह बिल्कुल उनसे मिला हुआ है। जो शराब बनाते हैं, उनसे मिले हुये हैं, इसका कोई कन्ट्रोल राज्य सरकार के पास नहीं है। इस सम्बन्ध में आप क्या नीति अपनाना चाहते हैं, क्या कदम उठाना चाहते हैं ....

श्री चन्दनमल बैद : उपाध्यक्ष महोदय मैं पहले ही अर्ज कर चुका हूं कि सारी घटना से मुझे और सरकार को बहुत दुःख है और इस बारे में मैंने वक्तव्य दिया उस पर कुछ प्रश्न माननीय सदस्यों ने उठाये। एक बात तो यह कही गयी कि हरिजनों की बस्तियों में से शराब की दुकान हटा ली जाये। मैं अर्ज करना चाहता हूं कि इस बस्ती में जो शराब की दुकान थी वह तो 3½ महीने से बन्द थी और आज भी बन्द है। तो कोई शराब की दुकान वहां पर सरकार की थी इस वास्ते शराब पीकर लोग मर गए ऐसी बात नहीं है। कुछ लोग नाजायज शराब न केवल जयपुर में बल्कि जयपुर के बाहर भी बनाते हैं और बना बना कर यहां बेचते हैं। उसको किस तरीके से हम रोक सकते हैं यह ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है बजाय इस प्रश्न के कि हम शराब की दुकान कहां रखें और कहां नहीं रखें। हालांकि वह भी महत्वपूर्ण है लेकिन इस समय सबसे बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि जो नाजायज शराब बनती है उसकी एक भौगोलिक और एतिहासिक भूमिका है और कारण हैं। पुराने जमाने से जब रियासतें थी तब जागीरदारों को शराब बनाने और शराब निकालने के कुछ अधिकार मिले हुए थे.......

श्री मूलचन्द सामरिया : आप उनके उत्तराधिकारी हो और आप उसे रखना चाहते हो।

श्री चन्दनमल बैद : मैं जो बात कह रहा हूं आपको बुरी मालूम पड़ रही हो तो मैं तो आज क्षमा मांगने के लिए उतारू हूं, आपसे भी क्षमा मांग लेता हूं। इस वास्ते यहां ऐसे बहुत से लोगों की पीढ़ियां मौजूद

(श्री चन्दनमल बैद)

हैं जिनको शराब निकालने की प्रक्रिया मालूम है और फिर भौगोलिक स्थिति यह है कि यह प्रदेश इतना बड़ा है कि किसी गांव में या किसी टीबे पर या किसी खेत में शराब निकले तो उस पर इतनी पुलिस या एन्टीइवेजन के आदमी नहीं लगा सकते कि उसको चैक कर सकें। लेकिन उसके बावजूद भी जैसा मैंने अपने वक्तव्य में बताया है माननीय उपाध्यक्ष महोदय सन् 1973 में केवल जयपुर में 107 केसेज पकड़े हैं। अगर हमारे अधिकारी इन नाजायज शराब बनाने वालों से मिले हुए होते तो 107 केसेज को कैसे पकड़ते ?

श्री वृद्धिचन्द्र जैन : कोई ज्यादा केसेज नहीं हैं।

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज !

श्री चन्दनमल बैद : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह नहीं कहता कि इतने ही केसेज हुए होंगे और इतने ही लोग होंगे। और भी ज्यादा हो सकते हैं, और भी ज्यादा लोग नाजायज शराब बनाते होंगे। मैं नहीं कहता कि हमने सारे लोग पकड़ लिए। लेकिन मेरे कहने का मतलब यह है कि 107 केसेज पकड़े गये उसमें से 2000 बोतल शराब और 2500 लीटर कच्ची शराब पकड़ी गयी और फिर इस साल में जिसके केवल 3 महीने ही बीते हैं 600 बोतल शराब पकड़ी गयी और 4000 बोतल कच्ची शराब की पकड़ी गयी। तो हम सचेत हैं और जागरूक हैं और बराबर इस बात की कोशिश कर रहे हैं कि नाजायज शराब बनाने वालों को पकड़ा जाये।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : उपाध्यक्ष महोदय, खाली शीशियों के आंकड़े बता रहे हैं आप यह बतायें कि इसके लिए आप कोई जांच अधिकारी मुकर्रर करेंगे या नहीं ?

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : आबकारी जिला अधिकारी को सस्पेण्ड करेंगे या नही ? सदन का समय केवल आंकड़े गिनाकर सदन को गुमराह करना चाहते हैं.......

उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : ऐसी दुःखद घटना हो गयी और उसमें केवल आंसू बहा कर उनके परिवारों के प्रति कोई घोषणा नहीं करना चाहते हैं। चाहते हैं। बीमार पड़े हैं उनके प्रति क्या सरकार का रुख होगा वह बात कहना नहीं चाहते। आप मुकर रहे हैं। यह आंकड़े गिनाने से कोई लाभ नहीं.......

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : ....आप निकम्मे हैं, अयोग्य हैं और आप आबकारी अधिकारी की अयोग्यता छिपाना चाहते हैं। आप जांच कमेटी नहीं बैठाना चाहते हैं इसलिए मैं मेरे दल के सदस्यों के साथ वाक आउट करना उचित समझता हूं।

(जनसंघ दल के माननीय सदस्यों द्वारा सदन से बहिर्गमन)

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज।

श्री चन्दनमल बंद : उपाध्यक्ष महोदय, मैं सदन को इतना ही विश्वास दिला सकता हूं कि पूरी तरह से इस बात की कोशिश की जायेगी आगे से जो हमारी एन्टीइवेजन विंग है नाजायज शराब पकड़ने की जो दस्ता है उनको और सशक्त बनाया जाये, उनको और मजबूत किया जाये और उसके लिए ज्यादा धन भी खर्च करना पड़े तो उसके लिए ज्यादा धन भी खर्च किया जाये जिससे नाजायज शराब को और उसके बनाने वालों को और मुस्तैदी के साथ पकड़ सकें। लेकिन उपाध्यक्ष महोदय, मैं फिर अर्ज करना चाहता हूं कि नाजायज शराब बनाने का यह काम अगर मैं यह कहूं कि मैं निर्मूल कर दूंगा यह न मेरे लिए संभव है और न किसी और के लिए ही संभव है। लेकिन मैं आपको यह विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि हम पूरी कोशिश इस बात की करेंगे कि नाजायज शराब बनाने वाले मुस्तैदी के साथ पकड़े जायें और उनको सजा दिलाई जाये और जितनी ज्यादा से ज्यादा कड़ाई बरती जा सके वह बरती जाये।

श्री उपाध्यक्ष : सदन की कार्यवाही मंगलवार दिनांक 2 अप्रेल, 1974 के प्रातः 11 बजे तक के लिए स्थगित की गई।

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही सायंकाल 6 बज कर 57 मिनट पर मंगलवार दिनांक 2 अप्रेल, 1974 के प्रातः 11 बजे तक के लिए स्थगित हुई)

परिशिष्ट 1

(तारांकित प्रश्न सं. 594 की सूची)

प्रौढ शिक्षा के लिए जिलेवार आवंटित राशि का विवरण

क्र. सं.	जिले	पं. सं. संख्या	मकान 71—72	सामग्री एवं पुरस्कार हेतु 71—72	आवंटित 72—73	राशि का 72—73	73—74	विवरण 73—74	समूल निरक्षरता
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	अजमेर	8	8300	4500	8400	4000	6600	3400	3000
2.	अलवर	14	11300	7500	11200	6000	8000	2600	4000
3.	बाड़मेर	8	77000	4100	6000	3300	2600	950	5500
4.	बांसवाड़ा	8	10000	5500	7700	3800	4750	2500	1000
5.	भरतपुर	13	10800	6500	8900	5100	13500	7600	11400
6.	भीलवाड़ा	11	13400	7200	11200	5300	11800	4500	4500
7.	बीकानेर	4	2100	1150	1800	900	2000	500	1000
8.	बूंदी	4	3300	1850	2800	1400	2400	1300	1000
9.	चित्तौड़गढ़	12	10700	5850	12800	5700	18300	6850	8000
10.	चूरू	7	6900	3850	6000	3700	7500	3700	1200
11.	डूंगरपुर	5	55000	2300	3600	2100	2000	1200	—
12.	गंगानगर	4	9440	5800	8400	4200	7400	3350	1000

13.	जयपुर	17	14574	9087	11100	6600	—	—	3500
14.	जैसलमेर	3	2400	1500	1800	1200	1000	500	—
15.	जालोर	7	5500	3200	5400	3100	4000	1600	1500
16.	झालावाड़	6	5500	3300	6000	2700	3800	1600	1000
17.	झुंझुनूं	8	6400	3500	7700	3700	11000	4500	2000
18.	जोधपुर	9	9600	5500	9000	4000	2800	1200	2500
19.	कोटा	11	09900	5850	8300	4800	10600	4800	4500
20.	नागौर	11	10700	6000	9300	4900	5000	2000	—
21.	पाली	10	08000	5000	8000	4400	2300	1200	3000
22.	सवाई माधोपुर	10	8000	5000	6000	3000	6000	2000	4000
23.	सीकर	8	6400	4000	4800	2500	1000	500	500
24.	सिरोही	5	4200	2500	3600	1800	1000	400	500
25.	टौंक	6	8500	4290	6300	2900	4600	1800	2000
26.	उदयपुर	18	17400	10000	14000	7900	13700	6200	4200

नोटः—(1) अलवर जिला को पाइलट प्रोजेक्ट के अन्तर्गत पंचायत समिति बहरोड़ को क्रमशः सत्र 71-72, 72-73, 73-74 में प्रत्येक वित्तीय वर्ष में 23000/- आवंटित किए।

(2) ग्रामीण पुस्तकालयों के संचालनार्थ सत्र 71-72, 72-73, 73-74 प्रत्येक वित्तीय वर्ष में 8000/- आवंटित किए गये।

बाढ़ग्रस्त लोगों को जागृत कर नये समाज की ओर आकर्षित करने हेतु उपायों की सूची

1. वर्तमान में स्वयंसेवी प्रौढ़ शिक्षण समितियों द्वारा साक्षरता प्रसार और समूल निरक्षरता उन्मूलन का कार्यक्रम सम्पादित करने हेतु शैक्षणिक मार्गदर्शन एवं वित्तीय सहायता प्रदान की जायेगी।

2. योजनाबद्ध रूप में प्रौढ़ शिक्षण एवं समाज सेवा कार्य करने वाली पंचायत समितियों को वित्तीय सहायता एवं शैक्षणिक मार्गदर्शन प्रदान किया जायेगा।

3. साक्षरता कार्यक्रम को व्यवहारिक स्वरूप प्रदान किया जायेगा।

4. केन्द्रीय सरकार के सहयोग से राज्य के चार जिलों में शिक्षा विभागीय प्रयत्नों, विश्वविद्यालयों के सहयोग, कृषि महाविद्यालयों एवं स्वयंसेवी संस्थाओं के सहयोग से किसान साक्षरता योजना को क्रियान्वित किया जायेगा।

5. राज्य के अन्य जिलों में उदीयमान नई स्वयंसेवी संस्थाओं को व्यवहारिक साक्षरता कार्यक्रम संपादित करने हेतु वित्तीय सहायता एवं प्रेरणा दी जावेगी।

6. तीन जिलों में शिक्षा विभाग द्वारा चलाये जा रहे सघन साक्षरता कार्यक्रम को प्रभावशील बनाया जावेगा।

7. श्रव्य दृश्य साधनों द्वारा पोस्टरों, चलचित्रों तथा समयोजित प्रौढ़ साहित्य के प्रकाशकों द्वारा नवसाक्षरों में सामाजिक चेतना उत्पन्न की जावेगी।

8. पुस्तकालयों एवं वाचनालयों के माध्यम से समाज में प्रगतिशील नागरिकों को अद्यतन साहित्य तथा पत्र-पत्रिकायें उपलब्ध कराई जावेंगी। चल पुस्तकालयों तथा ग्रामीण पुस्तकालयों द्वारा तटस्थ ग्राम निवासियों को पढ़ने के लिये पुस्तकें उपलब्ध कराई जावेंगी तथा स्थानीय पुस्तकालयों की सहायतार्थ वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जावेगी।

9. भारत सरकार द्वारा पांच जिलों में चलाये जा रहे नेहरू युवक केन्द्रों की सेवाओं का अधिकतम उपयोग समाज शिक्षा कार्यक्रम में किया जावेगा।

परिशिष्ट 2

(तारांकित प्रश्न संख्या 596 की सूची)

सूची 'अ'

क्रमांक	उद्योग जिनके लिए आशय-पत्र प्राप्त हुए हैं	स्थान	संयुक्त क्षेत्र/ सार्वजनिक क्षेत्र
1.	स्कूटर	अलवर	सार्वजनिक क्षेत्र
2.	थ्री-ह्वीलर स्कूटर	अलवर	सार्वजनिक क्षेत्र
3.	ग्लास बाटल्स व कन्टेनर्स	सवाई माधोपुर	संयुक्त क्षेत्र
4.	कैल्शियम कार्बाइड	कोटा	संयुक्त क्षेत्र
5.	ग्लास शैल्ज	अलवर	संयुक्त क्षेत्र
6.	मिनी स्टील	जयपुर	संयुक्त क्षेत्र
7.	टी. वी. रिसीविंग सेट्स	जयपुर	सार्वजनिक क्षेत्र
8.	सोडा एश	अभी निर्णय नहीं हुआ	संयुक्त क्षेत्र
9.	कास्टिक सोडा	;;	संयुक्त क्षेत्र
10.	स्पंज आइरन	;;	संयुक्त क्षेत्र
11.	सिन्थेटिक क्रायोलाइट व एल्यूमिनियम फ्लोराइड	;;	संयुक्त क्षेत्र

परिशिष्ट 3
(ता. प्र सं. 597 की सूची)
जिला गंगानगर

क. सं.	फर्म का नाम	निरीक्षण की तिथि	संक्षिप्त कारण	की गई कार्यवाही मय तिथि	विशेष विवरण
1.	मैसर्स डींगरा मैडिकल स्टोर श्रीगंगानगर ।	10-1-74	(1) बिना बिल के औषधि पकड़ा जाना (एक आइटम) (2) निर्माता का नाम अंकित नहीं किया जाना । (3) बैच नं अंकित नहीं किया जाना । (4) मियाद तिथि का अंकित नहीं किया जाना । (5) मियाद बाहर औषिधियां एकत्रित किया जाना । 135 (6 आईटम) (6) विदेशों में बनी औषधि के परचेज वाउचर (एक आइटम) 11×50 टेबलेट वाउचर का पेश नहीं करना । (7) दो आइटमों पर मिसब्रान्डेड का संदेह ।	शोकॉज नोटिस जारी किया गया	31-1-74
2.	मैसर्स भवानी मैडिकल स्टोर, हनुमानगढ़ ।	13-1-74	(1) बैच नं. अंकित नहीं करना । (2) मियाद तिथि का अंकित नहीं करना । (3) मियाद बाहर की तिथि के 3 आइटम पकड़े । (4) बिना रेफ्रीजेटर के ए. टी. एस. की बिक्री । (5) बैच नं. अंकित नहीं करने से सेल (बिक्री) व परचेज (खरीद) चेक नहीं की जा सकी ।	"	13-2-74

3.	मैसर्स राजस्थान मेडिकल स्टोर, हनुमानगढ़ ।	13-1-74	(1) रिटेल और होल सेल लाइसेन्स नहीं थे । (2) बैच नं. अंकित नहीं करना । (3) अधिक कीमत चार्ज करना । (एक आइटम पकड़ा)	"	13-2-74
4.	मैसर्स सेवक मेडिकल हाल, श्रीगंगानगर ।	10-1-74	(1) बैच नं. अंकित नहीं किया जाना (7 नकद पत्र पकड़े) (2) बिना परचेज वाउचर विदेशी ओ. पकड़ी । (दो) (3) नकद पत्रों में बैच नं. अंकित नहीं किया जाना । (4) मियाद तिथि का अंकित नहीं किया जाना । (5) चिकित्सक नमूने प्राप्त (6 आईटम) (6) मियाद बाहर ओ. प्राप्त करना ।	"	31-1-74
5.	मैसर्स अग्रवाल मेडिकल स्टोर, श्रीगंगानगर ।	10-1-74	(1) 22 आइटम चिकित्सक नमूने प्राप्त (22 आइटम) (2) विषैली औषधियों के रखने का उचित तरीका नहीं । (3) 6 मियाद बाहर औषधियां पाई गई । (4) स्वच्छता का कोई ध्यान नहीं ।	"	13-2-74
6.	मैसर्स दीपक मेडिकल स्टोर, हनुमानगढ़ ।	13-1-74	(1) ड्रग लाईसेन्सेज लटके हुए नहीं थे । (2) रेफ्रीजेटर के बिना ए. टी. एस. आदि रखना । (3) होलसेल नकद पत्रों में खरीददार का नाम अंकित नहीं होना । (4) बैच नं. का अंकित नहीं करना ।	"	13-2-74
7.	मैसर्स बसन्त मेडिकल स्टोर, श्रीगंगानगर ।	10-1-74	(1) मियाद बाहर औषधियां पाई गई (3 आइटम) (2) चिकित्सक नमूने पाये (6) आईटम । (3) मियाद तिथि एवं बैच नम्बर अंकित नहीं करना ।	"	13-2-74

परिशिष्ट 4

उदयपुर नगर में पीलिया का प्रकोप

614. श्री निरंजननाथ आचार्य (मावली) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि उदयपुर नगर में जाइन्डीन (पीलिया) रोग का इन दिनों अत्यधिक प्रकोप है ? यदि हां, तो अब तक इसके लिये निराकरण के लिये क्या प्रयत्न किये गये ?

(2) क्या यह सही है कि दूषित पेय जल के कारण ही उक्त रोग फैला है ?

(3) क्या यह सही है कि कुछ समय पूर्व उक्त स्थिति पर नियन्त्रण करने हेतु चिकित्सकों, स्वास्थ्य अधिकारियों एवं जल प्रदाय योजना तथा अन्य विभाग के इन्जीनियरों की एक मीटिंग हुई थी ? यदि हां, तो कब और इसमें क्या निर्णय लिए गए ?

उत्तर

(1) जी हां। चूंकि इस बीमारी के फैलने में मुख्य भाग दूषित पेय जल एवं शहर में गन्दगी फैली रहने से रहा है। इसलिए खाद्य सामग्री एवं सफाई के सम्बन्ध में दुकानदारों एवं आम जनता को हैन्ड बिल्स एवं लीफलेट्स द्वारा आवश्यक हिदायतें दी गई। दूषित पेय जल के सम्बन्ध में समय समय पर पानी की जांच के नमूने इकट्ठे कर उनकी जांच कराई जा रही है और पानी का क्लोरीनेशन किया गया है।

(2) जी हां।

(3) जी हां। दिनांक 19-12-73 एवं 29-1-74 को मीटिंग हुई थी जिसमें निम्न निर्णय लिये गये थे।

(1) उदयपुर नगर के (जल प्रदाय योजना) में उन स्थानों पर पानी लीक करने वाले पाइपों की मरम्मत करा दी जायेगी और स्वास्थ्य तथा जन भावनाओं को ध्यान में रखते हुए सड़कों पर तथा रास्तों में पानी नहीं फैलने दिया जायेगा।

(2) समस्त बावड़ियों को किटाणु रहित कर दिया जायेगा क्योंकि इन बावड़ियों को अभी तक निजी एवं सार्वजनिक उपयोग के पेय जल उपयोग के लिए पेय जल कूपों में परिवर्तित नहीं किया गया है।

(3) सार्वजनिक उपयोग के लिये वितरित किये जाने वाले पेय जल की जांच करने के उद्देश्य से प्रति दिन बेक्ट्रीयोलोजीकल टैस्ट के लिए प्रयोगशाला को पूर्ण साजसज्जा युक्त की जायगी और प्रयोग शाला द्वारा पेय जल सार्वजनिक उपयोग के लिये उपयुक्त घोषित किये जाने के बाद ही वितरित किया जायेगा।

(4) स्वास्थ्य शिक्षा की परयाप्त व्यवस्था की जायगी।

(5) दूध एवं अन्य खाद्य पदार्थ विक्रेताओं को शुद्ध एवं ताजा खाद्य सामग्री ही बेचने के लिए सचेत किया जायगा।

पुस्तकों की खरीद

615. श्री श्रीराम गोटेवाला (किशनपोल, जयपुर) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि कुछ समय पूर्व निदेशक शिक्षा विभाग ने 5 लाख रुपये

की पुस्तकों की खरीद की है ? यदि हां, तो कब व किस बजट हैड से ?

(2) क्या यह सही है कि इन पुस्तकों की खरीद के लिये टेन्डर भी आमन्त्रित किए गये थे ? यदि हां, तो किस प्रकार ? क्या टेण्डर किन्हीं अखबारों के जरिये भी आमन्त्रित किये गये थे ? यदि हां, तो किस किस अखबार में ?

(3) क्या यह सही है कि राज्य के पुस्तक विक्रेताओं को इस खरीद के सम्बन्ध में सूचना भी नहीं दी गई थी ? यदि हां, तो क्यों ?

(4) क्या यह भी सही है कि उक्त पुस्तकों की सारी खरीद दिल्ली के पुस्तक विक्रेताओं से ही की गई है ? यदि हां, तो क्यों ?

उत्तर

(1) एस. टी. सी. प्रशिक्षणार्थियों के लिए रूट हॉफ ए मिलियन जोब के अन्तर्गत 3,56,850 के मूल्य की अध्ययनोपयोगी पुस्तकें एस. टी. सी. के आचार्यों, छात्रों में वितरण हेतु क्रय की गई। इसका खर्चा स्टाईपेण्ड की रकम से ही किया गया।

(2) पुस्तकों के क्रय हेतु टेण्डर आमंत्रित करने की आवश्यकता नहीं है। अतः अन्य प्रक्रिया अपनाने का प्रश्न ही नहीं उठता।

(3) राजस्थान के पुस्तक विक्रेता संघ को सूचना जबानी रूप से दे दी थी।

(4) यह सही नहीं है।

पी. एच. सी. गन्डाला के सब सैन्टर्स के भवन

616. श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता (बानसूर): क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि बहरोड़ (जिला अलवर) के गन्डाला पी. एच. सी. के दो सब-सैन्टर गूंती व वूढवाल के मकान बनाने के लिये स्थानीय जनता ने करीब दस साल पहले 6666) रुपये हर सैन्टर के लिये बहरोड़ पंचायत समिति में जमा कराये थे ? यदि हां, तो भवन निर्माण के सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की जा रही है और इतने अर्से तक भवन निर्माण न होने के लिये कौन अधिकारी जिम्मेदार है ?

(2) क्या सरकार अब इन दोनों सब सैन्टरों को स्थानीय जनता के भवनों में स्टाफ भेज कर चालू कराने की आज्ञा प्रदान करेगी ?

उत्तर

(1) जी हां। ठेके पर भवन निर्माण की कार्यवाही प्रारम्भ की जा चुकी है। कार्य प्रगति पर है। भवन निर्माण कराने की जिम्मेदारी विकास एवं पंचायत विभाग की है।

(2) जी हां।

उनियारा-जहाजपुर सड़क

617. श्री रमेशचन्द्र सैनिक (हिन्डौली): क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि उनियारा, जिला टोंक से जहाजपुर, जिला भीलवाड़ा

(श्री रमेशचन्द्र सैनिक)

तक सड़क बनाने का कार्य प्लान में लिया गया था ? यदि हां, तो कब तथा इस पर कुल कितनी राशि खर्च होनी निश्चत हुई थी ?

(2) अब तक इस पर कुल कितनी राशि खर्च हो चुकी है तथा इस पर कितना कितना कार्य किस स्थान से कहां तक किन किन कॉन्ट्रेक्टर्स के द्वारा कौन कौन से वर्ष में हुआ ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(3) क्या यह बात सही है कि इस क्षेत्र में अब तक कोई प्लान रोड नहीं लिया गया था ? यदि हां, तो उपरोक्त रोड अब तक क्यों नहीं बना ?

(4) कृपया यह बतावें कि यह प्लान रोड कब तक तैयार हो जावेगा ?

उत्तर

(1) मेटल रोड जहाजपुर हिन्डोली नैनवा-उनियारा रोड की प्रशासनिक स्वीकृति बूंदी जिले में 8-11-63 को दी गई थी, तथा 15,60,000/- रुपया व्यय होने का अनुमान था।

(2) इस सड़क पर फरवरी, 1974 तक 6,42,208 रुपया व्यय हुआ है। कार्य विवरण एवं ठेकेदारों की सूची (अ) प्रस्तुत है।

(3) उपलब्ध धनराशि अनुसार कार्य जिला बूंदी, भीलवाड़ा में प्रगति पर है।

(4) पांचवीं पंच वर्षीय योजना में सड़क निर्माण होने की आशा है।

सूची अ

तारांकित प्रश्न संख्या 130 लि. मं.

नाम खण्ड—बूंदी

माइल जिनमें कार्य हुआ	नाम ठेकेदार	नाम कार्य	कार्य प्रारम्भ की तिथि	कार्य समाप्तगी की तिथि	कार्य स्थिति
1	2	3	4	5	6
1. नैनवां-उनियारा (0) उनियारा 1 से 6 किलोमीटर तक	श्री अजीतसिंह	मैटलिंग	1-10-65	30-9-66	मैटलिंग कार्य पूर्ण हो चुका है
2. 7 से 9 किलोमीटर	श्री अजीतसिंह	मैटलिंग एवं डामर	20-10-71	19-6-72	मैटलिंग का कार्य कन्सोलीडेशन को छोड़ कर पूर्ण हो चुका है। कार्य प्रगति पर है
3. 10 से 12 किलोमीटर	श्री अजीतसिंह	,,	16-11-71	15-7-72	अर्थ वर्क पूर्ण हुआ है।
4. 13 से 15 किलोमीटर	श्री अजीतसिंह	,,	16-11-71	15-7-72	,,
5. 1 से 3/0 किलोमीटर	श्री गोर्धनलाल गुप्ता	प्रि-मिक्स कारपेट कार्य	23-3-71	22-7-71	1 कि. मी. से 3 कि. मी. में केवल पांट ग्रीट कलेक्शन हुआ है।
6. 3 से 6/0 किलोमीटर	श्री छाजूराम	,,	11-4-71	10-9-71	ग्रीट कलेक्शन हुआ है।

1	2	3	4	5	6
7. जोजावर-नैनवा (0 नैनवा) 1 से 5 किलोमीटर	श्री रोशनअली	मैटलिंग	7-10-71	6-5-71	मैटलिंग कार्य पूर्ण हो चुका है।
8. 6 से 8 किलोमीटर	श्री जगन्नाथ चोपरा	मैटलिंग एवं डामर	16-7-71	15-1-72	मैटलिंग का कार्य कन्सोलिडेशन कार्य को छोड़कर पूर्ण हो चुका है।
9. 9 से 10 किलोमीटर	श्री चुन्नीलाल	"	28-2-74	27-5-74	कार्य आरम्भ नहीं किया गया है।
10. 11 से 12 किलोमीटर	श्री गोरधनलाल	डामर	21-7-71	20-11-71	सप्लाई ऑफ सैण्ड एण्ड ग्रिट का कार्य हुआ है।
11. 13 से 15 किलोमीटर	श्री रोशनअली	मैटलिंग एवं डामर	20-7-71	19-11-71	मैटलिंग कार्य पूर्ण हो चुका है, ग्रिट मिट्टी तथा डामर सप्लाई का कार्य पूरा हो चुका है, प्रि-मिक्स कारपेट कार्य करना शेष है।

नोट:—जिला टोंक में कि.मी. 20 से 22 का ठेका श्री अच्छू खां ठेकेदार को दिया था, किन्तु ठेकेदार ने कार्य आरम्भ नहीं किया है, तथा जिला भीलवाड़ा में कार्य विभागीय स्तर पर कराया जा रहा है।

लाल बहादुर शास्त्री कॉलेज, जयपुर में नियुक्तियों में अनियमितताएं

618. श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या लाल बहादुर शास्त्री कॉलेज, जयपुर को चलाने वाली संस्था भारत सेवक शिक्षा समिति का संविधान रजिस्ट्रेशन ऑफ सोसाइटीज एक्ट राजस्थान के तहत रजिस्टर्ड हुआ है ? यदि हां, तो कब ? कृपया मूल सविधान की प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(2) क्या उक्त शिक्षा समिति के मूल संविधान में कभी कोई संशोधन किये गए हैं ? यदि हां, तो कब कब और क्या क्या संशोधन किए गए हैं ? कृपया संशोधनों की प्रतिलिपियां मय तारीखों की सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(3) क्या यह सही है कि संविधान में संशोधन जनरल बॉडी की मीटिंग द्वारा ही किया जा सकता है और मूल संशोधन के पहले प्रस्ताव केवल कार्यकारिणी द्वारा 7-9-72 को पारित किए गए थे इसलिये रजिस्ट्रार ने उन्हें स्वीकार न करके वापस भेज दिए ?

(4) क्या यह सही है कि जनरल बॉडी की दिनांक 25-3-73 को संविधान में संशोधन के लिये विचारार्थ बुलाई गई मीटिंग में पुराने संविधान के अनुसार जो फाउन्डर मेम्बर थे उन सबको नहीं बुलाया गया जबकि उनको बुलाना जरूरी था ?

(5) क्या इस संशोधन को रजिस्ट्रार ने स्वीकृति दे दी है ? यदि हां, तो कब और क्यों ?

(6) क्या यह सही है कि इस संशोधन के विरुद्ध रजिस्ट्रार को ऐतराज भी पेश किया है ? यदि हां, तो उसके सम्बन्ध में क्या निर्णय हुआ ?

(7) क्या यह सही है कि इस कॉलेज के संचालन में अवैधानिकता, नियुक्तियों में अनियमितता एवं धन के दुरुपयोग के सम्बन्ध में राज्य सरकार द्वारा दो कमीशन नियुक्त किये हुए हैं ? यदि हां, तो इनकी जांच के लिए क्या क्या मुद्दे अलग अलग सुपुर्द किये गये हैं ?

(8) क्या यह सही है कि इसमें श्री भार्गव वाले कमीशन की रिपोर्ट पेश कर दी गई है ? यदि हां, तो कमीशन की रिपोर्ट की प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखें।

(9) उक्त कॉलेज के सम्बन्ध में दूसरा कक्कड़ कमीशन कब नियुक्त हुआ था ? क्या यह सही है कि इसकी रिपोर्ट अभी तक नहीं आई है ? यदि हां, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां, दिनांक जुलाई 68 को संविधान की प्रतिलिपि सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) जी हां। मूल संविधान में दिनांक 7 सितम्बर, 1972 की कार्यकारिणी की बैठक में कुछ संशोधन किये गये हैं। संशोधित संविधान की प्रतिलिपि सदन की मेज पर रख दी गई है।

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

(3) जी नहीं। मूल संविधान की धारा 16 के अनुसार सविधान में रूल्स रेगुलेशन्स एवं बाईलॉज के संशोधन का अधिकार (धारा 7 मूल संविधान के अनुसार) कार्यकारिणी को ही दिया गया है और ये संशोधन कार्यकारिणी से स्वीकृत होने की तिथि से ही प्रभावी होते हैं।

जनरल बोडी संविधान के अनुसार साल में एक बार एकत्रित होती है और वार्षिक रिपोर्ट पर विचार करती है। इसके अतिरिक्त सविधान के संशोधनों पर भी विचार करती है मूल प्रस्ताव कार्यकारिणी द्वारा पास होते ही रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाओं को भेज दिये गए थे, लेकिन उन्होंने जनरल बोडी में स्वीकृति के बाद भेजने को कहा, अत: 25-3-73 को हुई जनरल बोडी की वार्षिक मीटिंग में इसे अनुमोदत करा कर रजिस्ट्रार को पुन: भेज दिया गया था जिसे उन्होंने रजिस्टर कर लिया है।

(4) जी नहीं। यह सही नहीं है। 25-3-73 को सभी फाउन्डर मेम्बर्स को बुलाया गया था। बुलाई गई जनरल बोडी की मीटिंग में केवल वेतन भोगी अध्यापकों या उन अध्यापकों को नहीं बुलाया गया था जो महाविद्यालय से स्तीफा देकर चले गये (संशोधित संविधान के अनुसार महाविद्यालय का वेतन भोगी व्यक्ति जनरल बोडी का सदस्य नहीं हो सकता)

(5) जी हां। रजिस्ट्रार द्वारा संशोधित सविधान स्वीकार कर लिया गया है। संशोधन रजिस्ट्रार द्वारा उसी समय स्वीकार कर लिया गया जब उनके सामने प्रस्तुत किया गया था स्वीकार इसलिए कर लिया गया कि सोसायटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट की धारा 4 के अनुसार केवल रजिस्ट्रार के पास संशोधन की प्रतिलिपि फाइल करनी होती है। रजिस्ट्रार को उसे नामंजूर करने का अधिकार नहीं है। रजिस्ट्रार के यहां से संशोधित प्रतिलिपि दिनांक 5-2-74 को प्राप्त करके निदेशक, शिक्षा विभाग एवं राजस्थान विश्वविद्यालय को सूचनार्थ भेजी जा चुकी है।

(6) संविधान के विरुद्ध रजिस्ट्रार को कोई ऐतराज पेश किया हो, इसकी कोई जानकारी नहीं है। जहां तक सोसायटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट का सम्बन्ध है, रजिस्ट्रार को एक्ट के अन्तर्गत ऐसे कोई अधिकार प्राप्त नहीं है।

(7) इस कॉलेज की नियुक्तियों में अनियमितता आदि के बारे में जांच करने के लिए श्री कक्कड, रिटायर्ड भारतीय सेवा के अधिकारी को नियुक्त किया गया।

(7) कॉलेज में धन के दुरुपयोग की शिकायतों की जांच के बारे में मुख्य लेखाधिकारी को नियुक्त किया गया था। श्री कक्कड को जांच के बारे में जो मुद्दे बताए गये हैं वे निम्न प्रकार हैं:—

1. श्री देवीशंकर तिवाडी द्वारा काफी संख्या में अपने अपने रिश्तेदारो को कॉलेज में नियुक्ति दिलाने बाबत।

2. भूतपूर्व आचार्य श्री एम. जी. डेविड और भूतपूर्व वनस्पती शास्त्र के लेक्चरार श्री एस. एस. सेठ की अनियमित तौर पर सेवा समाप्त करने के बारे में।

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

- मुख्य लेखाधिकारी को वित्तीय अनियमितताओं के बारे में जांच हेतु नियुक्त किया गया।

(8) मुख्य लेखाधिकारी की रिपोर्ट प्राप्त हो गई है।

(9) श्री कक्कड की नियुक्ति दिनांक 12-3-73 को हुई। उनकी रिपोर्ट अभी तक प्राप्त नहीं हुई है। उनको 27-3-74 को पत्र भेज दिया गया है कि यदि एक माह में उनकी रिपोर्ट नहीं आई तो दूसरे अधिकारी से जांच कराने की कार्यवाही की जावेगी।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)।

औद्योगिक दृष्टि से पिछड़ा हुआ झालावाड़ जिला

619. श्री रामप्रसाद बोहरा (झालरापाटन): क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि जिला झालावाड़ को औद्योगिक दृष्टि से पिछड़ा जिला घोषित कर दिया गया है ? यदि हां, तो इस जिले के विकास के लिए उद्योग की दृष्टि से राज्य सरकार अथवा भारत सरकार द्वारा किन-किन योजनाओं को लिया गया है ?

(2) क्या यह सही है कि जनता को उद्योग लगाने हेतु सभी सुविधाएं लोन, बिजली, पानी व जमीन आदि उपलब्ध कराये जावेंगे ?

(3) क्या यह सही है कि उद्योग विभाग के डिप्टी डाइरेक्टर का कार्यालय झालावाड़ में खोला जा रहा है ? यदि हां, तो कब और कितना रुपया उद्योग लगाने हेतु कितने साल की योजना में दिया जावेगा ?

उत्तर

(1) जी हां। भारत सरकार की स्वीकृति से झालावाड़ जिले में ग्रामीण औद्योगिकरण परियोजना 1973-74 से प्रारम्भ कर दी गई है।

(2) जी हां।

(3) जी हां। डिप्टी डाइरेक्टर का कार्यालय खोला जा चुका है। इस परियोजना के लिये धन भारत सरकार से प्राप्त होता है तथा वहां से प्राप्त धनराशि के अनुसार व्यय किया जावेगा।

ग्राम राजपुरा की लिफ्ट सिंचाई योजना का कार्य

620. श्री रामप्रसाद बोहरा (झालरापाटन): क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि ग्राम राजपुरा, पंचायत रीछवा तहसील झालरापाटन की लिफ्ट सिंचाई योजना का कार्य अधूरा पड़ा हुआ है ? यदि हां, तो इस पर अब तक कितनी रकम खर्च की जा चुकी है ?

(2) लिफ्ट सिंचाई योजना के पूरा होने पर अब कितनी राशि की और आवश्यकता होगी तथा कार्य पूरा होने पर कितनी जमीन सिंचित हो जावेगी ?

(श्री रामप्रसाद बोहरा)

(3) क्या वर्ष 74-75 में इस योजना का कार्य पूरा हो सकेगा ? अगर नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां, अब तक इस पर 25,000 रुपया खर्च हो चुका है।

(2) इसको पूरा करने के लिए लगभग 2,34,000) रुपये की जो आवश्यकता होगी। कार्य पूरा होने पर 413 एकड़ भूमि सिंचित हो सकेगी।

(3) जी नहीं, अर्थाभाव के कारण इस कार्य को वर्ष 74-75 में पूरा करना संभव नहीं होगा।

शास्त्री स्तर की परीक्षा

621. श्री भानुकुमार शास्त्री (उदयपुर) : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या संस्कृत कॉलेजों की शास्त्री स्तर की परीक्षा को बी. ए. के समकक्ष माना जाता है ? यदि हां, तो क्या शास्त्री की डिग्री प्राप्त व्यक्तियों को अन्य डिग्री प्राप्त व्यक्तियों की भांति राज्य सेवा में अवसर प्रदान किए जाते हैं ? यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

(2) क्या शास्त्री तक की कक्षाओं को अध्यापन कराने वाले प्राध्यापकों, आचार्यों एवं बी. ए. तक अध्ययन कराने वाले प्राध्यापकों एवं आचार्यों की वेतन शृंखला में अन्तर है ? यदि हां, तो एक ही प्रकार के अध्यापन कार्य के लिए भिन्न भिन्न वेतन शृंखला होने का क्या कारण है ?

(3) क्या सरकार संस्कृत कॉलेजों के प्राध्यापकों, आचार्यों एवं प्राचार्यों की वेतन शृंखला डिग्री कॉलेजों के प्राध्यापकों, आचार्यों एवं प्राचार्यों के समान करने का विचार रखती है ? यदि नहीं, तो क्यों नहीं ? और यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) जी हां। जी, हां।

(2) जी हां। सरकार ने संस्कृत शिक्षा विभाग की पृथक् वेतन शृंखला निर्धारित कर रखी है और उन्हीं के अनुसार वेतनमान देय है।

(3) जी, नहीं। क्योंकि संस्कृत शिक्षा विभाग के इन पदों के लिए पृथक् वेतन शृंखलाएं निर्धारित की हुई हैं।

केरोसिन की तस्करी

622. श्री मीठालाल (लालसोट) : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राजस्थान के विभिन्न जिलों में केरोसीन की तस्करी, काला बाजारी व जमाखोरी के कितने कितने मामले सरकार की पकड़ में आए ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(2) उक्त कितने मामलों में सरकार ने अन्तिम निर्णय लेकर दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की ?

(3) क्या यह सच है कि जयपुर जिले की लालसोट पंचायत समिति में जनता ने इस प्रकार के कई मामले स्थानीय व उच्च

(श्री मीठालाल)
अधिकारियों के द्वारा पकड़ा कर माल बरामद करवाया ?

(4) क्या यह भी सच है कि ऐसे संगीन मामलों में भी आज तक कोई कार्यवाही नहीं की गई तथा उन्हीं एजेन्टों को लगातार केरोसीन मिल रहा है ? यदि हां, तो क्यों ?

(स्थगित किया गया)

भैंसासिंह बांध का सर्वे

623. श्री भूराराम (आबू रोड): क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(1) क्या यह सही है कि आबू रोड तहसील में भैंसासिंह बांध व कुई सागने का नाके का दो दो बार सर्वे करके एस्टीमेट बना लिया गया है ?

(2) क्या यह भी सही है कि भैंसासिंह बांध की स्कीम तैयार कर ली गई है ?

(3) क्या यह भी सही है कि कुई सागने के नाके की भी स्कीम राज्य सरकार के विचाराधीन है ? अगर हां, तो इन कार्यों को राज्य सरकार कब से अपने हाथ में लेकर कार्य प्रारम्भ करेगी ?

उत्तर

(1) भैंसासिंह बांध सिंचाई योजना का सर्वेक्षण कार्य पूर्ण हो चुका है कुई सागने का नाका सिंचाई योजना का सर्वेक्षण अभी प्रगति पर है।

(2) जी हां।

(3) अर्थाभाव के कारण अभी नई लघु सिंचाई योजनाओं के निर्माण कार्य को प्रारम्भ करना संभव नहीं है।

सेवा मुक्त सिविल असिस्टेन्ट सर्जन्स

624. श्री जनार्दनसिंह गहलोत (गांधीनगर, जयपुर): क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(1) क्या यह सही है कि राज्य सरकार ने 87 सिविल असिस्टेन्ट सर्जन्स को अकारण सेवा मुक्त किया है ? यदि हां, तो क्यों ?

(2) क्या यह सही है कि राज्य सरकार इन्हें वापिस सेवा में लेने का इरादा रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा चयनित न होने पर सेवा मुक्त किया है।

(2) चयनित डॉक्टरों को कार्य पर लेने के बाद यदि कोई रिक्त स्थान हुए तो अन्य बेरोजगार डॉक्टरों के साथ साथ उनके प्रार्थना-पत्रों पर भी विचार किया जा सकेगा। फिलहाल यह मामला उच्च न्यायालय के विचाराधीन है।

ग्राम बांस खेडा में मेवातियान जाति के व्यक्तियों द्वारा आतंक

625. श्री भैरूंलाल (अकलेरा): क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि पुलिस थाना, मनोहर थाना (जिला झालावाड़)

(श्री भैरूंलाल)
क्षेत्रान्तर्गत ग्राम बांस खेड़ा के मेवातियान जाति के लोगों के आतंक से जिनका कि नाम पुलिस में दर्ज है, उस ग्राम के अन्य जाति के लोग भयभीत हैं ?

(2) क्या यह भी सही है कि इन मेवातियों ने बांस खेड़ा ग्राम के निवासी लोधा जाति के कई लोगों को मार कर व उनकी फसलों व मकानों को नष्ट कर बांस खेड़ा ग्राम से भगा दिया है ?

(3) क्या यह भी सही है कि मेवातियों के आतंक से भयभीत लोगों ने शान्ति स्थापित किये जाने हेतु पुलिस थाना मनोहरथाना में सूचना कर दी थी ? किन्तु पुलिस मनोहरथाना शान्ति कायम करने में असफल रही है ?

(4) क्या यह भी सही है कि इस एक वर्ष के अर्से में आतंकित मेवातियान मनोहरथाना ने भयभीत लोगों के साथ कई बार मारपीट की है, किन्तु सूचना देने पर भी पुलिस अधिकारी मौन हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार निष्पक्ष अधिकारी द्वारा जांच कराकर अन्शात क्षेत्र में शान्ति कायम कराने हेतु उचित कदम उठाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) जो नहीं।

(3) जी नहीं। लोढा जाति वालों की तरफ से 20 मेवातियों के खिलाफ रिपोर्ट प्रस्तुत होने पर, उनके विरुद्ध शान्ति व्यवस्था कायम रखने हेतु धारा 107/117 (3)-सी. आर. पी. सी. के तहत अदालत में इस्तगासा पेश किया जा चुका है।

(4) जी नहीं मेवातियान द्वारा एक वर्ष में उस गांव के लोगों के साथ कई बार मारपीट करने की कोई शिकायत पुलिस को प्राप्त नहीं हुई है। केवल एक बार ऐसी शिकायत प्राप्त हुई थी जिस पर तत्काल कानूनी कार्यवाही की गई।

परिशिष्ट 5

(तारांकित प्रश्न संख्या 604 की सूची)

LIST OF THE RURAL-ELECTRIFICATION CORPORATION SCHEMES SANCTIONED UPTO 20th MARCH 1974

S. No.	Name of the Scheme	District	No. of localities
1	2	3	4
	A–Rural Electrification		
1.	Kekri Tehsil	Ajmer	44
2.	P. S. Masuda	–do–	59
3.	Jawaja (Mini)	–do–	8
4.	Alwar-Bharatpur-Sawaimadhopur	Alwar	42
5.	Tijara-Kishangarh-Mandawar & Kotkasim.	–do–	65
6.	Laxmangarh-Rajgarh	–do–	53
7.	Mandwar Tehsil	–do–	73
8.	Behror	–do–	80
9.	Garhi-Ghatol-Bagidora & Banswara	Banswara	64
10.	Sajjangarh (Mini)	–do–	10
11.	Alwar-Bharatpur-Sawaimadhopur	Bharatpur	26
12.	P. S Rajakhera	–do–	70
13.	Kama-Nagar-Deeg	–do–	55
14.	Nadbai-Weir-Bayana & Roopbas	–do–	64
15.	Mandal-Sahada & Raipur	Bhilwara	45
16.	Jahazpur-Kotri-Mandalgarh	–do–	45
17.	P. S. Nibahera	Chittorgarh	61
18.	Pratapgarh Tehsil	–do–	53
19.	P. S. Kapasan.	–do–	51
20.	Rashmi-Gangrar.	–do–	56
21.	Kanera (Mini)	–do–	6
22.	Dungarpur-Aspur-Sagwara	Dungarpur	64

1	2	3	4
23.	11 Tehsils in Distt. Jaipur	Jaipur	117
24.	P. S. Govindgarh and Shahpura	-do-	53
25.	Baswa-Sikrai & Dausa	-do-	60
26.	Jamwaramgarh	-do-	60
27.	Khetri-Chirawa	Jhunjhunu	68
28.	P. S. Bakani.	Jhalawar	80
29.	P. S. Jhalrapatan.	Jhalawar	78
30.	P. S. Sangod.	Kota	115
31.	Atru Tehsil	-do-	65
32.	Degana-Parbatsar	Nagaur.	83
33.	Sojat-Kharchi	Pali	106
34.	Alwar-Bharatpur-Sawaimadhopur	Sawaimadhopur	11
35.	Mahuwa-Todabhim-Hindaun.	-do-	56
36.	P. S. Khandar	-do-	39
37.	Neem-ka-Thana.	Sikar	36
38.	Danta Ramgarh.	-do-	56
39.	P. S. Hanumangarh	Sri Ganganagar	34
40.	Tonk-Deoli-Uniara	Tonk.	65
41.	Newai Tehsil	-do-	56
42.	P. S Railmagra.	Udaipur	48
43.	Salumber-Girwa	-do-	63
	B-Special Transmission Lines.		
44.	132/33 KV Mahuwa-Mandawar line	SWM & Alwar	
45.	33 KV Single Circuit line from Bharatpur to Dholpur via Roopbas	Bharatpur	
46.	132 Single Circuit line from Jawar Mines to Sagwara.	Dungarpur	
	C-Scheduled Caste and Scheduled Tribes Basties		
47.	One Scheme for 141 SC/ST Basties	18 Districts	141 Basties.

Note:—Scheme at S. No. 4 is repeated at S. Nos. 11 & 34 for District Bharatpur & Sawaimadhopur. The village covered in each district have been shown separately at three places.

LIST 'B'

LIST OF THE R. E. C. SCHEMES UNDER CONSIDERATION OF R. E. C., NEW DELHI

S. No.	Name of the Scheme	Distt.
1.	P. S. Suwana	Bhilwara
2.	P. S. Sheoganj	Sirohi
3.	P. S. Reodar	—do—
4.	P. S. Bhinmal	Jalore
5.	P. S. Merta	Nagaur
6.	P. S. Sarada	Udaipur
7.	P. S. Sumerpur	Pali
8.	P. S. Ladnu	Nagaur
9.	Kuchaman	—do—
10.	Lalsot	Jaipur
11.	P. S. Ganganagar	Sri Ganganagar
12.	132 KV. line Dausa	Jaipur
13.	P. S. Ramganj Mandi	Kota
14.	Sapotra	Sawai Madhopur
15.	Shergarh, Osian & Phalodi	Jodhpur

परिशिष्ट—6

(तारांकित प्रश्न संख्या 605 की सूची)

सूची 'क'

नाम अधिकारी	पद	कार्यवाहक वेतन	महंगाई भत्ता	अतिरिक्त महंगाई भत्ता	तदर्थ सहायता	गृह किराया भत्ता	योग	विशेष विवरण
श्री सोहनलाल शर्मा	जिला आयु. अधिकारी	525-00	138-00	20-00	40-00	—	723-00	महालेखाकार द्वारा 31-12-73 तक वेतन अधिकृत था।
श्री पद्मनाभ शास्त्री	"	475-00	164-00	20-00	42-00	60-00	761-00	महालेखाकार द्वारा दिनांक 1-8-73 से 30-11-73 तक वेतन अधिकृत था।

जिला आयुर्वेद अधिकारियों के पद व नाम की सूची

(1)	श्री सरदारी लाल	जिला आयुर्वेद अधिकारी,	अजमेर
(2)	,, दामोदर प्रसाद शर्मा	,,	चूरू
(3)	,, सोहनलाल शर्मा	,,	बीकानेर
(4)	,, रामरतन त्रिपाठी	,,	गंगानगर
(5)	,, पद्मनाभ शास्त्री	,,	जोधपुर
(6)	,, सूर्यकान्त शर्मा	,,	बाड़मेर/जैसलमेर
(7)	,, प्रह्लाद राय देराश्री	,,	भीलवाड़ा
(8)	,, दामोदर लाल प्रधान	,,	चित्तौड़गढ़
(9)	,, हरीनारायण शर्मा	,,	कोटा
(10)	,, राधाकृष्ण शर्मा	,,	बूंदी
(11)	,, लक्ष्मीकान्त शान्डिल्य	,,	टोंक
(12)	,, चक्खनलाल चतुर्वेदी	,,	भरतपुर
(13)	,, गुलाबचन्द शर्मा	,,	सवाई माधोपुर
(14)	,, ऋषिदेव सोलंकी	,,	उदयपुर
(15)	,, रामेश्वर शर्मा	,,	जयपुर (पश्चिम)
(16)	,, सन्तोषलाल व्यास	,,	जयपुर (पूर्व)
(17)	,, प्यारेलाल जैन	,,	पाली
(18)	,, नर्मदा शंकर शर्मा	,,	सिरोही/जालौर
(19)	,, पृथ्वीराज गौतम	,,	अलवर
(20)	,, मोहनलाल दाधीच	,,	झुंझुनूं
(21)	,, पंचानन शर्मा	,,	डूंगरपुर
(22)	,, सीताराम व्यास	,,	बांसवाड़ा
(23)	,, हबीबुर रहमान (निलम्बित)	जिला यूनानी अधिकारी,	अजमेर
(24)	रिक्त	जिला आयुर्वेद अधिकारी,	नागौर
(25)	रिक्त	,,	झालावाड़
(26)	रिक्त	,,	सीकर

परिशिष्ट—7

स्थगित प्रश्न सं. 173 की सूची

क्र. सं.	नाम कार्यालय	तृतीय वेतन श्रृंखला में कितने प्रशिक्षित बेरोजगार अध्यापक हैं	सत्र 1973–74 में कितने अध्यापकों को नियुक्त किया गया ?	1973–74 रिक्त पद
1	2	3	4	5
1.	वि. नि., अलवर	—	277	—
2.	वि. नि., अजमेर	240	677	—
3.	वि. नि., बांसवांड़ा	—	131	—
4.	वि. नि., बाड़मेर	सूचना प्राप्त नहीं हुई		
5.	वि. नि., बूंदी	—	69	1
6.	वि. नि. बीकानेर	83	68	—
7.	वि. नि., भरतपुर	279	133	—
8.	वि. नि., भीलवाड़ा	—	109	25
9.	वि. नि., चूरू	—	62	—
10.	वि. नि., चित्तौड़	—	69	36(प्रशिक्षित अध्यापक उपलब्ध न होने के कारण)
11.	वि. नि.; डूंगरपुर	182	129	—
12.	वि. नि., गंगानगर	211	211	—
13.	वि. नि., जोधपुर	134	263	—
14.	वि. नि., जयपुर I	—	116	—
15.	वि. नि., जयपुर II	—	74	—
16.	वि. नि., झालावाड़	66	66	—
17.	वि. नि., झुंझुनू	87	151	—
18.	वि. नि., जैसलमेर	19	41	--
19.	वि. नि., जालोर	201	173	—
20.	वि. नि., कोटा	—	202	—
21.	वि. नि., करोली	24	158	—
22.	वि. नि.; नागौर	9	126	—

1	2		3	
23.	वि. नि., पाली	69	—	—
24.	वि. नि., सिरोही	4	63	8
25.	वि. नि., सीकर	—	190	—
26.	वि. नि., उदयपुर	—	387	—
27.	वि. नि., टोंक	62	62	—
28.	बालिका वि. नि., बीकानेर		सूचना प्राप्त नहीं हुई	
29.	बालिका वि. नि., अजमेर	427	210	—
30.	बालिका वि. नि., कोटा	—	50	—
31.	बालिका वि. उ. नि., जोधपुर	—	88	—
32.	बालिका वि. उ. नि., जयपुर	—	75	—
33.	बालिका वि. उ. नि., उदयपुर	—	117	—
34.	बालिका वि. उ. नि., भरतपुर	167	55	23
35.	बालिका वि. उ. नि., पाली		सूचना प्राप्त नहीं हुई।	
36.	बालिका वि. उ. नि., चित्तौड़	—	101	—
37.	बालिका वि. उ. नि., सीकर	—	42	1
38.	वि. व. उ. नि., ब्यावर	—	54	21
39.	वि. व. उ. नि., राजसमन्द	—	—	—
40.	वि. व. उ. नि., सवाई माधोपुर	—	—	
41.	वि. व. उ. नि., धौलपुर		सूचना प्राप्त नहीं हुई।	

परिशिष्ट—8

(अता. प्र. सं. 406 की सूची)

बाड़मेर जिले में बाढ़ से हुई क्षति का विवरण

1. बाढ़ से मनुष्यों की मृत्यु:—

क्र. सं.	नाम तहसील	संख्या
1.	तहसील बाड़मेर	16
2.	तहसील सिवाना	15
3.	तहसील पचपदरा	15
4.	तहसील शिव	1
	योग	37

2. बाढ़ से पशुधन की हानि

क्र. सं.	नाम तहसील	मवेशी	भेड़ बकरी गधे	ऊँट
1.	बाड़मेर	16	1910	36
2.	सिवाना	20	4079	4
3.	शिव	60	4293	36
4.	चोहटन	5	145	—
5.	पचपदरा	82	2068	7
	योग	183	12,495	83

3. बाढ़ से मकानों की क्षति

क्र. सं.	नाम तहसील	पूर्णतया नष्ट	आंशिक	योग
1.	बाड़मेर	413	2793	3206
2.	सिवाना	620	4199	4819
3.	शिव	644	3208	3852
4.	चोहटन	78	294	372
5.	पचपदरा	973	3675	4648
	योग	2728	14,169	16897

4. बाढ़ से फसल की क्षति

क्र. सं.	नाम तहसील	क्षतिग्रस्त क्षेत्र का रकबा (हैक्टर्स)
1.	बाड़मेर	11691
2.	सिवाना	3281
3.	शिव	—
4.	चौहटन	—
5.	पचपदरा	3751
	योग	18723

5. सरकारी भवनों की क्षति

क्र. सं.	नाम तहसील	संख्या
1.	बाड़मेर	22
2.	पचपदरा	14
	योग :	36

बाड़मेर एवं बालोतरा कस्बों में भी नुकसान हुआ है।

6. बाढ़ से सड़कों की क्षति

क्र. सं.	नाम सड़क
1.	जोधपुर-बाड़मेर
2.	सिनधारी गुढ़ा
3.	बाड़मेर-वायूत वेगुन्डी
4.	बालोतरा से सिवाना
5.	पचपदरा से पचपदरा साल्ट
6.	धू-फलसूण्ड सड़क
7.	बालोतरा मेवानगर
8.	बालोतरा समदड़ी
9.	चौहटन बंकासी सड़क
10.	कल्याणपुरा-समदड़ी-सिवाना

1	2
11.	बालोतरा से पाडरू
12.	पचपदरा से कानोद
13.	धागोली से शेरगढ़
14.	जसोल से तिलवाड़ा
15.	जालीपा से हरसानी
16.	धोरीमन्ना से केरीया
17.	बेवा से फलसून्ड
18.	जैसलमेर-बाड़मेर-साचोर

7. सिंचाई विभाग की क्षति

1. मेली बंध
2. बालोतरा प्रोटेक्शन वर्क्स
3. डी. पी. ए. पी. कार्य संख्या 19

8. कृषि योग्य भूमि जो गैर उपजाऊ हो गई

क्र. सं.	नाम तहसील	क्षेत्र (हैक्टर्स)
1.	बाड़मेर	1272
2.	सिवाना	469
3.	शिव	—
4.	चोहटन	—
5.	पचपदरा	393
	योगः	2134

9. अन्य सम्पत्ति की क्षति

क्र. सं.	नाम तहसील	गवाई तालाब	पेय जल कूप	सिंचाई कूप
1.	बाड़मेर	1	3	49
2.	सिवाना	2	14	141
3.	शिव	—	—	—
4.	चोहटन	1	3	131
	योगः	4	20	321

परिशिष्ट 9

(अतारांकित प्रश्न संख्या 409 की सूची)

जिन व्यक्तियों को फरवरी, 1974 तक वृद्धावस्था पेन्शन स्वीकृत की गई उनको संख्या की जिलेवार सूची

क्र. सं.	नाम जिला	वर्ष										कुल योग
		64–65	65-66	66-67	67–68	68–69	69–70	70–71	71–72	72–73	73–74	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	भरतपुर	56	146	105	64	86	36	175	212	98	135	1113
2.	सिरोही	—	16	11	15	7	6	6	8	8	11	88
3.	भीलवाड़ा	2	83	50	18	21	25	45	25	38	28	335
4.	बीकानेर	8	29	49	127	71	81	19	112	78	84	858
5.	बाड़मेर	—	11	15	15	12	18	15	57	70	53	266
6.	चूरू	—	46	21	54	17	5	11	14	12	18	198
7.	गंगानगर	—	10	13	14	6	17	43	47	65	116	331
8.	जैसलमेर	6	29	26	10	27	6	16	30	136	61	347
9.	पाली	—	—	38	15	24	65	165	318	26	78	729
10.	सवाई माधोपुर	—	—	20	32	22	15	44	19	49	24	225
11.	अजमेर	2	104	159	156	153	64	107	132	317	234	1428

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
12.	टोंक	1	10	42	35	25	8	40	44	59	72	336
13.	झालावाड़	18	47	31	26	47	39	24	53	50	24	357
14.	अलवर	—	143	194	144	121	97	95	191	106	125	1214
15.	नागौर	—	57	61	29	18	19	49	46	76	70	425
16.	चित्तौड़गढ़	—	4	11	20	20	20	40	54	36	28	238
17.	डूंगरपुर	—	12	12	5	10	7	20	40	14	33	153
18.	जयपुर	13	238	221	322	247	163	215	466	223	388	2496
19.	उदयपुर	1	41	113	118	70	136	200	359	116	24	1238
20.	सीकर	—	62	100	67	98	61	53	79	120	13	653
21.	बांसवाड़ा	—	34	20	19	7	12	12	19	13	—	146
22.	जालौर	—	4	1	—	—	1	4	—	4	—	15
23.	झुन्झुनूं	—	6	20	27	19	19	27	32	20	50	230
24.	कोटा	—	8	12	11	31	33	97	49	43	103	393
25.	बून्दी	2	37	30	19	18	13	13	46	53	46	277
26.	जोधपुर	—	64	353	204	171	107	168	113	111	109	1400

फरवरी, 1974 तक विचाराधीन व पूर्ति हेतु वृद्धावस्था पेन्शन के मामले की जिलेवार सूची

क्रमांक	नाम जिला	विचाराधीन व पूर्ति हेतु वृद्धावस्था पेन्शन के मामलों की संख्या
1	2	3
1.	सिरोही	15
2.	भीलवाड़ा	20
3.	बीकानेर	117
4.	बाड़मेर	23
5.	चूरू	120
6.	गंगानगर	43
7.	भरतपुर	—
8.	जैसलमेर	88
9.	पाली	44
10.	सवाईमाधोपुर	13
11.	अजमेर	197
12.	टोंक	28
13.	झालावाड़	26
14.	अलवर	51
15.	नागौर	30
16.	चित्तौड़गढ़	6
17.	डूंगरपुर	12
18.	जयपुर	112
19.	उदयपुर	23
20.	सीकर	65
21.	बांसवाड़ा	19
22.	जालोर	45
23.	झुन्झुनू	5
24.	कोटा	29
25.	बून्दी	29
26.	जोधपुर	262

परिशिष्ट 10

(प्र. ता. प्र. सं. 410 की सूची)

APPENDIX 'A'

LIST OF VILLAGES ELECTRIFIED IN TEHSIL AKLERA FROM AKLERA TO MANOHAR THANA AND AKLERA TO GHATODI

S. No.	Name of Villages
1.	Terkadiya
2.	Khanpooriya
3.	Lahas
4.	Kuri
5.	Pachola
6.	Gariaya Kheri
7.	Samri (Serari)
8.	Cheri
9.	Goodiya
10.	Shamli Kalan
11.	Gul Kheri
12.	Rishor Pura
13.	Banskheri
14.	Jhiri
15.	Gathoili
16.	Kachoili Khurd
17.	Tharol
18.	Guraidya
19.	Amalkhera
20.	Madhun
21.	Richawa
22.	Kukalwara Kalan
23.	Banskheri
24.	Jawar
25.	Borda
26.	Kalfala
27.	Borkheri
28.	Chandpura
29.	Amera
30.	Manoharthana
31.	Pathriya
32.	Kanswali

परिशिष्ट 11

(अ ता. प्रश्न सं. 411 की सूची)

सूची (अ)

अतारांकित प्रश्न संख्या 219 अ. ता.

नाम जिला	स्थिति 31-3-49		स्थिति 31-3-73	
	डामर	ग्रेवल	डामर	ग्रेवल
1. अजमेर *	410	—	1243	109
2. अलवर	140	8	902	—
3. बांसवाड़ा	—	—	214	176
4. बाड़मेर	—	356	628	816
5. भरतपुर	98	16	957	61
6. भीलवाड़ा	—	2	592	147
7. बीकानेर	27	—	737	385
8. बूंदी	73	—	344	—
9. चित्तौड़गढ़	—	13	410	15
10. चूरू	5	—	529	26
11. डूंगरपुर	—	—	261	127
12. गंगानगर	—	—	1412	46
13. जयपुर	245	—	1193	—
14. जैसलमेर	—	—	537	401
15. जालोर	—	21	328	318
16. जोधपुर	82	733	1155	746
17. झालावाड़	—	6	351	11
18. झुंझुनूं	2	—	397	20
19. कोटा	26	—	615	—
20. नागौर	—	713	652	984
21. पाली	—	145	568	660
22. सवाई माधोपुर	27	—	392	—
23. सीकर	—	—	471	8
24. सिरोही	—	—	465	87
25. टोंक	6	16	447	8
26. उदयपुर	13	8	1285	954

*नोट.—अजमेर की सड़कों का विवरण 31-3-56 का है।

परिशिष्ट 12

(अता. प्र. सं. 412 की सूची)

पाली जिले में वर्ष 1973 में बाढ़ अथवा अतिवृष्टि से क्षतिग्रस्त बांधों/तालावों की सूची "अ"

क. सं. 1	नाम कार्य 2	क. सं. 1	नाम कार्य 2
1.	जोगड़ावास बांध व नहर	29.	एंडला प्रोटेक्शन कार्य
2.	राजपुरा बांध व नहर	30.	केसूली बांध
3.	सादड़ी बांध व नहर	31.	गोरधार बांध
4.	सेली की नाल बांध व नहर	32.	बोकी का बाला
5.	गुढ़ा गोपीनाथ बांध व नहर	33.	सोनगिरी का नाका
6.	काना बांध व नहर	34.	कानूजा एनिकट
7.	मुथाना बांध व नहर	35.	फूटिया एनिकट
8.	जवाई बांध व नहर	36.	तकतगढ़ तालाब
9.	दांतीवाड़ा बांध व नहर	37.	चन्दवाल खड़ीन
10.	लटारा बांध व नहर	38.	खारडा बांध व नहर
11.	फुटेलाव बांध व नहर	39.	वायदा तालाब
12.	मीठड़ी बांध य नहर	40.	गुन्दोज तालाब
13.	चौपड़ा बांध व नहर	41.	एन्डला तालाब
14.	रायपुर लूनी बांध व नहर	42.	राजकीय ग्रावास तालाब
15.	खीवान्दी बांध व नहर	43.	मानपुर केसरपुरा, ग्रासन, बलपत, टीकली का नाका, एनीकट
16.	डिगोर बांध व नहर	44.	बाबागोन प्रोटेक्शन वर्क्स
17.	सारन बांध व नहर	45.	गुडा सोनगिरी का बोरा
18.	उगंटी बांध व नहर	46.	दीगाई का दौरा
19.	बानियाबास बांध व नहर	47.	बसन्त फ्लड प्रोटेक्शन वर्क्स
20.	शिवनाथ सागर बांध	48.	रकाना दौरा
21.	मगर तालाब नहर	49.	उंकाली का दौरा
22.	फोलर नहर	50.	कोयल बाव एनिकट
23.	हेमावास नहर	51.	कुरन एनिकट
24.	खारड़ा नहर	52.	पुनाडिया एनिकट
25.	पाली प्रोटेक्शन	53.	लालराय
26.	बाली प्रोटेक्शन	54.	बिलर
27.	गिलोरिया बांध	55.	मेघा तालाब
28.	हेमावास बांध		

1	2	1	2
56. उंडिया वाला		66. भखतावरपुरा	
57. लूनिया बास		67. दीपावास कैनाल	
58. रिपरावास		68. सल नदी	
59. गडवाल की नाल		69. कुलाली फीडर	
60. गुडा केसरसिंह		70. बेरू का नाका	
61. जोर की नांदी (धामली)		71. गोची दांतरि	
62. नवादन		72. कालीपति	
63. जीजोरली		73. केरिया नाका	
64. कोटालिया		74. कंकरिया नांका	
65. पाना वाला (कूरकी)		75. जींजा श्यामपुरा की रपट	

शुद्धि-पत्र

शनिवार; दिनांक 30 मार्च, 1974

स्कम्भ संख्या	पंक्ति संख्या	अशुद्ध	शुद्ध
1	2	3	4
2	ऊपर से 12	शिाक्षा	शिक्षा
2	नीचे से 10	—	पर
6	ऊपर से 9	सप्लमैन्टी	सप्लीमेन्ट्री
7	नीचे से 3	विचारधीन	विचाराधीन
16	,, 5	में	—
28	ऊपर से 11	तेखिये	देखिये
37	,, 8	मिनिम्टर	मिनिस्टर
38	,, 17	के	—
40	,, 7	को	—
48	नीचे से 11	पाव	गांव
48	,, 9	जाल	जाय
49	ऊपर से 13	कीसी	किसी
51	नीचे से 14	शि कों	शिक्षकों
67	,, 6	छब ा	छबड़ा
69	,, 9	भी	श्री
69	,, 3	रकूल	स्कूल
79	ऊपर से 10	8,25,00	8,25,000
86	,, 9	झबारसिंह	झाबरसिंह
92	नीचे से 5	एस. पा.	एस. पी.
94	ऊपर से 15	10 रुपये	10 लाख रुपये
99	,, 7	चालन	चालान
101	नीचे से 9	उमय	समय
113	ऊपर से 7	हस	हम
118	अन्तिम	समें	उसमें
199	ऊपर से 11	हुआ	—
202	,, 6	सारे	सारे
202	,, 18	आदालत	अदालत
203	,, 2	जपने	अपने
204	नीचे से 15	—	है
217	,, 3	तहुत	बहुत
218	ऊपर से 18	दिक्कल	दिक्कत

1	2	3	4
218	ऊपर से 25	—	,,
224	नीचे से 6	थोढी	थोड़ी
225	ऊपर से 2	श्री योगेन्द्रनाथ हाम्डा	श्री योगेन्द्रनाथ हांडा
231	,, 9	—	है
234	,, 19	श्री प्रयुम्नसिंह	श्री प्रद्युम्नसिंह
235	,, 13	यहां	—
235	नीचे से 6	प्रश्नव्य	प्रश्रव्य
235	,, 8	नह	वह
242	,, 15	2ई	2½
287	ऊपर से 3	में	मैं
287	,, 12	आर्डर	आर्डर
289-314	शीर्षक	राज. विनि. (सं. 2) विधे., 74 का पुर. वि. एवं पारण	शासकीय वक्तव्य
312	नीचे से 5	में	मैं